राजभाषा हिन्दी
श्रेष्ठ भाव भूमि

आजादी के अमृत काल के उपलक्ष्य में

स्मारिका (वर्ष 2023-24)

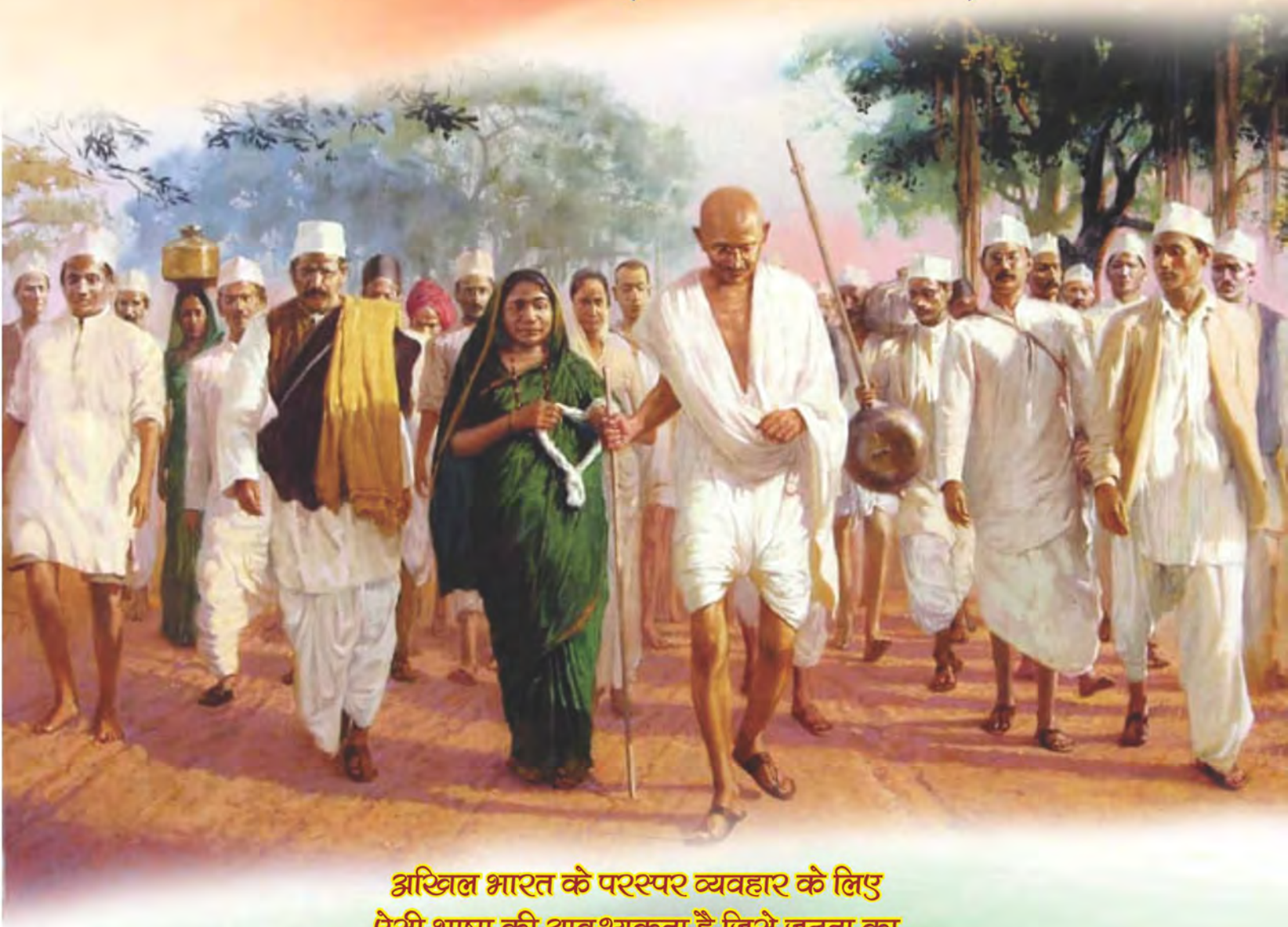

अखिल भारत के परस्पर व्यवहार के लिए
ऐसी भाषा की आवश्यकता है जिसे जनता का
अधिकतम भाग पहले से ही जानता समझता है
और हिन्दी इस दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ है।

–महात्मा गाँधी

केन्द्रीय सचिवालय हिन्दी परिषद
116, टाईप-IV, लक्ष्मी बाई नगर, नई दिल्ली-110023

कोशिश करने वालों की हार नहीं होती...

लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती...
कोशिश करने वालों की हार नहीं होती...
नन्ही चींटी जब दाना लेकर चढ़ती है...
चढ़ती दीवारों पर सौ बार फिसलती है...

मन का विश्वास रगों में साहस भरता है...
चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना, ना अखरता है..
मेहनत उसकी बेकार हर बार नहीं होती...
कोशिश करने वालों की हार नहीं होती...।

डुबकियाँ सिंधु में गोताखोर लगाता है...
जा जा कर खाली हाथ लौटकर आता है..
मिलते ना सहज ही मोती गहरे पानी में...
बढ़ता दूना विश्वास इसी हैरानी में...

मुठ्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती...
कोशिश करने वालों की हार नहीं होती...।
असफलता एक चुनौती है... स्वीकार करो...
क्या कमी रह गयी, देखो और सुधार करो...

जब तक ना सफल हो नींद-चैन को त्यागो तुम...
संघर्षों का मैदान छोड़ मत भागो तुम...
कुछ किये बिना ही जयजयकार नहीं होती...
कोशिश करने वालों की हार नहीं होती...।

-सोहनलाल द्विवेदी

गजेन्द्र सिंह शेखावत
Gajendra Singh Shekhawat

सत्यमेव जयते

आज़ादी का अमृत महोत्सव

जल शक्ति मंत्री
भारत सरकार
Minister for Jal Shakti
Government of India

24 JUL 2023

संदेश

मुझे यह जानकार अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि 'केन्द्रीय सचिवालय हिंदी परिषद' आजादी के 'अमृत महोत्सव' के पुनीत अवसर पर हिंदी की एक विशेष स्मारिका का प्रकाशन करने जा रही है। मैं इसके लिए 'केन्द्रीय सचिवालय हिंदी परिषद' को बहुत-बहुत बधाई देता हूं।

भारत बहु सांस्कृतिक, बहु जातीय देश होने के साथ ही एक बहु भाषिक देश भी है। संविधान की आठवीं अनुसूची में 22 भारतीय भाषाओं को सम्मिलित किया गया है। ये भाषाएं भारत के विभिन्न प्रांतों में रहने वाले लोगों के जनजीवन और संस्कृति का प्रतिनिधित्व करती हैं, लेकिन हमारी मातृभाषा हिन्दी का दायरा बहुत बड़ा है, जो न केवल विश्व की प्राचीन और सरल भाषा है, बल्कि यह हमारी संस्कृति और संस्कारों की पहचान भी है, जो भारत के विभिन्न भाषा-भाषियों के पारस्परिक विचार विनिमय का साधन बनकर पूरे देश को एकता के सूत्र में बांधने का काम करती है।

जिस तरह एक राष्ट्रीय स्तर की प्रतिष्ठित संस्था 'केन्द्रीय सचिवालय हिंदी परिषद' राजभाषा नीति के कार्यान्वयन एवं सरकारी कामकाज में हिन्दी के प्रयोग, प्रोत्साहन और प्रेरणा के साथ इसे आगे बढ़ाने में अपना बहुमूल्य योगदान देते हुए निरंतर प्रयासरत है, वह अत्यंत ही सराहनीय पहल है। हिंदी पत्रिका (स्मारिका) का प्रकाशन भी राजभाषा हिन्दी के विकास और प्रचार-प्रसार में अपनी विशिष्ट भूमिका निभाता है, जिससे हिंदी के प्रचार-प्रसार के लिए एक अनुकूल परिवेश बनता है।

मुझे उम्मीद ही नहीं, पूर्ण विश्वास भी है कि 'केन्द्रीय सचिवालय हिंदी परिषद' ने जिस तरह हिंदी की इस स्मारिका के माध्यम से जन-जन तक जुड़ने का प्रयास किया है, निश्चित ही भविष्य में हमें इसके और भी दूरगामी परिणाम देखने को मिलेंगे।

अंतत : मैं स्मारिका के सफल प्रकाशन की कामना करते हुए पुन: 'केन्द्रीय सचिवालय हिंदी परिषद' को बधाई देता हूं और अपनी शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं।

गजेन्द्र सिंह शेखावत

जल शक्ति अभियान
संचय जल, बेहतर कल

Office : 210, Shram Shakti Bhawan, Rafi Marg, New Delhi-110 001
Tel: No. (011) 23711780, 23714663, 23714200, Fax : (011) 23710804
E-mail : minister-jalshakti@gov.in

हरदीप एस पुरी
HARDEEP S PURI

आवासन और शहरी कार्य मंत्री
पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री
भारत सरकार
Minister of
Housing and Urban Affairs; and
Petroleum and Natural Gas
Government of India

संदेश

यह अत्यंत हर्ष का विषय है कि केंद्रीय सचिवालय हिंदी परिषद द्वारा 'आजादी का अमृत महोत्सव' के उपलक्ष्य में हिंदी की विशेष स्मारिका का प्रकाशन किया जा रहा है ।

भारत एकता एवं विविधताओं का देश है । विभिन्न प्रांतों से मिलकर बना यह देश 'अनेकता में एकता' की छवि प्रस्तुत करता है । हमारे देश में अनेक भाषाएँ हैं, लेकिन हमारी सांस्कृतिक एकता और वैचारिक क्षमता सदैव सर्वोपरि रही है। राष्ट्रीय एकता की इस कड़ी को सुदृढ़ बनाने में हिंदी भाषा ने कई दशकों से राष्ट्र-निर्माण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है । भारतीय चिंतन एवं अभिव्यक्ति की मूल धारा को सहेजने-संवारने और संप्रेषित करने में हिंदी सदैव अग्रणी रही है। आज यह अत्यंत आवश्यक है कि हिंदी को हम सरलतम रूप में अपनाएँ तथा राजकीय कामकाज में इसका अधिक से अधिक प्रयोग करें।

उल्लेखनीय है कि केंद्रीय सचिवालय हिंदी परिषद द्वारा, प्रति वर्ष अखिल भारतीय स्तर पर हिंदी प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है। परिषद के निष्ठावान कार्यकर्ता निस्वार्थ भाव से संपूर्ण भारत के सरकारी कार्यालयों में राजभाषा नीति नियमों का सुचारू रूप से अनुपालन करवाने और हिंदी का प्रयोग बढ़ाने के प्रयोजन हेतु अपना बहुमूल्य सहयोग प्रदान कर रहे हैं। मुझे विश्वास है कि यह स्मारिका सरकार के कार्यप्रणाली में मूल रूप से हिंदी का प्रयोग करने के लिए सभी कर्मचारियों को प्रेरित करेगी तथा हिंदी के प्रयोग और प्रचार-प्रसार की दृष्टि से उपयोगी सिद्ध होगी।

इस स्मारिका के सफल प्रकाशन एवं प्रयास के लिए केंद्रीय सचिवालय हिंदी परिषद को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं।

(हरदीप एस पुरी)

नई दिल्ली
18 अक्तूबर 2023

Office:- Room No. 104-C, Nirman Bhawan, New Delhi-110011; Phone: 011-23061166, 23061162, 23062089 (Fax)

सर्बानंद सोणोवाल
SARBANANDA SONOWAL

मंत्री
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग एवं आयुष
भारत सरकार
Minister
Ports, Shipping & Waterways and AYUSH
Government of India

संदेश

यह जानकर अपार प्रसन्नता हो रही है कि केंद्रीय सचिवालय हिंदी परिषद ने आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में हिंदी की विशेष स्मारिका प्रकाशित करने का निर्णय लिया है। हम सब जानते हैं कि हिंदी उन्नत, समृद्ध और वैज्ञानिक भाषा है । निज भाषा में लेखन और कामकाज की मौलिक अभिव्यक्ति बहुत ही सहज और सरल होती है जो अनुवाद की भाषा में संभव नहीं। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान विभिन्न भाषा-भाषी राष्ट्रनायकों ने प्रांतीय भावनाओं से ऊपर उठकर पूरे देश के जनमानस में राष्ट्रीय चेतना और देश प्रेम की भावना जागृत करने के प्रयोजनार्थ हिंदी को ही संपर्क भाषा के रूप में स्वीकार किया । वर्तमान में अर्थिक उदारीकरण और वैश्वीकरण के दौर में हिंदी का महत्व समय के साथ बढ़ता जा रहा है। इसलिए सूचना प्रौद्योगिकी, कृषि, अभियांत्रिकी, स्वास्थ्य और उपभोक्ता सेवाओं संबंधी मामलों में जनता के साथ हिंदी को व्यवहार लाना अत्यंत आवश्यक है ।

यह अति प्रशंसनीय है कि पूरे देश के संघ सरकार के कार्यालयों, विभागों आदि में राजभाषा संबंधी संवैधानिक व्यवस्थाओं और राजभाषा नीति/ नियमों का अनुपालन और सरकारी कामकाज में हिंदी का प्रयोग बढ़ाने के प्रयोजन हेतु हिंदी परिषद के निष्ठावान प्रत्येक कार्यकर्ता तन्मयता से सहयोग प्रदान कर रहे हैं ।

मुझे विश्वास है कि यह स्मारिका प्रत्येक भारतवासी को अपने नैतिक और संवैधानिक दायित्व का निष्ठापूर्वक निर्वहन करने के लिए प्रेरित करेगी। इस स्मारिका की सफलता के लिए मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं ।

(सर्बानंद सोणोवाल)

नई दिल्ली
दिनांक:- 06/03/2024

SAGARMALA
PORT-LED PROSPERITY

स्वच्छ भारत
एक कदम स्वच्छता की ओर

आज़ादी का अमृत महोत्सव

Yoga for Harmony & Peace

Room No. 201, Transport Bhawan, 1, Sansad Marg, New Delhi - 110001, Ph. : 011-23717422, 23717423, 23717424 (O), 23356709 (F)
E-mail : minister-shipping@gov.in; Website : www.shipmin.gov.in
Room No. 101, AYUSH Bhawan 'B' Block, GPO Complex, INA, New Delhi-110023, Tel.: 011-24651955, 24651935
E-mail : minister-ayush@nic.in; Website : www.ayush.gov.in

अनुराग सिंह ठाकुर
ANURAG SINGH THAKUR

मंत्री
सूचना एवं प्रसारण और
युवा कार्यक्रम व खेल
भारत सरकार
MINISTER
INFORMATION & BROADCASTING AND
YOUTH AFFAIRS & SPORTS
GOVERNMENT OF INDIA

संदेश

मुझे यह जानकर अत्यंत प्रसन्नता हुई है कि केंद्रीय सचिवालय हिंदी परिषद की ओर से आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर हिंदी की विशेष स्मारिका का प्रकाशन किया जा रहा है।

भाषा की मनुष्य के जीवन में एक अहम भूमिका है। भाषा व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्माण ही नहीं करती, अपितु अपने संप्रेषण के माध्यम से सामाजिक संपर्क में भी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करती है। वस्तुतः हिन्दी भाषा मात्र संप्रेषण और ज्ञान-वृद्धि का माध्यम ही नहीं, बल्कि उन सामाजिक और सांस्कृतिक मूल्यों की वाहक भी है जो मानव सभ्यता का आधार-स्तंभ हैं। पूरे भारत के सरकारी कार्यालयों, बैंकों, उपक्रमों, निगमों आदि में राजभाषा नीति/नियमों के सुचारु कार्यान्वयन एवं सरकारी कामकाज में हिंदी का प्रयोग बढ़ाने के प्रयोजन हेतु केंद्रीय सचिवालय हिंदी परिषद द्वारा सकारात्मक प्रयास किए जा रहे हैं। इस स्मारिका के माध्यम से सरकारी कर्मियों को निस्वार्थ सेवा भाव और दृढ़ संकल्प के साथ स्वेच्छा से अपना समस्त सरकारी और व्यक्तिगत कार्य हिंदी में करने की प्रेरणा मिलेगी। मुझे पूर्ण विश्वास है इस प्रयास से लोगों में न केवल रचनात्मकता को प्रोत्साहन मिलेगा, अपितु आजादी के अमृत महोत्सव से जुड़े आलेखों के माध्यम से देश प्रेम की भावना का संचार भी होगा।

मैं उक्त स्मारिका के सफल प्रकाशन के लिए हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं।

(अनुराग सिंह ठाकुर)

कमरा सं. : 560, 'ए' विंग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली-110 001
दूरभाष : +91-11-23386748, 23386742, 23384782 फैक्स : +91-11-23782118, ई-मेल : minister.inb@gov.in
Room No. 560, 'A' Wing, Shastri Bhawan, New Delhi-110 001
https://www.facebook.com/official.anuragthakur https://twitter.com/ianuragthakur https://www.instagram.com/official.anuragthakur/?hl=en

निशिथ प्रामाणिक
NISITH PRAMANIK

गृह राज्य मंत्री
भारत सरकार
MINISTER OF STATE FOR
HOME AFFAIRS
GOVERNMENT OF INDIA

04 AUG 2023

संदेश

यह हर्ष का विषय है कि केन्द्रीय सचिवालय हिंदी परिषद द्वारा "आजादी के अमृत महोत्सव" के उपलक्ष्य में हिंदी की विशेष स्मारिका का प्रकाशन अगस्त, 2023 में किया जा रहा है।

भारत में विभिन्न भाषाओं और बोलियों के बीच हिंदी सदैव एक सेतु के रूप में कार्य करती रही है और भारतीयों के साथ-साथ हिंदी भाषा ने भी वैश्विक धरातल पर अपनी मजबूत पैठ बनाई है। हिंदी की प्रकृति संकुचित न होकर समन्वयात्मक है। संस्कृत जैसी समृद्ध भाषा इसकी जननी है। हिंदी किसी क्षेत्र विशेष से बंधी न होकर पूरे भारत में व्याप्त जन संपर्क की भाषा है।

मुझे यह जानकर प्रसन्नता हुई कि पूरे देश के सरकारी कार्यालयों के कर्मियों को हिंदी में कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करने और उनकी कार्यकुशलता को बढ़ाने हेतु प्रतिवर्ष केंद्रीय सचिवालय हिंदी परिषद द्वारा अखिल भारतीय स्तर पर हिंदी प्रतियोगिता और राजभाषा कार्यशालाओं का आयोजन किया जाता है। हिंदी परिषद राजकीय कार्यों में हिंदी का प्रयोग बढ़ाने एवं जागरूकता उत्पन्न करने की दिशा में सतत प्रयत्नशील है, जो कि सराहनीय है।

इस स्मारिका के सफल प्रकाशन के लिए परिषद के सभी सदस्यों एवं पदाधिकारियों को मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं।

(निशिथ प्रामाणिक)

Office : Room No. 127-A, North Block, New Delhi-110 001 Tel. : 23092123 Fax : 23093143
E-mail : mos.home@mha.gov.in

रामदास आठवले
RAMDAS ATHAWALE

सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री
भारत सरकार
MINISTER OF STATE FOR
SOCIAL JUSTICE & EMPOWERMENT
GOVERNMENT OF INDIA

सत्यमेव जयते

आज़ादी का अमृत महोत्सव

संदेश

मुझे यह जानकर अति प्रसन्नता हुई है कि केंद्रीय सचिवालय हिंदी परिषद, नई दिल्ली द्वारा आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में हिंदी की स्मारिका का प्रकाशन किया जा रहा है।

हम जानते हैं कि भारत बहु भाषा भाषी देश है जहां हिंदी सहित कई भाषाओं की समृद्ध परंपरा और संस्कृति है। हिंदी ने संस्कृत भाषा और भारतीय भाषाओं की शब्दावली के साथ - साथ अंतरराष्ट्रीय शब्दावली को अपना कर अपनी शब्द संपदा को अत्यंत समृद्ध बना लिया है। संपर्क भाषा के रूप में देश के विभिन्न भाषा भाषियों को एकता के सूत्र में बांधकर स्वतंत्रता संग्राम को पूरे भारत में प्रसारित करने में हिंदी की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। मौलिक विचारों की अभिव्यक्ति में हिंदी अत्यंत समर्थ और समृद्ध भाषा है।

यह भी सराहनीय है कि राजभाषा हिंदी के प्रचार-प्रसार और राजभाषा नीति / नियमों के कार्यान्वयन की दिशा में केंद्रीय सचिवालय हिंदी परिषद महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। केन्द्र सरकार के सरकारी कार्यालयों में हिंदी भाषा और साहित्य के प्रति अभिरुचि उत्पन्न करने ,हिंदी को आगे बढ़ाने का मार्ग प्रशस्त करने तथा इस प्रयोजन के लिए निष्पादित किए जाने वाले सभी कार्यों में हिंदी परिषद अपना सहयोग प्रदान कर रही है।

सरकारी कार्यालयों में राजभाषा के विकास और संवर्धन हेतु अनुकूल वातावरण तैयार करने में परिषद द्वारा प्रकाशित की जा रही हिंदी स्मारिका का महत्वपूर्ण योगदान होगा। मैं स्मारिका के सफल प्रकाशन की कामना करता हूँ ।

शुभकामनाओं सहित।

आपका,

(रामदास आठवले)

सबका साथ, सबका विकास सबका विश्वास, सबका प्रयास
Room No. : 101, 'C' Wing, Shastri Bhawan, Dr Rajender Prasad Road, New Delhi-110001, Tel. : 011-23381656, 23381657, Fax : 011-23381669

i|d t d|ekj
PANKAJ KUMAR
सचिव
SECRETARY

भारत सरकार
जल शक्ति मंत्रालय
जल संसाधन, नदी विकास
और गंगा संरक्षण विभाग
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF JAL SHAKTI
DEPARTMENT OF WATER RESOURCES,
RIVER DEVELOPMENT & GANGA REJUVENATION

शुभ संदेश

मुझे यह कहते हुए बहुत प्रसन्नता हो रही है कि केंद्रीय सचिवालय हिंदी परिषद इस वर्ष अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में प्रकाशित की जाने वाली हिंदी की विशेष स्मारिका में हिंदी को बढ़ावा देने और अपनी संस्कृति, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान हिंदी, हिंदी साहित्यकारों, पत्रकारों, राष्ट्रनायकों की भूमिका तथा वैज्ञानिक तकनीकी सूचना प्रौद्योगिकी, राजभाषा हिंदी एवं विभिन्न विषयों पर स्वरचित हिंदी रचनाएं, लेख, कविताएं आदि प्रकाशित कर रही है जो हम सभी को एक नया दृष्टिकोण प्रदान करेगी। इस सुअवसर पर विशेष स्मारिका के प्रकाशन के लिए केंद्रीय सचिवालय हिंदी परिषद को हार्दिक शुभकामनाएं।

सादर!

पंकज कुमार

(पंकज कुमार)

श्रम शक्ति भवन,रफी मार्ग, नई दिल्ली-110 001 / Shram Shakti Bhawan, Rafi Marg, New Delhi-110 001
Tel. : 23710305, 23715919, Fax : 23731553, E-mail : secy-mowr@nic.in, Website : http://www.mowr.gov.in

कुश्विन्दर वोहरा
अध्यक्ष
तथा पदेन सचिव, भारत सरकार

KUSHVINDER VOHRA
CHAIRMAN
& *ex-officio* Secretary
to the Government of India

भारत सरकार
जल शक्ति मंत्रालय
जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग
केन्द्रीय जल आयोग
Govenment of India
Ministry of Jal Shakti
Deptt. of Water Resources,
River Development and Ganga Rejuvenation
Central Water Commission

संदेश

यह अपार हर्ष और गर्व का विषय है कि केंद्रीय सचिवालय हिंदी परिषद द्वारा आजादी के अमृत काल के उपलक्ष्य में हिंदी की विशेष स्मारिका का प्रकाशन किया जा रहा है और इस अवसर पर मुझे आपके साथ अपने विचार साझा करने का अवसर प्राप्त हुआ है। भारत में प्राचीन काल से हिंदी का प्रयोग सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक और व्यापारिक सरोकारों के लिए किया जाता रहा है। इसलिए स्वाधीनता संग्राम के हिंदी और हिन्दीतर भाषी अग्रणी राष्ट्र नायकों ने पूरे देश के जन सामान्य में राष्ट्रीय चेतना और देश प्रेम की भावना का बीजारोपण करने के लिए प्रांतीय भावनाओं से ऊपर उठकर हिंदी को एकमत से संपर्क भाषा के रूप में स्वीकार किया। अपनी समन्वयवादी विशेषता के कारण हिंदी में संस्कृत, भारतीय भाषाओं एवं बोलियों के शब्दों को ग्रहण कर उन्हें अपनी प्रकृति में ढालकर अपनी शब्द संपदा को समृद्ध करने तथा नए शब्दों की रचना करने की असीम क्षमता है। हिंदी अब शासकीय कार्यों और साहित्य की भाषा न होकर ज्ञान विज्ञान, इंजीनियरिंग, चिकित्सा, तकनीकी, सूचना प्रौद्योगिकी आदि अनेक क्षेत्रों में प्रयोग किए जाने वाले शब्दों, विषयों और संदर्भों को सटीक रूप से अभिव्यक्त करने का सशक्त माध्यम बन गई है।

यह उल्लेखनीय है कि केंद्रीय सचिवालय हिंदी परिषद के समर्पित कार्यकर्ता भारत सरकार के मंत्रालयों, विभागों, बैंकों, निगमों आदि में राजभाषा हिंदी का प्रयोग बढ़ाने तथा राजभाषा नीति नियमों का सुचारू रूप से अनुपालन करवाने की दिशा में तन्मयता के साथ अपना सहयोग प्रदान कर रहे हैं। सरकारी कर्मियों में हिंदी में कामकाज करने की अभिरुचि उत्पन्न करने और उनकी हिंदी में कार्य करने की कुशलता को बढ़ाने के प्रयोजनार्थ परिषद द्वारा प्रतिवर्ष अखिल भारतीय स्तर पर हिंदी के विभिन्न विषयों पर प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है जिनमें पूरे देश के सरकारी कार्यालयों के हिंदी और हिंदीतर भाषी कर्मी अत्यंत उत्साह के साथ भाग लेते हैं। इसके अतिरिक्त केंद्रीय सचिवालय हिंदी परिषद के उपयोगी प्रकाशनों की सहायता से पूरे देश के सरकारी कार्यालयों के अधिकारी और कर्मचारी अपने सरकारी कामकाज को सुगमता से हिंदी में कर रहे हैं। परिषद के सतत् प्रयासों से सरकारी कार्यालयों में हिंदी का प्रयोग निरंतर बढ़ रहा है, फिर भी राजभाषा संबंधी लक्ष्यों को पूरा करने की दिशा में हम सबको एकजुट होकर और अधिक ठोस प्रयास करने होंगे।

मैं उन सभी रचनाकारों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने हिंदी के विभिन्न विषयों पर अपने श्रेष्ठ विचारों और अनुभवों को गद्य और काव्य रूपी उत्कृष्ट लेखन से इस स्मारिका को सुसज्जित किया है। मैं इस स्मारिका के प्रकाशन से प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से जुड़े परिषद के निष्ठावान कार्यकर्ताओं को भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूं जिन्होंने अपने अमूल्य सहयोग से इस स्मारिका को अलंकृत किया है। मुझे विश्वास है कि यह स्मारिका सरकारी कार्यालयों में राजभाषा के प्रयोग में संवर्धन हेतु अनुकूल वातावरण बनाने और सबको व्यवहारिक रूप से हिंदी का प्रयोग करने के लिए प्रेरित करेगी।

(कुश्विन्दर वोहरा)
अध्यक्ष, केंद्रीय जल आयोग एवं प्रधान, के. स. हि. परिषद

द्वितीय तल (द), सेवा भवन,
आर.के. पुरम, नई दिल्ली-110066
दूरभाष : 011-26715351, 26195415
फैक्स : 011-26108614

2nd Floor (S), Sewa Bhawan
R.K. Puram, New Delhi-110066
Tel. : 011-26715351, 26195415
Fax : 011-26108614
E-mail : chairman-cwc@nic.in

जल संरक्षण - जीवन संरक्षण
Conserve Water - Save Life

वंशमणि पाण्डेय
उप प्रधान, केंद्रीय सचिवालय
हिन्दी परिषद एवं मुख्य अभियंता
केंद्रीय जल आयोग
BANSHMANI PANDEY
UP Pradhan
Kendriya Sachivalaya Hindi Parishad
& Cheif Engineer Central Water Commission

सत्यमेव जयते

भारत सरकार
जल शक्ति मंत्रालय
जल संसाधन नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग
केंद्रीय जल आयोग
Government of India
Ministry of Jal Shakti
Dept. of water Resources, RD & GR
Central Water Commission

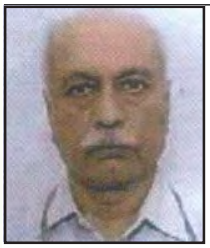

संदेश

यह अत्यंत प्रसन्नता का विषय है कि केंद्रीय सचिवालय हिंदी परिषद द्वारा आज़ादी के अमृत काल के उपलक्ष्य में हिंदी की विशेष स्मारिका का प्रकाशन किया जा रहा है।

हिंदी राष्ट्र और राष्ट्रीयता की नींव का निर्माण करने के साथ-साथ इसे और अधिक पुष्ट भी बनाती है। राष्ट्र की उन्नति के लिए हिंदी को अपनाने के साथ उसे व्यवहार में लाना भी अत्यंत आवश्यक है। हिंदी जन- जन में समरसता और संवाद में सहजता का आविर्भाव करती है तथा विभिन्न भाषा भाषियों को एक सूत्र में आबद्ध करती है। हिंदी उन सभी जन आंदोलन की भाषा रही है जिन्होंने हमारे देश की एकता और संप्रभुता को अधिक मजबूत किया है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक प्रत्येक धर्म ,वर्ग और समुदाय के व्यक्ति के लिए हिंदी भाषा अपनी सरलता और सुगमता के कारण बोधगम्य है। शासकीय कार्यों, साहित्य सृजन के साथ-साथ हिंदी सूचना प्रौद्योगिकी, ज्ञान विज्ञान और व्यवसाय की दृष्टि से भी एक समर्थ भाषा है ।यह अकारण नहीं है कि वैश्विक स्तर पर आज भी हमारे देश की पहचान हिंदी से है।

राजभाषा नीति का आधार प्रेरणा ,प्रेम ,प्रतिबद्धता और प्रोत्साहन है। संविधान के अनुच्छेद 351 के अनुसार संघ का यह कर्तव्य है कि वह हिंदी भाषा का प्रचार और विकास करें। इसी का अनुसरण करते हुए केंद्रीय सचिवालय हिंदी परिषद की पूरे देश में गठित शाखाओं के कार्यकर्ता अपने-अपने क्षेत्र और आसपास के सरकारी कार्यालयों में हिंदी का प्रयोग बढ़ाने की दिशा में तन्मयता के साथ सभी को अपना सहयोग प्रदान करते हुए अपने संवैधानिक और राष्ट्रीय दायित्व का निष्ठापूर्वक निर्वहन कर रहे हैं।

मुझे विश्वास है कि हिंदी के प्रचार- प्रसार और सरकारी कार्यालयो में हिंदी के प्रयोग के संवर्धनार्थ यह स्मारिका अत्यंत उपयोगी सिद्ध होगी।

वंशमणि पाण्डेय

(वंशमणि पाण्डेय)

5वां तल (दक्षिण), सेवा भवन
रामा कृष्णा भवन, नई दिल्ली-110066
दूरभाष : 011-20861848
ई मेल: ceimo-cwc@nic.in
जल संरक्षण-सुरक्षित भविष्य

5th Floor (South), Sewa Bhawan
R.K.Puram, New Delhi-110066
Tel: 011-20861848
Email: ceimo-cwc@nic.in
Conserve Water & Save Life

एनटीपीसी लिमिटेड
(भारत सरकार का उद्यम)

NTPC Limited
(A Government of India Enterprise)
दादरी / Dadri

विल्सन अब्राहम
उप प्रधान, केंद्रीय सचिवालय
हिन्दी परिषद एवं
अपर महाप्रबन्धक (मानव संसाधन)

संदेश

मुझे यह जानकर खुशी हुई कि केंद्रीय सचिवालय हिंदी परिषद, नई दिल्ली द्वारा आजादी के अमृत काल के उपलक्ष्य में एक हिंदी स्मारिका का प्रकाशन किया जा रहा है।

केंद्रीय सचिवालय हिंदी परिषद द्वारा हिंदी के प्रयोग एवं प्रचार-प्रसार को अनेक माध्यमों से बढ़ावा दिया जा रहा है। मेरा मानना है कि कार्यालय में बोलचाल की हिंदी अपनाई जाए तो इससे हिंदीत्तर एवं हिंदी भाषी कर्मचारियों को हिंदी में काम करने में सुविधा होगी।

आज हिंदी भारत की संपर्क भाषा होने के साथ विश्व भाषा बनने की दिशा में अग्रसर है। हिंदी बोलने एवं लिखने में सरल है, इसलिए यह देश के अधिकांश भू-भाग में प्रयोग में लाई जाती है। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है, जो कि विश्व की सर्वाधिक वैज्ञानिक लिपि है। इस लिपि में प्रत्येक ध्वनि के लिए एक अलग वर्ण है।

हिंदी स्मारिका का प्रकाशन किया जाना एक महत्त्वपूर्ण कदम है। इसमें सहायक सामग्री उपलब्ध करने के साथ-साथ अन्य उपयोगी जानकारी दिए जाने से हिंदी में आसानी से काम किया जा सकता है और इससे कर्मचारियों में भी हिंदी के प्रति अनुराग की भावना विकसित होगी।

मुझे विश्वास है कि इस महत्त्वपूर्ण प्रकाशन से हिंदी के प्रयोग में तेजी आएगी और राजभाषा के प्रचार-प्रसार की दिशा में यह मील का पत्थर साबित होगी। आजादी के अमृत काल के पावन अवसर पर केंद्रीय सचिवालय हिंदी परिषद द्वारा हिंदी स्मारिका के सफल प्रकाशन हेतु मैं हार्दिक शुभकामनाएँ ज्ञापित करता हूँ।

हार्दिक शुभकामनाओं सहित,

विल्सन अब्राहम

(विल्सन अब्राहम)

नेशनल कैपिटल पावर स्टेशन, दादरी, पो.ऑ. – विद्युतनगर – 201008 जिला–गौतमबुद्ध नगर (उ.प्र.)
National Capital Power Station, Dadri, P.O.- Vidyutnagar - 201008, Distt. - Gautam Budh Nagar (U.P.)
टेली./Tele.(off.):01210-2671300, फैक्स/Fax : 0120-2672300
पंजीकृत कार्यालय : एनटीपीसी भवन, स्कोप कॉम्पलैक्स, 7, इंस्टीट्यूशनल एरिया, लोधी रोड, नई दिल्ली–110003
Registered Office : NTPC Bhawan, SCOPE Complex, 7, Institutional Area, Lodhi Road, New Delhi-110003

प्रकाश चंद मीणा
उप प्रधान के.स.हि.परि.
एवं कार्यपालक अभियंता
लोक निर्माण विभाग

कार्यालय अपर महानिदेशक (परियोजनाएं)
लोक निर्माण विभाग, बहुमंजिला भवन,
आई.टी.ओ., नई दिल्ली

संदेश

मुझे यह जानकर अत्यन्त प्रसन्नता हुई कि केन्द्रीय सचिवालय हिन्दी परिषद, नई दिल्ली द्वारा **आजादी के अमृत काल** उपलक्ष्य में **'हिन्दी स्मारिका'** का प्रकाशन किया जा रहा है।

देश के अधिकतर भागों में हिन्दी समझी और बोली जाती है। समूचे देश में इसका प्रयोग सम्पर्क भाषा के रूप में किया जाता है। आज हिन्दी भाषा राजभाषा, जनभाषा और सम्पर्क भाषा तीनों ही दायित्वों का निर्वहन करती है। हिन्दी, राजभाषा के रूप में भारत देश की सभी प्रान्तीय भाषाओं से ऊर्जा लेकर अपना विकास सुनिश्चित करती है तथा पूरे देश को एकता और अखंडता के सूत्र में आबद्ध करती है।

राजभाषा हिन्दी के प्रचार-प्रसार और राजभाषा नीति के कार्यान्वयन की दिशा में **केन्द्रीय सचिवालय हिन्दी परिषद** महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। केन्द्रीय सरकारी कार्यालयों और सम्बद्ध कार्यालयों में हिन्दी भाषा और साहित्य के प्रति अभिरूचि उत्पन्न करने, हिन्दी को आगे बढ़ाने का मार्ग प्रशस्त करने तथा उस दिशा में किए जाने वाले कार्यों में बखूबी सहयोग दे रही है।

राजभाषा के विकास, संवर्धन और उचित माहौल तैयार करने में परिषद की 'हिन्दी स्मारिका' का योगदान महत्त्वपूर्ण होगा।

'हिन्दी स्मारिका' के सफल प्रकाशन के लिए मेरी हार्दिक शुभकामनाएं।

(प्रकाश चंद मीणा)

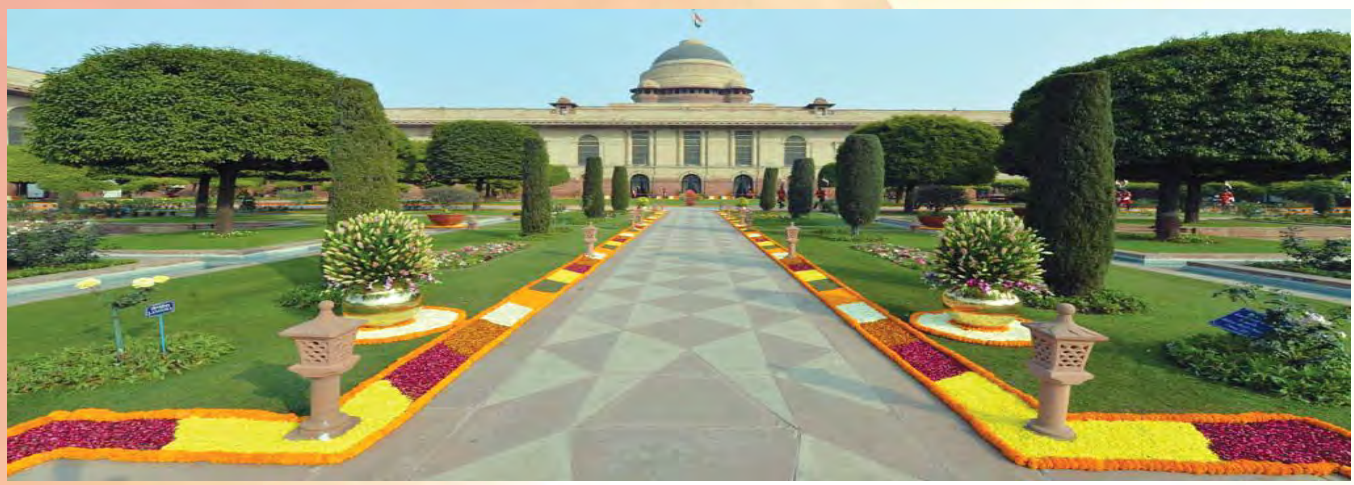

आजादी के अमृत काल के उपलक्ष्य में स्मारिका

प्रकाशन समिति

मुख्य संरक्षक
श्री कुश्विन्दर वोहरा
परिषद प्रधान एवं अध्यक्ष
केन्द्रीय जल आयोग

संरक्षक
श्री विल्सन अब्राहम
परिषद उपप्रधान एवं अपर महाप्रबंधक
एन.टी.पी.सी.

संरक्षक
श्री वंशमणि पाण्डेय
परिषद उपप्रधान एवं
मुख्य अभियंता, केन्द्रीय जल आयोग

उपाध्यक्ष
श्री गोपाल कृष्ण फरलिया
सदस्य परामर्शदात्री समिति

उपाध्यक्ष
श्री भगवान दास पटैरया
सदस्य परामर्शदात्री समिति

सदस्य सचिव
श्री पंकज दीवान
मानद निदेशक

संपादन मंडल

मुख्य संपादक
श्री अमिताभ खरे
पूर्व परिषद प्रधान
एवं प्रमुख कार्यकारी निदेशक, रेलवे बोर्ड

संपादक
डॉ. स्वीटी यादव
प्रचार मंत्री
के.स.हि.परि.

सदस्य
श्रीमती राजिंदर पाल
कार्य समिति सदस्य

सदस्य सचिव
श्री विनीत रावत
महामंत्री

सदस्य
श्री मोहन प्रकाश दुबे
सदस्य परामर्शदात्री समिति

संपादन सहयोग
श्रीमती रेणू सैनी
साहित्य एवं संस्कृति मंत्री

परामर्शदाता
डॉ साकेत सहाय
कार्य समिति सदस्य

सदस्य
डॉ. श्याम सुन्दर कथूरिया
कार्य समिति सदस्य

सदस्य
श्री आलोक अधिकारी
प्रबंध मंत्री

अनुक्रमणिका

- ❖ जल शक्ति मंत्री जी का संदेश 1
- ❖ आवासन और शहरी कार्य मंत्री जी का संदेश 2
- ❖ पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग एवं आयुष मंत्री जी का संदेश 3
- ❖ सूचना एवं प्रसारण मंत्री जी का संदेश 4
- ❖ गृह राज्य मंत्री जी का संदेश 5
- ❖ सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री जी का संदेश 6
- ❖ जल शक्ति मंत्रालय के सचिव जी का संदेश 7
- ❖ परिषद प्रधान श्री कुश्विन्दर वोहरा जी का संदेश 8
- ❖ परिषद उप प्रधान श्री वंशमणि पाण्डेय जी का संदेश 9
- ❖ परिषद उप प्रधान श्री विल्सन अब्राहम जी का संदेश 10
- ❖ परिषद उप प्रधान श्री प्रकाश चंद मीणा जी का संदेश 11

- ❖ मुख्य संपादक की लेखनी से 15
- ❖ संपादकीय 17

क्रम सं.	शीर्षक	रचनाकार	पृष्ठ सं.
1.	हिन्दी परिषद के प्रधान और महामन्त्री कौन और कब?		19
2.	भाषा, भविष्य और टेक्नोलॉजी-प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण (NLP)	अमिताभ खरे	21
3.	पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग एवं आयुष मंत्री का साक्षात्कार	डॉ. स्वीटी यादव	25

4.	जयशंकर प्रसाद की रचनाओं में भारत चेतना	डॉ. साकेत सहाय	29
5.	हिन्दी : स्वतंत्रता संग्राम की गति और शक्ति	पंकज दीवान	34
6.	भाषाओं को भी प्रभावित करेगी कृत्रिम बुद्धिमत्ता	बालेन्दु शर्मा दाधीच	39
7.	हिंदी जैसा बनना	अलका सिन्हा	41
8.	यही इन्कलाब है	अलका सिन्हा	42
9.	वैश्विक परिदृश्य में हिन्दी: स्वरूप एवं संभावनाएं	डॉ. किरण हजारिका	45
10.	निर्माण परियोजनाएं एवं संतुलित पर्यावरण	भगवान दास पटैरया	49
11.	राष्ट्र लिपि : देवनागरी	डॉ. हरिसिंह पाल	53
12.	केंद्रीय सचिवालय हिंदी परिषद का गरिमामयी परिचय	पंकज दीवान	57
13.	स्त्री तत्त्व की महत्ता	मोहन प्रकाश दुबे	64
14.	छोटा शहर खोता शहर	डॉ. रसिकेश नवजात	67
15.	आजादी का अमृतकाल और अटलजी के सपने	खुशबू मिश्रा	68
16.	हिन्दी भाषा के प्रचार-प्रसार हेतु करणीय कार्य	डॉ. महेश चन्द्र गुप्त	69
17.	स्मरण शक्ति है सफलता का आधार	रेनू सैनी	71
18.	वैश्वीकरण के दौर में हिंदी की भूमिका	डॉ. वासुदेवन 'शेष'	73
9.	हिंदी और भारत का अमृत महोत्सव	डॉ. श्याम सुंदर कथूरिया	76
20.	नींव जिस पर भवन अपना आधार पाता है	अनुराग खरे	81
21.	सिक्का सच्चाई का	डॉ. संजीव कुमार बंसल	87
22.	क्यों करता अभिमान रे...	सौ. तारिणी पुरंदरे	87
23	स्वतंत्रता संग्राम में हिन्दी पत्रकारिता की भूमिका: एक अध्ययन	डॉ. राकेश कुमार दुबे	88
24.	गाँधी की पत्रकारिता और स्वतंत्रता आन्दोलन: एक विश्लेषण	प्रो. माला मिश्र	92
25.	वैज्ञानिक और सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हिंदी के बदलते आयाम	डॉ. शंभू बाबू प्रभुदेसाई	95
26.	कौन सही? कौन गलत?	डॉ. संजीव कुमार बंसल	98
27.	जो है, वो इस पल है	सुनीलानंद	98
28.	महात्मा गाँधी-मातृभाषा, सम्पर्क भाषा, राष्ट्रभाषा-राजभाषा हिन्दी	देवी प्रसाद मिश्र	99
29.	हिन्दी भाषा और साहित्य की समृद्धि में विदेशी विद्वानों का योगदान	महिमामंडन भट्ट	101
30.	हिन्दी भाषा का वैश्विक विकास	पं. रामनरेश तिवारी पिण्डीवासा	104
31.	संतोपदेश	पंकज दीवान	105
32.	चिंतन	सुनीलानंद	105
33.	राजभाषा नीति संबंधी प्रमुख निदेश	डॉ. स्वीटी यादव	106
34.	हरियाली अमावस	जयराम पुरंदरे	108
35.	चैट भाषा बनाम भाषा में प्रवीणता	सुरेश कुमार श्रीचंदानी	109
36.	हिंदी गीत	किशोर कुमार कौशल	110
37.	पहले पीटा फिर दुलराया	डॉ. शशि वर्मा	110
38.	जिंदगी की असल खुशियाँ	दिव्या	111
39.	हिन्दी में संख्यावाचक शब्दों के मानक रूप और उनका व्यावहारिक प्रयोग	आनंदकृष्ण	112
40.	राजभाषा हिन्दी की भूत एवं वर्तमान स्तिथि	नरेन्द्र सिंह	115
41.	भारतीय ज्ञान परंपरा के नृत्य : एक अवलोकन	सुश्री शुभांगी	117
42.	भारतीय संस्कृति और गोस्वामी तुलसीदास	आचार्यचंद्र	121

मुख्य संपादक की लेखनी से

-अमिताभ खरे

भारत के अमृतकाल में प्रवेश के गरिमामयी उपलक्ष्य में, प्रकाशित होने वाली, केंद्रीय सचिवालय हिंदी परिषद की इस विशिष्ट स्मारिका को आप सभी सुधी पाठकों के समक्ष प्रस्तुत करते हुए मुझे अपार हर्ष और गर्व का अनुभव हो रहा है। मेरा विश्वास है कि इतनी समृद्ध, रोचक, ज्ञानवर्धक व स्तरीय सामग्री को एक ही स्थान पर, एक सुरुचिपूर्ण कलेवर में समेटते हुए यह स्मारिका एक संग्रहणीय अंक सिद्ध होगी और अपनी एक अलग पहचान बनाने में सफल होगी। यह हमारे लिए गर्व का विषय है कि हमें इस स्मारिका के लिए अनेक मंत्रिगणों व सचिव स्तरीय विशिष्ट व्यक्तियों के आशीर्वाद संदेशों तथा भारत के ख्यातिलब्ध विशेषज्ञों, शिक्षाविदों और साहित्यकारों की श्रेष्ठ रचनाओं का बहुमूल्य योगदान मिला है। साथ ही प्रतिभाशाली युवा रचनाकारों के लेख व कविताएँ भी उनकी रचनात्मकता के उज्ज्वल भविष्य की संभावनाओं के प्रति आश्वस्ति प्रदान करते हैं। इसके लिए मैं सभी रचनाकारों और परिषद की प्रतिभाशाली सम्पादकीय टीम के प्रति अपनी सराहना और आभार व्यक्त करता हूँ।

देश में अनेक सरकारी व स्वैच्छिक संस्थान राजभाषा के प्रचार-प्रसार में लगे हैं। इनमे से केंद्रीय सचिवालय हिंदी परिषद, देश के कोने-कोने में फैले अपने समर्पित, निष्ठावान कार्यकर्ताओं के सामूहिक प्रयासों के चलते अपना एक विशिष्ट और अग्रणी स्थान रखती है। अत: स्वाभाविक है कि इस स्मारिका की केंद्रीय विषयवस्तु, देश के नवजागरण की सँवाहिका राजभाषा हिंदी हो। भारत की सांस्कृतिक और भाषाई धरोहर की विविधता में हिंदी, राष्ट्रीय एकता, गौरवशाली इतिहास और बौद्धिक समृद्धि के एक प्रमुख स्तंभ के रूप में उभरती है। यह न केवल भारत जैसे विशाल, बहुभाषाभाषी देश में सुलभ संवाद का एक साधन है, अपितु भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत की वाहक और उज्ज्वल भविष्य के लिए एक सेतु भी है। इस विशिष्ट संदर्भ में हिंदी की सरलता, अंतर-सांस्कृतिक आदान-प्रदान की सहजता, उदार हृदय से अन्य भाषाओं के शब्दों को अपने आगोश समेट लेने का लचीलापन तथा पीढ़ी दर पीढ़ी बदलते समय और समाज की सक्षम अभिव्यक्ति के लिए इसकी अनूठी अनुकूलन क्षमता इसे निरंतर प्रासंगिक और जीवंत बनाते आ रहे हैं। हिंदी की अनुकूलनीयता और समावेशिता ने इसे अंतर्राष्ट्रीय संवाद और शिक्षा के माध्यम के रूप में भी स्थापित किया है, जिससे इसका वैश्विक पदचिह्न मजबूत हुआ है। दुनिया में भारत की बढ़ती हुई साख ने हिंदी के महत्त्व और सम्भावनाओं को और बलपूर्वक रेखांकित किया है। इसका एक प्रमाण संयुक्त राष्ट्रसंघ द्वारा जून 2022 में अपने संवाद व प्रकाशनों के लिए हिंदी भाषा को स्वीकार कर लिया जाना है। यह कालांतर में हिंदी को संयुक्त राष्ट्रसंघ की आधिकारिक भाषा के रूप में स्वीकार कर लिए जाने की मजबूत पूर्वपीठिका है।

इस स्मारिका में हिंदी की यात्रा के विभिन्न पहलुओं का गहन विवेचन किया गया है। इसमें आपको हिंदी भाषा और साहित्य की बहुमूल्य धरोहर की कुछ झलकियाँ देखने को मिलेंगी, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान हिंदी व हिंदी पत्रकारिता के योगदान तथा देवनागरी लिपि, संख्यावाचक शब्दों के मानक स्वरूप एवं तकनीकी अनुवाद जैसे व्यावहारिक पक्षों पर महत्त्वपूर्ण लेख मिलेंगे। राजभाषा के अनुपालन से सम्बंधित संवैधानिक प्रावधानों, राजभाषा अधिनियम व राजभाषा नियमों के बारे में उपयोगी जानकारी प्रस्तुत की गई है। गाँधीजी की पत्रकारिता से प्रेरित हिंदी

पत्रकारिता के स्वर्ण युग से लेकर इसकी वर्तमान भूमिका तक और प्रौद्योगिकी के युग में इसके विकास तक की चर्चा इसमें शामिल है। तकनीकी प्रगति और इंटरनेट के युग में हिंदी ने नई ऊँचाइयों को छुआ है। डिजिटल युग ने हिंदी को न केवल अधिक सुलभ बनाया है, बल्कि इसकी साहित्यिक और शैक्षणिक अभिव्यक्ति के लिए नए मंच भी प्रदान किए हैं। विज्ञान, सूचना-प्रौद्योगिकी, पर्यावरण तथा कृत्रिम बुद्धिमत्ता जैसे अधुनातन विषयों पर अत्यंत महत्त्वपूर्ण स्तरीय लेख इस स्मारिका का प्रमुख आकर्षण हैं। हाल के वर्षों में तकनालजी के सहारे भारत का विकास उल्लेखनीय और स्पृहणीय रहा है। परंतु यह विकास यात्रा कई गुना और तेज एवं अधिक समावेशी हो सकती है, यदि भारत की बहुसंख्य जनता हिंदी भाषा के माध्यम से सहजता से तकनालजी से संवाद कर सके और उसका भरपूर लाभ उठा सके। प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण (एनएलपी) की उभरती हुई तकनालजी इन सम्भावनाओं के द्वार खोलती है। इस तकनालजी तथा इसकी सम्भावनाओं का परिचय देता एक आलेख भी इस स्मारिका में प्रस्तुत है।

यह स्मारिका अब आपके हाथों में है।

कृपया इसे अपने स्नेह, आशीर्वादों और बहुमूल्य रचनात्मक प्रतिक्रियाओं से कृतार्थ करें।

जय हिंदी, जय भारत!!

पूर्व प्रधान, केन्द्रीय सचिवालय हिन्दी परिषद
एवं पूर्व प्रमुख कार्यकारी निदेशक, रेलवे बोर्ड

भारत महिमा

हिमालय के आँगन में उसे, प्रथम किरणों का दे उपहार।
उषा ने हँस अभिनंदन किया और पहनाया हीरक-हार।।
जगे हम, लगे जगाने विश्व, लोक में फैला फिर आलोक।
व्योम-तम पुँज हुआ तब नष्ट, अखिल संसृति हो उठी अशोक।।
विमल वाणी ने वीणा ली, कमल कोमल कर में सप्रीत।
सप्तस्वर सप्तसिंधु में उठे, छिड़ा तब मधुर साम-संगीत।।
बचाकर बीज रूप से सृष्टि, नाव पर झेल प्रलय का शीत।
अरुण-केतन लेकर निज हाथ, वरुण-पथ पर हम बढ़े अभीत।।
सुना है वह दधीचि का त्याग, हमारी जातीयता विकास।
पुरंदर ने पवि से है लिखा, अस्थि-युग का मेरा इतिहास।।
सिंधु-सा विस्तृत और अथाह, एक निर्वासित का उत्साह।
दे रही अभी दिखाई भग्न, मग्न रत्नाकर में वह राह।।
धर्म का ले लेकर जो नाम, हुआ करती बलि कर दी बंद।
हमी ने दिया शांति-संदेश, सुखी होते देकर आनंद।।
विजय केवल लोहे की नहीं, धर्म की रही धरा पर धूम।
भिक्षु होकर रहते सम्राट, दया दिखलाते घर-घर घूम।।
यवन को दिया दया का दान, चीन को मिली धर्म की दृष्टि।
मिला था स्वर्ण-भूमि को रत्न, शील की सिंहल को भी सृष्टि।।
किसी का हमने छीना नहीं, प्रकृति का रहा पालना यहीं।
हमारी जन्मभूमि थी यहीं, कहीं से हम आए थे नहीं।।
जातियों का उत्थान-पतन, आँधियाँ, झड़ी, प्रचंड समीर।
खड़े देखा, झेला हँसते, प्रलय में पले हुए हम वीर।।
चरित थे पूत, भुजा में शक्ति, नम्रता रही सदा संपन्न।
हृदय के गौरव में था गर्व, किसी को देख न सके विपन्न।।
हमारे संचय में था दान, अतिथि थे सदा हमारे देव।
वचन में सत्य, हृदय में तेज, प्रतिज्ञा मे रहती थी टेव।।
वही है रक्त, वही है देश, वही साहस है, वैसा ज्ञान।
वही है शांति, वही है शक्ति, वही हम दिव्य आर्य-संतान।।
जियें तो सदा इसी के लिए, यही अभिमान रहे यह हर्ष।
निछावर कर दें हम सर्वस्व, हमारा प्यारा भारतवर्ष।।

-जयशंकर प्रसाद

संपादकीय

डॉ. स्वीटी यादव

भारत बहुभाषिक, बहु सांस्कृतिक और बहुजातीय देश है। संविधान की आठवीं अनुसूची में 22 भारतीय भाषाओं को सम्मिलित किया गया है। ये भाषाएँ भारत के विभिन्न प्रांतों के जनजीवन और संस्कृति का प्रतिनिधित्व करती हैं लेकिन हिंदी एक ऐसी भाषा है जो भारत के विभिन्न भाषा भाषियों के पारस्परिक विचार विनिमय का साधन बनकर पूरे देश को भावनात्मक एकता के सूत्र में बाँधती है। भारत जैसे बहुभाषी देश में सांस्कृतिक और वैचारिक विभिन्नताओं के बीच अनेकता में एकता को मूर्त करने में हिंदी की महत्त्वपूर्ण भूमिका है। हिंदी एक समृद्ध, भाषिक तथा भारत की गौरवशाली सांस्कृतिक परंपरा की वाहिनी है। हिंदी की प्रकृति संकुचित न होकर समन्वयात्मक है। संस्कृत जैसी समृद्ध भाषा इसकी जननी है। हिंदी में विभिन्न भारतीय भाषाओं और बोलियों के शब्दों को ग्रहण कर उन्हें अपनी भाषिक प्रकृति में ढालकर अपनी शब्द संपदा को समृद्ध करने और नव शब्द निर्माण करने की असीम क्षमता है। भारत के विभिन्न प्रदेशों के संतो, मतों और धर्मों के अनुयायियों ने हिंदी को अपनी अभिव्यक्ति का माध्यम बनाते हुए इसे देश के कोने-कोने तक पहुँचाया। इसी कारण हिंदी भारत की ऐसी भाषा है जो कश्मीर से कन्याकुमारी तथा कामाख्या से कच्छ तक समझी और बोली जाती है। हिंदी प्राचीन काल से भारत के विभिन्न प्रांतों की प्रमुख संपर्क भाषा, धार्मिक, सांस्कृतिक तथा व्यापारिक सरोकारों के आदान-प्रदान का माध्यम रही है।

संपूर्ण भारत की सौंधी मिट्टी से रची-बसी

हिंदी आज शासकीय कार्यों के साथ-साथ ज्ञान-विज्ञान, कला, चिकित्सा, इंजीनियरिंग, सूचना प्रौद्योगिकी, नव अन्वेषणों और तकनीकी क्षेत्रों की भाषिक आवश्यकताओं के अनुकूल परिवर्तित होकर अपनी सहज बोधगम्यता का परिचय दे रही है। स्वाधीनता आंदोलन का राष्ट्रव्यापी प्रचार करने के लिए देश के विभिन्न भाषा-भाषी राष्ट्र नायकों ने भारत के जनसामान्य में राष्ट्रीय चेतना और देश प्रेम की भावना जागृत करने हेतु हिंदी को सहर्ष संपर्क भाषा के रूप में स्वीकार किया। सूचना प्रौद्योगिकी के इस युग में कंप्यूटर पर सर्वत्र अधिक से अधिक कार्य हो रहा है। पहले कंप्यूटर पर अंग्रेजी का वर्चस्व था किंतु धीरे-धीरे हिंदी भाषा ने उसके एकाधिकार को समाप्त कर दिया है। अब हिंदी कंप्यूटर, इंटरनेट, वेबसाइट, मोबाइल फोन और ईमेल जैसे सभी संचार माध्यमों के लिए उपयोगी, समर्थ और लोकप्रिय भाषा बन गई है। इन संचार माध्यमों पर हिंदी का अधिकाधिक प्रयोग हिंदी के वैश्विक महत्त्व को रेखांकित करता है।

संविधान में वर्णित राजभाषा संबंधी उपबंध, राजभाषा अधिनियम 1963 और भाषा नीति से संबंधित राजभाषा संकल्प 1968 एक औपचारिकता मात्र न रह जाए। इसी को ध्यान में रखते हुए हिंदी परिषद के निष्ठावान कार्यकर्ता पूरे देश के सरकारी कार्यालयों में राजभाषा संबंधी संवैधानिक व्यवस्थाओं, राजभाषा नीति/नियमों के सुचारू अनुपालन करवाने, कार्यालयों में हिन्दीमय परिवेश बनाए रखने के लिए तन्मयता से अपना अमूल्य सहयोग प्रदान करते हुए अपने राष्ट्रीय और नैतिक दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं। 15 अगस्त 2022 को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने लाल किले की प्राचीर से जनता के समक्ष ''विकसित भारत, गुलामी की हर सोच से मुक्ति, विरासत पर गर्व, एकता और एकजुटता

एवं नागरिकों के कर्तव्य'' से संबंधित पंच प्रण के पालन का आह्वान किया था। इन पंच प्रण के आह्वान का सच्ची कर्तव्य निष्ठा के साथ पालन करने के लिए देश की अखंडता और एकता को अक्षुण्ण रखने वाली भारत की सांस्कृतिक विरासत हिंदी को हृदय से अंगीकार चाहिए और गुलामी के अंश की प्रतीक अंग्रेजी के स्थान पर हमें अपना सभी प्रकार का कार्य हिंदी में करना होगा। ऐसा करके हम अपने राष्ट्रीय कर्तव्य का पालन करते हुए भारत को विकसित करने में अपनी सहभागिता सुनिश्चित कर सकते हैं।

आजादी के अमृत काल के उपलक्ष्य में हिंदी परिषद द्वारा प्रकाशित की जा हिंदी स्मारिका के माध्यम से आपके साथ अपने विचार साझा करने में मुझे अपार हर्ष और गर्व की अनुभूति हो रही है। यह स्मारिका प्रेरणादायक, ज्ञानवर्धक, सारगर्भित और उच्च कोटि के लेखों के संकलन से आलोकित एवं सुसज्जित है। इस स्मारिका में प्रकाशित राजभाषा विषयक जानकारी से सरकारी कामकाज में हिंदी के अधिकाधिक प्रयोग के प्रति हम सब प्रतिबद्धता और निष्ठा के साथ उन्मुख होंगे। मैं आशा करती हूँ कि यह पत्रिका सभी के हृदय में हिंदी के प्रति प्रेम और समर्पण की भावना का संचार करेगी और प्रत्येक भारतवासी और सरकारी कर्मी को निस्वार्थ सेवा भाव और प्रतिबद्धता के साथ अपना समस्त व्यक्तिगत और सरकारी कार्य हिंदी में स्वेच्छा से करने के लिए प्रेरित करेगी।

प्रचार मंत्री
केंद्रीय सचिवालय हिंदी परिषद

शक्ति और क्षमा

क्षमा, दया, तप, त्याग, मनोबल
सबका लिया सहारा,
पर नर व्याघ्र सुयोधन तुमसे
कहो, कहाँ, कब हारा?
क्षमाशील हो रिपु-समक्ष
तुम हुये विनत जितना ही,
दुष्ट कौरवों ने तुमको
कायर समझा उतना ही।
अत्याचार सहन करने का
कुफल यही होता है,
पौरुष का आतंक मनुज
कोमल होकर खोता है।
क्षमा शोभती उस भुजंग को
जिसके पास गरल हो,
उसको क्या जो दंतहीन,
विषरहित, विनीत, सरल हो।
तीन दिवस तक पंथ मांगते
रघुपति सिन्धु किनारे,
बैठे पढ़ते रहे छन्द
अनुनय के प्यारे-प्यारे।
उत्तर में जब एक नाद भी
उठा नहीं सागर से,
उठी अधीर धधक पौरुष की
आग राम के शर से।
सिन्धु देह धर त्राहि-त्राहि
करता आ गिरा शरण में,
चरण पूज दासता ग्रहण की
बँधा मूढ़ बन्धन में।
सच पूछो, तो शर में ही
बसती है दीप्ति विनय की,
सन्धि-वचन संपूज्य उसी का
जिसमें शक्ति विजय की।
सहनशीलता, क्षमा, दया को
तभी पूजता जग है,
बल का दर्प चमकता उसके
पीछे जब जगमग है।

-रामधारी सिंह 'दिनकर'

हिन्दी परिषद के प्रधान और महामन्त्री कौन और कब?

	प्रधान	महामंत्री
1	श्री देवेशदास, आई.सी.एस. (1961-1962)	श्री सूर्यनारायण सक्सेना (1960-1961)
2	श्री वें विश्वनाथन्, आई.सी.एस. (1962-1963)	डॉ. राजेन्द्र द्विवेदी (1962-1963)
3	डॉ आदित्यनाथ झा, आई.सी.एस. (1964-1965)	श्री राजरूप राय (1964)
4	श्री गोविन्द नारायण, आई.सी.एस. (1966-1970 तथा 1973-1974)	श्री हरिबाबू कंसल (1965-1968)
5	श्री सतीश चन्द्र, आई.सी.एस. (1971-1972)	श्री रघुनन्दन प्रसाद शर्मा (1969-1972)
6	श्री त्रिवेणी प्रसाद सिंह, आई.सी.एस. जनवरी 1973 से सितम्बर 1973)	श्री पन्ना लाल शर्मा (1973-1974)
7	श्री रामकृष्ण त्रिवेदी, आई.ए.एस. (1975-1976)	श्री जगन्नाथ (1975-1976)
8	श्री ज्ञान प्रकाश, आई.ए.एस. (1977)	डॉ. महेश चन्द्र गुप्त (1977)
9	श्री राजेश्वर प्रसाद, आई.ए.एस. (1978)	श्री जगन्नाथ (1978)
10	श्री महेश्वर प्रसाद, आई.ए.एस. (1979)	श्री जगन्नाथ (1979)
11	श्री सुशील चन्द्र वर्मा, आई.ए.एस. (1980)	डॉ. सूरजपाल शर्मा (1980)
12	श्री शंकरी प्रसाद मुखर्जी, आई.ए.एस. (1981-1982 तक)	श्री रघुनन्दन प्रसाद शर्मा (1982, 1983 तथा 1984)
13	श्री उदय चन्द्र अग्रवाल, आई.ए.एस. (1983-1984)	श्री रघुनन्दन प्रसाद शर्मा (1984-1985)
14	श्री उदय चन्द्र अग्रवाल, आई.ए.एस. (1984-1985)	श्री बृजनन्दन प्रसाद सिंहल (1985-1986)
15	श्री महादेव सुब्रमणियन्, आई.ए.एस. (1985-1986)	डॉ. सूरजपाल शर्मा (1986-1987)

16 श्री शिरोमणि शर्मा, आई.ए.एस. (1987-1988)	श्री सुभाष चन्द्र लखेड़ा (1988-1989)
17 श्री बी. बी. महाजन, आई.ए.एस. (1989-1990)	श्री सुभाष चन्द्र लखेड़ा (1989-90)
18 श्री प्रेमानन्द त्रिपाठी, आई.ए.एस. (1990-1992)	श्री प्रेमचन्द्र धास्माना (1989-1992)
19 श्री कौशल कुमार माथुर, आई.ए.एस. (1993)	स0 दर्शन सिंह जत्थेदार (1993)
20 श्री कौशल कुमार माथुर, आई.ए.एस. (1994-1995)	स0 दर्शन सिंह जत्थेदार (1994-1995)
21 श्री चन्द्रधर त्रिपाठी, आई.ए.एस. (1995-1997 तक)	स0 दर्शन सिंह जत्थेदार (1996)
22 श्री रवि प्रकाश सिन्हा, आई.ए.एस. (7 नवम्बर 1997 से 6 अगस्त 2001 तक)	श्री नन्द किशोर भट्ट, (1997) तत्पश्चात् निष्कासित स0 दर्शन सिंह जत्थेदार (1998) श्री मोहन प्रकाश दुबे (1999 से 5 अगस्त 2001)
23 श्री भूरे लाल, आई.ए.एस. (6 अगस्त 2001 से 26 अक्टूबर 2004 तक)	इंजी. भीष्म कुमार चुघ (6 अगस्त 2001 से 10 अक्टूबर 2003) इंजी. भगवान दास पटैरया (11 अक्टूबर 2003 से 25 अक्टूबर 2004 तक)
24 श्री सुरेन्द्र कुमार टुटेजा, आई.ए.एस. (29 अप्रैल 2015 से 28 अगस्त 2017)	श्री मोहन प्रकाश दुबे (26 अक्टूबर 2004 से 28, अगस्त 2008 तक)
25. श्री दिनेश रॉय, आई.ए.एस. (29 अगस्त 2008 से 28 अगस्त 2017)	श्री पंकज दीवान (29 अगस्त 2008 से 13 अगस्त 2013 तक) श्री सुरेश तिवारी (13 अगस्त 2013 से 29 अप्रैल 2015 तक) श्री पंकज दीवान (30 अप्रैल 2015 से 28 अगस्त 2017 तक)
26. श्री अमिताभ खरे, प्रमुख कार्यकारी निदेशक, रेलवे बोर्ड (29 अगस्त 2017 से 28 अगस्त 2019)	श्री पंकज दीवान (29 अगस्त 2017 से 28 अगस्त 2019 तक)
27. श्री उपेन्द्र प्रसाद सिंह, आई.ए.एस. (29 अगस्त 2019 से 15 मार्च 2023)	श्री राकेश कुमार वर्मा (29 अगस्त 2019 से 15 मार्च 2023)
28. श्री कुश्विंदर वोहरा, पदेन सचिव (16 मार्च 2023 से अब तक)	श्री विनीत रावत (16 मार्च 2023 से अब तक)

भाषा, भविष्य और टेक्नोलॉजी-प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण (NLP)

-अमिताभ खरे

'अमृत काल' भारत के बहुमुखी विकास की रोमांचकारी कहानी लिखने वाला है। सभी संकेत इंगित कर रहे हैं कि इस अवधि में भारत दुनिया की एक महाशक्ति बन कर उभरेगा। हमने कोरोना जैसी वैश्विक विभीषिका का सामना अन्य विकसित देशों की तुलना में कहीं अधिक शीघ्रता एवं सफलता से किया है। इस संकट को अवसरों में बदला है और अपनी अर्थव्यवस्था को सबसे पहले वापस पटरी पर लाने में सफल हुए हैं। हमारी प्रगति की रफ्तार स्पृहणीय है और हमारी अर्थव्यवस्था छलाँगें लगाते हुए 11वीं से 5वें पायदान पर पहुँच चुकी है और शीघ्र ही विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रही है। भारत विश्व की सबसे बड़ी जनसंख्या वाला देश बन गया है और इसकी विशेषता यह है कि इसमें उत्पादक कामकाजी आयु-वर्ग के लोगों की संख्या सबसे ज्यादा है।

भारत की इस उल्लेखनीय प्रगति के प्रमुख वाहक यहाँ की प्रतिभाशाली, उद्यमशील युवा शक्ति, देश की प्रगति-गाथा में आम जन का विश्वास एवं उत्साह, राजनीतिक स्थिरता, सुस्पष्ट, आकांक्षी, कार्योन्मुख, व्यावहारिक नीतियाँ, वास्तविक धरातल पर तेजी से कार्यान्वयन की बढ़ती क्षमता, बुनियादी ढाँचे (इंफ्रास्ट्रक्चर) का तेज विकास एवं टेक्नोलॉजी को अद्‌भुत सहजता से अंगीकार करने की क्षमता आदि हैं। टेक्नोलॉजी, सूचना संचार क्रांति, सुलभ, सस्ते इंटरनेट का व्यापक विस्तार, डिजिटल क्रांति, नवाचार (इन्नोवेशन) और स्टार्ट-अप आदि के विजय-रथ पर सवार होकर देश की प्रगति गुणात्मक रफ्तार से जीवन के हर क्षेत्र में उन्नति और प्रगति की नई कहानियाँ लिख रही है।

परंतु भारत की विकास यात्रा तभी सही मायनों में सफल होगी जब यह सर्व-समावेशी हो, अधिक से अधिक लोग तकनीक और डिजिटल क्रांति में सहभागी बनें और सबको इनका लाभ मिले। अभी यह स्थिति नहीं आई है। यह सच है कि सरकार ने जन-धन खाते, आधार और मोबाइल, 4G, 5G के विस्तार, और यूपीआई (UPI) भुगतान जैसे क्रांतिकारी

परिवर्तनों से बहुसंख्य जनता को डिजिटल रूप से जोड़ने और सशक्त करने का बड़ा काम किया है। इधर नई शिक्षा नीति में आरम्भिक वर्षों के शिक्षण में मातृभाषाओं पर ध्यान दिया गया है और हाल में ही मेडिकल और इंजीनियरिंग की पाठ्यपुस्तकों के हिंदी में अनुवादों के उदाहरण सामने आए हैं। परंतु ऐसे उदाहरण अभी कम हैं और तकनीकी व डिजिटल विकास की मुख्यधारा में हिंदी भाषा का स्थान नगण्य है। अनेक बड़ी-बड़ी बहुराष्ट्रीय कम्पनियाँ भी भारत की विशाल जनसंख्या तक अपनी पहुँच व पकड़ बनाने के लिए हिंदी एवं अन्य भारतीय भाषाओं में अपना कंटेंट बढ़ा रही हैं, नए-नए सुगम एप्स लेकर आ रही हैं। परंतु वास्तविकता यह है कि उनका पूरा ध्यान अपने लाभ और अपने व्यापार और विज्ञापनों का प्रसार करने पर ही केंद्रित है। हिंदी के दायरे का विस्तार अभी मुख्यत: सोशल मीडिया तक सीमित है। गम्भीर स्तरीय ज्ञान और महत्त्वपूर्ण अनुसंधान और युगांतरकारी नवाचारों के क्षेत्र में अभी भी अंग्रेजी का ही प्रधान्य है। इन क्षेत्रों में ठोस, मूलभूत काम और नवाचार अंग्रेजी के सहारे ही सम्पन्न हो रहे हैं। इससे डिजिटल विभेद की एक खाई बन गयी है जो इन क्षेत्रों में होने वाली वृद्धि की तेज रफ्तार के चलते दिनों दिन और चौड़ी होती जा रही है।

पूरी दुनिया में भारतीय युवाओं के अंग्रेजी ज्ञान की ख्याति के बावजूद, सच्चाई यह है कि भारत के 0.1% से भी कम लोग अपनी पहली भाषा के रूप में अंग्रेजी बोलते हैं और 10% से भी कम लोग अंग्रेजी का कामचलाऊ ज्ञान रखते हैं। देश की बहुसंख्य आबादी प्रगति के इस तेज-रफ्तार राजमार्ग से बहिष्कृत, धीमे, ऊबड़-खाबड़ रास्तों पर ही चलने को विवश है। बड़े बदलावों के लिए व्यापक जन भागीदारी की आवश्यकता होती है। स्वतंत्रता आंदोलन या हाल में अमृत-काल के बड़े-बड़े अभियानों में व्यापक जन

भागीदारी की महत्त्वपूर्ण भूमिका रही है। सोचने की बात है कि यह विशाल जनसंख्या, यदि बिना किसी कम्प्यूटर-भाषा जैसे C++, जावा, html आदि के विशेष ज्ञान के भी, अपनी भाषा में ही कम्प्यूटर्स से संवाद कर सके, अपनी जिज्ञासाओं का समाधान कर सके और सशक्त रूप से देश की प्रगति में बराबरी से अपनी भागीदारी निभा सके, तो भारत की प्रगति और कितनी तेज और बहु-आयामी हो सकती है। अत: भारत की प्रगति की जय-यात्रा में व्यापक जन-भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए डिजिटल क्षेत्र में भाषा की बाधाओं को शीघ्रातिशीघ्र दूर कर, व्यापक भाषायी-समावेशन करना अनिवार्य है।

प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण (नेचुरल लैंगुएज प्रासेसिंग NLP)

यह सच है कि भारत जैसे विशाल, विविध भाषा-भाषी देश के लिए भाषिक समावेशन एक बड़ी चुनौती है। परंतु इस बड़ी चुनौती का सामना भी तकनीक के सहारे ही सम्भव हो सकेगा। सौभाग्य से वर्तमान समय में तेजी से विकसित होती एक नई तकनीक-एनएलपी (NLP) इस क्षेत्र में अहम भूमिका निभा सकती है। NLP का पूरा नाम Natural Language Processing (नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग अथवा प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण) है। यह संगणक विज्ञान (कम्प्यूटर साइंस), कृत्रिम बुद्धिमत्ता (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस), मशीन लर्निंग, संगणनात्मक भाषा विज्ञान और मानव-विज्ञान का संगम है। यह एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो किसी कंप्यूटर या अन्य किसी मशीनी उपकरण को इंसानी भाषा को समझने और बोलने की क्षमता प्रदान करती है। इस तकनीक का उपयोग करके हम किसी रोबोट या मशीन को ऐसा बना सकते हैं कि वह हमारी अपनी प्राकृतिक भाषा में दिए गए निर्देशों या प्रश्नों को आसानी से समझ पाए और तदनुसार कार्यों को संपन्न करें। इस टेक्नोलॉजी के सबसे अच्छे उदाहरण गूगल का Google Assist, Alexa, Chatbots आदि हैं जो मनुष्य के द्वारा बोले गए शब्दों को समझकर उन्हें विषयानुकूल आउटपुट प्रदान करते हैं। इस तकनीक का उपयोग बड़ी-बड़ी कंपनियों के द्वारा उपयोगकर्ताओं के व्यवहार के बड़े डेटाबेस से महत्त्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करने और कार्यों को स्वत: सम्पादित करने के लिए भी किया जा रहा है। हम लोग इस तकनीक के और भी कई प्रयोग अपने दैनिक क्रियाकलापों में देखते हैं, परंतु यह नहीं समझ पाते कि इनके पीछे NLP तकनीक काम कर रही होती है।

NLP के घटक

NLP के दो घटक होते हैं:-

1. पहला घटक NLU (नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग) है। यह वो तकनीक है जिसके माध्यम से मानव भाषा को एक ऐसी भाषा में बदल दिया जाता है जिसे मशीन के द्वारा समझा जा सके। सरल शब्दों में कहे तो NLU नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग की वह शाखा है जो मशीन-लर्निंग और कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग करके कम्प्यूटर या मशीन को मानव भाषा समझने में मदद करती है।
2. NLP का दूसरा घटक NLG (नेचुरल लैंग्वेज जनरेशन) है। यह मूलत: एक अनुवादक होता है जो कम्प्यूटर डेटा अथवा परिणामों को उपयोगकर्ता की प्राकृतिक भाषा में प्रस्तुत करता है। इसका इस्तेमाल जटिल डेटा सेट्स को रिपोर्ट में बदलने के लिए किया जाता है ताकि हम डेटा को आसानी से समझ सके। इसके कुछ उदाहरण मेल मर्ज, रिपोर्ट्स और कंटेंट बनाना आदि हैं।

NLP के चरण

1.शब्दकोषीय विश्लेषण (Lexical Analysis)

मानव भाषा को शब्दों में विभाजित करना NLP का पहला चरण होता है जिसे शब्दकोषीय विश्लेषण (Lexical Analysis) या टोकनाइजेशन (Tokenization) कहा जाता है। यह सोर्स कोड को शब्दों के रूप में स्कैन करता है और पूरे टेक्स्ट को एक पैराग्राफ या वाक्यों में बदल देता है। इसमें शब्दों के ढाँचागत स्वरूप को पहचान कर उनका विश्लेषण किया जाता है।

2. व्याकरणात्मक विश्लेषण (Syntactic Analysis)

NLP का दूसरा चरण व्याकरणात्मक विश्लेषण (Syntactic Analysis) होता है। इसमें भाषा के वाक्य संरचना को समझने की प्रक्रिया होती है, जिससे कंप्यूटर यह जान पाता है कि वाक्य किस प्रकार से बना हुआ है। इसका इस्तेमाल व्याकरण के नियमों के सहारे शब्दों, शब्द समूहों के उपयुक्त स्थानों का निर्धारण और उनके बीच पारस्परिक सम्बन्धों को समझने में किया जाता है। इसे पदच्छेद या पद-विश्लेषण (Parsing) भी कहा जाता है।

3. अर्थ विश्लेषण (Semantic Analysis)

NLP का तीसरा चरण Semantic Analysis होता है। इस चरण में भाषा के अर्थ को समझने का प्रयास किया जाता है, जिससे कंप्यूटर को शब्दों के वास्तविक मतलब को जानने में मदद मिलती है। इसके दो प्रकार होते है, पहला Lexical और दूसरा Compositional Semantic Analysis.

4. संवादों का समेकीकरण (Discourse Integration)

NLP का चौथा चरण Discourse Integration होता है। इसका इस्तेमाल सामाजिक व ऐतिहासिक संदर्भों को ध्यान में रखते हुए संवाद, वार्तालाप या विषयवस्तु का आशय निकालने में किया जाता है। इसका इस्तेमाल बोले गए या लिखे गए टेक्स्ट का अर्थ समझने के लिए किया जाता है।

5. व्यावहारिक विश्लेषण (Pragmatic Analysis)

NLP का पांचवां चरण Pragmatic Analysis है जिसका इस्तेमाल मूलपाठ (टेक्स्ट) से जानकारी निकालने के लिए किया जाता है। यह मूलपाठ (टेक्स्ट) के वास्तविक अर्थ का पता लगाने में मदद करता है।

6. भावनात्मक विश्लेषण (Sentiment Analysis)

NLP का छठा चरण Sentiment Analysis होता है। इसका इस्तेमाल उपयोगकर्ता के व्यवहार, नजरिए और भावनाओं को समझने के लिए किया जाता है। यह उनके गुस्से, खुशी और उदासी का पता लगा सकता है।

NLP के अनुप्रयोग

एनएलपी का उपयोग आजकल हमारे दैनंदिन जीवन में बहुतायत से किया जा रहा है और यह संवाद, शिक्षा और तकनीकी उन्नति में हमारी मदद कर रहा है। NLP का इस्तेमाल निम्नलिखित जगहों पर किया जाता है:

वर्तनी सुधार (Spelling correction)

नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का इस्तेमाल वर्तनी (spelling) में सुधार करने के लिए किया जाता है। हम लोग रोज ही जब मोबाइल या कम्प्यूटर पर कोई टेक्स्ट लिखते हैं तो हमें वर्तनी में सुधार के लिए सुझाव मिलते जाते हैं। इसकी पृष्ठभूमि में MS&word, PowerPoint जैसे सॉफ्टवेयर होते हैं है जो स्पेलिंग को सुधारने में मदद करते है।

बोली गयी भाषा को समझना (Speech Recognition)

यह तकनीक बोले गए शब्दों को टेक्स्ट में बदलने में मदद करती है।

भाषानुवाद (Language Translation)

एनएलपी भाषा का अनुवाद करने में सहायक होता है, जिससे अंतरराष्ट्रीय संवादों में सुधार होती है।

स्मार्ट चैटबॉट्स (Smart Chatbots)

स्मार्ट चैटबॉट्स एनएलपी का उपयोग करके उपयोगकर्ताओं के साथ संवाद करने में मदद करते हैं और उन्हें विभिन्न सेवाएं प्रदान कर सकते हैं। इनका उपयोग अब अधिकांश कंपनियों या सेवा प्रदाताओं (सर्विस प्रोवाइडर्स) के द्वारा किया जा रहा है।

ईमेल फिल्टर और स्पैम की पहचान

इसका इस्तेमाल ईमेल को फिल्टर करने के लिए किया जाता है।

मशीनी अनुवाद (Machine Translation)

इसका इस्तेमाल किसी प्राकृतिक भाषा (नेचुरल लैंग्वेज) को किसी अन्य प्राकृतिक भाषा (नेचुरल लैंग्वेज) में बदलने के लिए किया जाता है। उदाहरण के लिए गूगल ट्रांसलेटर में हिंदी को इंग्लिश या इंगलिश को हिंदी में बदल सकते हैं।

सोशल मीडिया और भावनात्मक विश्लेषण (Sentiment Analysis)

एनएलपी का उपयोग सोशल मीडिया पर टेक्स्ट संदेशों का विश्लेषण करने के लिए किया जा रहा है, जिससे उपयोगकर्ताओं की भावनाओं को समझा जा सकता है। इससे सामाजिक मीडिया प्रबंधन में मदद मिलती है। वाक्यों का विश्लेषण करके यह पता किया जा सकता है कि वे सकारात्मक (पॉजिटिव), नकारात्मक (नेगेटिव) अथवा निरपेक्ष (न्यूट्रल) हैं। इससे कंपनियों को उपयोगकर्ताओं की प्रतिक्रियाओं को समझने और सेवाओं में सुधार करने का सुनहरा अवसर मिलता है।

शिक्षा में उपयोग (Educational Uses)

एनएलपी से शिक्षा के क्षेत्र में उपयोगकर्ताओं को बेहतर तरीके से सीखने के लिए तकनीकी साधनों का निर्माण किया जा सकता है।

हमारी दिनचर्या में एनएलपी के अनुप्रयोग के सामान्य उदाहरण

अलेक्सा और डिजिटल सहायता

एनएलपी के उपयोग से बने डिजिटल सहायता उपकरण,

जैसे कि अमेजन एलेक्सा, दिनचर्या को सुविधाजनक बना रहे हैं। यहाँ एलेक्सा, उपयोगकर्ता के बोले हुए आदेशों को समझता है और साथ ही विभिन्न सूचनाएं, समाचार, मौसम रिपोर्ट्स, और मनोरंजन प्रदान करता है।

स्मार्ट होम्स और एनएलपी

स्मार्ट होम उपकरण जैसे कि वॉयस-एक्टिवेटेड लाइटिंग, थर्मोस्टेट, और सुरक्षा सिस्टम्स NLP के माध्यम से वाक्यों को समझकर उपयोगकर्ता की आदतों को सीधे समझते हैं और उनके साथ संवाद कर सकते हैं।

हिंदी भाषा को बढ़ावा देने के संदर्भ में एनएलपी की सम्भावनाएँ

एनएलपी, हिंदी भाषा को समृद्धि की ओर बढ़ाने में विभिन्न तरीकों से सहायक हो सकता है। पहले, इसका उपयोग भाषा अनुवाद में किया जा सकता है, जिससे अंतरराष्ट्रीय संवादों में हिंदी को सशक्तिकृत करने में सहायता हो। एनएलपी अनुवाद सिस्टम्स के माध्यम से स्वच्छ और सटीक भाषा रूपरेखा प्रदान करके, विभिन्न भाषाओं के बीच सीधे संवाद को सुनिश्चित करता है।

दूसरे, एनएलपी का सशक्त अनुसंधान भाषा भ्रांतियों को सुधारने के लिए इस्तेमाल हो सकता है। भाषा विश्लेषण के माध्यम से, भ्रांतियों को पहचानने और सुधारने में एनएलपी मदद कर सकता है, जिससे स्वयंस्थ भाषा शिक्षा (Self Learning of Language) के क्षेत्र में वृद्धि हो। इसके अलावा, एनएलपी स्वर स्वीकृति तंतु (Voice recognition system), वाचन सहायता (Speech assistance) और उच्च गुणवत्ता वाले स्वरुपांतरण (format conversion) की सुविधा प्रदान करके हिंदी में आवाज सीधे शास्त्र करने में भी मदद कर सकता है। इस प्रकार, एनएलपी न केवल भाषा को समझने में सहायक होता है, बल्कि इसे बेहतर बनाने में भी महत्त्वपूर्ण योगदान प्रदान करता है।

इसके अलावा, एनएलपी से स्मार्ट चैटबॉट्स बनाए जा सकते हैं जो उपयोगकर्ताओं के साथ हिंदी में संवाद करने में मदद कर सकते हैं। ये चैटबॉट्स विभिन्न क्षेत्रों में सुझाव और सहायता प्रदान करने में सक्षम होते हैं, जिससे हिंदी भाषा का अधिक प्रसार हो सकता है।

एनएलपी का उपयोग करके हिंदी भाषा का प्रचार-प्रसार ज्यादा व्यापकता और सफलता से किया जा सकता है। यह बहुसंख्य लोगों को अधिक से अधिक सामग्री तक पहुँचने में मदद कर सकता है। इससे ऑनलाइन सामग्री को बड़े जन समूह के साथ साझा करना आसान होता है।

दूसरे, एनएलपी से उपयोगकर्ता-अनुभव को सुधारा जा सकता है। सामाजिक मीडिया प्लेटफॉर्म्स से लेकर ऑनलाइन साइटों तक, एनएलपी उपयोगकर्ताओं को बेहतर और समर्पित सेवाएँ प्रदान करने में मदद कर सकता है, जिससे हिंदी भाषा का मान बढ़ता है।

अंततः

डिजिटल खाई को पाटने, बहुसंख्य जनता तक पहुँचने, उन्हें अत्याधुनिक तकनीकों से जोड़ने और प्रगति व विकास का लाभ उन तक पहुँचाने के लिए NLP की तकनीक एक महत्त्वपूर्ण कुंजी साबित हो सकती है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2047 तक के अमृत काल को देश के लिए अत्यंत महत्त्वपूर्ण करार दिया है। उन्होंने इस अमृत काल में विकसित भारत, गुलामी की हर सोच से मुक्ति, विरासत पर गर्व, एकता और एकजुटता व नागरिकों द्वारा अपने कर्तव्य पालन के ''पंच प्रण'' का आह्वान किया। इनको आगे बढ़ाने में और व्यापक जन आंदोलन बनाने में एनएलपी की तकनीक बहुत कारगर हो सकती है। भारतीय समाज उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम तक एक स्वतंत्र भौगोलिक इकाई के रूप में मूलतः एक-सी सांस्कृतिक, वैचारिक भावभूमि, साझा इतिहास और साझे मिथकों से अनुप्राणित है। यह पारम्परिक ज्ञान, विज्ञान, दर्शन, चिकित्सा, समाज विज्ञान, सामाजिक समरसता आदि का ऐसा मूल्यवान खजाना है जिसकी खोज करना अभी बाकी है।

इस संदर्भ में मेरा प्रस्ताव है कि राजभाषा विभाग अपनी वेबसाइट और अपने कार्यक्रमों में NLP का तत्काल समावेश कर राजभाषा को गैर हिंदी भाषा-भाषियों तक शीघ्रता और सुगमता से पहुँचा सके ताकि एन एल पी के माध्यम से भारतीय भाषाओं का आपस में सीधा संवाद होने लगे। उसके लिये अंग्रेजी की सीढ़ी की जरूरत ना हो।

पूर्व प्रधान, केन्द्रीय सचिवालय हिन्दी परिषद
एवं पूर्व प्रमुख कार्यकारी निदेशक, रेलवे बोर्ड

माननीय पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग एवं आयुष मंत्री श्री सर्बानंद सोणोवाल का साक्षात्कार

-डॉ. स्वीटी यादव

प्रत्यक्ष भेंटवार्ता अर्थात साक्षात्कार विधि से संबंधित विषयों को समझने एवं परखने की ऐसी अंतर्दृष्टि विकसित होती है जो हमें अन्य सूत्रों से प्राप्त नहीं हो सकती। साक्षात्कार एक ऐसा माध्यम है जिसमें वार्तालाप के क्रम में विचार और चिंतन स्वत: उत्पन्न होकर तथ्यों को और अधिक मूर्त और सजीव बना देते हैं। शीर्ष पदों पर आसीन जन प्रतिनिधियों के साथ किया गया साक्षात्कार उनके अनुभवों, कार्यशैली, कुशल प्रबंधन और राष्ट्रीय महत्त्व के विषयों पर उनके व्यापक दृष्टिकोण को प्रदर्शित करता है। इसी प्रकार का एक विलक्षण अनुभव इस साक्षात्कार से हुआ। राजभाषा हिंदी की वर्तमान दशा, दिशा और भविष्य के संबंध में माननीय मंत्री जी द्वारा दिए गए सार्थक उत्तर, राजभाषा विषयों के प्रति उनके सम्यक ज्ञान, सकारात्मक मनोवृति, प्रतिबद्धता और सुरुचि को परिलक्षित करते हैं। इस साक्षात्कार में राजभाषा संबंधी विषयों की जानकारी के अतिरिक्त आयुर्वेद एवं अन्य स्वदेशी चिकित्सा पद्धतियों के अनुसंधान, विकास और वैश्विक स्तर पर इनका प्रचार-प्रसार तथा इनसे प्राप्त होने वाले स्वास्थ्य लाभ की जानकारी से संबंधित प्रश्नों को भी समाविष्ट किया गया है। मेरा विश्वास है कि प्रस्तुत साक्षात्कार से सभी सुधी पाठकों की राजभाषा विषयक जिज्ञासा शांत होगी और वे इससे प्रेरित होकर निष्ठापूर्वक गृह मंत्रालय राजभाषा विभाग के हिंदी के प्रचार-प्रसार के कार्य को आगे बढ़ाने में अपना मूल्य अमूल्य सहयोग प्रदान करेंगे।

साक्षात्कार के प्रमुख अंश-

माननीय पत्तन, पोत परिवहन और जल मार्ग एवं आयुष मंत्री से साक्षात्कार करते हुए परिषद की स्मारिका की संपादक डॉ. स्वीटी यादव

प्रश्न-1. जन स्वास्थ्य और गंभीर रोगों के उपचार के लिए आयुर्वेद एवं अन्य प्राचीन भारतीय चिकित्सा पद्धतियों की उपयोगिता और लाभ पूरे देश के जन सामान्य में हिंदी और भारतीय भाषाओं में प्रसारित करने हेतु आयुष मंत्रालय, आयुर्वेद और अन्य भारतीय चिकित्सा से संबंधित संस्थानों द्वारा विशेष रूप से क्या प्रयास किए जा रहे हैं?

उत्तर- आयुर्वेद एवं अन्य प्राचीन चिकित्सा पद्धतियों की उपयोगिता और उनके लाभों के बारे में जन सामान्य को अवगत कराने के लिए समय-समय पर दिशा-निर्देश, एडवाइजरी और प्रोटोकॉल जारी किए जाते हैं। यह सभी हिंदी-अंग्रेजी भाषा के अलावा क्षेत्रीय भाषाओं में भी जारी किए जाते हैं। कोविड जैसी महामारी में जारी एडवाइजरी और प्रोटोकॉल इसी क्रम जारी किए गए थे। जो मंत्रालय की वेबसाइट www.ayush.gov.in पर भी उपलब्ध है।

प्रश्न-2. मंत्रालय के नियंत्रणाधीन राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ, केंद्रीय यूनानी एवं होम्योपैथी चिकित्सा अनुसंधान, केंद्रीय योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान, मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग एवं अन्य भारतीय

प्राकृतिक चिकित्सा संस्थानों में हिंदी में उच्चतर अध्ययन, अनुसंधान और शोध की क्या संभावनाएं हैं?

उत्तर– मंत्रालय के अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा प्रदान की जाने वाली फैलोशिप/छात्रवृत्ति के तहत हिंदी में प्रस्तुत की गई अनुसंधान परियोजनाओं को प्राथमिकता दी जाती है।

प्रश्न–3. आयुष मंत्रालय और इसके नियंत्रणाधीन आयुर्वेद और अन्य भारतीय चिकित्सा पद्धति से संबंधित संस्थान हिंदी को रोजगारोन्मुखी भाषा बनाने के प्रयोजनार्थ किस प्रकार से योगदान दे सकते हैं?

उत्तर– मैं नहीं समझता कि किसी चिकित्सा पद्धति को भाषा विशेष से जोड़कर इसे रोजगार का माध्यम बनाया जाए। हालांकि, राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 के द्वारा चिकित्सा शिक्षा की व्यवस्था सभी भारतीय भाषाओं के माध्यम से किए जाने का प्रावधान है।

प्रश्न–4. क्या आयुष मंत्रालय द्वारा मंत्रालय के सभी विभागों, अधीनस्थ कार्यालयों और संस्थानों में सरकारी काम–काज अधिकाधिक हिंदी में करने के प्रयोजन हेतु ऐसा अनुकूल वातावरण बनाने का प्रयास किया जा रहा है जिससे सरकारी कर्मी हिंदी का प्रयोग संवैधानिक अनिवार्यता के साथ–साथ स्वेच्छा से अपना राष्ट्रीय और नैतिक दायित्व समझकर करें?

उत्तर– राजभाषा अधिनियम एवं नियम तथा राजभाषा विभाग द्वारा समय–समय पर जारी आदेशों का आयुष मंत्रालय में अनुपालन सुनिश्चित किया जाता है। इसके तहत मंत्रालय में राजभाषा कार्यान्वयन समिति की प्रत्येक तिमाही में बैठकें बुलाई जाती हैं जिनमें मंत्रालय के अनुभागों में हिंदी की प्रगति की समीक्षा की जाती है। मूल पत्राचार बढ़ाने के लिए नकद प्रोत्साहन योजनाएं लागू की गई है। हिंदी दिवस पर हिंदी प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है। इसी तरह अधीनस्थ कार्यालयों को भी अपने यहाँ राजभाषा कार्यान्वयन समिति गठित करने और समय–समय पर बैठकें आयोजित करने के लिए कहा गया है। उनके यहाँ हिंदी की प्रगति का जायजा लेने के लिए मंत्रालय द्वारा निरीक्षण किया जाता है और कमियों में सुधार लाने के लिए सुझाव दिया जाता है।

प्रश्न–5. आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथिक और अन्य स्वदेशी चिकित्सा पद्धतियों से संबंधित विषयों पर हिंदी में मौलिक पुस्तक लेखन को प्रोत्साहन देने के लिए नगद पुरुस्कार और इन विषयों पर शोध करने के लिए शोधार्थियों को वृत्ति (फैलोशिप) प्रदान करने हेतु क्या मंत्रालय द्वारा कोई योजना लागू की गई है?

उत्तर– राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथिक और अन्य स्वदेशी चिकित्सा पद्धतियों से संबंधित विषयों पर हिंदी में मौलिक पुस्तक लेखन को प्रोत्साहन देने के लिए नगद पुरुस्कार के रूप में राजभाषा गौरव पुरस्कार प्रदान किया जाता है। परंतु इन विषयों पर शोध करने के लिए शोधार्थियों को वृत्ति (फैलोशिप) प्रदान करने हेतु ऐसा कोई भी प्रस्ताव मंत्रालय के पास नहीं है।

प्रश्न–6. क्या मंत्रालय के नियंत्रणाधीन औषधि निर्माण करने वाले संस्थानों द्वारा औषधि का नाम, गुण और सेवन की विधि इत्यादि को औषधि के पैकेटों और बोतलों पर हिंदी में दर्शाया जाता है?

उत्तर– मैं समझता हूँ कि आयुर्वेद सहित सभी भारतीय चिकित्सा पद्धतियों के नाम, गुण और उपयोग से संबंधित जानकारी को पैकेटों और बोतलों पर अंग्रेजी–हिंदी सहित स्थानीय भाषाओं में भी दर्शाया जाता है। वैसे हमने अपने तीन कार्यालयों केंद्रीय आयुर्वेदीय विज्ञान अनुसंधान परिषद और केंद्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद तथा इंडियन मेडिसिन फार्मास्यूटिकल कॉर्पोरेशन लिमिटेड को इस बारे में पहले ही निदेश जारी किए हैं।

प्रश्न–7. देश की एकता और अखंडता को अक्षुण्ण रखने के लिए भाषाई एकता के रूप में हिंदी की क्या भूमिका है?

उत्तर– हम सभी अपने विचारों और भावों को व्यक्त

करने के लिए भाषा का प्रयोग करते हैं। भाषा से न केवल विचारों का आदान-प्रदान होता है बल्कि यह देश की वाणी होती है। अपनी भाषा के बिना हमारा कोई अस्तित्व नहीं है। भारत एक विविध भाषी देश होते हुए भी, हिंदी को इसकी राजभाषा होने का गौरव प्राप्त है। आजादी से पहले भी हिंदी जन-आंदोलन की भाषा रही है। हिंदी भाषा देश के प्रत्येक नागरिक को एक सूत्र में बाँधती है। इससे राष्ट्र की एकता, अखंडता और बंधुत्व की भावना को बल मिलता है। आत्मनिर्भर भारत का जो हमारा सपना है, वह अपनी हिंदी भाषा से निरंतर जुड़े रहने से ही साकार हो सकता है।

प्रश्न-8. आयुष मंत्रालय और अधीनस्थ संस्थानों में राजभाषा नीति नियमों के सुचारू अनुपालन, हिंदी के प्रयोग में संवर्धनार्थ और जाँच बिंदुओं का कारगर ढंग से अनुपालन करवाने के प्रयोजन हेतु शीर्ष स्तर पर किस प्रकार की कार्रवाई की जाती है?

उत्तर- मंत्रालय के अधिकारीगण अधीनस्थ कार्यालयों का समय-समय पर निरीक्षण करते हैं और उनके यहाँ गठित राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकों में शामिल होते हैं तथा वहाँ हिंदी के कार्यान्वयन में आ रही कठिनाइयों एवं कमियों को दूर करने के लिए सुझाव देते हैं।

प्रश्न-9. 15 अगस्त 2022 को स्वतंत्रता दिवस समारोह के अवसर पर लाल किले की प्राचीर से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा भारत के विकास के लिए देशवासियों के समक्ष रखे गए पांच प्रण 1. विकसित भारत का संकल्प 2. गुलामी के अंश को मिटाना 3. विरासत पर गर्व 4. एकता और एकजुटता 5. नागरिकों के कर्तव्य को, हिंदी से संबद्ध करके देखना राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हिंदी को प्रतिष्ठित करने के प्रयोजन हेतु कितना कारगर सिद्ध होगा?

उत्तर- यह हमारे लिए गर्व की बात है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मंचों पर केवल हिंदी में ही अपनी बात रखते हैं। हिंदी भाषा का प्रधानमंत्री के स्तर पर इससे बड़ा प्रचार-प्रसार तो कोई नहीं कर सकता। इन पांच प्रणों की हिंदी में उनके द्वारा की गई व्याख्या से हम सभी को प्रेरणा मिलती है।

प्रश्न-10. आयुर्वेद विद्यापीठ और अन्य चिकित्सा शिक्षण संबंधी संस्थानों में प्रवेश प्राप्त करने वाले प्रशिक्षार्थियों को प्रवेश प्रक्रिया संबंधी और अन्य अपेक्षित जानकारी वेबसाइट पर क्या हिंदी में उपलब्ध करवाई जा रही है? और क्या इन संस्थानों द्वारा किए जा रहे शोध, अनुसंधान से संबंधित यथा आवश्यक जानकारी वेबसाइट पर अंग्रेजी के साथ-साथ हिंदी में भी अद्यतन करके अपलोड की जाती है?

उत्तर- आयुर्वेद विद्यापीठ और अन्य चिकित्सा शिक्षण संबंधी संस्थानों में विभिन्न पदों के भर्ती नियमों तथा उनमें प्रवेश प्राप्त करने वाले प्रशिक्षार्थियों की प्रवेश प्रक्रिया संबंधी और अन्य अपेक्षित जानकारी वेबसाइट पर हिंदी में नियमित रूप से उपलब्ध कराई जाती है। इन संस्थानों द्वारा किए जा रहे शोध और अनुसंधान से संबंधित यथा आवश्यक जानकारी वेबसाइट पर अंग्रेजी के साथ-साथ हिंदी में भी अद्यतन करके अपलोड की जाती है।

प्रश्न-11. आयुष मंत्रालय और संबद्ध संस्थानों के कर्मियों को यथा-आवश्यक विविध प्रकार का प्रशिक्षण क्या हिंदी माध्यम से दिया जा रहा है और क्या प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण सामग्री हिंदी में उपलब्ध करवाई जाती है? इसके अतिरिक्त क्या चिकित्सा एवं रोगों के उपचार कार्य से संबद्ध चिकित्सकों/विशेषज्ञों आदि को भी हिंदी माध्यम/पाठ्यक्रम से प्रशिक्षण प्रदान करने और प्रशिक्षण सामग्री हिंदी में उपलब्ध करवाने की व्यवस्था है?

उत्तर- मंत्रालय और अधीनस्थ संस्थानों में कार्यालय कर्मियों को गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग के केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान द्वारा यथा आवश्यक विविध प्रकार का प्रशिक्षण हिंदी माध्यम से दिया

जाता है तथा प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण सामग्री भी हिंदी में उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त, चिकित्सा एवं रोगों के उपचार कार्य से संबद्ध चिकित्सकों/विशेषज्ञों आदि को भी हिंदी के माध्यम से प्रशिक्षण दिया जाता है और प्रशिक्षण सामग्री भी हिंदी में उपलब्ध करवाने की व्यवस्था है।

प्रश्न–12. यूनानी, आयुर्वेद और भारतीय चिकित्सा पद्धति से संबंधित अनुसंधान संस्थानों में शोध, रोगों के उपचार और औषधि निर्माण से संबंधित कार्यों के लिए प्रयोग में ले जा रहे चिकित्सीय, वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दों के लिए क्या पृथक रूप से हिंदी में समेकित शब्दावली तैयार की गई है?

उत्तर– नहीं, अभी ऐसा नहीं किया गया है। पर मैं इस बारें में आगे बढ़ने के लिए अधिकारियों से चर्चा अवश्य करूँगा।

प्रश्न–13. वैश्वीकरण और सूचना क्रांति के दौर में आयुर्वेद और अन्य प्राचीन भारतीय चिकित्सा पद्धतियों का राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रचार-प्रसार करने में आयुष मंत्रालय की क्या भूमिका है? क्या देश और विदेशों में ऐसा प्रचार-प्रसार हिंदी में भी किया जा रहा है?

उत्तर– आयुर्वेद एवं अन्य भारतीय चिकित्सा पद्धतियों को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बढ़ावा देने के लिए सूचना, शिक्षा और संचार (आईईसी) योजना चलाई गई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का पहला वैश्विक पारंपरिक चिकित्सा केंद्र जामनगर, गुजरात में स्थापित किया गया है। कई देशों के साथ इन पद्धतियों में सहयोग पर समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। कई देशों में अकादमिक पीठों की स्थापना की गई है। देश-विदेशों में इन पद्धतियों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए सम्मेलनों, संगोष्ठियों, मेलों, कार्यशालाओं, प्रदर्शनियों, एक्सपो आदि का आयोजन किया गया है। इनसे संबंधित प्रचार-प्रसार सामग्री भी हिंदी सहित अन्य भाषाओं में तैयार करके वितरित की जाती है।

प्रश्न–14. आपका प्रिय हिंदी लेखक कौन है?

उत्तर– मुंशी प्रेमचंद। प्रेमचंद का सम्पूर्ण साहित्य वास्तविक जीवन के यथार्थ को हमारे सामने रखता है। एक आम व्यक्ति के जीवन के सुख-दुःख, आशा-निराशा, जीत-पराजय को उद्घाटित करता हुआ प्रेमचंद का साहित्य हमारे देश की सभ्यता, संस्कृति, गौरव के साथ ही ग्रामीण जीवन की वास्तविकता को भी हमारे सामने प्रस्तुत करता है।

प्रश्न–15. आपकी पसंदीदा हिंदी रचना?

उत्तर– श्रीमद्भगवद्गीता।

प्रश्न–16. भारत की कुछ उप भाषाओं/बोलियों को संविधान की आठवीं अनुसूची में सम्मिलित करने की मांग कितनी उचित है और आप इसे किस प्रकार से देखते हैं?

उत्तर– भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची में वर्तमान में 22 भाषाएँ शामिल हैं और इसमें और अधिक भाषाओं को जोड़ने की मांग उठती रही है। इस संबंध में मेरा मानना है कि हमें सभी भाषाओं, बोलियों, उपभाषाओं का बराबर सम्मान करना चाहिए और उन्हें बढ़ावा देना चाहिए। सभी भाषाएं और बोलियां इस देश के ताने-बाने से जुड़ी हैं और देश के विकास और अखंडता में इन सभी का अहम योगदान है।

प्रश्न–17. और, अंत में विभागीय हिंदी गृह पत्रिका के विषय में आपके क्या विचार हैं? क्या मंत्रालय द्वारा हिंदी गृह पत्रिका का प्रकाशन किया जा रहा है?

उत्तर– अधिकारियों और कर्मचारियों में छिपी लेखन प्रतिभा को सामने लाने के लिए मंत्रालय में 'अप्रतिम आयुष' नाम से छमाही पत्रिका प्रकाशित करने का निर्णय लिया गया है। इसके लिए सभी अधिकारियों/कर्मचारियों से अपने-अपने साहित्यिक लेख, कविताएं एवं अन्य रोचक और ज्ञानवर्धक सामग्री भेजने के लिए कहा गया है।

जयशंकर प्रसाद की रचनाओं में भारत चेतना

-डॉ. साकेत सहाय

आधुनिक हिन्दी साहित्य के इतिहास में जयशंकर प्रसाद के कृतित्व का गौरव अक्षुण्ण है। अपने कृतित्व के बल पर वे युगप्रवर्तक रचनाकार बने। उन्होंने अपनी लेखनी से एक साथ कविता, नाटक, कहानी और उपन्यास के क्षेत्र में हिंदी को ऐतिहासिक कृतियाँ दीं जिससे न केवल हिंदी बल्कि उन्हें पढ़ने वाला हर पाठक गौरवान्वित महसूस करता है। कवि के रूप में वे निराला, पन्त, महादेवी वर्मा के साथ छायावाद के प्रमुख स्तम्भ के रूप में प्रतिष्ठित हुए हैं; नाटक लेखन में भारतेन्दु के बाद वे एक अलग धारा बहाने वाले युगप्रवर्तक नाटककार रहे। प्रसाद जी की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उन्होंने भारतीय दृष्टि के अनुरूप साहित्य रचा। वे अपनी विविध रचनाओं के माध्यम से मानवीय करुणा और भारतीय मनीषा के अनेकानेक गौरवपूर्ण पक्षों का उद्घाटन कलात्मक रूप में करते है-

सबकी सेवा न परायी
वह अपनी सुख-संस्कृति है,
अपना ही अणु अणु कण-कण
द्वयता ही तो विस्मृति है।

-कामायनी

प्रसाद जी ने साहित्य की सभी विधाओं में लेखन किया। उनके लेखन की सबसे बड़ी विशेषता यह रही कि उन्होंने साहित्य को साधना मानकर, राष्ट्र समाज की चेतना का वाहक समझकर साहित्य रचना की। प्रसाद जी ने अपने संपूर्ण जीवन काल में एक कहानीकार के रूप में लगभग सत्तर कहानियाँ लिखी जो विषय की विविधता और कला की उत्कृष्टता के कारण हिंदी साहित्य की अमूल्य निधि बनी।

प्रसाद जी की रचनाओं में अटूट सामाजिक चेतना विद्यमान है। वे मानवतावादी विचारधारा को मानते थे और संसार को मानवता का संदेश देने वाले भारत की महानता को सोच-समझकर वे विदेशी पात्र के मुख से कहलवाते है। यह

जहाँ उनके राष्ट्र प्रेम को व्यक्त करता है वहीं देशवासियों में आत्मसम्मान की भावना जागृत करने के उद्देश्य को भी दिखाता है। 'कानन कुसुम' रचना में प्रसाद जी भारत तथा यहाँ के वीरों की महिमा का गुणगान किस प्रकार से करते है इसे हम निम्नलिखित पंक्तियों में देख सकते है-

'अहा खेलता कौन यहाँ शिशु सिंह से आर्यवृन्द के सुन्दर सुखमय भाग्य सा कहता है उसको लेकर निज गोद में खोल, खोल मुख सिंह बल, मैं देखकर गिन लूँगा तेरे दाँतों को है भले, देखूँ तो कैसे यह कुटिल कठोर हैं।'

भारत देश के लिए यह विडंबना ही है कि जिस देश की सभ्यता-संस्कृति अद्वितीय एवं मानवता का संदेश देने वाली रही हो, उसी देश में दीर्घ गुलामी व्यवस्था ने विषमतामूलक समाज की स्थापना को सशक्त किया। ऊँच-नीच की भावना से ग्रसित समाज ने इस देश की व्यवस्था को ही नुकसान पहुँचाया। दीर्घ गुलामी व सामंती व्यवस्था के कारण ज्यादातर सत्ता पोषित लोगों को ही सभी अधिकार एवं सुख-सुविधाएँ मिलीं। सामंती शासन ने जान-बूझकर देश-समाज को टुकड़ों में बाँटने का षड्यंत्र किया। जयशंकर प्रसाद मानवतावादी विचारधारा के पोषक के रूप में अपने पूरे रचनाक्रम में चाहे काव्य हो चाहे नाटक कहानी हो या उपन्यास हर जगह उन्होंने भारतीय समाज में बदलाव लाने के लिए प्रयत्न किया है। जिसकी परिणति आजादी के बाद दिख रही है।

प्रसाद जी ने अनेक उत्कृष्ट रचनाएँ की, जो सामाजिक चेतना में सहायक हुई। कंकाल उपन्यास (1929) के माध्यम से प्रसादजी ने भारतीय समाज में व्याप्त कुरीतियों को उजागर किया है। वे अपने उपन्यास में जाति, पंथ की व्याप्त

व्यवस्था पर प्रहार करते है। 'तितली' प्रसाद जी का दूसरा उपन्यास है। यह विभिन्न सामाजिक समस्याओं से संबंधित है। इस उपन्यास में वे अस्पृश्यता, जाति व्यवस्था, बेमेल विवाह, पुलिस अपराध आदि समस्याओं को उठाते है। प्रसादजी के समय में समाज में जाति व्यवस्था बहुत कठोर थी। वंचितों का मंदिर में प्रवेश निषिद्ध था। ऐसे समय में प्रसाद जी ने अपनी कई कहानियों में इस समस्या को उठाया है। जयशंकर प्रसाद भारतीयों में पुनर्जागरण का मंत्र डालना चाहते थे। नवाचार के लिए सांस्कृतिक परंपरा का उपयोग किया गया है। वास्तव में उनके हृदय में बसी भारतीय पुनर्जागरण की छवि मानवता के समग्र विकास से जुड़ी थी। वे हर स्तर पर भारतीयों का उत्थान देखना चाहते थे।

कामना 'नाटक के माध्यम से प्रसादजी के निर्माण का उद्देश्य मनुष्य में व्याप्त चारित्रिक गिरावट की ओर इशारा करते है।' कामना कहानी में ''फूलों का एक द्वीप है जिसके निवासी परस्पर प्रेम से रहते हैं। एक विदेशी युवक के आगमन से पूरे द्वीप की शांति भंग हो जाती है। सामाजिक व्यवस्था गड़बड़ा जाती है। अंत में, जब कामना देखती है कि स्वर्ण और मंदिरा के लालच में सभी प्रकार के अपराध करने के लिए तैयार हैं, तो उसे अपनी गलती का एहसास होता है।'' इस कहानी के माध्यम से वे अंग्रेजों के आगमन के साथ, भारत पर पश्चिमी सभ्यता के बढ़ते प्रभाव को दिखाते हैं।

प्रसाद जी समाज में बढ़ रही कुरीतियों पर प्रहार करते थे। वे चाहते थे कि भारतीय जनता अपने पुराने आर्दशों पर चलकर शांतिपूर्ण तरीके से जीवन यापन करें। उनके नाटक के अधिकांश पात्र प्रतीक रूप में रखे गये हैं। कामना नाटक में ही इच्छा की प्रतीक है। संतोष, विवेक के द्वारा ही वह शांति पा सकती है। यदि वह विलास की ओर दौड़ेगी तो वह अवश्य ही पछताएगी। तत्कालीन समाज में गिरती हुई अवस्था को केन्द्र में रखकर इस नाटक की रचना की गई थी।

ऐतिहासिक आधार बनाकर प्रसादजी ने कई कविताएँ लिखी। 'शेर सिंह का शस्त्र समर्पण' जलियांवाला बाग की घटना पर आधारित है। इसमें प्रसाद जी ने यह दिखाने की कोशिश की है कि किस प्रकार सिखों ने अंग्रेजी सेना का सामना किया। देशद्रोही सेनापति के कारण सिक्ख पराजित हुए। शेर सिंह ने शस्त्र समर्पण करते हुए देश भक्ति का गीत गाया।

जयशंकर प्रसाद अपनी रचनाओं में ऐतिहासिक घटनाओं को आधार बनाते है। जनता में राष्ट्रीयता की भावना का संचार करने के लिए प्रसाद जी अपने नाटकों में कई गीत लिखे हैं। 'स्कन्दगुप्त' नाटक में 'मातृगुप्त' अपने सैनिकों में उत्साह भरने के लिए भारत गीत गाता है।

जियें तो सदा उसी के लिए,
यही अभिमान रहे
यह हर्ष निछावर कर दें
हम सर्वस्व,
हमारा प्यारा भारत वर्ष

–स्कन्दगुप्त, पृ. 163

मानवता का गान करते हुए प्रसाद जी ने कामायनी में ये पंक्तियाँ लिखीं,

शक्ति के विद्युतकण,
जो व्यस्त विकल बिखरे हैं,
दो निरूपाय समन्वय उसका करें
समस्त विजयानी मानव।

कोरोना के दौर में भारत ने पूरी दुनिया के समक्ष मानवता का सही मार्ग दिखाया। प्रसादजी भारत की खोयी हुई चेतना को हमारी गौरवमय इतिहास की गाथा के साथ जीवंत करते थे। उनका विश्वास था कि देश की परम्परा, सभ्यता और संस्कृति उसमें नवीन जीवन का संचार करती है। यहीं कारण है कि वे अपनी रचनाओं में चेतना जागृत करने के उद्देश्य से एक साथ मजबूत पक्ष के साथ ही दीर्घ गुलामी के कारण यहाँ विद्यमान दुर्बलता, वेदना, पीड़ा, पथभ्रष्टता, पतन इत्यादि यथार्थ का चित्रण एक साथ करते है। वे अपनी रचनाओं में जीवन के विविध पहलूओं को रेखांकित करते है। वे अपनी रचनाओं में जीवन के अनेक मनोभावों यथा, संबंधों की निरर्थकता का बोध, जीवन से अलगावबोध, संघर्ष, अस्तित्व, स्मृति बोध, सुख-दु:ख का लेखा, स्नेह, सहानुभूति एवं करुणा आदि का चित्रण प्रस्तुत करते है। सही कहा गया है लेखक समय से आगे की सोचता है। उस समय उन्होंने जो अपनी रचनाओं में अनुभूत किया जो आज के दौर में

हकीकत बन चुका है। प्रसाद अपनी रचनाओं में सामाजिक यथार्थ, चेतना को रेखांकित करते है।

प्रसाद जी, संबंधों की निरर्थकता के बोध को अपनी कहानी 'बेड़ी' में दिखाते है। यह सत्य है कि आज के दौर में रिश्ते स्वार्थ की बुनियाद पर टिके हुए है। इस यथार्थ बोध को उन्होंने बहुत पहले चित्रित किया। 'बेड़ी' कहानी का वृद्ध पात्र अन्धा होने के कारण भिक्षा मांगकर अपना व अपने पुत्र का जीवनयापन करता है। अंधा होने के कारण बेटा उस काम में उसकी सहायता करता है। यहाँ पर भिखारी की जमा पूँजी उसका अपना बेटा चुराकर भाग जाता है। जिससे पिता-पुत्र के संबंधों का खोखलापन उजागर होता है। उनकी कहानियों के भाव, मर्म, उद्देश्य को आज के समाज को सोचने-समझने की आवश्यकता है।

प्रसाद जी अपनी प्रसिद्ध रचना 'ममता' के द्वारा भी सामाजिक विद्रूपों की ओर इशारा करते है। कहानी की प्रमुख पात्र ममता कहानी के शीर्षक को सार्थक करती नजर आती है। इस कहानी के द्वारा प्रसाद जी कहते हैं 'कर्तव्य के सम्मुख द्वेष भाव टिक नहीं पाता है और कहानी की पात्र ममता अपने पिता के हत्यारे को शरण देने के लिए बाध्य होती है। यह उसके हृदय की विशालता है। प्रसाद जी लिखते हैं-**'सहसा एक अश्वारोही उसी झोपड़ी के द्वार पर दिखाई पड़ा।' वह अपनी धुन में कहने लगा-'मिरजा ने जो चित्र बनाकर दिया है, वह तो इसी जगह का होना चाहिये। वह बुढ़िया मर गई होगी, अब किससे पूछूँ कि एक दिन शहंशाह हुमायूँ किस छप्पर के नीचे बैठे थे? यह घटना भी तो सैंतालीस वर्ष से ऊपर की हुई!' वृद्धा ममता अपने अंतिम दिनों में अत्यंत असुरक्षित महसूस करती थी क्योंकि एक तो वृद्धा और ऊपर से विधवा व पिता की हत्या के बाद अकेली रहने को बाध्य। युद्ध में घायल होकर युद्ध से भागे हुए शहंशाह को अपनी झोपड़ी में शरण देने पर शहंशाह ने अपने सैनिकों को आदेश देते हुए कहा कि उस झोपड़ी के स्थान पर एक पक्का मकान बनवा दिया जाए। कहानी की वृद्ध पात्र ममता अपनी झोपड़ी में अपनी अंतिम साँस तक यूँ ही इंतजार करती रही और अंत में 'वहाँ एक अष्टकोण मन्दिर बनाया और उस पर शिलालेख लगाया गया-'सातों देश के नरेश हुमायूँ ने एक दिन यहाँ विश्राम किया था। उनके पुत्र अकबर ने उनकी स्मृति में यह गगनचुंबी मन्दिर बनाया।' पर उसमें ममता का कहीं नाम नहीं।'** कहीं न कहीं इस कहानी के बहाने प्रसाद जी आदमी और व्यवस्था के पीछे की पनपी खाई की ओर भी इशारा कर रहे है। वे समाज और व्यवस्था को जागरूक भी कर रहे है। व्यवस्था को उसके कर्तव्य एवं दायित्व के प्रति जागरूक कर रहे है। यही साहित्यकार की सामाजिक चेतना है।

चन्द्रगुप्त नाटक में भी प्रसाद जी देशवासियों में आत्मसम्मान जगाने की ही बात करते है। इस आत्मविश्वास से भारत का राष्ट्रीय समाज भी जागरूक होगा। वे जगाते हुए कहते हैं **'अपना देश धन-धान्य, ज्ञान प्राकृतिक छटा सभी से परिपूर्ण है फिर हमें अपने देश को किसी से पीछे मानने की क्या आवश्यकता है। आवश्यकता तो यह है कि जो गौरवमय समय बीत गया है उसे लौटाने के लिए हम एकजुट होकर कर्म करें। देश की महत्ता को प्रसादजी ने इसी नाटक में कार्नेलिया के मुख से कहलवाया है। वह भारत की मानवतावादी विचारधारा को उजागर करती है।' कार्नेलिया यह स्वप्नों का देश, यह त्याग और बलिदान का पालना, यह प्रेम की रंगभूमि क्या भुलायी जा सकती है? अन्य देश मनुष्यों की जन्मभूमि है। यह भारत मानवता की जन्मभूमि है।**

इसी तरह व्यवस्था के प्रति उकताहट का भाव प्रसाद द्वारा लिखित 'नीरा' कहानी में भी देखने को मिलता है। 'नीरा' कहानी का वृद्ध पात्र अपना रोष प्रकट करते हुए कहता है-'जब मैं 'मॉरीशस' में था, तब हिन्दुस्तान की बातें पढ़ा करता था। मेरा देश सोने का है, ऐसी भावना जग उठी थी। अब कभी-कभी उस टापू की बातें पढ़ पाता हूँ, तब यह मिट्टी मालूम पड़ता है; पर सच कहता हूँ बाबूजी, 'मॉरीशस' में अगर गोली न चली होती और 'नीरा' की माँ न मरी होती। हाँ, गोली से ही वह मरी थी... तो मैं अब तक वहीं से जन्मभूमि का सोने का सपना देखता; और इस अभागे देश! नहीं-नहीं बाबूजी, मुझे यह कहने का अधिकार नहीं। मैं हूँ अभागा! हाय रे भाग!!'

प्रसाद जी ने अपनी रचनाओं में वृद्धों की दयनीय स्थिति के लिए मुख्यत: प्रशासन को जिम्मेदार माना है। एक व्यक्ति अपना पूरा जीवन घर-परिवार व देश की सेवा में लगा देता

है, ऐसे में घर-परिवार के साथ देश व समाज की भी जिम्मेदारी बनती है कि उसकी असहाय अवस्था में उसको समुचित साधन व स्वाभिमान के साथ जीवनयापन करने के लिए प्रेरित करे। प्रसाद जी अपनी कहानी 'गुदड़ी का लाल' में वृद्धा की दयनीय स्थिति के लिए शासन व्यवस्था पर कुठाराघात करते हुए लिखते हैं-'नवयुवक देश-भक्त कहते थे, देश दरिद्र है; खोखला है। अभागे देश में जन्मग्रहण करने का फल भोगती है। आगामी भविष्य की उज्ज्वलता में विश्वास रखकर हृदय के रक्त पर सन्तोष करे। जिस देश का भगवान् ही नहीं; उसे विपत्ति क्या! सुख क्या!'

वृद्धावस्था में व्यक्ति को अकेलेपन, अधूरापन और अलगाव का कुछ अधिक भान होता है और इन सबको अपनी नियति मानकर वृद्धजन जैसे-तैसे जीवनयापन करने लगते हैं। जयशंकर प्रसाद ने अपनी कहानी 'नीरा' में वृद्धों के अलगाव को दर्शाया है-**'सहसा बूढ़े ने सिर उठाकर कहा-मैं इसे मान लेता हूँ कि आपके पास बड़ी अच्छी युक्तियाँ हैं और वर्तमान दशा का कारण आप मुझे ही प्रमाणित कर सकते हैं। किन्तु वृक्ष के नीचे पुआल से ढँकी हुई मेरी झोपड़ी को और उसमें पड़े हुए अनाहार, सर्दी और रोगों से जीर्ण मुझ अभागे को मेरा ही भ्रम बताकर आप किसी बड़े भारी सत्य का आविष्कार कर रहे हैं, तो कीजिए। जाइए, मुझे क्षमा कीजिए।'**

उपर्युक्त उद्धरण में देव निवास के वक्तव्य और उस पर वृद्ध द्वारा दिए गए तर्क से यह प्रकट होता है कि सर्वथा उपेक्षित रूप में भूख-प्यास से जूझते हुए एकांकी वृद्ध की कोई रूचि युवक के तर्कों और गतिविधियों में नहीं है। वह वृद्ध अलगाव और निर्वासन जैसी स्थिति को भोगने के कारण रुक्षता पूर्वक युवक को चले जाने के लिए कह देता है, क्योंकि उसे लगता है कि विपन्नता और वार्धक्य से जुड़े उसके कष्टों को युवक नहीं समझ पाएगा।

वृद्धावस्था में आकर जहाँ व्यक्ति शारीरिक रूप से कमजोर हो जाता है वहीं असुरक्षा का भाव भी कुछ अधिक मन में गहराने लगता है, 'नीरा' कहानी का वृद्ध पात्र न केवल शारीरिक बल्कि आर्थिक रूप से भी असक्त और असहाय था लेकिन फिर भी जब कहानी का पात्र देवदास उनकी सहायता करने का आश्वासन देता है तो वृद्ध उस पर विश्वास नहीं कर पाता है और उसकी सहायता ठुकरा देता है-'क्षमा करना! मैं अविश्वासी हो गया हूँ न! क्यों, जानते हो? जब कुलियों के लिए इसी सीली, गन्दी और दुर्गन्धमयी भूमि में एक सहानुभूति उत्पन्न हुई थी, तब मुझे यह कटु अनुभव हुआ था कि वह सहानुभूति भी चिरायँध से खाली न थी। मुझे एक सहायक मिले थे और मैं यहाँ से थोड़ी दूर पर उनके घर रहने लगा था।...ठहर नीरा! हाँ तो महाशय जी, मैं उनके घर रहने लगा था। और उन्होंने मेरा आतिथ्य साधारणत: अच्छा ही किया। एक ऐसी ही काली रात थी। बिजली बादलों में चमक रही थी और मैं पेट भरकर उस ठण्डी रात में सुख की झपकी लेने लगा था। इस बात को बरसों हुए; तो भी मुझे ठीक स्मरण है कि मैं जैसे भयानक सपना देखता हुआ चौंक उठा। नीरा चिल्ला रही थी! क्यों नीरा ?... बूढ़े ने फिर कहना आरम्भ किया-हाँ तो नीरा चिल्ला रही थी। मैं उठकर देखता हूँ, तो मेरे वह परम सहायक महाशय इसी नीरा को दोनों हाथ से पकड़कर घसीट रहे थे और यह बेचारी छूटने का व्यर्थ प्रयत्न कर रही थी।' वृद्ध का अपने अतीत की घटनाओं और वर्तमान की परिस्थितियों के आपसी तालमेल एवं वर्तमान समाज के नागरिकों की बेरुखी वृद्ध के कथन में स्पष्ट दिखाई देती है।

जयशंकर प्रसाद ने प्रकृति के दुर्जेय रूप पर कामायनी में कहा है कि:-

प्रकृति रही दुर्जेय, पराजित हम सब थे भूले मद में।
भोले थे, हाँ तिरते केवल विलासिता के नद में।।

इस विचारधारा के प्रभाव को भारतीय संस्कृति तथा विश्व के अन्य सभ्यताओं व संस्कृतियों पर स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। कोविड काल या अन्य किसी आपदा के समय में हम सब प्रकृति के आगे असहाय ही रहे।

कामायनी में ही प्रसादजी कहते है-

यह नीड़ मनोहर कृतियों का विश्व कर्म रंगस्थल है
है परंपरा लग रही यहाँ ठहरा जिसमें जितना बल है।

इन पंक्तियों से स्पष्ट है कि इस दुनिया में वहीं टिकता है जो संघर्षशील होता है। उसका अस्तित्व में मौलिकता होती है। भारत की मौलिकता ही रही है यह देश सदियों से खड़ा है, जीवंत है।

निष्कर्षत: हम कह सकते हैं कि जयशंकर प्रसाद के

रचित साहित्य में भारत भाव समग्रता से विद्यमान रहा है। वे अपनी अद्‌भुत शैली से अपना भारत-भवन निर्मित करते हैं। यहीं कारण है कि प्रत्येक देशकाल व वातावरण में उनकी रचनाएँ प्रासंगिक हैं। अपनी प्रासंगिकता के कारण ही उनका साहित्य आज के दौर में भी अपनी सार्थकता का बोध कराती है और ऐतिहासिक, सांस्कृतिक रूप से भारत बोध कराती है। प्रसाद जी राष्ट्र की खोयी हुई चेतना को गौरवमय इतिहास की याद दिलाकर देश की परंपरा, सभ्यता और संस्कृति उसमें नवीन जीवन का संचार कराते है।

स्रोत: जयशंकर प्रसाद रचनावली

मुख्य प्रबंधक (राजभाषा)
पंजाब नैशनल बैंक, अंचल कार्यालय, पटना

कौन तुम मेरे हृदय में

-महादेवी वर्मा

कौन मेरी कसक में नित,
मधुरता भरता अलक्षित?
कौन प्यासे लोचनों में,
घुमड़ घिर झरता अपरिचित?

स्वर्ण-स्वप्नों का चितेरा,
नींद के सूने निलय में!
कौन तुम मेरे हृदय में?

अनुसरण नि:श्वास मेरे,
कर रहे किसका निरन्तर?
चूमने पदचिह्न किसके,
लौटते यह श्वास फिर फिर!

कौन बन्दी कर मुझे अब,
बँध गया अपनी विजय में?
कौन तुम मेरे हृदय में?

एक करूण अभाव में चिर-
तृप्ति का संसार संचित,
एक लघु क्षण दे रहा,
निर्वाण के वरदान शत शत!

पा लिया मैंने किसे इस,
वेदना के मधुर क्रय में?
कौन तुम मेरे हृदय में?

गूँजता उर में न जाने
दूर के संगीत सा क्या?
आज खो निज को मुझे,
खोया मिला, विपरीत सा क्या?

क्या नहा आई विरह-निशि,
मिलन-मधु-दिन के उदय में?
कौन तुम मेरे हृदय में?

तिमिर-पारावार में,
आलोक-प्रतिमा है अकम्पित,
आज ज्वाला से बरसता,
क्यों मधुर घनसार सुरभित?

सुन रहीं हूँ एक ही,
झंकार जीवन में, प्रलय में?
कौन तुम मेरे हृदय में?

मूक सुख दुख कर रहे,
मेरा नया शृंगार सा क्या?
झूम गर्वित स्वर्ग देता
नत धरा को प्यार सा क्या?

आज पुलकित सृष्टि क्या,
करने चली अभिसार लय में,
कौन तुम मेरे हृदय में?

हिंदी : स्वतंत्रता संग्राम की गति और शक्ति

-पंकज दीवान

1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सीमित संसाधनों, कम संख्या बल और नेतृत्व की क्षमता के अभाव में विफल हुआ। किंतु इस संग्राम ने ब्रिटिश इंडिया कंपनी की नींव को हिला कर रख दिया जिसके परिणामस्वरूप ब्रिटिश संसद ने अगस्त, 1858 ईस्ट इंडिया कंपनी से भारतीय उपमहाद्वीप का नियंत्रण ब्रिटिश राजशाही को हस्तांतरित करने का प्रस्ताव पारित किया। एक सदी से भी अधिक समय तक विश्व के कई उपमहाद्वीप पर ब्रिटिश शासन का नियंत्रण रहा और इसे विश्व की सबसे बड़ी सैन्य और आर्थिक महाशक्ति के रूप में जाना जाता था। धरती के एक तिहाई भूभाग पर ब्रिटिश साम्राज्य का आधिपत्य होने के कारण यह कहा जाता था कि 'ब्रिटिश साम्राज्य का सूर्य कभी अस्त नहीं होता'।

ब्रिटिश सरकार की दमनकारी नीतियों और अत्याचारों से संपूर्ण देश की जनता अत्यंत त्रस्त थी। इस विदेशी शासन काल में भारतीय अर्थव्यवस्था और लघु कुटीर उद्योगों की बहुत क्षति हुई। भारत में प्रचुर मात्रा में कच्चा माल और अन्य संसाधन उपलब्ध थे जिनका उपयोग ब्रिटेन को आर्थिक रूप से समृद्ध बनाने और वहाँ की प्रगति के लिए किया जा रहा था। इसके अतिरिक्त ब्रिटेन के शासकों ने भारत में अपने प्रभुत्व को स्थायित्व प्रदान करने के लिए 'फूट डालो और शासन करो' की नीति अपनाई तथा धर्म के आधार पर हिंदुओं और मुसलमानों के बीच खाई खोदने का काम किया। इसलिए देश को ब्रिटिश शासन की दासता से मुक्ति दिलाने के लिए अखिल भारत के जनमानस में राष्ट्रीय चेतना और राष्ट्र प्रेम जागृत करने के लिए एक संपर्क भाषा की आवश्यकता थी जिसकी पूर्ति हिंदी ने की। हिंदी दीर्घकाल से देश में जन-जन के मध्य संपर्क की भाषा रही है। केवल उत्तर भारत के आचार्यों ही नहीं बल्कि दक्षिण भारत के आचार्य वल्लभाचार्य, रामानुजाचार्य आदि ने अपने मतों का प्रचार इसी भाषा में किया। हिन्दीतर भाषी प्रांतों के संत कवियों जैसे असम के शंकरदेव, महाराष्ट्र के संत ज्ञानेश्वर, गुजरात के नरसी मेहता और बंगाल के चैतन्य महाप्रभु ने इसी भाषा को अपने धार्मिक साहित्य का माध्यम बनाया।

हिंदी पहले से ही भारत की सामासिक संस्कृति को अभिव्यक्त करने और राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता की परिचारिका की भूमिका का निर्वहन कर रही थी। इसलिए देश के स्वाधीनता संग्राम के अग्रणी हिन्दी भाषी और हिन्दीतर भाषी नेताओं ने प्रांतीय भावनाओं से ऊपर उठकर पूरे देश के जन-सामान्य में राष्ट्रीय चेतना और देश प्रेम की भावना का बीजारोपण करने के लिए हिंदी को एक मत से संपर्क भाषा के रूप में स्वीकार किया। हिन्दीतर भाषी नेताओं में महात्मा गाँधी, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, सुभाष चंद्र बोस, लाला लाजपत राय, केशव चंद्र सेन, बाल गंगाधर तिलक और सरदार गोविंद बल्लभ पटेल आदि तथा हिंदी भाषी नेताओं में गोविंद बल्लभ पंत, राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन, सेठ गोविन्द दास, डॉ. राजेंद्र प्रसाद आदि प्रमुख राष्ट्र नेता थे। वर्ष 1855 में कांग्रेस की स्थापना के पश्चात राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय गान और राष्ट्रभाषा के प्रति जनता का प्रेम बढ़ता गया।

सैद्धांतिक रूप से स्वतंत्रता आंदोलन अहिंसक आंदोलन था। जिसका मुख्य उद्देश्य भारतीय उपमहाद्वीप को विदेशी दासता से मुक्त करवाना था। इसलिए राष्ट्रीय नेताओं ने अहिंसक जन आंदोलनों, साहित्यकारों और पत्रकारों ने अपनी ओजपूर्ण और प्रखर वाणी के माध्यम से समग्र देश के विभिन्न भाषा भाषियों के हृदय में राष्ट्रीय चेतना का संचार किया जिसमें हिंदी भाषा की महत्त्वपूर्ण भूमिका रही।

महात्मा गाँधी राष्ट्र के लिए राष्ट्र भाषा को नितांत आवश्यक समझते थे। गाँधीजी हिंदी को स्वराज का प्रश्न मानते थे। उन्होंने कहा-'हिंदी स्वराज का प्रश्न है'। गाँधी जी

ने हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में सामने रखकर भाषा समस्या पर गंभीरतापूर्वक विचार किया। वर्ष 1918 में इंदौर में आयोजित हिंदी साहित्य सम्मेलन के अधिवेशन में सभापति के पद से भाषण देते हुए गाँधी जी ने हिंदी का समर्थन करते हुए कहा- 'मेरा यह है मत है कि हिंदी ही हिंदुस्तान की राष्ट्रभाषा हो सकती है और होनी चाहिए'।

इसी अधिवेशन में यह प्रस्ताव पारित किया गया कि प्रतिवर्ष 6 दक्षिण भारतीय युवकों को हिंदी सीखने के लिए प्रयाग बुलाया जाए और 6 उत्तर भारतीय युवाओं को दक्षिणी भाषा सीखने तथा हिंदी का प्रचार करने के लिए दक्षिण भारत भेजा जाए। दक्षिण में हिंदी के प्रचारक के रूप में गाँधी जी ने अपने सबसे छोटे पुत्र देवदास गाँधी को दक्षिण में मद्रास भेजा। गाँधी जी की प्रेरणा से ही मद्रास में वर्ष 1927 में तथा वर्ष 1936 में वर्धा में राष्ट्रभाषा प्रचार सभा स्थापित की गई। वर्ष 1925 में कांग्रेस के कानपुर के अधिवेशन में यह प्रस्ताव पारित किया गया कि कांग्रेस का, कांग्रेस की महासमिति का और कार्यकारिणी का कार्य सामान्य रूप से हिंदी में किया जाएगा। बंगाल के केशव चंद्र सेन ने अपने पत्र 'सुलभ समाचार' (बंगला) में हिंदी को भारत की एकमात्र भाषा बनाने का समर्थन किया।

उन्होंने कहा-'हम सबका प्राथमिक उद्देश्य अपनी बात को आखिरी व्यक्ति तक पहुँचाना है और इस देश में आखिरी व्यक्ति तक संदेश पहुँचाने का सरलतम मार्ग है 'हिंदी'। जैसे-जैसे स्वतंत्रता संग्राम तीव्रतर होता या वैसे-वैसे हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने का आंदोलन भी जोर पकड़ता गया। इस प्रकार से राष्ट्रीय चेतना के साथ हिंदी को जोड़ने का सार्थक प्रयास आरंभ हुआ। वर्ष 1927 में सी राजगोपालाचारी ने दक्षिण भारतीयों को हिंदी सीखने का परामर्श देते हुए कहा- 'हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा तो है ही, यही जनतांत्रिक भारत की राजभाषा भी होगी'। महाराष्ट्र के बाल गंगाधर तिलक जिन्हें लोकमान्य की उपाधि से सुशोभित किया गया था उन्होंने कहा- 'स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, जिसे मैं प्राप्त करके रहूँगा'। यह नारा देने वाले बाल गंगाधर तिलक ने राष्ट्रीय चेतना को प्रबल करने के लिए 1903 में 'हिंद केसरी' नामक पत्रिका का प्रकाशन किया और इस पर जोर दिया कि जनसाधारण तक अपने विचारों को पहुँचाने के लिए हिंदी सरल और सशक्त माध्यम है। उन्होंने अंग्रेजी के स्थान पर हिंदी में भाषण देने की परंपरा आरंभ की और अन्य नेताओं के समक्ष आदर्श प्रस्तुत किया। कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति श्री शारदा चरण मित्र ने वर्ष 1905 में लिपि विस्तार परिषद की स्थापना की और 1907 में 'देवनागर' नामक मासिक पत्र निकाला जिसमें तेलुगू, कन्नड़, बंगला आदि भाषाओं के समाचार देवनागरी लिपि में रूपांतरित करके प्रकाशित किए जाते थे। उनका यह प्रयास राष्ट्रवाद, नागरी लिपि तथा हिंदी भाषा के प्रचार-प्रसार में सहायक सिद्ध हुआ। देश के महान समाज सुधारकों और हिंदी स्वयं सेवी संस्थाओं का भी राष्ट्रीय जागरण और हिंदी के प्रचार-प्रसार में अपना अमूल्य योगदान रहा। ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राममोहन राय ने कहा- 'समग्र देश की एकता के लिए हिंदी अनिवार्य है'। आर्यसमाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती गुजराती थे। वे गुजराती और संस्कृत के अच्छे जानकार थे। उन्हें हिंदी का कम ज्ञान था। फिर भी उन्होंने देश की एकता मजबूत करने के लिए अपना सारा धार्मिक साहित्य हिंदी में लिखा। उन्होंने इस 'आर्य भाषा' को देश की उन्नति का मुख्य आधार माना। थियोसोफिकल सोसायटी की संचालिका एनी बेसेंट ने यह माना कि देश में हिंदी का प्रचार-प्रसार सबसे अधिक है। उन्होंने भारत के सभी विद्यालयों में हिंदी में शिक्षा देने की पैरवी की। इस प्रकार सभी समाज सुधारकों की यह सोच बन गई थी कि हिंदी राष्ट्रीय स्तर पर संवाद स्थापित करने के लिए आवश्यक है।

अब आगे इस तथ्य पर विचार करना भी आवश्यक है कि क्या कारण था कि प्राचीन काल में कई पाश्चात्य देशों के विद्वान, व्यवसायी और छात्र भारत में संस्कार, शिक्षा और धन अर्जित करने आया करते थे। उस समय भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। वस्तुतः अनेक राष्ट्रों के यात्री भारत की कीर्ति, अतुल पराक्रम और समृद्धि की गाथाएँ सुन-सुनकर यहाँ आते थे। भारत के निवासियों को भारत के स्वर्णिम अतीत, गौरवशाली संस्कृति, भारतीय चिंतन, श्रेष्ठ जीवन शैली, हमारी श्रेष्ठ परंपराओं, पराक्रमी वीरों की शौर्य पूर्ण गाथाओं से परिचित करवाने की आवश्यकता थी ताकि

उनमें राष्ट्रीय चेतना विकसित हो सके। जब समाज के लोग अपने गौरवशाली अतीत को विस्मृत कर देते हैं तब साहित्यकार ही उनका पथ-प्रदर्शन करते हैं। आजादी की तड़प और अभिलाषा की ध्वनि हिंदी साहित्य में भी परिलक्षित होती है। स्वाधीनता आंदोलन के लिए जनसामान्य को तैयार करने के लिए जिस प्रकार का संघर्ष राष्ट्रीय नेताओं ने किया उसी प्रकार से भारतवासियों में राष्ट्रीयता और देश प्रेम की भावना का बीजारोपण करने में भारत के महान साहित्यकारों और पत्रकारों का भी अप्रतिम योगदान रहा। उन्होंने अपनी प्रखर और ओजमयी वाणी से आम भारतीय जन और नवयुवकों की शिराओं में रक्त का संचार करते हुए उन्हें स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के लिए उद्वेलित किया। मैथिलीशरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद, मुंशी प्रेमचंद, माखनलाल चतुर्वेदी, बालकृष्ण शर्मा नवीन, सुभद्रा कुमारी चौहान, रामधारी सिंह दिनकर आदि ख्याति प्राप्त साहित्यकारों ने राष्ट्रीय जागरण और देश प्रेम की भावना को अपने गद्य लेखन और कविताओं में मुखरित किया। भारतेंदु हरिश्चंद्र के युग में ब्रिटिश शासन चरमोत्कर्ष पर था जिससे मुक्ति पाना उस समय कठिन प्रतीत होता था। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अपने नाटक 'अंधेर नगरी चौपट राजा' में ब्रिटिश शासन की निरंकुशता, विवेकहीनता और मूढ़ता पर करारा व्यंग्य किया। तत्कालीन शासन व्यवस्था के विरुद्ध आक्रोश और असंतोष भारतेंदु के साहित्य से उत्पन्न होना आरंभ हुआ। राष्ट्रकवि मैथिलीशरण गुप्त ने देशवासियों में राष्ट्रीय भावना उत्पन्न करने के लिए हिंदी भाषा को ही राष्ट्रभाषा बनाने का समर्थन किया। गुप्त जी ने भारतीय युवाओं को पराधीनता की बेड़ियों को काटने, राष्ट्रीय सरोकारों के प्रति उदासीनता और जड़ता का त्याग करने का संदेश दिया। परतंत्र व्यक्ति को मृत मानते हुए गुप्त जी ने उसकी भर्त्सना की ताकि वह राष्ट्रीय आंदोलनों में भाग लेने के लिए उद्यत हो सकें। गुप्त जी ने स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय रूप से भाग भी लिया। उनकी प्रमुख रचनाओं 'भारत भारती' 'स्वदेश संगीत' 'यशोधरा' 'विष्णु प्रिया' में भारत के स्वाभिमान, गौरवशाली अतीत के गुणगान और राष्ट्रीयता की विचारधारा को प्रमुखता दी गई है। उनकी 'भारत भारती' काव्य रचना पूरे देश में अति लोकप्रिय हुई। इसकी पंक्तियाँ जन आंदोलनों और ब्रिटिश शासन के विरुद्ध विरोध प्रदर्शनों में गायी जाती थी। 'भारत भारती' में उन्होंने भारत की शौर्य गाथा को इस प्रकार से दर्शाया गया है:-

थे कर्मवीर कि मृत्यु का भी ध्यान कुछ न धरते थे,
थे युद्धवीर कि काल से भी हम कभी डरते न थे।
थे दानवीर कि देह का भी लोभ हम करते न थे,
थे धर्मवीर कि प्राण के भी मोह पर मरते न थे।

भारतीय आत्मा के नाम से प्रख्यात माखनलाल चतुर्वेदी समसामयिक युगदृष्टा, स्वतंत्रता सेनानी और राष्ट्रीय काव्यधारा के प्रमुख कवि थे। उन्होंने अपने लेखन में देश प्रेम, राष्ट्रीयता की भावना, दमन का विरोध और ब्रिटिश शासन के विरुद्ध अपनी आवाज को बुलंद किया। देश के प्रति श्रद्धा, भारतवासियों को राष्ट्रीय जागरण का संदेश, विदेशी शासन के प्रति विद्रोह और बलिदान की भावना आदि को दर्शाने वाली उनकी कविताओं में राष्ट्रीयता के लगभग सभी प्रमुख तत्वों का समावेश मिलता है। राष्ट्रीय आंदोलनों में सक्रिय भाग लेने के कारण उन्हें जेल भी जाना पड़ा। बिलासपुर जेल में रचित अपनी कविता 'पुष्प की अभिलाषा' के माध्यम से उन्होंने पराक्रमी वीरों को सम्मान देते हुए कहा:-

मुझे तोड़ लेना वनमाली,
उस पथ पर देना तुम फेंक!
मातृभूमि पर शीश चढ़ाने,
जिस पथ पर जाते वीर अनेक!

अंग्रेजों की क्रूरता और अत्याचारों का निडरता से सामना करने प्रेरणा देते हुए वे कहते हैं:

''सूली का ही पथ सीखा हूँ,
सुविधा सदा बचाता आया,
मैं बलि पथ का अंगारा हूँ
जीवन-ज्वाल जलाता आया।''

जलियांवाला बाग में अंग्रेजों के नरसंहार से व्यथित होकर उन्होंने लिखा:-

''जाओ, जाओ, जाओ प्रभु को पहुँचाओ स्वदेश संदेश।
गोली से मारे जाते हैं भारतवासी हैं सर्वेश।''

मुंशी प्रेमचंद ने पूरे भारत में जन जागरण की ऐसी अलख जगाई कि जनता हुंकार उठी। प्रेमचंद की रचना 'सोजे वतन' पर अंग्रेज अधिकारियों ने कड़ी आपत्ति जताई और अंग्रेजी खुफिया विभाग उनके पीछे लगा रहा। किंतु प्रेमचंद

की लेखनी रुकी नहीं बल्कि और प्रखर होकर स्वतंत्रता आंदोलन में विस्फोटक का काम करती रही।

लब्ध प्रतिष्ठित बालकृष्ण शर्मा 'नवीन' की काव्य रचनाओं में राष्ट्रप्रेम और विद्रोह का स्वर प्रमुखता से आया है। राष्ट्रीय जन आंदोलनों में सक्रिय भागीदारी के कारण इन्हें कई बार जेल जाना पड़ा और इनके जीवन के 9 वर्ष कारागार में बीते। 'नवीन जी' अपनी ''अरे तुम हो काल के भी काल'' काव्य रचना में निर्भीकता से अत्याचार का सामना करने का संदेश देते हुए कहते है:-

क्या बिगड़ेगा तुम्हारा, यह क्षणिक आतंक?
क्या समझते हो कि होंगे नष्ट तुम अकलंक?
यह निपट आंतक भी है भीति-ओत-प्रोत!
और तुम? तुम हो चिरंतन अभयता के स्रोत!!
एक क्षण को भी न सोचो कि तुम होंगे नष्टय
तुम अनश्वर हो! तुम्हारा भाग्य है सुस्पष्ट!

'विप्लव गान' में उन्होंने अपनी भावनाओं को इस प्रकार से दर्शाया:-

कवि कुछ, ऐसी तान सुनाओ,
जिससे उथल-पुथल मच जाए,
एक हिलोर इधर से आए,
एक हिलोरे उधर को जाएँ,

क्रांतिकारी चिंतक राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर के साहित्य लेखन में आक्रोश और क्रांति की पदचाप स्पष्ट सुनाई देती है। इनकी काव्य रचनाओं ने स्वाधीनता संग्राम के आंदोलन को गति प्रदान की। उनका कहना था कि अन्याय के विरुद्ध विद्रोह धर्म है और राष्ट्रीय सरोकारों के प्रति मौन धारण करना अधर्म है। इनके काव्य में ओजस्विता, वीरता, ब्रिटिश साम्राज्य का विरोध और देशभक्ति की झलक मिलती है। इसी प्रकार के भाव इनकी काव्य रचना 'हुंकार' में दर्शाए गए है:-

दबी सी आग हूँ भीषण क्षुधा की,
दलित का मौन हाहाकार हूँ मैं,
सजग संसार, तू निज को संभाले,
प्रलय का क्षुब्ध पारावार हूँ मैं।

दिनकर जी की 'जीना हो तो मरने से नहीं डरो रे' कविता से हमें अडिग रहकर अत्याचार से जूझने की प्रेरणा मिलती है।

छोड़ो मत अपनी आन, सीस कट जाए,
मत झुको अनय पर भले व्योम फट जाए!!
दो बार नहीं यम कण्ठ धरता है,
मरता है जो, एक ही बार मरता है!!

इस प्रकार इन सब ख्याति प्राप्त रचनाकारों ने अपनी पीड़ा से परे पूरे देश की पीड़ा को अपनी रचनाओं में मुखर किया। इन सभी महान साहित्यकारों की रचनाएँ राष्ट्रीय जागरण और देश प्रेम से ओतप्रोत हैं।

राष्ट्रीय विचारधारा प्रस्फुटित करने और राष्ट्रीय आंदोलनों को गति, शक्ति और दिशा प्रदान करने के लिए हिंदी पत्रकारिता ने भी महत्त्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया। भारतेंदु हरिश्चंद्र के 'कवि वचन सुधा' 'हरिश्चंद्र मैगजीन' गणेश शंकर विद्यार्थी का 'आर्यभूमि' माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा संपादित' 'सरस्वती' गोरखपुर के 'स्वदेश', बनारस के शिवप्रसाद सितारे हिंद का 'बनारस अखबार' प्रेमचंद के 'हंस', 'सेनापति', 'हिंदू पंच', 'विशाल भारत' आदि हिंदी पत्र-पत्रिकाओं ने ब्रिटिश शासन पर तीखा प्रहार करते हुए सामान्य जन को स्वदेश प्रेम और राष्ट्रीय आंदोलनों में भाग लेने के लिए प्रेरित किया। हिंदी के चलचित्र जिनमें व्ही शांताराम का चलचित्र 'स्वराज तोरण' एवं स्वराज मोदी का 'सिकंदर' बहुत प्रसिद्ध हुए और भारतेंदु हरिश्चंद्र और अन्य महान साहित्यकारों द्वारा लिखित हिंदी नाटकों के पूरे देश में मंचन से राष्ट्रभाषा हिंदी और राष्ट्रप्रेम की भावना को बल मिला। उपर्युक्त के दृष्टिगत राष्ट्र नायकों, महान साहित्यकारों, ख्याति प्राप्त पत्रकारों की प्रखर वाणी के एक-एक शब्द ने अंग्रेजी शासन के विरुद्ध भारतीय जनमानस में विद्रोह की चिंगारी भरने और देशभक्ति की ज्वाला को प्रबल करने का काम किया।

इस प्रकार हम देखते हैं कि सत्याग्रह, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन के माध्यम से राष्ट्रीय विचारधारा एवं देश प्रेम की भावना जागृत करने वाले राष्ट्रीय नायकों, महान साहित्यकारों, पत्रकारों के अविस्मरणीय योगदान तथा जन सामान्य की स्वतंत्रता संग्राम में भागीदारी के फलस्वरुप करोड़ों भारतवासियों का स्वतंत्रता प्राप्ति का स्वप्न साकार हुआ। अंतत: अंग्रेजों को भारत छोड़ना पड़ा और 15 अगस्त, 1947 को देश स्वतंत्र हुआ। तत्पश्चात 14 सितंबर,

1949 को संविधान सभा द्वारा हिंदी को संघ की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया जाना देश के बहुमत की इच्छा को ही प्रतिध्वनित करता है। इस प्रकार जन-जन की भाषा हिंदी देश को ब्रिटिश हुकूमत की दासता से मुक्त करवाने का हेतु बनी।

नि:संदेह हिंदी ने स्वदेशी और स्वराज के नारे को बुलंद किया। सर्वत्र भारत में बोली और समझी जाने वाली हिंदी राष्ट्रीय चेतना और देश प्रेम की भी पहचान बन गयी। हिंदी के प्रचार-प्रसार द्वारा राष्ट्रीय एकता के साथ-साथ आमजन में राष्ट्रप्रेम और देशभक्ति की भावना प्रबल हुई।

आजादी के अमृत महोत्सव में हमारी भागीदारी तभी सार्थक सिद्ध होगी जब हम स्वाधीनता संग्राम में अपना बलिदान देने वाले क्रांतिकारी शहीदों, राष्ट्र नायकों, महान साहित्यकारों और पत्रकारों के प्रति शुद्ध अंत:करण से अपनी कृतज्ञता प्रकट करेंगे। इसके साथ-साथ हमें माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के 'आत्मनिर्भर भारत' और 'स्वदेशी के लिए मुखर हो' के आह्वान से प्रेरणा लेकर हिंदी प्रचार-प्रसार के राष्ट्रीय महत्त्व के कार्य को संवैधानिक अनिवार्यता के साथ-साथ अपना राष्ट्रीय और नैतिक दायित्व समझ कर कार्यान्वित करना होगा।

मानद निदेशक
केंद्रीय सचिवालय हिंदी परिषद

जो बीत गयी

-हरिवंश राय बच्चन

जो बीत गई सो बात गई
जीवन में एक सितारा था
माना वह बेहद प्यारा था,
वह डूब गया तो डूब गया
अम्बर के आनन को देखो
कितने इसके तारे टूटे
कितने इसके प्यारे छूटे
जो छूट गए फिर कहाँ मिले
पर बोलो टूटे तारों पर
कब अम्बर शोक मनाता है
जो बीत गई सो बात गई
जीवन में वह था एक कुसुम
थे उस पर नित्य निछावर तुम
वह सूख गया तो सूख गया
मधुवन की छाती को देखो
सूखी कितनी इसकी कलियाँ
मुर्झाई कितनी वल्लरियाँ
जो मुर्झाई फिर कहाँ खिली
पर बोलो सूखे फूलों पर
कब मधुवन शोर मचाता है
जो बीत गई सो बात गई
जीवन में मधु का प्याला था
तुमने तन मन दे डाला था
वह टूट गया तो टूट गया
मदिरालय का आँगन देखो
कितने प्याले हिल जाते हैं
गिर मिट्टी में मिल जाते हैं
जो गिरते हैं कब उठतें हैं
पर बोलो टूटे प्यालों पर
कब मदिरालय पछताता है
जो बीत गई सो बात गई
मृदु मिट्टी के हैं बने हुए
मधु घट फूटा ही करते हैं
लघु जीवन लेकर आए हैं
प्याले टूटा ही करते हैं
फिर भी मदिरालय के अन्दर
मधु के घट हैं मधु प्याले हैं
जो मादकता के मारे हैं
वे मधु लूटा ही करते हैं
वह कच्चा पीने वाला है
जिसकी ममता घट प्यालों पर
जो सच्चे मधु से जला हुआ
कब रोता है चिल्लाता है
जो बीत गई सो बात गई।।

भाषाओं को भी प्रभावित करेगी कृत्रिम बुद्धिमत्ता

-बालेन्दु शर्मा दाधीच

आज कृत्रिम बुद्धिमत्ता जीवन के हर पहलू को प्रभावित कर रही है और ऐसा माना जा रहा है कि अगले एकाध दशक में कृत्रिम बुद्धिमत्ता की बदौलत हमारी दुनिया का कायाकल्प होने वाला है। हिंदी सहित हमारी भाषाएँ भी इस बदलाव से अछूती नहीं रहने वाली हैं और न ही उन्हें इससे अप्रभावित रहना चाहिए। जो भाषाएँ बदलते युग के साथ तालमेल बिठाकर नहीं चल पातीं उनके स्थायी अस्तित्व की गारंटी नहीं ली जा सकती। वैसे ही, जैसे अपने दौर के विकास, बदलाव, नवाचार आदि से अछूते रह जाने वाले समाज न सिर्फ प्रगति की दौड़ में पिछड़ जाते हैं बल्कि धीरे-धीरे अपनी प्रासंगिकता खो बैठते हैं। अफगानिस्तान, इराक, सीरिया, उत्तर कोरिया और पाकिस्तान जैसे देशों के उदाहरण आपके सामने हैं। विज्ञान, प्रौद्योगिकी, बाजार और बदलाव एक वास्तविकता है। उनका प्रतिरोध करने में कोई लाभ नहीं। हाँ, उनके साथ आने में हम सबका लाभ है, हमारी भाषाओं का भी।

कृत्रिम बुद्धिमत्ता की अथाह शक्ति के अनगिनत उदाहरण हमारे सामने हैं। इस शक्ति के बारे में सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह की चर्चाएँ हैं। एक तबके को लगता है कि यह मानव सभ्यता के भविष्य के लिए संकट खड़ा कर देगी इसलिए इससे बचना श्रेयस्कर है। दूसरे तबके को लगता है कि यह हमारी तरक्की के ऐसे नए रास्ते खोलने वाली है जिनकी अब तक हमने कल्पना भी नहीं की, इसलिए इसका अधिकतम दोहन किया जाना चाहिए। मुझे लगता है कि सही रास्ता दोनों के बीच से आता है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता को तय सीमाओं के भीतर, जिम्मेदारी के साथ इस्तेमाल किया जाए तो वह मानव सभ्यता की प्रगति का सबसे शक्तिशाली माध्यम बन सकती है।

यह प्रश्न स्वाभाविक रूप से उठता है कि हिंदी भाषा के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता की क्या प्रासंगिकता है और वह इस भाषा के भविष्य को किस तरह प्रभावित कर सकती है?

इसका उत्तर समझने के लिए हमें हिंदी की वर्तमान चुनौतियों, अवसरों तथा कृत्रिम बुद्धिमत्ता में निहित शक्तियों पर विचार करने की आवश्यकता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अर्थ तकनीक की उस शक्ति से है जिसका प्रयोग करते हुए वह इंसानों की ही तरह (किंतु उनकी तुलना में बहुत बड़े पैमाने पर) सीख सकती है, विशाल स्तर पर आंकड़ों का विश्लेषण कर सकती है, चीजों पर निगरानी (ऑब्जर्वेशन) कर सकती है, भिन्न-भिन्न परिस्थितियों का मंथन कर सकती है, अपनी क्षमताओं में वृद्धि कर सकती है, निर्णय ले सकती है और परिणाम दे सकती है। यह सामान्य प्रौद्योगिकी से अलग है जो पहले से निर्धारित काम करती है, अपनी सीमाओं में रहती है और पहले से दिए गए निर्देशों (प्रोग्रामिंग) के आधार पर परिणाम देती है। वह स्वयं को बदलती नहीं है और स्वयं को निरंतर बेहतर बनाने में सक्षम नहीं है।

कृत्रिम बुद्धिमत्ता हिंदी के स्थायी भविष्य को सुनिश्चित कर सकती है। यूनेस्को ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा था कि दुनिया की 7200 भाषाओं में से लगभग आधी इस शताब्दी के अंत तक विलुप्त हो जाएँगी। अगर हम हिंदी को विलुप्त होने वाली इन भाषाओं की सूची में नहीं देखना चाहते तो हमें कृत्रिम मेधा को खुले दिल से अपनाना चाहिए। वजह यह कि यह प्रौद्योगिकी भाषाओं के बीच दूरियाँ समाप्त करने में सक्षम है। आज हम अंग्रेजी की प्रधानता से त्रस्त हैं और कृत्रिम मेधा तथा दूसरी आधुनिक प्रौद्योगिकियाँ अंग्रेजी के दबदबे से मुक्त होने में हमारी मदद कर सकती हैं। जो लोग यह सोचते हैं कि हिंदी जैसी गैर-पश्चिमी भाषाएँ अगले कुछ दशकों में प्राकृत और पालि की स्थिति में आ सकती हैं, उन्होंने संभवतः इस पहलू पर विचार नहीं किया कि जहाँ

इन भाषाओं के सामने कई दिशाओं से ढेरों चुनौतियाँ आ रही हैं, वहीं प्रौद्योगिकी भाषाओं के बीच दूरियों को पाटने में लगी है।

जिस अविश्वसनीय और चमत्कारिक अंदाज में कृत्रिम बुद्धिमत्ता चीजों को बदल रही है, उसे देखते हुए अगले एक-दो दशकों में हम भाषा-निरपेक्ष विश्व की ओर बढ़ सकते हैं। ऐसा विश्व जिसमें हिंदी जैसी भाषाएँ बोलने-लिखने वाला व्यक्ति अवसरों से वंचित न हो क्योंकि प्रौद्योगिकी एक भाषा से दूसरी भाषा में अनुवाद को इतना सटीक, सहज, सरल तथा सार्वत्रिक बना सकती है कि आप अंग्रेजी की सामग्री को हिंदी में पढ़ सकेंगे और हिंदी की सामग्री को अंग्रेजी में।

कृत्रिम बुद्धिमत्ता का दूसरा बड़ा प्रभाव होगा अन्य प्रमुख भाषाओं के साथ हिंदी के गहरे संबंधों का विकसित होना। प्रेमचंद, रवींद्रनाथ ठाकुर, सुब्रमण्य भारती, रामधारी सिंह दिनकर, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी 'निराला', महादेवी वर्मा के साहित्य से लेकर रामायण, महाभारत, श्रीमद्भग्वद्गीता, वेद, पुराण, उपनिषद् जैसे ग्रंथ, आयुर्वेद-योग जैसी ज्ञान संपदा, हमारी पत्रकारिता और विश्वविद्यालयों के शोध आदि दुनिया भर में गैर-हिंदी पाठकों तक पहुँच सकते हैं। यह हमारी साहित्यिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक तथा शैक्षणिक संपदा को वैश्विक पहचान दिलाने में योगदान देगा। इतना ही नहीं, बल्कि इससे कहीं अधिक आवश्यक है विश्व के ज्ञान, शोध, साहित्य का हिंदी भाषी लोगों तक पहुँचना। हिंदी में विज्ञान, तकनीक, चिकित्सा, अर्थव्यवस्था आदि विषयों पर विश्व-स्तरीय सामग्री की कमी है।

हिंदी में शिक्षण सामग्री तैयार करना आसान तथा तेज हो जाएगा। आज केंद्र सरकार तथा कुछ राज्य सरकारों के निर्देश पर हिंदी में पाठ्य-सामग्री तैयार करने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता का प्रयोग होने लगा है। यह प्रक्रिया निरंतर सटीक और तीव्र होती चली जाएगी। अंग्रेजी-फ्रेंच या जर्मन की किताबों को स्कैन करके चंद मिनटों में सीधे हिंदी में अनुवाद करना संभव हो गया है। कल्पना कीजिए कि हम हिंदी में जिन विषयों में अच्छी सामग्री की कमी से परेशान रहे हैं, उन विषयों में अचानक ही दर्जनों या सैंकड़ों पुस्तकें उपलब्ध हो जाएँ। हिंदी में पारंपरिक ज्ञान का दस्तावेजीकरण आसान हो जाएगा। वाचिक ज्ञान को डिजिटल स्वरूपों में सहेजा जा सकेगा। हिंदी भाषी लोग वैश्विक संस्थानों में पढ़ सकेंगे, भाषाओं की सीमाओं से मुक्त रहते हुए कौशल प्राप्त कर सकेंगे और विश्व को अपनी सेवाएँ दे सकेंगे। ऐसी अकल्पनीय घटनाएँ आने वाले वर्षों में सामान्य परिपाटी बन सकती हैं, यदि हमारी भाषा अपने दौर के इन आधुनिक अनुप्रयोगों को आशंका, उपेक्षा या घृणा की दृष्टि से न देखे बल्कि उनके प्रति खुला दृष्टिकोण रखे।

हिंदी में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के क्षेत्र में महत्त्वपूर्ण कार्य घटित हो रहा है। ध्वनि प्रसंस्करण की बदौलत वाक् से पाठ और पाठ से वाक् (स्पीच टु टेक्स्ट) प्रौद्योगिकी उपलब्ध हो गई है। कंप्यूटर विजन के कारण हिंदी के दस्तावेजों को स्कैन करके उनके पाठ को कंप्यूटर में टाइप किए गए पाठ के रूप में सहेजना संभव हो गया है। डेढ़ सौ से अधिक वैश्विक भाषाओं और बीस से अधिक भारतीय भाषाओं के साथ हिंदी के पाठ का दोतरफा अनुवाद संभव है। अलेक्सा, कोर्टाना, सिरी और गूगल असिस्टेंट जैसे डिजिटल सहायकों के साथ या तो हिंदी में संवाद करना संभव है या इंटरनेट सर्च तथा अनुवाद आदि के लिए उनकी मदद ली जा सकती है। माइक्रोसॉफ्ट और गूगल जैसी कंपनियों की एपीआई का प्रयोग करके हिंदी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से युक्त एप्लीकेशन बनाना संभव हो गया है। बात चैटजीपीटी तक जा पहुँची है जो ऐसी कृत्रिम मेधा है जिसके साथ संवाद किया जा सकता है और अपने प्रश्नों के उत्तर प्राप्त किए जा सकते हैं।

हिंदी समाज में इस तरह की तकनीकी उपलब्धियों को गिनाने और उन पर प्रसन्न होने की प्रवृत्ति दिखाई देती है। इससे लोगों में कौतूहल तो अवश्य पैदा हो सकता है और नए घटनाक्रमों के बारे में उनकी जानकारी भी बढ़ती है, लेकिन हिंदी, अन्य भारतीय भाषाओं या भारतीय समाज की प्रगति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यह प्रभाव तब पड़ेगा जब हम इन उपलब्धियों की जानकारी देने से आगे बढ़ेंगे और इनमें कौशल प्राप्त करेंगे। हम कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर आधारित सुविधाओं के कुशल प्रयोक्ता तो बनेंगे ही, उनके विशेषज्ञ, शोधकर्ता और विकासकर्ता (डेवलपर) बनने की तरफ आगे बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि भारत दुनिया में कृत्रिम बुद्धिमत्ता का केंद्र (ग्लोबल हब ऑफ आर्टिफिशियल

इंटेलिजेंस) बनने की क्षमता रखता है। हिंदी तथा अन्य भारतीय भाषाएँ बोलने वाले हम लोग यह सपना सच करने में मदद कर सकते हैं। सूचना प्रौद्योगिकी भारत के लिए एक नया अवसर लेकर आई है। उस देश के लिए, जिसकी 65 प्रतिशत आबादी युवाओं की है। ऐसे युवा, जिनके लिए प्रौद्योगिकी कोई पहेली नहीं है बल्कि उनकी जीवनशैली का हिस्सा है और जो सीखने-सिखाने तथा परिणाम देने की उम्र में हैं। शर्त यह है कि हम उन्हें ऐसा पारिस्थितिकी तंत्र प्रदान करें जिसमें वे अपनी ही भाषा में कृत्रिम मेधा, डेटा विश्लेषिकी, क्लाउड कंप्यूटिंग तथा इसी तरह के विज्ञान-तकनीक आधारित विषयों में कौशल तथा विशेषज्ञता हासिल कर सकें।

अगर हम ठोस तकनीकी प्रवीणता की ओर बढ़ते हैं तो कृत्रिम बुद्धिमत्ता हमें अब तक की सीमाओं, वैश्विक व भाषायी असमानताओं आदि से मुक्त होकर विकास की नई दौड़ में बढ़त लेने का मौका दे सकती है। वैसे ही, जैसे विनिर्माण (मैन्युफैक्चरिंग) ने चीन की सूरत बदल दी, कृत्रिम बुद्धिमत्ता हमारी शक्ल बदलने में सक्षम है। वह यकीनन दुनिया के भविष्य को प्रभावित करेगी।

(लेखक माइक्रोसॉफ्ट में निदेशक-भारतीय भाषाएँ और सुगम्यता के पद पर कार्यरत हैं)।

अरुण यह मधुमय देश हमारा

-जयशंकर प्रसाद

अरुण यह मधुमय देश हमारा
जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा।

सरस तामरस गर्भ विभा पर, नाच रही तरुशिखा मनोहर लहरें
छिटका जीवन हरियाली पर, मंगल कुंकुम सारा।।

लघु सुरधनु से पंख पसारे शीतल मलय समीर सहारे।
उड़ते खग जिस ओर मुँह किए-समझ नीड़ निज प्यारा।।

बरसाती आँखों के बादल, बनते जहाँ भरे करुणा जल।
लहरें टकरातीं अनंत की, पाकर जहाँ किनारा।।

हेम कुंभ ले उषा सवेरे, भरती ढुलकाती सुख मेरे।
मंदिर ऊँघते रहते जब, जगकर रजनी-भर तारा।।

हिंदी जैसा बनना

-अलका सिन्हा

लोगों ने कहा कितना कुछ है
हमने भी सुना कितना कुछ है
कहते-सुनते हम रहे सदा
कहने-सुनने में फर्क बड़ा।

है इसीलिए आग्रह रहता
हिंदी भाषा में कहो जरा
इससे न कहीं भी भ्रम होगा
और न्याय सभी के संग होगा।

हिंदी में अक्षर साफ सभी
बिंदी की भी है जगह बड़ी
कोई अक्षर खामोश नहीं
अनदेखा जो कर पाओ कहीं।

कैपिटल-स्मॉल का भेद नहीं
आधे अक्षर से खेद नहीं
आधा भी जाता नहीं व्यर्थ
मिलकर देता है पूर्ण अर्थ।

मैं इसीलिए सबसे कहती
हिंदी सबके संग मिल रहती
जो साफ-साफ सोचोगे गर
बोलेंगे उसको साफ अधर।

इसकी-उसकी सबकी सुनना
अपना सपना पर खुद चुनना
कथनी-करनी में भेद नहीं
जो कहा उसे पूरा करना।

मौलिक रहना, खुद-सा दिखना
अपनी भाषा, अपना गहना
तुम पाक-साफ गढ़ना चरित्र
हिंदी जैसा बनना ओ मित्र!

वरिष्ठ साहित्यकार एवं कवयित्री

यही इन्कलाब है

(कलम को हथियार बनाकर लिखने वाले महानायक रामवृक्ष बेनीपुरी के जीवन के कुछ प्रेरक प्रसंग)

-अलका सिन्हा

एक समय था जब देशभक्ति में राजनीति नहीं होती थी जबकि राजनीति में होने का अर्थ अनिवार्यत: देशभक्ति होता था। कम ही लोग जानते हैं कि बिहार के मुजफ्फरपुर में जन्मे सुप्रसिद्ध साहित्यकार रामवृक्ष बेनीपुरी का स्वतंत्रता आंदोलन में कितना महत्त्वपूर्ण योगदान था। उन्हें बतौर लेखक, साहित्यकार तो हमने जाना है, पर कितनों को पता है कि स्वतंत्रता आंदोलन में उनकी भूमिका कितनी अहम थी। बेनीपुरी जी छोटी उम्र से ही पत्र-पत्रिकाओं में लिखने लगे थे। बाद में वे पत्रकारिता में आ गए और इन्होंने 'तरुण भारत', 'किसान मित्र', 'बालक', 'युवक', 'कैदी', 'कर्मवीर', 'जनता', 'तफूान', 'हिमालय' और 'नई धारा' नामक पत्र-पत्रिकाओं का संपादन किया। बेनीपुरी जी की साहित्यिक रचनाओं की संख्या सौ के करीब है, जिनमें से अधिकतर रचनाएँ 'बेनीपुरी ग्रंथावली' नाम से प्रकाशित हो चुकी हैं। उनकी कृतियों में से 'गेहूँ और गुलाब' 'निबन्ध और रेखाचित्र', 'वन्दे वाणी विनायकौ' (ललित गद्य), 'पतितों के देश में' (उपन्यास), 'चिता के फूल' (कहानी संग्रह), 'माटी की मूरतें' (रेखाचित्र), 'आम्रपाली' (नाटक) विशेष रूप से प्रसिद्ध हैं।

बेनीपुरी जी की कलम की तेज धार को लक्ष्य कर दिनकर जी ने एक बार कहा था कि पंडित जी (रामवृक्ष बेनीपुरी) के भीतर केवल वही आग नहीं थी जो कलम से निकल कर साहित्य बन जाती है, वे उस आग के भी धनी थे जो राजनीतिक और सामाजिक आंदोलनों को जन्म देती है, जो परंपराओं को तोड़ती है और मूल्यों पर प्रहार करती है, जो चिंतन को निर्भीकता एवं कर्म को गतिशीलता देती है। बेनीपुरी जी के भीतर निरंतर एक तरह की बेचैनी बनी रहती थी जो उन्हें एक बेहतर कवि, चिंतक, क्रान्तिकारी और निर्भीक योद्धा बनाती थी।

उनकी आत्मा में देशभक्ति का लहू दौड़ता था। उनकी लेखनी, उनकी वाणी में सरस्वती का वास था तो इसलिए कि वे एक निश्छल आत्मा थे। उनके व्यक्तित्व में ऐसी चमक थी जो उन्हें भीड़ से अलग खड़ा करती थी। जो उन्हें सुनता था, उनका मुरीद हो जाता था। स्वतंत्रता के पचहत्तर वर्ष पूरे होने पर जब हम

अपने महानायकों को याद कर रहे हैं तो बहुत जरूरी है कि उस लेखक को भी याद करें जो अपनी कलम से तलवार का काम लिया करता था। अपने क्रांतिकारी स्वर के कारण जिसे बार-बार कारावास भोगना पड़ा मगर स्वतंत्रता की ललक ऐसी थी जो घटने के बदले निरंतर परवान चढ़ती गई। आज भले ही देश का युवा नौकरी पाने के लिए देश छोड़ कर जा रहा है मगर एक समय वह भी था जब युवा अपने देश के लिए नौकरी छोड़ देते थे।

1920 की बात है, बेनीपुरी जी ने तब मैट्रिक की परीक्षा भी पास न की थी कि वे गाँधी जी के असहयोग आंदोलन में कूद पड़े। इस क्रम में उन्हें कई बार जेल भी जाना पड़ा मगर जज्बा देखिए कि हताश होने के बदले, वे जेल के भीतर भी पत्रकारिता और साहित्य साधना में जुटे रहे और नित नए लेखन से इस आंदोलन को तेज करते रहे। उल्लेखनीय है कि उनकी अधिकतर रचनाएँ जेल के भीतर लिखी गई हैं। कारावास के अनुभवों को ठीक से जानना है तो 'जंजीरें और दीवारें' नाम से प्रकाशित उनकी आत्मकथा को पढ़ना जरूरी है। जेल के ही अनुभवों को आधार बना कर लिखा गया उनका उपन्यास 'पतितों के देश में' भी बेहद चर्चित रहा। रेखाचित्र 'माटी की मूरतें' भी हिंदी साहित्य की बहुमूल्य कृति बनी तो 'आम्रपाली' उपन्यास का तो हर शब्द जीवंत था। इसके हर शब्द से देशभक्ति की धार बहती थी

जो लोगों की रगों में लहू बनकर दौड़ने लगा था। उनकी अनेक रचनायें पाठकों को भाव विभोर कर जाती थीं, जिनमें 'जय प्रकाश', 'नेत्रदान', 'सीता की माँ', 'विजेता', 'मील के पत्थर', 'गेहूँ और गुलाब' शामिल हैं।

बेनीपुरी जी ने अपने लेखकीय जीवन का प्रारंभ कवि के रूप में किया था मगर स्वतंत्रता आंदोलन की सक्रियता ने इस सुकोमल कवि को प्रखर पत्रकार और गद्यकार में बदल दिया। जब भगत सिंह को फांसी हुई तब 'इन्कलाब, जिंदाबाद' शीर्षक से एक लेख प्रकाशित हुआ जो 'गेहूँ और गुलाब' में संकलित है। इस लेख ने लोगों में जोश भर दिया। लोग वतन पर मर-मिटने को आतुर हो उठे। ब्रिटिश हुकूमत ने इस लेख को आधार बना कर बेनीपुरी जी पर लोगों को बरगलाने और उकसाने का केस चला दिया।

बेनीपुरी जी कटघरे में खड़े थे।

'इन्कलाब का मतलब क्या होता है?' ब्रिटिश जज ने पूछा।

बलदेव प्रसाद, जो बेनीपुरी जी का केस लड़ रहे थे, उन्होंने जज की ओर देखकर कहा, 'आज आप ब्रिटिश हुकूमत की तरफ से यहाँ बैठे हैं, आपके पीछे क्वीन विक्टोरिया की तस्वीर लगी है और यह (बेनीपुरी) मुजरिम कटघरे में खड़ा है। कल सत्ता बदलेगी, पीछे क्वीन विक्टोरिया के बदले गाँधी जी की तस्वीर होगी और आपकी कुर्सी पर कोई टोपीधारी हिंदुस्तानी जज होगा मगर इस कटघरे में तब भी यही आदमी होगा और आम आदमी के हक के लिए लड़ रहा होगा... यही इन्कलाब है!!'

बलदेव प्रसाद के तर्क से जज साहब नर्म तो पड़े, फिर भी, बेनीपुरी जी को तीन साल के लिए हजारीबाग जेल में नजरबंद कर दिया गया। इस एकाकीपन में बेनीपुरी जी के भीतर का सुकोमल कवि फिर जाग्रत हुआ और उन्होंने अंग्रेजी, उर्दू, फारसी, बंगला पढ़ना-लिखना सीखा और इसी क्रम में टैगोर, कीट्स, शैली, वर्ड्सवर्थ, जोश और इकबाल की कविताओं का हिंदी अनुवाद किया। 1942 में कारावास में रहते हुए उन्होंने टैगोर की कविताओं का बेहतरीन अनुवाद किया जो आज भी साहित्य की धरोहर है।

संवेदनशील लेखक होने के साथ-साथ वे प्रखर पत्रकार-संपादक भी थे। उन दिनों 'जनता' नामक अखबार निकाला जाता था। उस अखबार के माध्यम से उन्होंने कई ओजपूर्ण रचनाएँ प्रकाशित कीं और जनता के बीच स्वतंत्रता का आह्वान किया। जयप्रकाश नारायण और दिनकर जी की लोकप्रियता का श्रेय बेनीपुरी जी को भी दिया जाता है। मगर बेनीपुरी जी का यह कहना था कि उनके भीतर स्वत: वह चिनगारी थी जिसे रोकना नामुमकिन था। उन्होंने तो उस चिनगारी को हवा भर दिया था। इसी से संबंधित एक घटना है...।

बेनीपुरी जी आम आदमी की आवाज बनकर सत्ता पर प्रहार कर रहे थे। उनके स्वर को दबाने के प्रयास में उन्हें हजारीबाग जेल में कैद कर दिया गया था। वहीं उन्हें पता चला कि दिनकर जी तत्कालीन सरकार के लिए 'प्रोपेगंडा गीत' लिखने लगे हैं। यह बात बेनीपुरी जी को बेहद नागवार गुजरी। जब बेनीपुरी जी जेल से छूटकर लौटे तब उनके घर पर आम जनता और समाज सुधारकों का जमघट लगा था। दिनकर जी भी उनसे मिलने उनके घर पहुँचे मगर बेनीपुरी जी ने उनकी तरफ आँख उठाकर भी नहीं देखा। जब सभी लोग लौट गए तब बेनीपुरी जी दिनकर जी के नजदीक आए और आहत होकर उलाहना दिया कि तुम तो क्रांतिकारी गीत के रचयिता हो, ये सब क्या लिखने लगे? इस पर दिनकर जी ने क्षमा मांगते हुए पूछा कि वे इसका प्रायश्चित किस प्रकार कर सकते हैं? बेनीपुरी जी बहुत गुस्से में थे। उन्होंने कह दिया कि अगर दिनकर जी पीपल के सूखे वृक्ष के साथ आत्मदाह भी कर लें, तो भी इसका प्रायश्चित नहीं हो सकेगा। इतना सुनना था कि दिनकर जी वहां से उठे और ऊपर की सीढ़ियों से छत पर जा पहुँचे। किसी अनहोनी की आशंका से बेनीपुरी जी और गंगाशरण सिंह जी भी उनके पीछे लपके। दिनकर जी छत की मुंडेर से कूदने को तैयार थे कि इन दोनों ने दिनकर जी को अपनी तरफ खींच लिया। यह सब देख कर बेनीपुरी जी का गुस्सा तो खैर उतर ही चुका था बल्कि मन द्रवित हो आया। उन्होंने दिनकर जो को कलेजे से लगाते हुए अनुरोध किया कि दिनकर जी जयप्रकाश नारायण बाबू के सम्मान में ऐसा गीत लिखें जिसे उनके लाहौर जेल से छूटकर आने पर गाया जाए। बेनीपुरी जी ने आश्वासन दिया कि उसी गीत से कार्यक्रम का प्रारंभ किया जाएगा और यही दिनकर जी का प्रायश्चित भी होगा।

देश की आजादी और उसके उत्थान को लेकर बेनीपुरी

जी की विचारधारा एकदम स्पष्ट थी। उसे लेकर किसी तरह का समझौता उन्हें गवारा न था। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी उन्होंने देश के विकास के लिए अपने प्रयासों में किसी तरह की ढील न आने दी। स्वतंत्रता के बाद की एक घटना है। देश का विभाजन हो चुका था और जवाहर लाल नेहरू जी अपने सिपहसलारों के साथ स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बन चुके थे। उनको देखने के लिए हवाई अड्डे पर लोगों की होड़ लगी थी। उसी गहमागहमी में बेनीपुरी जी भी एक कोने में खड़े हो गए और अपनी बारी की प्रतीक्षा करने लगे कि नेहरू जी की निगाह उन पर पड़ी। स्वतंत्रता आंदोलन में इन दोनों ने एक साथ बहुत काम किया था। नेहरू जी के मन में बेनीपुरी जी के लिए बहुत सम्मान था, वे लपक कर बेनीपुरी जी के पास आए और उनसे मुलाकात की। बेनीपुरी जी ने बताया कि कल पटना साहित्य सम्मेलन की मीटिंग है और उनका नेहरू जी से आग्रह था कि वे इस मीटिंग में शिरकत करें। अगले दिन तमाम व्यस्तताओं के बावजूद नेहरू जी वहाँ पहुँचे। बेनीपुरी जी ने मंच से उनका स्वागत करते हुए कहा, 'देश आजाद हो गया, हमारा आंदोलन सफल हुआ। देश को प्रधानमंत्री के रूप में आप मिले। अब और क्या चाहिए? अब कृपया हमारे नेता हमें लौटा दीजिए जो अभी भी जेल में बंद हैं।'

नेहरू जी समझ गए कि उनका इशारा जयप्रकाश नारायण और अच्युत पटवर्धन की तरफ है। ये दोनों नेता अभी तक लाहौर की जेल में बंद थे। उन्होंने बेनीपुरी जी से माइक ले लिया और उद्घोषणा की, 'मैं वचन देता हूँ कि सप्ताह भर के अंदर दोनों नेता आपके पास होंगे।' और नेहरू जी ने अपना वचन निभाया भी। ऐसी कई घटनाएँ हैं जो बेनीपुरी जी के अगाध देशप्रेम और उनके नेतृत्व कौशल की साक्ष्य हैं।

यहाँ यह बताना प्रासंगिक होगा कि जयप्रकाश नारायण जी जब लाहौर जेल से छूटकर वापस आए तब पटना के गाँधी मैदान में उनका भव्य स्वागत किया गया और जैसा कि तय हुआ था इस कार्यक्रम का शुभारंभ दिनकर जी के उस विशेष गीत से किया गया जो उन्होंने जयप्रकाश बाबू के स्वागत में लिखा था।

1968 में बेनीपुरी जी इस संसार से विदा हो गए। वे जीवनपर्यंत देश के लिए समर्पित रहे। 1974 में जब जयप्रकाश बाबू ने संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया, तब बुझे मन से यह कहा कि आज उन्हें बेनीपुरी जी की कमी बहुत खल रही है। बेनीपुरी जी के जाने से साहित्य और समाज में जो शून्य पैदा हुआ है, उसे कभी भी भरा नहीं जा सकता है। उनके बारे में दिनकर जी ने लिखा था, 'नाम का दिनकर मैं था, पर असली सूर्य बेनीपुरी थे। यदि बेनीपुरी नहीं होते तो दिनकर भी नहीं होता।'

बेनीपुरी जी की मृत्यु पर शोक संतप्त दिनकर जी ने अपनी वेदना इन शब्दों में व्यक्त की।

जीवन ऊपर-ऊपर आनंद भोगता,
गहरी व्यथा केवल मृत्यु जगाती है।
बच्चन के साथ मैं हँसता-खेलता हूँ,
याद मुझे बेनीपुरी की आती है।

(संदर्भ : रामवृक्ष बेनीपुरी जी के पौत्र श्री रतन कुमार बेनीपुरी से हुई बातचीत पर आधारित)

वरिष्ठ साहित्यकार एवं चिंतक

With Best Compliments from:

Sampek Engineering

Sanjay Kumar
9811694709

वैश्विक परिदृश्य में हिन्दी: स्वरूप एवं संभावनाएं

-डॉ. किरण हजारिका

विश्व के सबसे बड़े प्रजातांत्रिक देश की भाषा हिन्दी है। यह भारत में विशाल जनसमूह द्वारा बोली और समझी जाती है। इसके महत्त्व को इस तथ्य से भली-भाँति समझा जा सकता है कि हिन्दी साहित्य नवजागरण के पुरोधा भारतेन्दु हरिश्चन्द्र ने कहा था-

निज भाषा उन्नहि अहै, सब उन्नति को मूल।
बिन निज भाषा ज्ञान के, मिटै न हिय को शूल॥

यहाँ निज भाषा का अर्थ मातृभाषा है। हिन्दी के विकास का प्रारंभ आदिकाल में बोली के रूप में होता है। भाषा के विकास का सोपान बोली, उपभाषा तथा भाषा है।

हिन्दी की अनेक बोलियाँ हैं जिनमें मारवाड़ी, कौरवी, ब्रजभाषा, अवधी और भोजपुरी हिन्दी की प्रमुख बोलियाँ हैं तथा राजस्थानी हिन्दी, पश्चिमी हिन्दी, पूर्वी हिन्दी, बिहारी हिन्दी, पहाड़ी हिन्दी उपभाषाएँ हैं। व्यापक अर्थ में ये सभी हिन्दी में समाहित हैं।

इस प्रकार हिन्दी उस भाषा का नाम है जो अनेक बोलियों के रूप में उत्तर भारत और मध्य देश की जनता की मातृ भाषा है। समय-समय पर यह विभिन्न नामों से अभिहित होती ही है। कई बोलियों और उपभाषाओं से प्रभावित होने के कारण इसका स्वरूप समन्वयात्मक है।

प्रकृति में यह एक रचनात्मक भाषा है। जब यह कहा जाता है कि 'देश की राष्ट्रभाषा हिन्दी है' और 'संघ की राजभाषा हिन्दी है' इसका तात्पर्य केवल परिनिष्ठित खड़ी बोली हिन्दी से है, परन्तु हिन्दी का अर्थ और भी व्यापक है। इसे केवल खड़ी बोली तक ही सीमित नहीं किया जा सकता।

हिन्दी भारतवर्ष के एक बहुत विशाल प्रदेश की साहित्य भाषा है। राजस्थान और पंजाब राज्य की पश्चिमी सीमा से लेकर बिहार के पूर्वी सीमान्त तक तथा उत्तर प्रदेश के उत्तरी सीमांत से लेकर मध्य प्रदेश के मध्य तक के अनेक राज्यों की भाषा है।

डॉ. मलिक मोहम्मद ने आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को उद्धृत करते हुए कहा है-वस्तुतः हिन्दी शब्द उतना एक भाषा के अर्थ में व्यवहृत नहीं होता जितनी एक परम्परा के अर्थ में होता है। इस प्रकार हिन्दी भारतीय संस्कृति की वाहिका है।

हिन्दी में साहित्यिक कार्य व्यापक अर्थ में हुए हैं, मध्यकाल से लेकर आज तक हिन्दी के क्षेत्र में व्यापक विकास हुआ है। दूसरी भाषाओं से विपुल अनुवाद हुआ है। राजभाषा के रूप में इसका प्रयोग भी हो रहा है। तुलसी, सूर, कबीर, पन्त, प्रसाद, निराला, अज्ञेय, प्रेमचन्द, आचार्य शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी की महान रचनाएँ इस भाषा में हुई हैं।

यह भाषा अनेक भाषाओं के समन्वय से समृद्ध है। इस भाषा के बोलने वालों की संख्या चीनी और अंग्रेजी को बोलने वालों को छोड़कर विश्व में सर्वाधिक है। इसकी देवनागरी लिपि वैज्ञानिक लिपि है। इसका स्तर अन्तरराष्ट्रीय भाषा का है, यह मॉरीशस, सूरीनाम, गुयाना, फिजी में बोली जाती है।

इन सारी विशेषताओं के बावजूद हिन्दी वह स्थान नहीं पा सकी है जिसकी वह हकदार है। सांस्कृतिक समृद्धि, विशिष्ट भाषायी आकर्षण के होते हुए भी उसे उसका अभीसिप्त स्थान क्यों नहीं मिल सका, यह चिन्ता का विषय है।

स्वतंत्रता के पश्चात् इसे पर्याप्त राजकीय संरक्षण नहीं मिला। दिखावे के रूप में हिन्दी को बढ़ावा देने का काम किया गया। समय के साथ हिन्दी के लिए परिस्थितियाँ कभी अनुकूल नहीं रहीं।

रहीस सिंह ने 2009 में कहा था कि हिन्दी के प्रचार-प्रसार के लिए अकादमी और संस्था खोले बैठे लोगों की मठाधीशी

ने हिन्दी का बहुत अहित किया। येन-केन प्रकारेण पुरस्कारों के लेन-देन के चलते न केवल हिन्दी की गरिमा का क्षरण किया, वरन् हिन्दी साहित्य को आम आदमी के चित्त से उतार दिया।

लगभग 98 प्रतिशत देशवासी अपनी भाषा में मतदान करते हैं, लेकिन संसद की कार्यवाही गुलामी की भाषा में देखने, सुनने को मिलती है। उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय गुलामी की भाषा में अपनी बात कहनी पड़ती है।

ध्यानपूर्वक विचार करने पर लगता है कि राजनैतिक और बौद्धिक नेतृत्व जाने-अनजाने हिन्दी के साथ छल करता है, पहले उसे ठोकर लगाता है फिर औंधे मुँह गिरी हिन्दी को 14 सितम्बर के दिन गले लगाकर गले लगाने की रस्म निभाता है। ऐसी स्थिति में सहजता, मेधा और मौलिकता के लिए हिन्दी की अस्मिता को बचाने के लिए प्रयत्न परमावश्यक है। जिस हिन्दी के लिए भारतेन्दु, महावीर प्रसाद द्विवेदी प्रमृत अनेक विद्वानों ने अपना सब कुछ न्योछावर किया। स्वतंत्रता के समय जिसे राष्ट्र भाषा की संकल्पना के उच्चतम स्थान पर हृदय में रखा गया था। आज 70 वर्ष के बाद भी वह हिन्दी राष्ट्रभाषा के पद पर आसीन नहीं हो सकी है।

आखिर इसका कारण क्या है? यदि राष्ट्र प्रेम है, राष्ट्रभाषा की चिन्ता क्यों नहीं है। वास्तव में हिन्दी केवल भाषा नहीं है, वह इस देश की संस्कृति है, कभी प्रसाद जी ने अपने एक नाटक में कहा था-

हिमाद्रि तुंग श्रृंग से,
प्रबुद्ध शुद्ध भारती
स्वयं प्रभा समुज्ज्वला
स्वतंत्रता पुकारती॥

अर्थात् इस भारतभूमि पर एक राष्ट्रीय संस्कृति है, उस संस्कृति का प्रकाशन राष्ट्रभाषा हिन्दी द्वारा होता है। जिस भाषा के निर्माण में रचनाकारों, समाज सुधारकों, महान नेताओं और जनता का अवदान है उसकी गरिमा ही राष्ट्रीय गरिमा है।

स्वतंत्रता संग्राम के महान पुरोधा तिलक हिन्दी को राष्ट्रभाषा तथा देवनागरी को हिन्दी की लिपि मानते हैं। पंडित मदन मोहन मालवीय के अथक परिश्रम से अदालतों से देवनागरी को प्रवेश मिला। राजर्षि पुरूषोत्तम टण्डन जी ने सारा जीवन हिन्दी के प्रचार-प्रसार में लगा दिया। गाँधी जी ने हिन्दी के लिए अथक् प्रयास किया। आज हिन्दी जिस मंजिल पर है उसे यहाँ तक लाने में संस्थाओं, नेताओं, विद्वानों एवं लेखकों की अक्षय तपस्या है।

आज हिन्दी के पास भाषा विकास के महत्त्वपूर्ण साधन है। कविता, नवगीत, उपन्यास, कहानी, आत्मकथा, संस्मरण के लेखन से विशाल शब्दावली विकसित हो रही है। संस्कृत भाषा में शब्दों के निर्माण के लिए धातुओं का कल्पवृक्ष है। संस्कृत की दो हजार धातुओं से 8 लाख शब्द निर्मित किये जा सकते हैं। वैज्ञानिक एवं तकनीकी के दो लाख से अधिक शब्द तैयार किये जा चुके हैं। अवहठ्ठ से हिन्दी के शब्दों का अपूर्व निर्माण हुआ।

विदेशी भाषाओं से अनुवाद भी द्रुत गति से किया जा रहा है

इसके लेखन के लिए देवनागरी लिपि है। इसमें आदर्श लिपि के गुण हैं। 'इसमें एक ध्वनि के लिए एक वर्ण है। इसका प्रत्येक अक्षर उच्चारित होता है। इसका वर्णक्रम वैज्ञानिक है। पहले स्वर, दीर्घ क्रम में तत्पश्चात व्यंजन हैं। यह जिन भाषाओं के लिए व्यवहृत होती है उनकी सभी ध्वनियों को अंकित करने में समर्थ है। इस लिपि के लेखन और मुद्रण के अक्षर एक रूप हैं।

हिन्दी की लिपि की विशेषताओं के साथ उसकी महती विशेषता है, सभी भाषाओं से शब्द ग्रहण करने की शक्ति। आज ज्ञान का क्षेत्र पहले की तुलना में विराट् है। मनुष्य की सोच अधिक व्यापक हुई है, जिसका प्रचार-प्रसार अनेक भाषाओं के माध्यम से हो रहा है।

हिन्दी अंग्रेजी की भाँति अनेक भाषाओं के शब्दों में ग्रहण कर रही है। जिस प्रकार भारतीय संस्कृति अनेक संस्कृतियों से शक्ति ग्रहण करती रही हैं। यहाँ के प्राचीन संस्कृति आचार्यों ने ज्योतिष के यवनाचार्यों को ऋषि के श्रेणी में रखा था उसी प्रकार हिन्दी दूसरी भाषाओं से जर्मन, फ्रेंच, रूसी, फ्रांसीसी, जापानी सभी से शब्द ग्रहण करती है। इससे भाषा की शक्ति में विवर्धन हुआ है। शिक्षार्थी हिन्दी शब्दकोश में डॉ. हरदेव बाहरी ने उन अंग्रेजी शब्दों की सूची दी है जो हिन्दी की सम्पत्ति बन चुके हैं। इस सूची में 2500 शब्दों की

लिस्ट दी गई है वैसे आज वैज्ञानिक तकनीकी शब्दों को तेजी से ग्रहण किया जा रहा है।

यह हिन्दी की विकसनशीलता है। पहले से ही फारसी, अरबी, संस्कृत आदि के शब्दों को ग्रहण किया गया है। हिन्दी भाषा की विकसनशीलता एवं इसके बोलने वालों की संख्या की शक्ति को देखते हुए इसे राष्ट्रीय और अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर मूल्य देने की बात आज के वैश्वीकरण के युग में अत्यधिक महत्त्वपूर्ण हो गयी है।

आज वैश्वीकरण के युग में हिन्दी के विस्तार के बारे में विचार करना स्वाभाविक है। हिन्दी के पास शब्द हैं लिपि है। वैश्वीकरण में शक्तिशाली राष्ट्र सांस्कृतिक उपनिवेश के रूप में अपनी सत्ता की स्थापना करना चाहते हैं। विश्व बाजार के लिए स्वस्थ नवजवानों की आवश्यकता है। भारत नवजवानों का देश है-यूरोप, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन में बूढ़ों की आबादी अधिक है। ऐसी स्थिति में भविष्य भारत का दिखाई देता है। ऐसे में भारतीय संस्कृति, सभ्यता के प्रसार का अवसर, भारतीय मेधा के बल पर संभव है।

भविष्य में हिन्दी को विश्व हिन्दी बनने की संभावना बढ़ी है। सांस्कृतिक क्षेत्र साहित्यिक क्षेत्र का महत्त्वपूर्ण अंग है। भारतीय कलाकार समसामयिक परिदृश्य में विश्व में उभरकर सामने आये हैं।

वैश्विक रंगमंच पर हिन्दी का महत्त्व वैश्वीकरण के बाजार के कारण उदीयमान है। इंटरनेट पर दृश्यमान आंकड़ों के अनुसार भारत दुनिया का सबसे बड़ा बाजार है। न्यूयॉर्क के अलमनेक सेंसस् द्वारा जारी सर्वे रिपोर्ट का हवाला देते हुए आफताब आलम कहते हैं-

विश्व का हर चौथा व्यक्ति हिन्दी बोलता है। विश्व में पहले नम्बर पर 18.8 प्रतिशत लोग हिन्दी बोलते हैं, जबकि दूसरे नम्बर पर चीनी पर लोग चीनी बोलते हैं। इस चमत्कारिक आँकड़ें को छूने में इंटरनेट पर हिन्दी भाषा के जाल ने महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

हिन्दी के विशाल बाजार का प्रभाव है कि दुनिया की नामी गिरामी सॉफ्टवेयर कम्पनियाँ हिन्दी में अपने वर्जन उतारने का प्रयास कर रही हैं। आज अत्याधुनिक संचार के विकास के कारण ऐसे सॉफ्टवेयर उपलब्ध हैं जिनकी सहायता से हिन्दी का दूसरी भाषाओं में तथा दूसरी भाषाओं से हिन्दी में रूपान्तरण हो रहा है।

उल्लेखनीय है यदि रूपान्तरण हिन्दी खुद अत्याधुनिक संचारतंत्र, विज्ञान प्रौद्योगिकी का प्रयोग कर करती तो बात कुछ और हो जाती। एक बात विशेष ध्यान देने की है साहित्य के वर्चस्व तथा भाषा के वर्चस्व में सीधा सम्बन्ध नहीं है। भाषा का वर्चस्व आर्थिक या वाणिज्यिक कारणों से होता है। भारत को इस दिशा में प्रयत्न करने की आवश्यकता है। संस्कृति से भाषा और भाषा से संस्कृति प्रभावित होती है, हिन्दी का प्रयोग जो विदेशियों द्वारा हो रहा है उससे हिन्दी का सांस्कृतिक जुड़ाव जो सहज रूप में था, वह टूट रहा है। ब्लॉगिंग या चिठ्ठाकारी में पर्याप्त वृद्धि हुई है, वह शुद्धता से दूर होता है।

साहित्यिक विमर्श से प्रयोग होने वाली हिन्दी से इतर, हिन्दी दो पैसा कमाने की भाषा, झाड़-झड़प गुस्सा जाहिर करने की भाषा सेंटी होकर अपने तरफ खींचने की भाषा बनाने में एक बड़ा तबका दिन-रात लगा हुआ है।

इस प्रकार ब्लॉगिंग द्वारा हिन्दी को विद्रूप किया जा रहा है। विदेशी कम्पनियाँ अपने आर्थिक विकास के लिए जिस हिन्दी का विकास कर रही हैं, वास्तव में उनके द्वारा हिन्दी का भ्रंश किया जा रहा है। जो रचनाकार भाषा का उपभोक्ता नहीं है वह उसका सर्जक बन रहा है और लोक-मन बनाने का कार्य कर रहा है वह भाषा को अपदस्थ करने का माध्यम है।

आज विश्वव्यापी बाजार अंग्रेजी का मुखापेक्षी है इसलिए यह हिन्दी के लिए चिन्ता का विषय है। ऐसी स्थिति में हिन्दी के लिए राष्ट्र-भाषा, निज भाषा और आत्मगौरव का स्थान कहाँ होगा? अंग्रेजी के विश्वव्यापी बाजार में पैसा है यश है, मान है सब कुछ है पर आत्मचेतना, राष्ट्रीयता आत्मगौरव मातृभाषा प्रेम जनचेतना तो हिन्दी से ही मिलेगी। हिन्दी के प्रति दृढ़ निष्ठा के साथ सक्रियता की आवश्यकता है। हिन्दी के प्रति निष्ठा का पता गाँधी के बी.बी.सी. में दिये गये साक्षात्कार से चलता है जिसमें उन्होंने कहा था-दुनिया को खबर कर दो कि गाँधी अंग्रेजी नहीं जानता, गाँधी अंग्रेजी भूल चुका है।

इस बात पर किसी भी राष्ट्रप्रेमी को अफसोस होता है कि हिन्दी अभी तक स्वतंत्र रूप से भारत की राष्ट्रभाषा नहीं

बन सकी है। राजभाषा के रूप में जो हिन्दी है उसका भी सम्यक् रूप में प्रयोग नहीं होता।

क्या यह विडंबना नहीं है कि केन्द्र सरकार का सारा कामकाज अंग्रेजी के माध्यम से होता है। केन्द्रीय कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका सभी में अंग्रेजी का बोलबाला है।

हिन्दी के राष्ट्रीय भाषा के साथ अन्तरराष्ट्रीय भाषा बनने की शक्ति है। जब अपने देश में हिन्दी को स्वतंत्र रूप से राष्ट्रीय भाषा का दर्जा नहीं मिल सका है तो उसके सारे गुण सम्पन्नता के बावजूद अन्तरराष्ट्रीय भाषा की बात थोड़ी कठिन लगती है। वैसे यू.एन. में हिन्दी को स्थान पाने के लिए विश्व की महत्त्वपूर्ण भाषाओं के अनुवाद हिन्दी में करने होंगे, जिसके लिए डेढ़ अरब रुपये की आवश्यकता होगी। साथ ही 10 लाख शब्दों की अनुवाद के लिए आवश्यकता होगी।

ये दोनों बातें समस्यायें नहीं पैदा कर सकतीं। यह सच है कि दुनिया के अनेक देशों में हिन्दी का प्रचार-प्रसार है किन्तु इस पतंग की डोर उन देशों की सरकार के हाथ में है। भारत के नेता तथा अधिकारी यदि दृढ़ संकल्प हो जायँ तो यह काम आसानी से हो सकता है। प्राचीनकाल से हिन्दी देश के तीर्थ स्थानों एवं मन्दिरों में व्यवहृत भाषा है, किन्तु जब किसी भाषा के साथ रोजगार, स्वाभिमान, प्रेम, सम्मान और ज्ञान नहीं जुड़ता, तब उसकी स्थिति गरीब की जोरू जैसी हो जाती है। वैसे हिन्दी उतनी दयनीय स्थिति में नहीं है, जितनी कि उसके पद पर प्रतिष्ठित होने की आवश्यकता है किन्तु आशा की एक किरण दिखाई देती है। यदि सरकार अनुच्छेद 370 को हटा सकती है, तो वह हिन्दी को राष्ट्रभाषा के पद पर प्रतिष्ठित भी कर सकती है।

इलाहाबाद हाईकोर्ट का सुझाव-हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित करने के लिए कानून बनाए केंद्र

प्रयागराज। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को हिंदी को राष्ट्र भाषा घोषित करने का कानून बनाने का सुझाव दिया है। एक मामले की सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति शेखर कुमार यादव ने कहा कि देश की अन्य भाषाओं का भी सम्मान हो। कोर्ट ने कहा-देश में सबसे अधिक बोली, समझी व लिखी जाने वाली भाषा हिंदी है। यह संपूर्ण भारतवर्ष की भाषा है। यह जिस प्रतिष्ठा की अधिकारिणी है, हमने नहीं दिया। दूसरी तरफ सैकड़ों वर्षों तक गुलाम रखने वालों की भाषा देश की अदालतों व उच्च संस्थानों की भाषा बनी हुई है।

संवाद

राष्ट्रीय व्यवहार में हिन्दी को काम में लाना देश की एकता और उन्नति के लिए आवश्यक है।
आप जिस तरह बोलते हैं, बातचीत करते हैं, उसी तरह लिखा भी कीजिए। भाषा बनावटी नहीं होनी चाहिए।

-महावीर प्रसाद द्विवेदी

निर्माण परियोजनाएं एवं संतुलित पर्यावरण

-भगवान दास पटैरया

मानव सभ्यता को आधुनिक और सुविकसित रूप प्रदान करने में शिल्प और निर्माण कार्यों का सर्वाधिक योगदान रहा है, किन्तु इस विकास क्रम में इनका प्रभाव पर्यावरण पर भी पड़ता रहा। धीरे-धीरे यह प्रभाव बढ़ता ही गया और आज स्थिति यहाँ तक पहुँच गई है कि स्वयं सम्पूर्ण मानव सभ्यता इसके प्रति चिंतित हो उठी है तथा इस पर गंभीरता से विचार करने लगी है कि निर्माण अथवा अन्य विकास परियोजनाओं के साथ-साथ संतुलित पर्यावरण कैसे कायम रहे। कुछ लोग 'स्वस्थ पर्यावरण' के इतने पक्षधर हो गए हैं कि वे विकास/निर्माण परियोजनाओं, जिनके परिणामस्वरूप ही आज हमारा देश विभिन्न क्षेत्रों में आत्मनिर्भर हुआ है, का ही तीव्र विरोध करने लगे। इस परिप्रेक्ष्य में हमें याद रखना होगा कि हम केवल उस स्वस्थ्य पर्यावरण का ही क्या करेंगे जिसमें हमें रहने के लिए मकान, खाने के लिए अन्न और पीने के लिए पानी भी न मिल सके। सारांशत: मानव सभ्यता की मूलभूत आवश्यकता ''रोटी, कपड़ा और मकान'' की अनदेखी नहीं की जा सकती है। निरन्तर बढ़ती हुई आबादी की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हमें विकास कार्यक्रम तेज करने ही होंगे। इनके चलते पर्यावरण पर विपरीत प्रभाव भी पड़ सकता है, किन्तु विकास की कीमत पर महज पर्यावरण की बातें भी तो नहीं की जा सकती, उससे सम्बद्ध किसी भी पर्यावरणीय समस्या के निदान और समाधान के उपाय खोजे जा सकते हैं, अत: हमें इस तथ्य पर गंभीरता से विचार करके अपनी निर्माण परियोजनाओं और विकास कार्यक्रमों को इस प्रकार से आयोजित करना होगा कि इनके चलते रहने पर भी संतुलित पर्यावरण बना रहे। विभिन्न निर्माण परियोजनाओं, विकास कार्यक्रमों तथा क्रियाकलापों, जिनसे पर्यावरण पर प्रभाव पड़ता है, के संदर्भ में संतुलित पर्यावरण कैसे कायम रखा जा सकता है, इस विषय पर कुछ विचार इस प्रकार से है:-

1. जल संसाधन परियोजनाएँ:-

हमारे देश के 32.9 लाख वर्ग किलोमीटर के विस्तृत

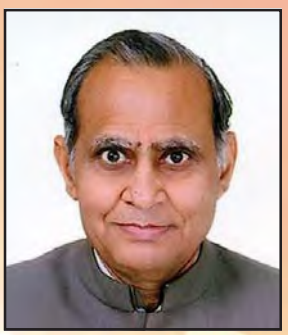

भू-भाग पर वर्षा और बर्फ के रूप में औसतन प्रति वर्ष 4000 घन किलोमीटर जल प्राप्त होता है, इसमें से केवल 1880 घन किलोमीटर ही नदियों या जलाशयों में आता है, शेष जल वाष्पन के रूप में पुन: वायुमण्डल में प्रवेश कर जाता है। यह जल भी वर्षा के तीन-चार महीनों में ही प्राप्त होता है। यह जल प्राप्ति भी इतने अल्प समय में हो जाती है कि उतने समय में उपलब्ध जल संसाधनों का संपूर्ण उपयोग नहीं किया जा सकता है तथा इसका कुछ भाग बिना उपयोग के ही बाढ़ के रूप में समुद्र की ओर बह जाता है। इस प्रकार से उपयोग में आ सकने वाले जल की मात्रा सिर्फ 1110 घन किलोमीटर है, जो कि हमारे देश की बढ़ती हुई आबादी की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पर्याप्त नहीं है। इसके विपरीत केन्द्रीय जल आयोग के एक अध्ययन के अनुसार देश के 99 जिलों का लगभग 10 करोड़ हैक्टेयर क्षेत्रफल अक्सर सूखे की चपेट में रहता है। यहाँ जल उपलब्धता उस क्षेत्र की आवश्यकताओं की अपेक्षा काफी कम है। इन क्षेत्रों को अन्य निकटतम बेसिनों से जल उपलब्ध कराना होगा। इस संदर्भ में उल्लेखनीय है कि भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण (एन.डब्लू.डी.ए.) द्वारा ऐसे क्षेत्रों का अध्ययन करके रिपोर्ट तैयार की गई है, जिन पर आगे की कार्रवाई की जा रही है। इस श्रृंखला में देश के पहले नदी बेसिन जल स्थानान्तरण के रूप में बुंदेलखण्ड के सूखाग्रस्त क्षेत्र में केन नदी से बेतवा नदी में जल स्थानान्तरण का कार्य निर्माणाधीन है। इसके अतिरिक्त इन क्षेत्रों में भू-जल का भी इष्टतम उपयोग करना होगा। इन विकास कार्यक्रमों में जल भंडारणों का निर्माण, जल का अन्तर्वेसिन स्थानान्तरण आदि सम्मिलित हैं, अत: जल विकास कार्यक्रम को तो तेज करना ही होगा, पर इसके

साथ-साथ संतुलित पर्यावरण बनाए रखने हेतु निम्नांकित कार्यक्रमों पर अमल करना वांछनीय होगा।

(क) परियोजना के प्रारम्भिक चरणों में ही संभावित पर्यावरणीय प्रभावों का अध्ययन कर लिया जाए तथा प्रारम्भ से ही इसके उपचारात्मक सुझावों को कारगर ढंग से लागू किया जाए। किसी बाँध के निर्माण से जो जंगल डूब में आ जाते हैं, उसकी क्षतिपूर्ति के लिए जलाशय के किनारों, नहरों के किनारों तथा अन्य उपलब्ध भू-भाग पर पेड़ लगाए जाने चाहिए। यह कार्यक्रम बांध निर्माण के प्रारम्भिक चरण में ही पूरा कर लिया जाये, जिससे वन का एक विस्तृत भू-भाग डूब में आने के पहले ही एक ''वनस्पति जंगल'' का सृजन हो जाये। नहरों के कमान क्षेत्र में भी जहाँ संभव हो, पेड़ों को विकसित किया जा सकता है।

(ख) इन परियोजनाओं से विस्थापित लोगों के पुनर्वास हेतु प्रारम्भिक चरणों में ही उनके विस्थापन से पूर्व ही उचित प्रबन्ध कर लेना चाहिए। विस्थापित लोगों के लिए निवास स्थान, स्कूल, चिकित्सालयों, मण्डी इत्यादि का प्रबन्ध कर लेने से ग्रामवासियों को नियोजित ग्राम की सुविधा प्राप्त हो सकेगी, जिसमें सड़क, पेय जल तथा बिजली आदि की आवश्यक सुविधाओं का निवेश होगा। यदि ये सुविधायें विस्थापन के बाद प्रदान करने के प्रयत्न किए जाएँगे तो लोगों में रोष पैदा होना स्वाभाविक है, अतः इस संदर्भ में ये उपाय पहले ही कर लेना अति आवश्यक हैं।

(ग) विस्थापित लोगों को उसी परियोजना में रोजगार उपलब्ध कराए जाने की प्रथा काफी लाभप्रद रही है। उदाहरणार्थ-नर्मदा सागर परियोजना के प्रारम्भिक चरण से ही विस्थापित लोगों को उसी परियोजना में रोजगार उपलब्ध कराने हेतु कई प्रभावी कदम उठाए गए थे, जिसमें प्रभावित लोगों के प्रशिक्षण का कार्यक्रम भी सम्मिलित था, जिससे उन्हें वरीयता के आधार पर परियोजना में रोजगार दिलाया जा सका था।

(घ) जल ग्रहण क्षेत्र से विस्थापित लोगों को परियोजना के कमान क्षेत्र में उचित आकार तथा ढलान के खेती योग्य क्षेत्र प्रदान कराने चाहिए। साथ ही उन्हें बीज, खाद, कृषि यन्त्र आदि की सुविधायें भी प्रदान करनी चाहिए।

(ड.) किसी स्थान विशेष पर बांध या बैराज के निर्माण से नदी की धारा को रोककर नहरों की ओर मोड़ दिया जाता है, जिससे उसके नीचे के भाग सूख जाते हैं। इसके परिणामस्वरूप नदी के तथा आस-पास के जीव-जन्तुओं के जीवन पर असर पड़ सकता है। अतः जहाँ जैसा अपेक्षित हो यह प्रावधान होना चाहिए कि नदी की धारा सूखने न पाये। इसके लिए एक निश्चित मात्रा में पानी छोड़ा जाना आवश्यक है। इस उद्देश्य से पर्याप्त सर्वेक्षण करना अपेक्षित होगा।

(च) कुछ सिंचित क्षेत्र अधिक सिंचाई के कारण जलग्रसनता (वाटर लोगिंग) तथा लवणता के शिकार हुए हैं, पर केन्द्रीय जल आयोग के एक अध्ययन के अनुसार इनका परिमाण अधिक नहीं है। ऐसे क्षेत्रों में किसानों को पानी के किफायती उपयोग की शिक्षा देनी चाहिए। इसके लिए ''जल तथा भूमि प्रबंध संस्थान'' (बाल्मीज) विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत हैं, जो इन मामलों में गहन अध्ययन करके उपचारात्मक सुझाव दे रहे हैं।

(छ) स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हमारे देश में हजारों बड़े एवं मध्यम श्रेणी के बांधों का निर्माण हुआ है। खाद्यान्नों के मामले में आत्मनिर्भर होने में इन बांधों का अति महत्त्वपूर्ण योगदान है। साथ ही जल विद्युत परियोजनाएं भी बढ़ती हुई विद्युत मांग की पूर्ति करने में अपना महत्त्वपूर्ण योगदान कर रही हैं। उल्लेखनीय है कि निर्माण परियोजनाओं, फर्नीचर निर्माण तथा ईंधन के रूप में लकड़ी के उपयोग से वनों का बहुत विनाश होता है, अतः हमें इसकी ओर भी ध्यान देना होगा कि लोग ईंधन के लिए वनों पर आश्रित न रहे। उन्हें अन्य साधनों जैसे कि गोबर गैस, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, कुकिंग गैस आदि से उनकी मांग को पूरा करें। इस परिप्रेक्ष्य में माननीय प्रधानमंत्री द्वारा

गरीबी रेखा के नीचे के लोगों को कुकिंग गैस प्रदान करने की योजना से भी वनों का कटाव रूकेगा। विभिन्न उद्योगों से प्राप्त सामग्री को पैक करने के लिए वृक्ष काटे जाते हैं, किन्तु अब प्लास्टिक उद्योग बहुत विकसित हो चुका है, अत: यह आवश्यक है कि इसके लिए प्लास्टिक उद्योग को और प्रोत्साहन देना चाहिए जिससे कि पैकिंग के लिए काम में लाई जाने वाली लकड़ी की खपत कम से कम हो। हिमाचल प्रदेश में सेबों की पैकिंग के लिए पहले ही इस योजना को कार्य रूप दे दिया गया है।

2. औद्योगिक परियोजनाएँ:-

निर्माण परियोजनाओं के लिए वांछित सामग्री उपलब्ध कराने हेतु देश में बड़े-बड़े उद्योग स्थापित किए गए, इसमें मुख्य रूप से उल्लेखनीय हैं बड़े-बड़े इस्पात कारखाने। इन उद्योगों के विकास के साथ ही पर्यावरण पर कुछ कु-प्रभाव अवश्य पड़े हैं, पर इनका चलाना भी अपरिहार्य है। हाल ही में बड़े उद्योगों की चिमनियों से निकलने वाले धुऐं तथा राख का असर न्यूनतम करने के लिए इलेक्ट्रोस्टेटिक प्रेसिपिटेटर लगाए गए हैं। इसी तरह अन्य क्षेत्रों में भी यह विचार करना होगा कि किस तरह से औद्योगिक विकास के साथ-साथ संतुलित पर्यावरण कायम रह सकता है। इस संदर्भ में कुछ विचार इस प्रकार से हैं:-

(क) कारखानों के आसपास पेड़ों का लगाया जाना सर्वथा आवश्यक कर देना चाहिए। पेड़ आस-पास की कार्बन डाई ऑक्साईड व नाइट्रोजन गैसों आदि को आत्मसात करके शुद्ध ऑक्सीजन पैदा करते हैं, जिससे वातावरण शुद्ध रहता है। कारखानों से निकलने वाले प्रदूषित जल का उचित उपचार करके ही उसे नदी में छोड़ना चाहिए। इस संदर्भ में वायु प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 1981 तथा पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986 उल्लेखनीय है। इनकी अनुपालना पर ध्यान देना सभी का दायित्व है।

(ख) नई औद्योगिक इकाईयाँ शहरों से दूर ऐसे स्थानों पर स्थापित की जानी चाहिए जिससे कि बड़ी आबादी वाले शहरों पर उनके कु-प्रभाव न पड़ें। नदियों के निकट स्थित औद्योगिक इकाईयाँ नगरों के अनुप्रवाह (डाउन स्ट्रीम) में ही स्थापित की जानी चाहिए जिस प्रकार जल आपूर्ति संस्थान नगरों के प्रति प्रवाह (अप स्ट्रीम) में लगाए जाते हैं। साथ ही योजना के प्रारम्भिक चरण से ही वृक्षारोपण का कार्यक्रम तेजी से चलाना चाहिए जिससे इन औद्योगिक इकाइयों के चालू होने पर स्वस्थ पर्यावरण कायम रह सके।

(ग) औद्योगिक परियोजनाओं के क्रियान्वयन से विस्थापित लोगों के पुनर्वास हेतु उन्हें यथासंभव वैसा ही पर्यावरण उपलब्ध कराया जाए जिसमें वे पहले रह रहे थे, बल्कि उनके रहन-सहन में सुधार लाने का भी प्रयास करना चाहिए, जैसे-सुलभ शौचालय, ढकी नालियाँ आदि। इसके साथ ही उद्योगों में प्राथमिकता के आधार पर विस्थापितों को रोजगार दिलाया जाना चाहिए।

(घ) औद्योगिक संस्थानों में काम आने वाले खनिज पदार्थ तथा अयस्क की प्राप्ति पहाड़ों तथा भूमि से खुदाई करके की जाती है। अधिकतर यह कार्य ठेकेदारों को ठेके पर सौंपा जाता है, जो अज्ञानता तथा लालचवश नियमों को तोड़ते हुए जरूरत से ज्यादा गहरी खुदाई कर देते हैं, इसके परिणामस्वरूप उस स्थान के आस-पास असंतुलन/अस्थिरता की स्थिति पैदा हो जाती है, जिससे वहाँ भू-स्खलन तथा जमीन बैठ जाने की संभावनाएँ बहुत बढ़ जाती हैं। ऐसे मामलों में अत्यधिक कड़ाई के साथ नियम अनुपालना की आवश्यकता है।

3. शहरी विकास कार्यक्रम:-

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से ही रोजगार की तलाश में गाँवों से शहरों की ओर पलायन प्रारम्भ हुआ। इसके परिणामस्वरूप बड़े-बड़े शहरों की आबादी तिगुनी-चौगुनी हो गई है। बड़े शहरों पर बढ़ती हुई आबादी के भार से नई-नई समस्यायें पैदा हो रही हैं। इनमें पेयजल समस्या सर्वाधिक है। छोटे-छोटे उद्योग एवं कारखाने भी इन बड़े शहरों में कार्यरत हैं, जो वायु प्रदूषण फैला रहे हैं। साथ ही मोटर गाड़ियों एवं अन्य वाहनों के चलने से भी प्रदूषित गैसें एवं धुआँ के साथ-साथ ध्वनि प्रदूषण भी बढ़ता जा रहा है। इस परिप्रेक्ष्य में उल्लेखनीय

है कि यदि ऐसा वातावरण तैयार किया जाए कि लोगों को उनके गाँवों के आस-पास ही रोजगार मिलने लगे तो उनका शहरों की ओर पलायन कम हो जाए, जिससे बड़े शहरों पर और अधिक बोझ न पड़े। भारत सरकार तथा राज्य सरकारों द्वारा ग्रामीण विकास के बहुत से कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जिनकी सहायता से ग्राम्य विकास कार्यक्रम को अधिक बल मिला है तथा आशा है कि ऐसे कार्यक्रमों से संतुलित पर्यावरण कायम रखने में काफी मदद मिलेगी।

4. परिवहन एवं संचार परियोजनाएँ:-

किसी भी सभ्यता के विकास में परिवहन एवं संचार सेवाओं का अपना विशेष महत्त्व है। इन परियोजनाओं के क्रियान्वयन से भी पर्यावरण पर कुछ न कुछ कुप्रभाव पड़ा है। उल्लेखनीय है कि रेलवे के स्लीपर तैयार करने के लिए लगभग 50 लाख घन मीटर लकड़ी प्रतिवर्ष उपयोग में लाई जाती थी, किन्तु अब कंक्रीट के स्लीपर काफी संख्या में काम में लाए जा रहे हैं। अब लकड़ी के स्लीपरों के स्थान पर कंक्रीट या लोहे के स्लीपर अधिक उपयोग में लाए जा रहे हैं। इससे इस कार्य हेतु होने वाले जंगलों की हानि काफी हद तक रुकी है।

रेल अथवा सड़क परियोजनाओं के पर्वतीय क्षेत्रों में क्रियान्वयन हेतु खुदाई अथवा सुरंग बनाने का कार्य करना पड़ता है, जिससे भू-स्खलन की आशंका बढ़ जाती है, अत: इस प्रकार की कोई परियोजना प्रारम्भ करने से पहले भू-गर्भीय विज्ञान की दृष्टि से गहन अध्ययन करके तदानुसार निर्माण परियोजनायें चलाना अपेक्षित है, ताकि पर्वतीय क्षेत्रों का पर्यावरण संतुलित बना रहे। पहले कोयले से चलने वाले रेल इंजनों का उपयोग होता था, जिन्हें अब बंद कर दिया गया है, क्योंकि इससे वायु प्रदूषण बहुत होता था। अब उसके स्थान पर डीजल इंजन तथा कई स्टेशनों के बीच बिजली के इंजन चल रहे हैं। इससे पर्यावरण प्रदूषण नगण्य है। शहरों में वायु प्रदूषण कम करने के उद्देश्य से पेट्रोल के स्थान पर गैस का प्रयोग किया जा रहा है। अब बैटरी से चलने वाले वाहनों का उपयोग होने लगा है। इसे प्रोत्साहित किए जाने की आवश्यकता है। इस प्रकार से बढ़ती हुई आबादी की परिवहन एवं संचार सुविधाओं से सम्बद्ध आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ-साथ संतुलित वातावरण भी कायम रह सकता है। इस संदर्भ में यह उल्लेखनीय है कि यदि रेलवे लाइन एवं सड़कों के किनारे वृक्षारोपण के कार्यक्रम को और तेज गति से चलाया जाए तो स्वस्थ पर्यावरण कायम रखने में बहुत मदद मिलेगी।

निष्कर्ष:-

अब हमारा देश विभिन्न क्षेत्रों में आत्मनिर्भर हो गया है। यह सब हमारे जल संसाधनों के समुचित विकास, औद्योगीकरण एवं अन्य विकास परियोजनाओं के सफल क्रियान्वयन का ही सुपरिणाम है। सभी निर्माण परियोजनाएँ, चाहे वे नदी घाटी के विकास से संबद्ध हो, जल भंडारण के निर्माण के लिए हों, औद्योगिक इकाईयों को स्थापित करने के लिए हों अथवा शहरी विकास कार्यक्रम हों, उन्हें चालू रखना अपरिहार्य है, पर उसके साथ-साथ संतुलित पर्यावरण कायम रखने के लिए विभिन्न परियोजनाओं का हर स्तर पर सफल क्रियान्वयन होता रहे यह सुनिश्चित करना भी वांछनीय है। इसमें निर्माण परियोजनाओं से विस्थापित लोगों की समस्याओं को परियोजना अधिकारियों द्वारा हमदर्दी, सूझबूझ तथा लगन से सुलझाना नितांत आवश्यक है। मनुष्य की प्रवृत्ति ही ऐसी है कि जिसमें वह अपने आपको किसी भी अवस्था में ढाल सकता है। इसलिए विस्थापितों को नए पर्यावरण में अपने आपको ढाल लेने में अधिक समय नहीं लगेगा। अध्ययनों से यह पता चला है कि मानव मात्र ही नहीं, बल्कि वनस्पति जगत भी बदले हुए पर्यावरण के अनुरूप अपने को ढाल लेने में सक्षम है। इस प्रकार से विस्थापित लोगों की समस्या, जो कि विकास परियोजनाओं की एक विशेष समस्या के रूप में उभर कर सामने आती है, यदि गहराई से सोचा जाए और गंभीरता से तत्संबंधी नियमों का पालन किया जाए तो सहजता से ही सुलझाई जा सकती है।

सेवानिवृत्त मुख्य अभियन्ता,
केन्द्रीय जल आयोग
फोन: 9899004263

''साहित्य अपने काल का प्रतिबिम्ब होता है। जो भाव और विचार लोगों के हृदयों को संपदित करते हैं, वही साहित्य पर भी अपनी छाया डालते हैं'' -**प्रेमचंद्र**

राष्ट्र लिपि : देवनागरी

-डॉ. हरिसिंह पाल

भाषा जिस माध्यम से लिखी जाती है उसे लिपि कहते है। लिपि की उत्पत्ति लिप्यते शब्द से मानी जाती है जिसका अर्थ है-लिखावट। प्रत्येक अक्षर को अंकित करने के लिए कुछ चिह्न निर्धारित है। इन्हीं व्यवस्थित चिह्नों की श्रृंखला को लिपि कहा जाता है। लिपि किसी भी भाषा की ध्वनि का ध्वन्यात्मक प्रतीक है लिपि चाहे वर्णनात्मक हो या चित्रात्मक। भाषा के संरक्षण और ज्ञान के प्रसार को स्थाई बनाने के तथा उसे आगे बढ़ाने एवं भावी पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रखने हेतु लिपि का निर्माण किया गया है।

1) विकास की दृष्टि से लिपियों का अनुक्रम इस प्रकार रखा जा सकता है-चित्र लिपि, सूत्र लिपि, प्रतीकात्मक लिपि, भाव मूलक लिपि और ध्वनि मूलक लिपि। लिपि ध्वन्यात्मक भाषा को दृश्य सांकेतिक चिह्नों में परिवर्तित करने की विधि है। जिस प्रकार भाषा मनुष्य की अभिव्यक्ति का माध्यम है, उसी प्रकार लिपि भाषा का वाहक-रथ है, जिस पर सवार होकर भाषा पाठक तक पहुँच पाती है। लिपि एक प्रकार से दृश्य भाषा ही है। लिपि का विकास लगभग ई.पू. 10000 से 4000 ई.पू. के मध्य माना जाता है।

2) इतना निश्चित है कि ब्राह्मी के आरंभिक अक्षर बदलते-बदलते आज की देवनागरी के रूप में आ गए है। साथ ही देवनागरी ने अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप नए-नए वर्ण भी विकसित किए जो ब्राह्मी में नही थे। उदाहरणार्थ-ब्राह्मी में शून्य (0) का अंक नही था, जबकि सैकडा और हजार के लिए अलग-अलग लिपि चिह्न थे। देवनागरी ने शून्य का विकास कर मानव सभ्यता को नई अंकीय विधि उपलब्ध कराई। ड़ और ढ़ भी देवनागरी में ही है। ब्राह्मी से ही श्रीलंका, तिब्बत, म्यांमार, जावा, सुमात्रा, बोर्निया, लाओस, कंबोडिया, थाईलैण्ड और मंगोलिया की लिपि भाषाएँ विकसित हुई है। इस प्रकार इन देशों की लिपियाँ भी देवनागरी की सहयोगी है।

देवनागरी लिपि विश्व की सबसे अधिक वैज्ञानिक लिपियों में से एक है। इसमें प्रत्येक ध्वनि के लिए निश्चित संकेत-चिह्न होने के कारण जो कुछ लिखा जाता है वही बोला जाता है। इसमें अपनी ओर से कुछ भी जोड़ना नही पड़ता और न किसी ध्वन्याश को छोड़ने की आवश्यकता ही होती है। इसके सभी वर्णों के उच्चारण का स्थान तथा उच्चारण में श्वांस गति और जिह्वा की स्थिति का बराबर ध्यान रखा गया है। लिप्यंतरण की दृष्टि से यह लिपि किसी भी भाषा को सही रूप में अंकित कर सकती है।

नागरी की विशेषताओं को इस प्रकार भी देखा जा सकता है।

(1) देवनागरी वर्णमाला में वर्णों का क्रम अत्यन्त व्यवस्थित है। इसमें पहले स्वर आते है फिर व्यंजन।

(2) देवनागरी के स्वरों में भी ह्रस्व एवं दीर्घ क्रम रहता है। स्वरो के पाँच वर्ग है।

(3) नागरी में चिह्नों के नाम उसमें उसके उच्चारण के निकटतम है। यह उच्चारण की अनुवर्तिनी है वर्तनी की नही।

(4) नागरी लिपि में एक ध्वनि के लिए एक ही लिपि चिह्न है।

(5) नागरी लिपि का प्रत्येक वर्ण उच्चारित होता है इसमें कोई मूक (Silent) वर्ण नही है।

(6) नागरी लिपि वर्णों की लिखावट कलात्मक, सुंदर और सुगठित है और इसमें अपेक्षाकृत कम लगती है। पढ़ने में सुगम और सहज है।

(7) यह वर्णात्मक लिपि है। इसके सभी वर्ण उच्चारण के अनुरूप है। लचीलापन इसकी अन्य विशेषता है।

लिपि की वैज्ञानिकता अक्षरों से प्रकट होती है।

(8) उच्चारण के जितने भी उतार-चढाव हो सकते है जितने भी मृदु कठोर और कठोरतम बलाघात हो सकते हैं सभी का समावेश नागरी लिपि में किया गया है।

(9) नागरी की वर्णमाला के किसी भी वर्ण को अलग-अलग करके लिख सकते है।

(10) मुख के पृथक-पृथक स्थानों से उच्चारित होने वाले व्यंजन भी अलग-अलग वर्गों में संग्रहित हैं। कंठ से बोले जाने क वर्ग में, तालु से बोले जाने वाले च वर्ग में, मूर्धन्य ट वर्ग में, दन्त्य त वर्ग में और ओष्ठ प वर्ग में आते हैं।

(11) सभी व्यंजनों के अंत में अ समाहित है। इसमें वर्ण संयोग करी पद्धति पूर्णतया वैज्ञानिक है।

(12) वर्णों की आकृति में स्पष्टता है। इसकी वर्णमाला अधिक परिष्कृत और विकसित है।

(13) इस लिपि में संक्षिप्तता हैं, स्पेलिंग (वर्तनी) याद रखने की जरूरत नहीं होते, इसके उच्चारण की सरल प्रणाली है।

(14) नागरी लिपि में विश्व की सभी क्रमानुगत सभी भाषाओं की और नवागत ध्वनियों को उच्चारित एवं प्रतिनिधित्व करने वाले लिपि चिह्न विद्यमान है। इसमें ध्वयात्मक-मूल्य अधिक है, इस कारण नए ध्वनि-चिह्न अपना कर इसने अंतरराष्ट्रीय लिपि (विश्व लिपि) की क्षमता कर ली है।

नागरी की प्रतिष्ठा

भारत में भले ही शासन व्यवस्था भारतीयों के हाथ रही हो या आक्रमणकारी विदेशियों के हाथ में सभी ने अपनी शासन व्यवस्था में देवनागरी के महत्त्व को आदर और सम्मान के साथ स्वीकार किया। बाद में भले ही शासन की राजभाषा फारसी या अंग्रेजी रही हो किन्तु इस काल खंड में भी देवनागरी अपना अस्तित्व बचाए रखने में सफल रही। ईसा से 23 वर्ष पूर्व एक राजकीय दान के ताम्रपत्र में उत्कीर्ण नागरी में लिखा संस्कृत अभिलेख मिला है। ग्याहरवीं सदी में नागरी में लिखे अनेक शिलालेख मूर्ति अभिलेख और ताम्रपत्र मिले। मध्यकाल के प्रारंभ से लेकर (1200 ई.) मुगल शासन (1556-1605 ई.) तक राजस्व विभाग में नागरी लिपि का निर्विवाद प्रचलन था। मुगल बादशाह अकबर से लेकर औरंगजेब तक के शासन काल में सिक्कों पर और शाही फरमानों में नागरी लिखने की परंपरा थी। दक्षिण भारत के विजयनगर साम्राज्य (1336-1564 ई.) के सिक्कों पर देवनागरी और सभी राजकीय कार्यों में नागरी लिपि का प्रयोग होता था। इसी प्रकार चोल राजाओं (ग्याहरवीं सदी) और केरल के शासकों के सिक्कों पर भी नागरी लिपि अंकित थी। सुदूर दक्षिण से प्राप्त वरगुण का पलियम ताम्रपत्र नागरी लिपि में मिला है। इतना ही नही श्रीलंका के पराक्रमबाहु और विजयबाहु आदि शासकों के सिक्कों पर भी नागरी अक्षर मिले है। उत्तर भारत के मेवाड़ के गुहिल, अजमेर के चौहान, कन्नौज के गहड़वाल, काठियावाड़ (गुजरात) के सोलंकी, आबूके परमार, बुंदेलखंड के चंदेल और त्रिपुरी के कलुचरी आदि शासकों के अभिलेख भी नागरी में ही थे। अलबरुनी ने अपने ग्रन्थ (1030 ई.) में लिखा था कि मालवा में नागरी लिपि का प्रयोग होता है। इससे स्पष्ट है कि आठवीं से लेकर ग्याहरवीं सदी तक नागरी लिपि पूरे देश में प्रचलन में थी। उस समय यह सार्वदेशिक लिपि थी। हिन्दी की सैकड़ों वर्षों का समृद्ध साहित्य नागरी की शक्ति का ही परिचायक है।

ईस्ट इंडिया कंपनी शासन काल के प्रारंभ में ही एशियाटिक सोसायटी कलकत्ता के संस्थापक अध्यक्ष सर विलियम जोस ने अपने शोध पत्र (17 अप्रैल, 1724 ई.) में नागरी लिपि को अन्य लिपियों की अपेक्षा सर्वाधिक श्रेष्ठ लिपि घोषित किया। इस नागरी लिपि आंदोलन को शुभारंभ माना जा सकता है। ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रथम संविधान (1 मई 1793 ई.) के प्रथम अनुवाद की तृतीय धारा में नागरी लिपि को सरकारी स्वीकृति मिली। फ्रेडरिक जॉन शोर ने अपने न्यायाधीश की सेवा (1832-1834 ई.) के दौरान निर्णय दिया था कि देवनागरी भारत की लिपि है, फारसी नहीं। सन् 1837 में सरकार ने निश्चय किया कि न्याय और राजस्व विषयक सभी कार्य फारसी के विपरीत, यहाँ की देश भाषा में हो। बाद में 30 सितम्बर 1854 को सरकारी आदेश आया कि गाँवों के पटवारियों के कागजात हिन्दी भाषा और नागरी लिपि में लिखा जाय। डॉ. राजेन्द्र लाल मित्रा ने 1864 में जर्नल ऑफ एशियाटिक सोसायटी में यह विचार व्यक्त किया कि देवनागरी लिपि को हिंदवी और उर्दू भाषाओं की लिपि के रूप में स्वीकार किया जाए। सन् 1866 में एफ.एस

ग्राउस ने नागरी लिपि को शासकीय स्वीकृति दिलाने की दिशा में मजबूत कदम उठाए। सन् 1868 में राजा शिव प्रसाद 'सितारेहिंद' ने जनसाधारण की शिक्षा के लिए नागरी लिपि के कट्टर समर्थन के रूप में अपनी पहचान बना ली। वे पहले भारतीय साहित्यकार थे, जिन्होंने नागरी लिपि के समर्थन में ब्रिटिश सरकार को अभ्यावेदन प्रस्तुत किया। सन् 1873 में पश्चिमोत्तर प्रदेशवासियों ने भी इसी प्रकार का ज्ञापन सरकार को दिया। 6 जून 1881 ई. को मध्यप्रदेश की कचहरियों में नागरी लिपि को सरकारी मान्यता मिल गई। जबकि उस समय विभिन्न देशी रजवाड़ों में शासन-प्रशासन की लिपि फारसी थी। इंदौर के मलहार राव होल्कर (1693-1766) तत्पश्चात् लोकमाता देवी अहिल्याबाई होल्कर (1725-1795) नागरी को राजकार्य की लिपि बनाया। अयोध्या राज्य ने सन् 1903 में, कोटा 1907 में अलवर ने 1909 में, छतरपुर में 1910 में अपने राज्य में शासन की लिपि नागरी स्वीकार की। 1854 में भारत के अन्तिम मुगल बादशाह जफर के भतीजे वेदार बख्त ने स्वाधीनता संग्राम की सूचनाओं को प्रसारित करने के लिए पयामे आजादी अखबार निकाला जो फारसी और नागरी दोनों लिपि में था।

प्रख्यात देशभक्त और बांग्ला भाषी आधुनिक युग के हमारे अग्रणी नेताओं, प्रबुद्ध विचारकों और मनीषियों ने राष्ट्रीय एकता के लिए नागरी लिपि के प्रयोग पर बल दिया था। राजा राममोहन राय, बंकिमचन्द्र चटर्जी, महर्षि दयानन्द, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, केशववामन पेटे, कृष्णस्वामी अय्यर मुहम्मद करीम छागला आदि मनीषियो ने राष्ट्रीय एकता के लिए नागरी लिपि की महत्ता को स्वीकार किया था। लोकमान्य तिलक ने 1905 में नागरी प्रचारिणी सभा वाराणसी में कहा था-देवनागरी को समस्त भारतीय भाषाओं के लिए स्वीकार किया जाना चाहिए। दक्षिण भारतीय विद्वान वी कृष्णास्वामी अय्यर ने 1910 में इलाहाबाद में कहा था-देश की एकता के लिए देवनागरी लिपि को स्वीकार किया जाना चाहिए।

ईश्वर चन्द्र विद्यासागर ने 1857 में संस्कृत के लिए सभी विश्वविद्यालयों में देवनागरी को स्वीकृत कराया। राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी ने 1909 में अपनी पुस्तक 'हिन्द स्वराज' में हिंदी की अनिवार्यता और इसे नागरी और फारसी में लिखने का आग्रह किया। वर्ष 1916 के कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में गाँधी जी के सभापतित्व में, 'एक लिपि परिषद्' के कार्यक्रम में, नागरी लिपि और हिंदी भाषा सार्वदेशिक रूप में प्रचार हेतु स्वीकार किया। वर्ष 1918 के इंदौर अधिवेशन (आठवें हिंदी साहित्य सम्मेलन) में अपने अध्यक्षीय भाषण में गाँधी जी ने हिंदी को राष्ट्रीय भाषा का स्थान दिया था। जुलाई 1927 में गाँधी जी ने कहा था- 'भारत की सभी भाषाओं के लिए एक लिपि होना लाभदायक है और वह लिपि नागरी ही हो सकती है। भारत की सभी भाषाओं के लिए नागरी लिपि ही चलनी चाहिए।''

नागरी की प्रतिष्ठा

नागरी लिपि के प्रचार-प्रसार का कार्य सिर्फ हिंदी भाषा-भाषी क्षेत्र तक ही सीमित नहीं रहा। भारतीय समाज के तत्कालीन उन्नायकों को यह समझ आ गया था कि यदि पूरे देश को एक सूत्र में निबद्ध होना है तो अन्यान्य तत्वों के साथ-साथ उसकी भाषा भी एक होनी चाहिए। यदि भाषा एक न हो सके तो विभिन्न भारतीय भाषाओं की लिपि तो एक होनी ही चाहिए। तत्कालीन बंगाल के जस्टिस शारदा चरण मित्र ने 1905 में कोलकता में 'एक लिपि विस्तार परिषद' की स्थापना की। इसके सदस्यों में विश्वकवि रवीन्द्रनाथ टैगोर, सर गुरूदास बनर्जी (कुलपति) महाराजा रामेश्वर सिंह (दरभंगा) महाराज प्रतापनारायण सिंह (अयोध्या), महाराजा रावणेश्वरप्रसाद सिंह (मुंगेर) श्रीधर पाठक, बालकृष्ण भट्ट, रामानंद चटर्जी (संपादक-प्रवासी, इलाहाबाद) प्रमुख थे। साथ ही इन्होंने 1907 में कोलकाता से 'देवनागर' नाम से पत्रिका का प्रकाशन भी शुरू किया। इसके प्रवेशांक में ही यह उल्लिखित था- ''इस पत्रिका का मुख्य उद्देश्य है-भारत में एक लिपि का प्रचार बढ़ाना और वह एक देवनागराक्षर हैं। भारतीय लिपियों की जननी देवनागरी लिपि ही हैं, जैसे भाषाओं की जननी संस्कृत। देवनागर का व्यवहार चलाने में किसी प्रांत का अपनी लिपि या भाषा के साथ स्नेह कम नहीं पड़ सकता। हाँ, यह अवश्य है कि अपने परिमिति मंडल को बढ़ाना होता।'' 'देवनागर' के विभिन्न अंकों में बंगला, मराठी, पंजाबी, कन्नड़, तमिल, गुजराती, नेपाली, ओड़िया, मलयालम आदि प्रायः सभी भारतीय भाषाओं की साहित्यिक सामग्री, देवनागरी में लिप्यंतरित करके छापी जाती थी। यह पत्रिका जस्टिस मित्र के जीवनपर्यन्त (1917) तक प्रकाशित होती रही।

संविधान में नागरी हिंदी

स्वाधीनता के बाद गठित संविधान समिति ने फरवरी

1948 को जो प्रारूप प्रस्तुत किया, उसमें राजभाषा का कोई उल्लेख नहीं था। परन्तु क.मा. मुंशी (गुजरात) के अथक प्रयासों से सितंबर 1949 में संविधान सभा में राजभाषा पर चर्चा हुई। इसमें नागरी लिपि की महत्ता को सभी विद्वानों ने एक मत से स्वीकार किया। इसीलिए भारत की संविधान सभा ने देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी को राष्ट्रभाषा नियत करने का प्रस्ताव तमिलभाषी गोपाल स्वामी आयंगर ने रखा, जिसे तेलुगुभाषी दुर्गाबाई, कन्नड़भाषी कृष्णमूर्ति, मराठीभाषी शंकरराव देव, उर्दूभाषी मौलाना अबुल कलाम आजाद ने समर्थन दिया था। फलस्वरूप 14 सितंबर 1949 को संविधान के भाग-17 के अनुच्छेद 343(1) में राजभाषा के रूप में देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी को स्वीकार किया गया, जो 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ। हमारे विद्वान राजनेताओं को यह विश्वास था कि देवनागरी राष्ट्रीय एकता में अपनी महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। आचार्य विनोबा भावे ने नागरी कि महत्त्व को स्वीकार करते हुए कहा था- 'हिन्दुस्तान की एकता के लिए हिंदी भाषा जितना काम देगी, उससे बहुत अधिक काम देवनागरी देगी। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि सभी भाषाएँ देवनागरी में भी लिखी जाएँ। सभी लिपियाँ चलें। साथ-साथ देवनागरी का भी प्रयोग किया जाए।''

सूचना प्रौद्योगिकी के युग में नागरी

सूचना प्रौद्योगिकी के युग में अब नागरी-हिंदी कम्प्यूटर, इंटरनेट और मोबाइल के माध्यम से व्हाटसएप, ब्लॉगिंग, एस.एम.एस, ई-मेल, ट्विटर, वेबसाइट, फेसबुक, माइक्रो-ब्लॉगिंग साइट जैसे सोशल मीडिया पर भी अपना वर्चस्व बना रही हैं। नागरी-हिंदी को दुनिया भर में तेजी से फैलाने में सूचना प्रौद्योगिकी ने महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इंटरनेट पर हिंदी के अखबार, पत्रिकाएँ, वेबसाइट और ब्लॉग्स देखे जा सकते है। ''अब गूगल के अनुसार 20% भारतीय उपभोक्ता हिंदी में नेट सर्फिंग करते है, केंद्र और राज्यों की 9 हजार वेबसाइट हिंदी में उपलब्ध 70 ई-पत्रिकाएँ देवनागरी लिपि में इंटरनेट पर, हिंदी साहित्य से संबंधित उपलब्ध है। अंग्रेजी के 19% के मुकाबले 94% की दर से विकसित हो रही है। एक लाख से ऊपर नेट पर नागरी हिंदी ब्लॉगर संख्या है। महात्मा गाँधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, वर्धा की वेवसाइट डब्लू. डब्लू.डब्लू. हिंदी कॉम पर 1000 हिंदी के रचनाकारों की रचनाओं का अध्ययन किया जा सकता है। नागरी-हिंदी के 15 से अधिक सर्च इंजन हैं, जो किसी भी वेबसाइट का नागरी-हिंदी अनुवाद करके पाठकों को उपलब्ध करा देते हैं। याहू, गूगल और फेसबुक भी हिंदी में उपलब्ध है। गूगल पर एक लाख विकीपीडिया के लेख है।'' आज पूंजी बाजार नियामक सेबी सहित अनेक बैंकों और इसरों की वेबसाइट नागरी-हिंदी में उपलब्ध हैं। स्मार्ट फोन पर अब ट्रांसलेशन एप हैं, जो अंग्रेजी को नागरी-हिंदी या किसी भी भारतीय भाषा में या इन्हें अंग्रेजी में अनुदित कर सकते हैं। कई फोन में अब डिफाल्ट देवनागरी लिपि की बोर्ड उपलब्ध है। गूगल पर मेप और सर्च भी हिंदी में है। अब स्मार्ट फोन में चाहे हाथ से हिंदी नागरी में लिखकर मैसेज कर सकते है या फिर हिंदी की-बोर्ड को, डाउनलोड कर मैसेज टाइप कर सकते है। ''ट्विटर को टक्कर देने के लिए अनुराग में हिंदी सोशल नेटवर्किंग साइट 'मूशक' बनाई है। जिसमें 500 शब्दों को पोस्ट लिख सकते है, जबकि ट्विटर पर सिर्फ 140 की ही शब्द सीमा है। एक नंबर पर सिर्फ एक ही अकांउट ओपन हो सकता है। इसमें नागरी-हिंदी में अनुवाद की जगह लिप्यंतरण कर सकते है। इस पर फेसबुक से तीन गुना बेहतर फोटो वीडियो और पोस्ट अपलोड कर सकते है। अपनी पोस्ट को बुक मार्क कर सकते है साथ ही उसे ड्राफ्ट में सेव कर सकते है।'' अलवर के सरकारी शिक्षक इमरान ने अपने छात्रों के लिए 50 से ज्यादा मुक्त एंड्राएड एप बनाए है। ललित कुमार ने 'कविता कोश' और 'गद्यकोश' की वेबसाइटे बनाई हैं। दिल्ली की अपराजिता ने हिंदी के चेट-स्टीकर्स 'हिमोजी' नाम से बनाए है। मुंबई के अमितेश ने 'शब्द नगरी' नाम से सोशल नेटवर्किंग साइट बनाई है। केंद्र सरकार और कई राज्यों ने ई-गवर्नेंस हिंदी और प्रादेशिक भाषाओं में बनाई है। ऑल इंडिया सोसाइटी फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्प्यूटर टैक्नोलॉजी ने हिंदी भाषा में कम्प्यूटर की पुस्तकें बनाई है। आज नागरी-हिंदी तकनीक के साथ कदम मिलाकर चल रही है। आज कंप्यूटर व स्मार्ट फोन पर हिंदी में बोले गए शब्दों को लिखने की सुविधा उपलब्ध है और हाथों की लिखावट पहचानने वाला भी एप उपलब्ध है। नेट पर ऐसे कई विकल्प भी उपलब्ध हैं, जहाँ रोमन लिपि की सामग्री को नागरी लिपि या अन्य भारतीय भाषाओं की लिपि में बदल सकते हैं। देवनागरी लिपि निर्दोष, सर्वगुण-सम्पन्न और भारत की राष्ट्रलिपि होने की समस्त योग्यताएँ रखती हैं।

महामंत्री
नागरी लिपि परिषद, नई दिल्ली

केंद्रीय सचिवालय हिंदी परिषद का गरिमामयी परिचय

116, लक्ष्मीबाई नगर, नई दिल्ली
(पंजीकरण सं.-एस-1957/1961-62)
ईमेल: hindiparishad116@gmail.com

-पंकज दीवान

26 जनवरी 1950 को भारत के गणतंत्र घोषित होते ही हिंदी को भारत संघ की राजभाषा के रूप में स्वीकार तो कर लिया गया। किंतु जैसा कि हम जानते हैं कि कई वर्षों तक भारत पर ब्रिटिश शासन का अधिपत्य होने के कारण सरकारी कामकाज में अंग्रेजी का वर्चस्व बना रहा और हिंदी को राजकाज की आवश्यकता के अनुरूप ढालने के ठोस प्रयास नहीं किए गए। इसका मुख्य कारण यह भी था कि विभिन्न प्रकार के शासकीय कार्यों में हिंदी का प्रयोग करने के लिए अंग्रेजी भाषा के प्रशासनिक शब्दों के हिंदी पर्याय ज्ञात न होने के कारण सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों की अंग्रेजी में कार्य करने की प्रवृत्ति बनी रही। ऐसे में सरकारी कर्मियों में हिंदी में काम-काज करने की अभिरुचि उत्पन्न करने हेतु प्रयोजनमूलक हिंदी की सहायक पुस्तकों की आवश्यकता अनुभव की गई जिनमें पारिभाषिक शब्दों के पर्याय, विभिन्न वाक्यांशों, पत्र-व्यवहार और टिप्पणियों के हिंदी रूपांतरण सुलभ हो सके। सरकारी कामकाज में हिंदी के अधिक से अधिक प्रयोग के राष्ट्रीय महत्त्व के कार्य को सहजता से करने के प्रयोजनार्थ हिंदी की सहायक पुस्तकें और विभिन्न विषयों पर शब्दावली तैयार करना तथा सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों को हिंदी में काम करने के लिए प्रेरित और प्रोत्साहित करना परम आवश्यक था। संविधान में हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित करना एक औपचारिकता मात्र ही न रह जाए इसलिए सरकारी कामकाज में हिंदी के प्रयोग को व्यवहारिक रूप देना आवश्यक था। उपर्युक्त सभी प्रयोजनों के लिए संविधान के अनुच्छेद 351 में उल्लिखित हिंदी भाषा का प्रचार-प्रसार और उसका विकास करने के संघ सरकार के दायित्व में सहयोग प्रदान करने के उद्देश्य से केंद्रीय सचिवालय में कार्यरत परम हिंदी सेवी दूरदृष्टा स्वर्गीय हरिबाबू कंसल फाइलों पर टिप्पणियाँ हिंदी में लिखने लगे और हिंदी में पत्रों के प्रारूप लिखने तथा अपना समस्त कार्य राजभाषा हिंदी में करने लगे। वे वहाँ कार्यरत अपने और आसपास के कार्यालयों के कर्मचारियों को हिंदी में कार्य करने के लिए प्रेरित करते और हिंदी लिखने में उनकी सहायता करते। उन्होंने आसपास के सरकारी कार्यालयों में हिंदी में कार्य करने का सघन अभियान चलाया। धीरे-धीरे उनके साथ अन्य केंद्रीय सरकारी अधिकारी और कर्मचारी जुड़ते चले गए। तत्पश्चात श्री कंसल जी ने सर्वश्री सूर्य नारायण सक्सेना, राजेंद्र त्रिवेदी, राजरूप राय, देवकीनंदन गोयल, रामेश्वर दास गुप्ता, डॉक्टर मोती बाबू आदि हिंदी प्रेमी महानुभावों के सहयोग से 3 मई 1960 को वोट क्लब, नई दिल्ली में केंद्रीय सचिवालय हिंदी परिषद की स्थापना की। यह कंसल जी के अथक प्रयत्नों के ठोस रूप लेने अर्थात् आकार ग्रहण करने का श्रीगणेश था। शीघ्र ही हिंदी प्रेमी और हिंदी सेवी कर्मीगण स्वेच्छा से परिषद के साथ जुड़ने लगे। आरंभ में केवल रु.1 मात्र का शुल्क लेकर हिंदी परिषद की सदस्यता का अभियान चलाया गया और पूरे देश में परिषद की शाखाओं का गठन करने का कार्य तीव्र गति पकड़ने लगा। परिषद के प्रथम राष्ट्रीय प्रधान, श्री देवेश दास, आई. सी.एस. सचिव, भारत सरकार और महामंत्री श्री सूर्य नारायण सक्सेना थे। वर्तमान में परिषद के माननीय प्रधान, श्री कुशीविन्दर वोहरा, अध्यक्ष, केंद्रीय जल आयोग और महामंत्री, श्री विनीत रावत हैं।

परिषद का मुख्य उद्देश्य भारत सरकार के मंत्रालयों, विभागों और संबद्ध कार्यालयों में हिंदी भाषा और साहित्य के

प्रति अभिरुचि उत्पन्न करना, राजभाषा हिंदी के संवर्द्धन का मार्ग प्रशस्त करना और उस दिशा में किए जाने वाले कार्यों में सहयोग प्रदान करना था जिनका उल्लेख भारत के संविधान के अनुच्छेद 120, 210, 343 से 351 में किया गया है। इस संस्था की स्थापना केंद्रीय सचिवालय में ही हिंदी के प्रयोग को बढ़ाने के प्रयोजन हेतु की गई थी। तत्पश्चात परिषद के हिंदी प्रचार-प्रसार के राष्ट्रीय महत्त्व के कार्य में स्वेच्छा से अपना योगदान प्रदान करने हेतु केंद्र सरकार के अधीनस्थ, संबद्ध कार्यालयों, उपक्रमों, बैंकों, निगमों आदि में कार्यरत कर्मी गण इस संस्था के साथ जुड़ते गए। इस प्रकार से संस्था के कार्य क्षेत्र एवं प्रभाव क्षेत्र में विस्तार होता गया और फिर केंद्रीय सचिवालय हिन्दी परिषद दिल्ली से बाहर देशव्यापी रूप लेने लगी। देशभर के सभी प्रमुख नगरों में केंद्रीय सरकार के कार्यालयों में केंद्रीय सचिवालय हिंदी परिषद की शाखाओं का गठन किया गया जिनके हजारों सदस्य हैं। परिषद की स्थापना के समय यह लक्ष्य रखा गया था कि परिषद को किसी भी अन्य हिंदी सेवी संस्था की प्रतिद्वंद्वी संस्था के रूप में सामने नहीं आना है अपितु उनकी पूरक और सहयोगी संस्था के रूप में कार्य करना है। हिंदी परिषद रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटी, दिल्ली के अंतर्गत पंजीकृत संस्था है इसका पंजीकरण संख्या: एस 1957/1961-62 है। परिषद की कुछ योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय से अनुदान मिलता है।

केंद्रीय सचिवालय हिंदी परिषद द्वारा कार्यालयों में हिंदी में सहजता से काम करने के लिए उपयोगी साहित्य तैयार करना

स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व और उसके पश्चात सरकारी कार्यालयों में अंग्रेजी में काम करते रहने का प्रमुख कारण यह भी था कि कर्मचारियों को पुरानी फाइलों में से विविध प्रकार की सामग्री सहायता के लिए उपलब्ध रहती थी जबकि हिंदी में काम करने के लिए के किसी के पास किसी प्रकार की सहायक पुस्तकें और सामग्री उपलब्ध नहीं थी। सरकारी कामकाज में अधिकतर प्रयोग किए जाने वाले अंग्रेजी शब्दों के हिंदी पर्याय, वाक्य विन्यास, पत्र व्यवहार और टिप्पणियों अदि के हिंदी रूपांतरण सुलभ करवाने हेतु सर्वप्रथम श्री हरी बाबू कंसल के मार्गदर्शन में केंद्रीय सचिवालय हिंदी परिषद द्वारा वर्ष 1962 में 'कार्यालय सहायिका' नामक पुस्तक का पहला संस्करण प्रकाशित किया गया। इस पुस्तक के प्रथम संस्करण में श्री मन्नानारायन, तत्कालीन सदस्य, योजना आयोग ने अपने प्राक्कथन में इस पुस्तक की सराहना करते हुए यह उल्लेख किया है कि, केंद्रीय सचिवालय हिंदी परिषद ने 'कार्यालय सहायिका' नामक पुस्तक तैयार करके राजभाषा हिंदी के संयोजित प्रचार की दृष्टि से एक महत्त्व का कार्य किया है। इस पुस्तक में टिप्पणियों के नमूने भी दिए गए हैं जिनका उपयोग फाइलों पर नोटिंग के लिए आसानी से किया जा सकेगा। कार्यालय सहायिका के अंतिम खंड में कई प्रकार के पत्र व्यवहार, आदेशों आदि की रूपरेखा भी दी गई है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि इस पुस्तक में शब्दों या वाक्यांशों के लिए सरल और कामकाजी भाषा का प्रयोग किया गया है। मुझे पूरी आशा है कि इस पुस्तक की सहायता द्वारा केंद्रीय शासन के कार्यालयों में हिंदी को जारी करने में बहुत आसानी होगी। इस सामयिक प्रयास के लिए मैं केंद्रीय सचिवालय हिंदी परिषद के पदाधिकारियों को हार्दिक बधाई देता हूँ। वर्ष 1962 से लेकर वर्ष 2021 तक इसके 34 संस्करण निकाले गए हैं। सूचना प्रौद्योगिकी के युग में कंप्यूटर, ईमेल, इंटरनेट आदि आधुनिक सुविधाओं का कार्यालयों में निरंतर प्रयोग बढ़ता गया इसलिए सूचना प्रौद्योगिकी के विकास और प्रचलन के अनुरूप वर्ष 2005 के 22 वे संस्करण में 'कार्यालय सहायिका' को भी आवश्यक संशोधनों के साथ अद्यतन किया गया और इसमें कंप्यूटर शब्दावली का एक पृथक खंड भी जोड़ा गया है। इस पुस्तक की सहायता से सरकारी कर्मी कुशलतापूर्वक हिंदी में टिप्पणी लिखने और हिंदी में मूल रूप से पत्रों के आलेख तैयार करने लगे। तत्पश्चात् विभिन्न कार्यालयों की आवश्यकता के अनुरूप हिंदी में कामकाज करने के लिए विभिन्न विषयों पर सहायक साहित्य तैयार करने का अभियान चलाया गया। परिषद द्वारा आवेदन प्रारूप, गजट अधिसूचना, सेवा पंजी प्रविष्टियाँ, नेमी कार्यालय टिप्पणियाँ, सामान्य प्रशासन टिप्पणियाँ एवं प्रारूप, सेवा पंजी प्रविष्टियाँ, प्रशासनिक शब्दावली (हिंदी-अंग्रेजी) तथा अंग्रेजी से हिंदी में विधि, बैंक, रेलवे, संचार आयकर, बीमा, कारखाना डाक-तार, लेखा परीक्षा आदि विभिन्न विषयों पर परिभाषिक शब्दावलियों का निर्माण

किया गया। इस प्रकार से परिषद द्वारा विभिन्न मंत्रालयों, विभागों और कार्यालयों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए लगभग 50 प्रकाशन तैयार किए गए जिनकी सहायता से सरकारी कार्यालयों में हिंदी का प्रयोग सहजता से होने लगा। विज्ञान और तकनीकी कार्य के लिए भी परिषद द्वारा पर्याप्त मात्रा में साहित्य प्रकाशित किया गया। विभिन्न विभागों और कार्यालयों में प्रयुक्त होने वाले शब्दों के लिए दीवारों पर टांगे जाने वाले चार्ट और पुस्तिकाएँ भी प्रकाशित की गई। परिषद द्वारा नियमित रूप से 'हिंदी परिचय' नाम से अर्धवार्षिक पत्रिका का प्रकाशन किया जाता है जिसमें राजभाषा नीति नियमों की जानकारी, परिषद की शाखाओं द्वारा किए जा रहे राजभाषा संबंधी कार्यकलापों और गतिविधियों की सूचना तथा हिंदी में सरलता से काम करने के प्रयोजन हेतु उपयोगी सामग्री प्रकाशित की जाती है। इसके अतिरिक्त परिषद की अर्धवार्षिक पत्रिका 'विज्ञान गंगा' में वैज्ञानिक एवं तकनीकी विषयों पर मूल रूप से हिंदी में लिखे गए लेख प्रकाशित किए जाते हैं। जिससे वैज्ञानिक, तकनीकी और सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में हो रही उन्नति तथा तकनीकी शब्दों की जानकारी से विज्ञान और तकनीकी क्षेत्रें में कार्य करने वाले कर्मचारी लाभान्वित होते हैं।

परिषद द्वारा वर्ष 1977 में प्रकाशित 'संघ की राजभाषा' नामक पुस्तक में भारत के संविधान में राजभाषा से संबंधित संवैधानिक उपबंध, राजभाषा अधिनियम 1963, राष्ट्रपति के वर्ष 1952, वर्ष 1955 और वर्ष 1960 के आदेश, राजभाषा अधिनियम 1963, राजभाषा संकल्प 1968, राजभाषा नियम 1976 और राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा समय-समय पर जारी किए गए आदेशों की जानकारी का संकलन किया गया जोकि पहले किसी एक पुस्तक में उपलब्ध नहीं था। सरकारी कार्यालयों में राजभाषा नीति नियमों का सुचारू रूप से अनुपालन करवाने और हिंदी के प्रयोग के संवर्द्धनार्थ कार्यालय प्रमुख तथा अन्य संबंधित अधिकारियों को संविधान में वर्णित राजभाषा संबंधी व्यवस्थाओं, राजभाषा अधिनियम 1963, भाषा नीति विषयक संकल्प 1968 तथा राजभाषा नियम 1976 की जानकारी रखना अति आवश्यक है ताकि वे अपने कार्यालयों में राजभाषा नीति नियमों का सुचारू रूप से अनुपालन करवाने और हिंदी के प्रयोग के संवर्द्धन संबंधी अपने संवैधानिक दायित्व का भली भाँति निर्वहन कर सकें। इसी को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय सचिवालय हिंदी परिषद ने वर्ष 1977 में इन सबका संकलन 'संघ की राजभाषा' नामक पुस्तक में किया गया।

केंद्रीय सचिवालय हिंदी परिषद के संगठन को अखिल भारतीय स्वरूप प्रदान करने, कार्यालयों में हिंदी के प्रयोग में वृद्धि हेतु नव-नव योजनाओं की रूपरेखा तैयार करने और परिषद के कार्यकलापों को पूरे देश में कार्यान्वित करने में श्री हरी बाबू कंसल ने जीवन पर्यंत अपना अमूल्य सहयोग प्रदान किया। कंसल जी हिंदी प्रेमी और सेवियों के सच्चे पथ प्रदर्शक और प्रेरणा स्रोत थे। उनकी मृत्यु के पश्चात् परिषद के हजारों कार्यकर्ता उनके पुनीत कार्य को गति प्रदान करने में निष्ठावान राजभाषा प्रहरी के रूप में अपना योगदान दे रहे हैं।

राजभाषा विभाग गृह मंत्रालय द्वारा परिषद का साहित्य क्रय किए जाने की अनुशंसा

राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा जारी आदेश के अंतर्गत यह उल्लेख किया है कि केंद्रीय सचिवालय हिंदी परिषद द्वारा प्रकाशित 'कार्यालय सहायिका' जो बहुत उपयोगी पुस्तक है और परिषद द्वारा प्रकाशित विभागों से संबंधित टिप्पणियों तथा प्रारूपों से संबंधित साहित्य को भी केंद्रीय सरकार के सभी कार्यालयों के पुस्तकालयों में रखा जाना चाहिए।

केंद्र सरकार के अधिकारियों और कर्मचारियों में हिंदी का प्रयोग करने के प्रति अभिरुचि उत्पन्न करने और हिंदी में कार्य करने की उनकी कुशलता को बढ़ाने की दृष्टि से सर्वप्रथम केंद्रीय सचिवालय हिंदी परिषद द्वारा हिंदी के विभिन्न विषयों पर प्रतियोगिताओं का आयोजन अखिल भारतीय स्तर पर आरंभ किया गया। परिषद द्वारा प्रत्येक वर्ष संचालित की जाने वाली हिंदी प्रतियोगिताए:-

1. कंप्यूटर पर हिन्दी टाइपिंग प्रतियोगिता

पहले यह प्रतियोगिता हिंदी टाइपराइटर पर कराई जाती थी। इस प्रतियोगिता के लिए और अखिल भारतीय स्तर पर प्रथम, द्वितीय और तृतीय नगद पुरस्कार, अखिल भारतीय हिंदीतर भाषी नगद पुरस्कार, तीन हिंदीतर भाषी विशेष नगद पुरस्कार, एक अखिल भारतीय महिला प्रथम नगद पुरस्कार प्रतीक सहित, राज्य प्रथम नगद पुरस्कार और प्रत्येक केंद्र के

लिए प्रोत्साहन पुरस्कार दिए जाते हैं। हिंदी टंकण प्रतियोगिता में अधिक से अधिक हिंदीतर भाषी प्रतियोगियों को भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करने के प्रयोजन हेतु हिंदीतर भाषी प्रतियोगी को अखिल भारतीय पुरस्कार प्रदान करने हेतु 45 शब्द प्रति मिनट की न्यूनतम गति और हिंदी भाषी प्रतियोगी के लिए 70 शब्द प्रति मिनट की न्यूनतम गति सीमा रखी जाती है। इस प्रतियोगिता में जिन प्रतियोगियों की गति 25 शब्द प्रति मिनट या उससे अधिक पाई जाती है उन्हें परिषद द्वारा प्रमाण पत्र प्रदान किया जाता है। प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाले प्रतियोगी राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश, गुजरात राज्य तथा दिल्ली के रोजगार कार्यालयों में नौकरी प्राप्त करने हेतु अपना नाम दर्ज करा सकते हैं। इन राज्यों ने केंद्रीय सचिवालय हिंदी परिषद के प्रमाण पत्र को इस उद्देश्य के लिए मान्यता प्रदान की हुई है। इस प्रतियोगिता में सरकारी कर्मचारियों के अलावा हिंदी टंकण का ज्ञान रखने वाला कोई भी भारतीय नागरिक भाग ले सकता है।

2. अखिल भारतीय हिन्दी आशुलिपि प्रतियोगिता

अखिल भारतीय हिंदी आशुलिपि की 80, 100, 120, और 160 शब्द प्रति मिनट की गति की प्रतियोगिताओं का आयोजन प्रत्येक वर्ष पूरे देश में किया जा रहा है। इस प्रतियोगिता के लिए प्रत्येक गति के लिए गति वर्ग प्रथम और गति वर्ग प्रोत्साहन नगद पुरस्कार, प्रतीक और प्रशस्ति पत्र दिए जाते हैं। पिछले कई वर्षों तक उच्च गति की हिंदी आशुलिपि की 180, 200, 220, 240 और 260 शब्द प्रति मिनट की गति की प्रतियोगिता का आयोजन दिल्ली में किया जाता रहा है। श्री हरीश चंद्र बिष्ट, रिपोर्टर, लोकसभा ने दो वर्ष लगातार 260 शब्द प्रति मिनट की गति की हिंदी आशुलिपि प्रतियोगिता उत्तीर्ण करने का कीर्तिमान स्थापित कर भारत का गौरव बढ़ाया है। इस प्रतियोगिता में सरकारी कर्मचारियों के अलावा हिंदी आशुलिपि का ज्ञान रखने वाला कोई भी भारतीय नागरिक भाग ले सकता है।

अखिल भारतीय हिंदी टिप्पण एवं प्रारूप लेखन प्रतियोगिता

कार्यालयों में नित्य किए जाने वाले कार्यों से संबंधित अखिल भारतीय हिंदी टिप्पण एवं प्रारूप लेखन प्रतियोगिता का पूरे देश में किया जाता है। इस प्रतियोगिता के लिए भी हिंदी एवं हिंदीतर भाषी प्रतियोगियों के लिए पृथक-पृथक अखिल भारतीय प्रथम, द्वितीय और तृतीय नगद पुरस्कार प्रतीक सहित प्रदान किए जाते हैं तथा प्रत्येक केंद्र पर प्रतियोगियों की संख्या के अनुपात के आधार पर प्रोत्साहन पुरस्कार भी दिए जाते हैं। 50 या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले सभी प्रतियोगियों को प्रशस्ति पत्र प्रदान किए जाते हैं।

अखिल भारतीय हिंदी निबंध लेखन प्रतियोगिता (केवल हिंदीतर भाषियों के लिए)

इस प्रतियोगिता में केवल हिंदीतर भाषी सरकारी कर्मचारी ही भाग ले सकते हैं। हिंदी भाषी और हिंदीतर भाषी क्षेत्र में कार्यरत केवल हिंदीतर भाषी कर्मचारियों को प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान के लिए अलग-अलग से नकद पुरस्कार, प्रतीक एवं प्रशस्ति पत्र दिए जाते हैं। तमिलनाडु क्षेत्र में स्थापित केंद्रों में प्रथम स्थान वाले प्रतियोगी को तमिलनाडु विशेष पुरस्कार और वैजयंती प्रदान की जाती है। इसके अतिरिक्त भाषा वर्ग पुरस्कार और भाषा वर्ग प्रोत्साहन पुरस्कार भी दिए जाते हैं। 60 अंक प्राप्त करने वाले प्रतियोगियों को प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है।

अखिल भारतीय विज्ञान तथा तकनीकी विषयों पर हिंदी लेख प्रतियोगिता

अखिल भारतीय विज्ञान तथा तकनीकी विषयों पर हिंदी लेख प्रतियोगिता का भी परिषद द्वारा प्रत्येक वर्ष आयोजन किया जा रहा है। इस प्रतियोगिता में पूरे देश के वैज्ञानिक और तकनीकी क्षेत्र में कार्य करने वाले प्रतियोगियों से विज्ञान एवं तकनीकी विषयों पर मूल रूप से हिंदी में लिखे गए लेख मंगवाए जाते हैं। इस प्रतियोगिता में अखिल भारतीय प्रथम, द्वितीय, तृतीय पुरस्कार, महिला विशेष पुरस्कार और हिंदीतर भाषी विशेष नगद पुरस्कार, प्रतीक और प्रशस्ति पत्र प्रदान किए जाते हैं। प्रतियोगियों द्वारा विज्ञान एवं तकनीकी विषयों पर भेजे गए उत्कृष्ट लेखों को परिषद की अर्धवार्षिक पत्रिका 'विज्ञान गंगा' में प्रकाशित किया जाता है।

क्रम संख्या 1, 2, 3 और 4 पर दर्शाई गई प्रतियोगिताओं का आयोजन परिषद के पदाधिकारियों, कार्यालय अध्यक्ष या किसी राजपत्रित अधिकारी की देखरेख में करवाया जा सकता है। उपर्युक्त पुरस्कारों के साथ-साथ केंद्र सरकार के

कार्यालयों को राजभाषा हिंदी के प्रयोग के संवर्द्धन तथा राजभाषा नीति/नियमों के सुचारू कार्यान्वयनार्थ सर्वोत्तम, उत्कृष्ट, अति उत्तम और उत्तम राजभाषा कार्यान्वयन सम्मान के रूप में उन्हें प्रशस्ति पत्र और प्रतीक प्रदान किया जाता है। इसी प्रकार से सरकारी कार्यालयों में हिंदी का प्रयोग बढ़ाने और राजभाषा नीति नियमों का सुचारू रूप से अनुपालन करवाने में सहयोग करने वाले परिषद के कार्यकर्ताओं और सरकारी कर्मचारियों को हिंदी सेवी सम्मान के रूप में उन्हें प्रशस्ति पत्र और प्रतीक प्रदान किया जाता है।

परिषद द्वारा प्रतिवर्ष अखिल भारतीय पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया जाता है जिसमें भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री के कर कमलों से उपर्युक्त सभी प्रकार के पुरस्कार और सम्मान प्राप्त करने वाले प्रतियोगियों को नगद पुरस्कार, प्रतीक और प्रशस्ति पत्र वितरित किए जाते हैं।

राजभाषा के प्रचार-प्रसार से संबंधित गतिविधियां

सरकारी कार्यालय में हिंदी के प्रयोग को बढ़ाने के लिए केंद्रीय सचिवालय हिंदी परिषद द्वारा चलाएँ जा रहे अभियान की शृंखला में परिषद और उसकी शाखाओं द्वारा समय-समय पर पूरे देश में हिंदी भाषी और हिंदीतर भाषी क्षेत्रों में राजभाषा सम्मेलनों, संगोष्ठियों और कर्मचारियों की हिंदी में कार्य करने की प्रवीणता बढ़ाने के लिए राजभाषा कार्यशालाओं का आयोजन किया जाता है। इन सभी आयोजनों द्वारा राजभाषा के रूप में हिंदी के प्रयोग और प्रचार से संबंधित विषयों पर विचार मंथन करते हुए सरकारी कामकाज में हिंदी में काम करने में आ रही बाधाओं को दूर करने और स्वेच्छा से हिंदी में काम करने का मार्ग प्रशस्त किया जाता है। हिंदी व्यवहार संगोष्ठियों और वैज्ञानिक तथा तकनीकी भाषण माला आदि का आयोजन भी कराया जाता है। केंद्रीय सचिवालय हिंदी परिषद द्वारा 'वैश्वीकरण एवं हिंदी' विषय पर 22-23 अगस्त 2003 को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में एक राष्ट्रीय महासम्मेलन का आयोजन किया गया। इस महासम्मेलन में भारत सरकार के सभी मंत्रालयों, विभागों, संबद्ध, अधीनस्थ कार्यालयों, बैंकों एवं विभिन्न उपक्रमों आदि की सहभागिता रही। यह राष्ट्रीय महासम्मेलन हिंदी के प्रचार-प्रसार और उसके आगामी प्रयोग को और अधिक व्यापकता प्रदान करने में सहायक सिद्ध हुआ। सम्मेलन में यह विचार किया गया कि वैश्वीकरण और सूचना प्रौद्योगिकी के इस युग में हिंदी भाषा और हिंदी भाषी लोगों के समक्ष जो नई चुनौतियाँ आई हैं उनका सामना करने और विज्ञान और तकनीक के दिन प्रतिदिन होते विकास के अनुरूप हिंदी को सक्षम और स्वीकार्य बनाने की दिशा में भारत सरकार और केंद्रीय सचिवालय हिंदी परिषद जैसी संस्थाओं को योजनाबद्ध तरीके से प्रयास करना चाहिए। सभी के प्रयत्नों और प्रतिबद्धता से ही हम हिंदी को भारत के साथ-साथ विश्व के मानचित्र पर समृद्ध भाषा के रुप में सम्मानजनक स्थान दिला सकेंगे। हिंदी एक समर्थ, समृद्ध और जीवंत भाषा है। सबसे बड़ी सुखद बात यह है कि यह भाषा भारत में ही नहीं बल्कि भारत के बाहर भी लोकप्रिय बनती जा रही है। इस दृष्टि से हिंदी वैश्वीकरण के इस युग में एक अहम भूमिका निभा सकती है।

परिषद के कार्यों में गतिशीलता लाने हेतु परिषद के माननीय प्रधान जो भारत सरकार के सचिव या उसके समकक्ष स्तर के अधिकारी होते हैं उनकी अध्यक्षता में समय-समय पर परिषद की राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठकों का आयोजन किया जाता है। इन बैठकों में पूरे देश में हिंदी के प्रसार और हिंदी के प्रयोग के संवर्द्धन की रूपरेखा तैयार करने पर विचार विमर्श किया जाता है। परिषद के वरिष्ठ पदाधिकारियों के मार्गदर्शन में राजभाषा सेवा के प्रति समर्पित परिषद के निष्ठावान कार्यकर्ता विभिन्न कार्यालयों में राजभाषा नीति के सफल कार्यान्वयन के लिए सुझाव और अपना बहुमूल्य योगदान प्रदान करते हैं। साथ-साथ अधिकारियों और कर्मचारियों की अलग-अलग एवं सम्मिलित बैठकें आयोजित करके हिंदी में कार्य करने में राजभाषा नीति और नियमों का सुचारू रूप से अनुसरण करने में आ रही कठिनाइयों का व्यवहारिक हल निकालने पर विचार विमर्श करते हुए परिषद के कार्यकर्ताओं द्वारा ठोस और सहज सुझाव दिए जाते हैं।

जब तक सरकारी सेवा में आने वाले लोग अंग्रेजी माध्यम से परीक्षाएँ पास करके सरकारी कार्यालय में आते रहेंगे तो वे सामान्यत: सरकारी कामकाज में अंग्रेजी का प्रयोग करते रहेंगे जबकि हिंदी माध्यम से सफलता प्राप्त करके आने वाले कर्मचारी एवं अधिकारी हिंदी में काम करेंगे। इसी

के दृष्टिगत परिषद के प्रयासों से भर्ती और विभागीय पदोन्नति की परीक्षाओं में हिंदी के वैकल्पिक प्रयोग की छूट मिली है।

अखिल भारतीय इंजीनियरी सेवा, स्वास्थ्य सेवा, कृषि वैज्ञानिकों आदि की परीक्षा में भी हिंदी को एक विकल्प के माध्यम के रूप में स्वीकार करने के लिए परिषद द्वारा प्रयास जारी है।

देश के सरकारी कार्यालयों में हिंदी के प्रचार-प्रसार में परिषद की उल्लेखनीय भूमिका को स्वीकार करते हुए राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय और भारत सरकार के मंत्रिमंडल सचिवालय, कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा केंद्रीय सचिवालय हिंदी परिषद को निम्नांकित मान्यताएँ एवं दायित्व प्रदान करना:-

गृह मंत्रालय के आदेशानुसार भारत सरकार के सभी मंत्रालयों में माननीय मंत्री जी की अध्यक्षता में गठित हिंदी सलाहकार समितियों में हिंदी परिषद को प्रतिनिधित्व प्राप्त है। हिंदी परिषद के जो भी प्रतिनिधि मंत्रालयों की इन सलाहकार समितियों में भाग लेते हैं वह बहुत ही सूझबूझ समझदारी और दृढ़ता से हिंदी के हित की बात रखते हैं जिसका प्रभाव न सिर्फ हिंदी सलाहकार समिति के अध्यक्ष जो उस मंत्रालय के माननीय मंत्री महोदय होते हैं पर पड़ता है अपितु अन्य सदस्य भी परिषद की भूमिका की सराहना करते हैं।

2. विभिन्न नगरों में गठित नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों में भी हिंदी परिषद के केंद्रीय कार्यालय द्वारा नामित प्रतिनिधि भाग लेते हैं।

3. विभिन्न मंत्रालयों, विभागों और कार्यालयों में गठित राजभाषा कार्यान्वयन समितियों की बैठकों में हिंदी परिषद की स्थानीय शाखा के प्रतिनिधि को सदस्य के रूप में सम्मिलित करने हेतु राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा आदेश दिए गए हैं।

4. मंत्रिमंडल सचिवालय, कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के आदेश के अनुसार हिंदी परिषद की साधारण सभा, कार्यसमिति और पुरस्कार वितरण समारोह में भाग लेने के लिए हिंदी परिषद के पदाधिकारियों को विशेष अवकाश छुट्टी देने की व्यवस्था की गई है।

संगठन

केंद्रीय सचिवालय हिंदी परिषद सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों की स्वैच्छिक संस्था है। केंद्रीय सरकारी कार्यालयों, बैंको, उपक्रमों, निगमों स्वायत्त संस्थाओं आदि में कार्यरत कर्मचारी और अधिकारी इसके सदस्य बन सकते हैं। कोई भी व्यक्ति वर्तमान में रु. 50 का वार्षिक शुल्क देकर परिषद का सदस्य बन सकता है। किसी भी कार्यालय में 50 सदस्य बन जाने पर केंद्र की सहमति से चुनाव संपन्न कराकर वहाँ विधिवत शाखा का गठन किया जाता है।

प्रतिनिधि सभा

परिषद के समग्र कार्यों के संचालन की शक्ति प्रतिनिधि सभा में निहित है। कोई भी सरकारी कर्मचारी रुपए 500 का शुल्क देकर प्रतिनिधि सभा का आजीवन सदस्य बन सकता है।

कार्यसमिति

परिषद के उद्देश्यों के अनुसार उसके कार्यकलापों का संचालन करने के लिए एक कार्यसमिति का गठन किया जाता है। इस कार्यसमिति का कार्यकाल दो वर्ष का रखा गया है। कार्यसमिति में प्रतिनिधि सभा द्वारा परिषद के सदस्यों में से निर्वाचित एक प्रधान, परिषद के सदस्यों में से निर्वाचित एक महामंत्री और 25 अन्य सदस्य जिनमें से कम से कम 10 सदस्य दिल्ली से बाहर के नगरों के होते हैं। इन चुने गए सदस्यों द्वारा 7 सदस्यों को सहयोजित भी किया जाता है। परिषद की गतिविधियों का संचालन सुचारू रूप करने हेतु कार्यसमिति के सदस्यों में से तीन उप प्रधान और आठ मंत्री नियुक्त किए जाते हैं।

समन्वय समितियाँ

जिस नगर में परिषद की पाँच से अधिक शाखाएं होती है वहाँ सभी शाखाएं मिलकर उस नगर के सरकारी कार्यालय में हिंदी के सामूहिक रूप से प्रचार-प्रसार करने के प्रयोजन से समन्वय समिति का गठन कर सकती है।

परिषद की शाखा का गठन करने के लिए या परिषद की प्रतिनिधि सभा की आजीवन सदस्यता प्राप्त करने के लिए कोई भी सरकारी कर्मचारी/अधिकारी परिषद के प्रधान कार्यालय के निम्न वर्णित पते पर संपर्क कर सकता है।

महामंत्री, केंद्रीय सचिवालय हिंदी परिषद, टाइप-4,

116 लक्ष्मी बाई नगर, नई दिल्ली-11023

केंद्र से शाखाओं को दिया जाने वाला सहयोग

केंद्र द्वारा आयोजित की जाने वाली हिंदी प्रतियोगिताओं के साथ-साथ परिषद की शाखाओं द्वारा भी शाखा स्तर पर अलग से हिंदी प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है।

शाखा द्वारा दिए जाने वाले पुरस्कार की राशि का भुगतान भी यथासंभव केंद्र द्वारा किया जाता है। शाखाओं द्वारा आयोजित किए जाने वाले हिंदी सम्मेलन राजभाषा संगोष्ठी और राजभाषा कार्यशाला के आयोजन पर किए जाने वाले व्यय का भुगतान भी यथासंभव केंद्र द्वारा करने का प्रयास किया जाता है। प्रतियोगिताओं के पुरस्कार देने के लिए शाखाओं को परिषद के प्रकाशनों के कुछ सेट भी निःशुल्क दिए जाते हैं। शाखाओं की समस्या के संबंध में संबंधित कार्यालय को पत्रादि भी लिखे जाते हैं।

राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय की स्थापना वर्ष 1976 में हुई। उससे पूर्व और आज भी केंद्रीय सचिवालय हिंदी परिषद वर्ष 1960 से संविधान में प्रदत संवैधानिक व्यवस्थाओं, राजभाषा अधिनियम 1963 और भाषा नीति से संबंधित राजभाषा संकल्प 1968 में उल्लिखित निदेशों को कार्यान्वित करवाने के लिए निरंतर प्रयासरत है। परिषद के कार्यकर्ता सरकारी कार्यालयों में राजभाषा नीति नियमों का सुचारू अनुपालन तथा हिंदी का प्रयोग बढ़ाने की दिशा में पूरे मनोयोग से निःस्वार्थ भाव से इसे अपना राष्ट्रीय दायित्व समझ कर निर्वहन कर रहे हैं। सबका सहयोग प्राप्त करना और सद्भावना से हिंदी में कार्य करने की भावना उत्पन्न करना ही परिषद का मूल मंत्र है। परिषद का मुख्य उद्देश्य हिंदी को लादना नहीं ला देना है।

आज यह अति आवश्यक है कि हम माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के 'आत्मनिर्भर भारत' और 'स्वदेशी के लिए मुखर हो' अभियान से प्रेरणा लेकर राजभाषा के प्रचार-प्रसार और अपने दैनिक कार्य में हिंदी का प्रयोग करने के काम को संवैधानिक अनिवार्यता के साथ-साथ अपना नैतिक दायित्व मानते हुए सत्य निष्ठा से कार्यान्वित करें।

भारत की सामासिक संस्कृति की संवाहिका हिंदी को संघीय कार्यालयों के शासकीय कार्यों में प्रतिष्ठित करवाने में केंद्रीय सचिवालय हिंदी परिषद की महत्त्वपूर्ण भूमिका रही है। केवल सरकारी कर्मियों से ही नहीं बल्कि भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य बनता है कि वह तन्मयता से हिंदी के प्रचार और विकास के राष्ट्रीय महत्त्व के कार्य आगे बढ़ाने में परिषद के साथ सहयोग करे।

मानद निदेशक
केंद्रीय सचिवालय हिंदी परिषद

With Best Compliments from:

NORTH BENGAL VEKA

Sujit Agrawal
9434041203

मेरे देश में हिन्दी की इज्जत न हो, यह मैं सहन नहीं कर सकता। भाषा के क्षेत्र में घृणा का नहीं, प्रेम और सौहार्द का स्थान होना चाहिए। देवनागरी भारत के लिए वरदान है।

-विनोबा भावे

स्त्री तत्त्व की महत्ता

-मोहन प्रकाश दुबे

देवी भागवत के दुर्गा सप्तशती प्रकरण में एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण श्लोक का उल्लेख है-

विद्या समस्तः तब देवी भेदः।
स्त्रिया समस्तः सकला जगत्सु॥

तात्पर्य यह है कि सम्पूर्ण सृष्टि का आधार स्त्री तत्व ही है। सनातन धर्म मानने वालों का ऐसा विश्वास है कि जीव चौरासी लाख प्रकार के शरीरों में विचरण करता है अर्थात् जब एक शरीर मृत हो जाता है तो कर्म के अनुसार जीव को नया शरीर प्राप्त होता है। महत्त्वपूर्ण तथ्य यह है कि परमात्मा ने अपने विधान में प्रत्येक योनि में स्त्री को ही गर्भधारण की क्षमता प्रदान की है चाहे जीव की योनि चौरासी लाख प्रकार में से कोई भी हो। इसका अर्थ यह हुआ कि सृष्टि का आधार स्त्री तत्व ही है और इसीलिए जब सृष्टिकर्त्ता परमपिता परमात्मा ने ब्रह्मा जी के मन में सृष्टि की संरचना और उसके विस्तार का विचार उत्पन्न किया तब ब्रह्मा जी के नाभि कमल से सबसे पहले एक कन्या का जन्म हुआ जिनका नाम सतरूपा हुआ और उसके पश्चात् एक पुरूष का जन्म हुआ जिनका नाम मनु हुआ और तत्पश्चात् सृष्टि आगे बढ़ी। सम्पूर्ण धरती जिसे हम धरा कहते है यह धरा शब्द भी और धरती शब्द भी स्त्री वाचक ही है जिसका अर्थ है-जिसके अंदर धारण करने की असीम क्षमता हो उसे धरा कहते हैं। विचार करने योग्य विषय यह है कि धारण करने की यह अपार और असीमित क्षमता परमपिता परमात्मा ने पुरूष को प्रदान क्यों नही की? पूरे विश्व में जितनी भी नदियाँ हैं उन सभी के नाम से भी स्त्री वाचक तत्व का ही बोध होता है। न केवल नदी शब्द ही स्त्री वाचक है यहाँ तक कि अंग्रेजी में जिसे रिवर (River) कहते है, Oxford Dictionary में रिवर शब्द भी स्त्रीवाचक माना गया है। इसी प्रकार से सनातन धर्म में अनेक ग्रंथ उपलब्ध हैं जिनमें गौ-महिमा का विस्तृत और गहन चिंतन मिलता है। यहाँ तक कि ऐसी धारणा है कि गौ माता के अन्दर छत्तीस करोड़ देवी-देवताओं

का वास होता है। यह भी वैज्ञानिक सिद्ध तथ्य है कि न सिर्फ गौ माता का दूध अपितु प्रत्येक माता जब संतान को जन्म देती है और परमपिता परमात्मा के विधान से नवजात शिशु को माँ का जो दूध पीने को मिलता है उसे अमृत कहा गया है। अर्थात् जब तक शिशु के दांत नही निकलते हैं तब तक उसके उदर पोषण की इतनी पक्की और ठोस व्यवस्था देने के लिए भी परमात्मा ने स्त्री को ही उपयुक्त और सर्वसमर्थ माना है। स्त्री तत्व की इतनी वैज्ञानिक महत्ता होने के बावजूद भी पूरे विश्व में हजारों वर्षों का इतिहास इस बात का साक्षी है कि स्त्री को समाज में वह स्थान नही दिया गया आदितः जिसके लिए वह सर्वथा उपयुक्त एवं योग्य है। न सिर्फ धर्म का धंधा करने वाले धर्मालम्बियों ने स्त्रियों के सम्बन्ध में समाज में मिथ्या प्रचार किया अपितु पुरूष समाज ने भी अपने अहंकार के कारण और स्वार्थ सिद्धि के लिए स्त्री को न केवल सैकड़ों वर्ष तक उसके उचित अधिकारों से वंचित रखा अपितु उसके मानवाधिकारों का भी जाने अंजाने हनन् किया है। प्रत्येक जीव को जीने का अधिकार (Right to live) एक मौलिक अधिकार है, किंतु यदि हम विश्व स्तर पर गम्भीरता पूर्वक विचार करें तो क्या यह मौलिक अधिकार समाज ने अतीत में कभी स्त्री को देने के सम्बन्ध में विचार भी किया, उसके कार्यान्वयन की तो बात करना भी दूर की कौड़ी है। वेदों ने अनेक प्रकार से स्त्री की महिमा का सटीक एवं सुन्दर चित्रण किया है, किंतु वेदों के अंधे अनुयायियों ने सदैव ही इसके विपरीत सिद्धांतों को न सिर्फ प्रतिपादित किया किंतु खुले आम अपने आचरण में भी स्त्री को एक भोग की वस्तु से अधिक कभी कुछ नही समझा। यद्यपि विवाह के समय विवाह पढ़ने वाले पण्डित दूल्हे से अनेक प्रकार से यह वचन लेते हैं कि विवाह के उपरांत वह हर

निर्णय में अपनी पत्नी की भागीदारी सुनिश्चित करेगा, किंतु लगभग निन्यानवे प्रतिशत पुरुष पत्नी को अपने घर लाने के साथ ही अपने दिए हुए वचन को विस्मृत करके हर प्रकार से अपनी पत्नी पर अपना निर्णय थोपने में लग जाता है। ससुराल में आते ही उसकी स्वतंत्रता परतंत्रता में बदल जाती है और तथाकथित सामाजिक बंधनों के नाम पर अनेक प्रकार की पाबंदियाँ खाने-पीने से लेकर सोने जागने तक केवल स्त्री के ऊपर ही लादी जाती रही हैं।

मनु स्मृति में लिखा है -

यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते। रमन्ते तत्र देवता।।

हम भारतीयों के लिए मनु स्मृति से महान कोई अन्य धार्मिक ग्रंथ समाज व्यवस्था के संबंध में नहीं है किंतु कितने घरों में उक्त श्लोक को धारण करके इसका अनुसरण किया जाता है। यद्यपि यह सनातन सत्य है कि जहाँ नारी का उचित सम्मान होगा वह घर स्वर्ग जैसा ही होगा इसमें तनिक भी संदेह नही करना चाहिए। वर्तमान समय में आए दिन देखने में आता है कि स्त्री का उचित सम्मान न होने के कारण अनेक घर नरक के समान जैसी स्थिति में पहुँच गए हैं। भारतवर्ष में विवाह के उपरान्त विवाह-विच्छेद करने की कोई परम्परा नहीं रही है। किंतु आए दिन विवाहिता स्त्री पर किए जाने वाले अत्याचार और अन्याय ने भारत की सरकारों को भी पाश्चात्य् देशों की नकल पर स्त्रियों को न्याय दिलाने के नाम पर ऐसे कानून बनाने पड़े जिनके लागू होने के उपरांत आज तक लाखों विवाद देश की विभिन्न अदालतों में लम्बित पड़े हैं किंतु स्त्री को न्याय मिलना तो दूर की बात रही उसके स्वाभिमान की रक्षा करने में भी यह कानून पूरी तरह विफल हो रहे हैं और अपने अधिकारों के लिए लड़ने वाली स्त्री का समाज किस दृष्टिकोण से मूल्यांकन करता है इसको बताने की आवश्यकता नहीं है। अवयस्क लड़कियों के साथ अनेक प्रकार के यौन अत्याचार, उत्पीड़न और दुराचार समाज में आए दिन घटित होते रहते हैं और इनको रोकने में भी हमारे देश का कानून निष्प्रभावी सिद्ध हो रहा है। इसका भी प्रमुख कारण नवयुवकों में अच्छे संस्कारों का न होना है। अधिकांश माता-पिता अपने बच्चों को धर्मशील होने, संस्कारवान होने और चरित्रवान होने की शिक्षा देने के बजाए उनको आर्थिक समृद्धि और भौतिक सुख की ओर ही प्रेरित कर रहे हैं। आज गरीब हो या अमीर प्रत्येक माँ-बाप एक गलत अवधारणा का शिकार हैं कि अंग्रेजी माध्यम अथवा पब्लिक स्कूल में पढ़ाने से ही उनका बच्चा सरकार में किसी ऊँचे पद को पा सकेगा और वर्तमान शिक्षा प्रणाली में श्रीमद्भगवदगीता और उपनिषदों को पढ़ने-पढ़ाने का कोई विचार ही नीति निर्माताओं के पास नहीं है और आर्थिक प्रगति और भौतिक सुख में ही जीवन ढूँढने वाले उद्योगपति सरकार की नीतियों को इतनी गहराई से प्रभावित करते हैं कि युवक और युवतियों के मन में आध्यात्मिक विकास का तो विचार ही उत्पन्न नहीं होता है, इसके विपरीत हर समय भौतिक विकास और भौतिक सुख के लिए ही उनके द्वारा यत्न होता रहता है और परिणाम निकलता है, मानसिक अवसाद, तनाव, अनिद्रा और अशांति।

स्त्री तत्व की महत्ता का एक और प्रमाण यह है कि परमात्मा के नाम का स्मरण करते समय भी पहले स्त्री नाम की प्रधानता रहती है:- जैसे राधा-कृष्ण, सीता-राम, गौरी-शंकर, लक्ष्मी-नारायण आदि-आदि।

भारतवर्ष में तो यह मान्यता है कि प्रत्येक पुरूष की सफलता के पीछे एक स्त्री का ही हाथ होता है। इसके अनेक उदाहरण मिलते हैं, जैसे रामबोला को तुलसीदास बनाने में उनकी पत्नी रत्नावती का महत्त्वपूर्ण योगदान है। छत्रपति शिवाजी महाराज को एक महान योद्धा, साहसी और निर्भीक बनाने में उनकी माता जीजाबाई का बहुत बड़ा योगदान माना जाता है। किसी स्त्री की महानता का मूल्यांकन करना हो तो इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि जब एक स्त्री का पति दो बच्चे छोड़कर मर जाता है तो ऐसी विषम परिस्थिति में भी एक स्त्री अपना सारा जीवन बच्चों की परवरिश में लगा कर उनका जीवन सवांर देती है, किंतु जब एक स्त्री एक ही बच्चे को छोड़कर मर जाती है तब पुरुष एक बच्चे की भी जिम्मेदारी नही उठा सकता और फिर उसे किसी स्त्री का ही सहारा लेना पड़ता है और दूसरी शादी करके ही वह अपने उस बच्चे की परवरिश कर पाता है।

एक गृहणी के रूप में स्त्रियों का योगदान कामकाज और नौकरी करने वाली स्त्रियों से किसी भी रूप में कम नही आंका जा सकता। सुबह जागने से लेकर रात्रि में सोने के लिए जाने तक अपनी गृहस्थी के जितने कार्य एक स्त्री सम्पन्न करती है, यदि उसका मूल्यांकन धन के रूप में किया जाए अथवा उसी काम को करने के लिए घर में कोई

नौकर या नौकरानी रखना पड़े तो हजारों रुपये का खर्च होता है। इस प्रकार एक गृहणी अपने अथक परिश्रम से जो गृहस्थी चलाती है और बनाती है उससे हजारों रुपयों का खर्च बचता है अर्थात् एक प्रकार से परिवार की आमदनी बढ़ाने में एक गृहणी जो योगदान करती है उसे नजर अंदाज नही किया जा सकता।

एक जमाना था जब भारत में स्त्रियों को घर से बाहर भेजकर पढ़ाने लिखाने को सामाजिक मान्यता प्राप्त नही थी, किंतु समय ने करवट बदली और जबसे स्त्रियों को प्राइमरी शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा खासकर वैज्ञानिक और तकनीकी शिक्षा के अवसर मिलने लगे हैं, स्त्रियों ने न सिर्फ भारत में अपितु पूरे विश्व में अपना लोहा मनवा लिया है। स्त्रियों के सम्बन्ध में हमारे देश में विडम्बना यह रही है कि उन्हें शिक्षा और नौकरी करने के लिए उचित अवसर दिये जाने से समाज ने वंचित रखा किंतु दुष्प्रचार यह किया गया कि स्त्रियाँ अनपढ़ होती हैं, गँवार होती हैं और मूर्ख होती हैं किंतु आज किसी भी क्षेत्र में पुरुषों के साथ जब स्त्रियाँ स्पर्धा में उतरती हैं तो बाजी हमेशा ही स्त्रियों के हाथ लगती हैं।

हमारे देश में माताओं को चाहिए कि वे अपने पुत्रों को शैशव काल से ही स्त्री जाति का सम्मान करने का अभ्यास भी कराएँ और संस्कार भी दें। यदि ऐसा वातावरण हर घर में बनाने में समाज सफल हो जाता है तो मैं यह दावे के साथ कह सकता हूँ कि भारतवर्ष में महिलाओं के प्रति होने वाले अपराधों में भारी कमी लाई जा सकती है और यहाँ तक कि पति पत्नी के बीच आए दिन होनी वाली तकरार को प्यार मोहब्बत में बदला जा सकता है और परिणामस्वरूप विवाह विच्छेद के मामलों में भी बहुत बड़ी गिरावट आ सकती है। इसके लिए बालकों को निम्नलिखित मंत्र का अभ्यास भावार्थ सहित कराना चाहिए -

परद्रव्येषु लोष्ठवत्, परदारेषु मातृवत्।
आत्मवत् सर्वभूतेषु, यः पश्यति सः पण्डितः।

भावार्थ-जो मनुष्य पराए धन को मिट्टी के ढेले के समान और पराई स्त्री को माता के समान एवं संसार के सभी प्राणियों को अपने जैसा समझता है, वही पण्डित है।

पूर्व महामंत्री एवं
सदस्य परामर्शदात्री समिति
केन्द्रीय सचिवालय हिन्दी परिषद

हिंदी के शब्द हमारी अंतरात्मा, प्रकृति और भगवान की सृष्टि से जुड़े हैं। हिंदी के स्वाभाविक सौंदर्य और अनुपम महिमा को परिलक्षित करती कुछ पंक्तियों का अवलोकन करें:-

पंच महाभूतों की दिव्य शक्तियों से है संपन्न जो,
वही हमारी हिंदी है।
आकाश के समान अनंत है जिसकी शब्दावली,
वही हमारी हिंदी है।
जब मुख से निःसृत होती
तब शीतल वायु के सदृश स्पर्श से,
रोम-रोम को जो पुलकित करती,
वही हमारी हिंदी है।

अग्नि के ताप से तपकर स्वर्ण रेखाओं के समान जिसकी,
अनुपम लिपि चमकती,
वही हमारी हिंदी है।
नदियों के निर्मल जल से सराबोर होकर तन मन को,
निमज्जित करने वाली हमारी हिंदी है।
भारत की सौंधी मिट्टी के संस्कारों से जो निकली,
वही हमारी हिंदी है।।

-पंकज दीवान
मानद निदेशक
के. स. हि. परि.

छोटा शहर खोता शहर

-डॉ. रसिकेश नवजात

छोटा शहर खोता शहर
गाँव की पगडंडियों को छोड़कर
जब मैं पहुँचा एक शहर
वो था एक छोटा शहर,
पर उम्मीदें थी उससे बहुत बड़ी
क्योंकि जीविका और भरण पोषण
का था वो अंतिम आधार
जहाँ से मिलते पैसे चार
और,
मैं पूरा करता
अपनी सारी ख्वाहिशें और अरमान
हर दर पर जाकर
खोजा एक काम,
ऊँची इमारतें चौड़े रास्ते
पर विचार लोगों के संकीर्ण थे
जो उठाते वहाँ प्रश्न थे,
अट्ठहास करते मेरी बातों पर
क्योंकि वो थे स्वप्न सरीखे
कठिन पर अवास्तविक नहीं
कोरी कल्पना मेरे जुनून को बोलते,
पर मैं था अडिग अपने इरादों पर
जो थे बिल्कुल अलग
कुछ दिनों बाद,
काम भी मिला और दाम भी
पर सुकून की बहुत कमी थी,
क्योंकि भाग दौड़ और आपाधापी
में खुद को भूल सा गया
पा लिया सब कुछ जो चाहा
पर खुद को खोता ही चला गया,
ऊँची इमारतें मुझे चिढ़ाती
मेरे गाँव की मुझे याद दिलाती,
जहाँ से मेरी पगडंडिया अब
मुझे फिर बुला रही हों
लगता है मुझसे कह रही हों,
लौट आ मेरे रहगुजर
अपने छोटे से आशियाने में.....

Vision Constructions
Engineer & Construction
116, First Floor, Vardhman Market, CSC , Ram Vihar, Delhi-110092
E-mail: visionconstructions@hotmail.com
Mobile: 9811500197

आजादी का अमृतकाल और अटलजी के सपने

-खुशबू मिश्रा

जिस स्वप्न की परिणति से पहले,
मैं चिर-निद्रा में डूब गया।
जिस प्रथम किरण के दर्शन के,
पहले माटी-घट फूट गया।।
उस स्वप्न के ताने-बाने में,
यह जीवन मानो धागा था।
थककर जब यह तन क्षीण हुआ,
संकल्प मेरा तब जागा था।।
तुम राष्ट्र-शिलाएँ रखने में,
कुछ व्यस्त-व्यस्त से लगते हो।
किन्तु पूर्वजों की सुनने के भी
अभ्यासी लगते हो।।
तो सुनो! बहुत दिन बीते,
मन की गांठे नहीं गईं खोली।
मैं देता हूँ आशीष मगर,
कुछ बाते हैं अब भी अनबोली।।
सच कहूँ किसी पर दोष-सिद्धि का,
कभी नहीं आग्रही रहा।
मैं द्वेषपूर्ण इस राजनीति का,
घोर विरोधी सदा रहा।।
सामर्थ्यवान और सबल देश की,
सिद्धि सदा थी काम्य मुझे।
इसलिए भले कितना भी कटु,
प्रतिपक्ष आरसी लगा मुझे।।
मैंने गुरु चरणों में रहकर,
जो उत्तम शिक्षा पाई थी।
अक्षरशः अपने जीवन में,
वो सब मैंने अपनाई थी।।
निजहित से बढ़कर जनहित हो,
जनहित से ऊपर राष्ट्र रहा।
संकल्प यही बस जीवन भर,
अक्षुण्ण हृदय में बना रहा।।
संघर्ष नहीं कम था मेरा,
मैं कई बार एकांकी था।
पर शर-संधान रुके कैसे,
जब लक्ष्य भेदना बाकी था।।
कुछ ने छोड़ा मझधार बीच,
कुछ ने तो पक्षाघात किया।
पर शक्ति परीक्षण जारी था,
कितना भी झंझावात मिला।।
'परमाणु परीक्षण' के पीछे,
न हिंसक दृष्टि हमारी थी।
बस आत्म-सुरक्षा की खातिर,
अपनी थोड़ी तैयारी थी।।
हम शत्रु मध्य रहने वाले,
रण किसी समय संभावी था।
सम्पन्न शक्ति से हो जाना,
उस समय अवश्यम्भावी था।।
र कदम चुनौती मिली हमें,
फिर भी मध्यम व्यवहार रहा।
हम गले लगाकर उन्हें मिले,
फिर भी हमको 'कांधार' मिला।।
निर्दोषों का जीवन,
आतंकी छोड़ बचाया तब हमने।
सहनशील होने का उस क्षण
मोल चुकाया था हमने।।
उनने 'संसद पर हमला' कर,
जनतंत्र को आहत कर डाला।
'कारगिल' में कर घुसपैठ,
युद्ध-वीरों को जैसे ललकारा।।
अति मृदुता भी कमजोरो का ही,
अलंकरण हो सकती है।
इतना दुस्साहस देख,
धैर्य की सीमा भी ढह सकती है।।
सेना को दी स्वतंत्रता,
अपनी धरती वापस ले आओ।
'कारगिल' के सबसे उच्च शिखर पर,
'विजय' पताका फहराओ।।
तुम युद्ध प्रयाण करो लेकिन,
नैतिकता का संवरण रहे।
सीमा अतिक्रमण नहीं होगा,
यह बात सदा स्मरण रहे।।
मैं राम का पथ अनुगामी,
मुझको मर्यादा का भान रहा।
अतिवादी स्वर न कभी रहे,
समरसता का ही मान रहा।।
मैं सबको लेकर साथ चला,
मुझको सबका विश्वास मिला।
पर याद करो जन-प्रिय राघव,
को भी तो था वनवास मिला।।
नदियों से नदियाँ जोड़ेंगे,
धरती की प्यास बुझाएँगे।

राहों से राहें जोड़-जोड़,
हम त्वरित उन्नति लाएँगे।।
तुम कहो, कहाँ मैं अनुचित था,
क्या स्वार्थ निहित कुछ था मेरा?
ये स्वप्न देशहित देखे थे,
क्या था प्रयास वह व्यर्थ मेरा?
पर छोड़ो तुमको किसी
धर्म-संकट में नहीं डालना है।
पर एक चूक जो हुई उसे
अब आगे तुम्हे संभालना है।।
मैंने बस राम को जाना था,
सो मर्यादा से बंधा रहा।
श्री कृष्ण का आपद-धर्म भी
मुझे यदा-कदा स्मरण रहा।।
पर तुम इनके साथ-साथ
चाणक्य नीति भी ध्यान रखो।
'शठे शाठयम् समाचरेत'
की विदुर नीति भी शिक्षा याद रखो।।
तुम राष्ट्र-उन्नति-रथ के मुझको
कुशल सारथी दिखते हो।
तुम लक्ष्य-प्राप्ति के पथ पर मुझको,
दृढ़-प्रतिज्ञ भी लगते हो।।
मैं तुममे भी उन स्वप्नों की
परिणति की चाह देखता हूँ।
और भारत के विश्वगुरु
बनने की प्यास देखता हूँ।।
पर चलो यहीं बस करता हूँ
फिर और कभी बतलाऊँगा।
तुम बढ़ो राष्ट्र-प्रगति-पथ पर
मैं तुममें जीवन पाऊँगा।।

मध्य गंगा मण्डल-प्रथम
केन्द्रीय जल आयोग, लखनऊ

हिन्दी भाषा के प्रचार-प्रसार हेतु करणीय कार्य

-डॉ. महेश चन्द्र गुप्त

भारत के संविधान के अनुच्छेद 351 में संघ (अर्थात् भारत सरकार + राज्य सरकारें + जनता) को यह निर्देश है कि वह हिन्दी का प्रसार बढ़ाएँ और विकास करें, जिससे हिन्दी भारत की सामासिक संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके। यह प्रावधान विलक्षण और युगान्तरकारी है। राष्ट्र की अस्मिता को पुष्ट करने का बीज इसमें विद्यमान है। देशवासियों को इसे हृदयंगम करके इसके कार्यान्वयन हेतु तैयारी करनी चाहिए। कुछ थोड़े से वितण्डियों और प्रसिद्धि व्याकुल राजनीतिबाजों की उपेक्षा करने से हिचकिचाना नहीं चाहिए।

अनुच्छेद 351 की पृष्ठभूमि में राजभाषा नियमावली 1976 और गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग द्वारा प्रत्येक वर्ष जारी किए जा रहे वार्षिक कार्यक्रमों (राजभाषा हिन्दी के प्रगामी प्रयोग से सम्बन्धित) के अनुसार केन्द्रीय कार्यालयों से ई-मेल, फैक्स, पत्र, आरेख, बेतार संदेश हिन्दी में जारी होने चाहिए। यह विकास-प्रसार के सोपान हैं।

समय के साथ हिन्दी में ई-मेल भेजना अब सरल और सहज हो गया है। हिन्दी में बड़ी संख्या में तकनीकी आरेख तैयार हो रहे हैं, किन्तु इस प्रयोग में गति लाना आवश्यक है। संकल्प शक्ति का विकास करके नियमों के पालन में प्रत्येक कर्मचारी तत्पर रहे तो चमत्कारिक परिणाम मिलेंगे।

प्रचार पोस्टर-''हिन्दी में कार्य करना सरल है, शुरू तो कीजिए'', ''हिन्दी में काम, बहुत ही आसान, समझना आसान, समझाना आसान आदि पोस्टरों के साथ-साथ महापुरुषों जैसे महर्षि दयानन्दजी, नेताजी सुभाषचन्द्र बोस, महात्मा गाँधी, सरदार वल्लभ भाई पटेलजी, स्वातंत्र्य वीर विनायक दामोदर सावरकरजी, रवीन्द्रनाथ ठाकुरजी आदि के प्रेरणादायक वचनों के पोस्टर कार्यालयों में उचित स्थानों पर लगाना हिन्दी में कार्य, प्रचार-प्रसार में सहायक सिद्ध हुआ है। इन महापुरुषों में राजर्षि पुरुषोत्तम दास टण्डन, डॉ. राजेन्द्र प्रसाद, राष्ट्रकवि मैथिलीशरण गुप्त, राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर आदि भी प्रेरणा स्रोत होंगे।

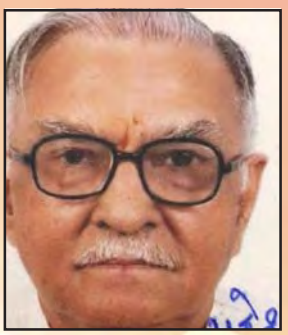

सहायक साहित्य-हिन्दी के प्रचार-प्रसार हेतु सहायक साहित्य तैयार करके उसका वितरण सदा उपयोगी सिद्ध हुआ है। सहायक साहित्य में किसी कार्यालय, विभाग, उपक्रम आदि में प्रायः होने वाले कार्य के हिन्दी में प्रारूप, प्रारूप (फॉर्म), मानक मसौदे लघु पुस्तिकाओं के रूप में वितरण उपयोगी रहा है।

अनेक मानक मसौदे कम्प्यूटर में भर देना तो हिन्दी के प्रसार में मील का पत्थर सिद्ध हो रहा है। समझदार कर्मचारी इस विधि को स्वेच्छा से अपना रहे हैं। इससे उनका कार्य भी हल्का हो गया है तथा इससे ''आम के आम और गुठलियों के दाम'' वाली कहावत चरितार्थ हो रही है।

मौलिक रूप से लेखन-हिन्दी के प्रचार-प्रसार हेतु यह आवश्यक है कि कार्यालय-प्रभारी स्वयं हिन्दी में लिखें और सहयोगियों को भी हिन्दी में लिखने की प्रेरणा दें। अनुवाद करवाने से बचा जाए। अनुवाद का सहारा प्रलेखों आदि के लिए अपवाद स्वरूप लिया जाए। अधिकारीगण श्रुतलेख हिन्दी में दें और उसको स्वाभाविक प्रक्रिया बनाएँ। अनुवाद में कुछ न कुछ अटपटापन आ ही जाता है। अपने शब्दों और शैली से अच्छे प्रारूप तैयार होते हैं।

हिन्दी में वैज्ञानिक लेखन-यह कहकर पल्ला न झाड़ने दें कि यह तो वैज्ञानिक-तकनीकी कार्य है, यह हिन्दी में नहीं हो सकता। यह मनोवृत्ति भागने व बचने की मनोवृत्ति है, इसको हतोत्सित करना बहुत आवश्यक है। कोई ऐसा कार्य नहीं जो हिन्दी में न हुआ हो, न हो रहा हो और जो नहीं होगा। यहाँ हम जटिल डिजाइन विधियों की चर्चा नहीं कर रहे। अनेक प्रकार के कार्यों के लिए भिन्न-भिन्न देश, भिन्न-भिन्न तरीके अपनाते हैं। चरम स्थितियों का उल्लेख और उन पर अनावश्यक वाद-विवाद में उलझना लक्ष्य से

भटकाने के लिए पर्याप्त है।

राष्ट्र की परम आवश्यकता अपनी भाषा का बेहिचक और बेधड़क प्रयोग है। राष्ट्र के विकास का यह मूल-मंत्र है। हिन्दी में तकनीकी-वैज्ञानिक रिपोर्ट तैयार कराने के लिए सघन-गहन प्रयत्न किए जाने चाहिए।

हिन्दी को विज्ञान-प्रौद्योगिकी की उन्नत भाषा बनाने हेतु संतुलित प्रयत्न होना आवश्यक है। शिक्षण-प्रशिक्षण क्षेत्रों में भी सुनियोजित ढंग से कार्य होना जरूरी है।

कम्प्यूटरों के कुंजी पटलों पर देवनागरी के अक्षर उत्कीर्ण हों, यह आग्रह रहना चाहिए। इसके साथ हिन्दी में लेखन रोमन लिपि के माध्यम से करके हिन्दी की रीढ़ तोड़ने से बचना भी आवश्यक है।

गोष्ठियाँ-संगोष्ठियाँ-परिचर्चाएँ, गोष्ठियाँ, व्याख्यान आदि विभिन्न विषयों पर हिन्दी में हों, यह उपाय भी कारगर सिद्ध हुआ है। इससे वातावरण बनता है। इनके द्वारा भाषण-लेखन में हिन्दी का प्रयोग पाचक का कार्य करता है।

अन्य अनेक उपाय होते रहे हैं और होते रहेंगे, परन्तु संकल्प होना सर्वोपरि उपाय है। अमर हुतात्मा पं. रामप्रसाद बिस्मिल के शब्द स्मरण रहें, हृदयंगम करें-

अगर मैं जन्म लूँ आकर,
तो हो भारत में ही आना मुझे।
प्रेम हो हिन्दी से, पढ़ूँ हिन्दी, लिखूँ हिन्दी।
हिन्दी चलन, हिन्दी चाल,
रहे मेरे भवन में रोशनी,
ख़ाक हो बिस्मिल का परवाना।

पूर्व उपप्रधान
केन्द्रीय सचिवालय हिन्दी परिषद

आप जिस तरह बोलते हैं, बातचीत करते हैं, उसी तरह लिखा भी कीजिए। भाषा बनावटी नहीं होनी चाहिए।
-महावीर प्रसाद द्विवेदी

स्मरण शक्ति है सफलता का आधार

-रेनू सैनी

मस्तिष्क हमारे शरीर का एक बहुत ही महत्त्वपूर्ण अंग है। मस्तिष्क के माध्यम से ही हम दैनिक क्रियाकलापों को याद रखते हैं। प्रत्येक व्यक्ति के नाम, कार्य, व्यवसाय आदि की जानकारी हमारे मस्तिष्क में ही सुरक्षित रहती है। यदि किसी व्यक्ति का मस्तिष्क काम करना बंद कर दे तो एकतरह से वह व्यक्ति अपनी चेतना खो बैठता है।

कई व्यक्तियों का मस्तिष्क पूर्ण विकसित नहीं होता या उनमें कोई त्रुटि रह जाती है। इसलिए ऐसे व्यक्तियों के हाव-भाव भी अजीबो-गरीब तरह के होते हैं। इसके विपरीत सामान्य व्यक्तियों का मस्तिष्क सामान्य रूप से काम करता है। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि हम सभी अधिकतर लोग अपने मस्तिष्क का मात्र दस प्रतिशत ही प्रयोग में लाते हैं और नब्बे प्रतिशत ज्यों का त्यों पड़ा रहता है। सोचिए यदि हम कुल पचास प्रतिशत भी मस्तिष्क को प्रयोग करने में लगाएँ तो हमारी स्मरण शक्ति गजब की हो सकती है। महान आविष्कारक, वैज्ञानिक, शिक्षा के ज्ञाता आदि यदि सबके बीच में चर्चा का केंद्र बन जाते हैं तो इसका कारण यही है कि वह अपने मस्तिष्क का गहनता से प्रयोग करते हैं। इसके लिए कुछ उदाहरण मात्र से ही आप समझ जाएँगे कि स्मरण शक्ति प्रत्येक व्यक्ति के भविष्य व सफलता में महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा करती है।

प्राचीन गंथ्रों से यह ज्ञात हुआ है कि प्राचीनकाल में राजा भोज के दरबार में एक श्रुतिधर नामक दरबारी था। उस दरबारी की स्मरण शक्ति इतनी विलक्षण थी कि सभी दांतो तले अंगुली दबाने पर मजबूर हो जाते थे। वह एक घड़ी यानी कि चौबीस मिनट तक सुने जाने वाले किसी भी प्रसंग के अंश को ज्यों का त्यों सुना सकते थे। हम सभी विवेकानंद के बारे में भली-भाँति जानते हैं। कहा जाता है उनकी स्मरण शक्ति तो इतनी विलक्षण थी कि वह किसी भी पुस्तक को एक बार पढ़ने पर ही उसको ज्यों का त्यों सुना देते थे। इसी तरह फ्रांस के सम्राट ने पोलियन को अपने प्रत्येक सैनिक के नाम व पते याद थे। ब्रेल लिपि के आविष्कारक लुई ब्रेल की स्मरण-शक्ति भी हैरान करने वाली थी।

वर्तमान समय में अधिकतर विद्यार्थियों की यही शिकायत रहती है कि उन्हें पाठ याद नहीं होता और यदि होता भी है तो वह परीक्षा केन्द्र में भूल जाते हैं। पाठ भूलने का यह अर्थ नहीं है कि आपका मस्तिष्क कमजोर है अपितु इसका सही अर्थ तो यह है कि आप एकाग्रता व चिंतन से पाठ को पढ़ते ही नहीं है। हम सभी को फिल्मों के गाने, नृत्य के स्टेप, डॉयलाग आदि तुरंत याद हो जाते हैं और लम्बे समय तक हमारे मन-मस्तिष्क पर छाए रहते हैं तो इसका कारण यह है कि फिल्मों, नृत्य आदि को हम मनोरंजन की नजर से देखते हुए उन्हें ग्रहण करते हैं और यह हमें आनंद दायक लगती हैं जबकि इसके विपरीत पढ़ाई हमें नीरस, उबाऊ व बोरियत भरी लगती है। जब हम पुस्तक का कोई पाठ स्वयं पढ़ते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि जैसे हमें जबरदस्ती पढ़ने को कहा जा रहा है। इसलिए हमें उबासियां आने लगती हैं और हम पाठ में दी गई जानकारी को सही तरह से नही समझ पाते हैं और न ही अपने मस्तिष्क में ग्रहण कर पाते हैं। यदि हम पुस्तक को भी आनंद देने वाले नजरिए से पढ़ें तो न सिर्फ हमें पाठ जल्दी याद हो जाएगा बल्कि वह हमारे मस्तिष्क में लंबे समय तक बना रहेगा। यदि पढ़ते समय निम्न बातों को ध्यान में रखा जाए तो सभी की स्मरण शक्ति बेजोड़ बन सकती है:-

1. पढ़ते समय अपनी प्राथमिकताओं को निर्धारित करें।
2. दिमाग को फालतू बातों से बचाएँ।
3. पढ़ी हुई बातों को बार-बार दोहराएँ।
4. पढ़ी हुई बातों का लिखकर अभ्यास करें व पढ़ी हुई

बातों को किसी को सुनाएँ।

स्मरण शक्ति प्रत्येक व्यक्ति की तीव्र हो सकती है। सिर्फ इसके लिए जरूरत इस बात की है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने कार्य को गहनता से करे और ठंडे दिमाग व शांति से दूसरों को सुने। स्मरण शक्ति का संबंध बहुत कुछ इस बात से भी होता है कि हम किसी भी सूचना, घटना या बात को अपने मस्तिष्क में किस तरह से भेज रहे हैं। एक सर्वेक्षण से यह बात सामने आई है कि हम जो कुछ भी पढ़ते हैं, उसका लगभग 25 प्रतिशत हमारे दिमाग में रह जाता है। सुनी गई बात का लगभग 35 प्रतिशत हमारा दिमाग ग्रहण करता है। देखी गई बात का लगभग 50 प्रतिशत असर हमारे दिमाग पर पड़ता है और जो हम स्वयं बोलते हैं व करते हैं उसका 60 प्रतिशत भाग हमारा दिमाग ग्रहण कर लेता है। हमारे द्वारा बोली गई बात का सबसे ज्यादा असर हमारे दिमाग पर इसलिए पड़ता है क्योंकि जो बात हमने बोली है उसे पहले हमने अपने दिमाग में भली-भांति बैठा लिया है। इसी तरह यदि हर घटना, बात व कार्यकलाप को दिमाग में भली-भांति बैठाया जाए तो हम परीक्षा में कभी भी असफल नहीं हो सकते।

कुछ जगह पर मस्तिष्क का उदाहरण एक अलमारी से भी किया जाता है। जिस प्रकार अलमारी में हम अच्छे कपड़े सहेज कर और ध्यान से रखते हैं उसी प्रकार हम महत्त्वपूर्ण सूचनाओं व बातों को भी अपने मस्तिष्क में सहेज कर रखते हैं। जबकि पुराने कपड़े या कभी-कभी प्रयोग में लाए जाने वाले कपड़ों को हम एक ओर रख देते हैं, उसी प्रकार व्यर्थ की घटनाओं, जानकारी आदि को भी हम अपने दिमाग में एक ओर रख देते हैं और समय पड़ने पर उनका उपयोग करते हैं। समय के साथ हम पुरानी बातों को भूलते जाते हैं और नई बातों को ग्रहण करते जाते हैं ठीक उसी तरह से जैसे कम्प्यूटर में इकठ्ठी पुरानी मेल को हम डिलीट करते जाते हैं और नई मेल उसमें संगृहीत होती रहती हैं।

स्मरण शक्ति को तीव्र बनाने के लिए आप निम्न बातों पर अमल करें तो आप भी न सिर्फ परीक्षा में अपितु जीवन के हर क्षेत्र में सफलता अर्जित कर सकते हैं:-

1. पढ़ने से पूर्व एक मिनट के लिए आँखों को बंदकर शांति से ध्यान लगाकर स्वयं को एकाग्र करें।
2. अपने गुस्से को नियंत्रित करने का प्रयास करें। गुस्से व आवेष में व्यक्ति के दिमाग से महत्त्वपूर्ण सूचनाएँ आदि लुप्त हो जाती हैं क्योंकि गुस्से में शरीर से विषैले तत्व निकलते हैं जो व्यक्ति के काम पर हावी हो जाते हैं।
3. प्रत्येक बात, घटना या पुस्तक को ध्यान से समझें व पढ़ें।
4. किसी बात को ग्रहण करने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि जब भी कोई बात आप को बताई जा रही है तो आप उस समय वहीं पर रहिए। ऐसा न हो कि आपका शरीर वहाँ पर मौजूद हो किंतु मस्तिष्क दूसरे ही ख्यालों में डूबा हुआ हो।
5. स्मरण शक्ति को तीव्र करने के लिए पूरी नींद लें।
6. तनाव व चिंता से दूर रहने का प्रयास करें। यदि तनाव व चिंता हो भी रही है तो उसे दूर करने के लिए तुरंत कोई अच्छी पुस्तक पढ़ना आरंभ कर दें अथवा टी.वी. पर आ रहा कोई हास्य कार्यक्रम देखें।
7. अच्छा पौष्टिक आहार लें।
8. पूरे दिन में कम से कम आठ-दस गिलास पानी अवश्य पीयें।
9. सुबह सैर करे और कम से कम दस-पन्द्रह मिनट व्यायाम व योग अवश्य करें। योग आपको चुस्ती-फुर्ती प्रदान करता है और मस्तिष्क को तरो ताजा रखता है।
10. पुस्तकों को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। पाठ्य पुस्तकों के अतिरिक्त अन्य साहित्यिक व ज्ञानवर्द्धक पुस्तकें पढ़ने से भी स्मरण शक्ति तीव्र होती है।

इस प्रकार स्मरण शक्ति प्रत्येक सामान्य व्यक्ति की तीव्र हो सकती है बशर्ते कि अपने दैनिक जीवन में हम थोड़ा संभल कर चलें। स्मरण शक्ति में ही सफलता छिपी हुई है और प्रत्येक व्यक्ति इस जीवन में सफल होना चाहता है तो फिर देर किस बात की है, आप भी उपरोक्त बातों को अपने जीवन में अपनाकर अपनी स्मरण शक्ति को तीव्र कर सबको चकित कर दीजिए।

साहित्य एवं संस्कृति मंत्री
केन्द्रीय सचिवालय हिन्दी परिषद

वैश्वीकरण के दौर में हिंदी की भूमिका

-डॉ. वासुदेवन 'शेष'

क्षेत्र प्रदेश एवं राष्ट्र की सीमाओं को पार करते हुए, विश्व समुदाय के साथ आर्थिक, बौद्धिक, वैज्ञानिक, सांस्कृतिक, भाषा एवं साहित्य के क्षेत्र में सहभागिता एवं आदान-प्रदान करना ही वैश्वीकरण है।

इक्कीसवीं शताब्दी में हर एक क्षेत्र वैश्वीकरण की ओर बढ़ रहा है। भाषाई क्षेत्र इससे कोई कम नहीं हैं। हिंदी तो राजभाषा है ही। हिंदी को अंतर्जातीय रूप धारण करे कई साल हो गए है। इस परिवर्तन में सारी चीजों को अपनाते हुए हिंदी आगे बढ़ रही है।

भाषा मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति है, क्योंकि ज्ञान विज्ञान की समस्त अन्य शाखाएँ भी भाषा से निबद्ध है। भाषा व्यक्ति, राष्ट्र, दोनों की स्वाधीनता की पहली पहचान और कसौटी है। उसके अभाव में समाज का अस्तित्व संदिग्ध हो जाएगा। भाषा मनुष्य की उन्नति तथा समस्त ज्ञान विज्ञान का आधार है। भाषा न केवल विचारों के आदान-प्रदान का साधन भर है। बल्कि समस्त तथा पूरी परम्परा की संवाहिका भी तथा शक्ति है। व्यावहारिक रूप से अर्जित भाषा मनुष्य की परम उपलब्धि तथा शक्ति है। मनुष्य की व्यक्तिगत उन्नति से लेकर सामाजिक और राष्ट्रीय उन्नति में भाषा की महत्त्वपूर्ण भूमिका होती है। हिंदी शुरू से ही अपनी भूमिका निभाने में पूर्णत: सक्षम रही है और आज भी वैश्वीकरण के दौर में और अधिक सक्षम बनकर सबल भाषा के रूप में अपने दायित्व का पालन कर रही है। हिंदी राष्ट्रीयता की ही नहीं देश की अस्मिता की पहचान भी है। हिंदी को माध्यम भाषा के रूप में अपनाने और संचार माध्यमों में इसके बढ़ते कदमों में इसका उज्ज्वल भविष्य है। भाषा समय के साथ रूपांतरित होती रहती है। हिंदी भारत की आत्मा है, अस्मिता है, इसके माध्यम से भारतीय संस्कृति, आध्यात्मिकता, नैतिक चिंतन, सार्वभौमिक दर्शन तथा ज्ञान विज्ञान की अभिव्यक्ति की जाती रहती है।

देश की बहुसंख्यक जनता को एक सूत्र में बाँधने का काम तथा आत्माभिव्यक्ति तो हिंदी ही करती रही है। दिनकर जी के शब्दों में 'हिंदी भारतवर्ष के हृदय की वाणी है। भौगोलिक सत्य भी यही है कि हिंदी भाषियों का क्षेत्र देश का हृदय स्थान है। यह स्वाभाविक ही है कि हिंदी में आज उस साहित्य की रचना हो रही है, जिसमें देश के कलेजे की धड़कन स्पष्ट गिनी जा सकती है। 'भारत के विभिन्न प्रदेशों के लोगों में सांस्कृतिक एकता के साथ-साथ वैचारिक मूल्यों में एकता को उभारने में हिंदी की प्रमुख भूमिका रही है। अहिंदी भाषा-भाषी प्रदेशों तथा अन्य देशों को जोड़ने में हिंदी का योगदान अप्रतिम है। राष्ट्रीय एकीकरण तथा जनभाषा की जीवंतता हिंदी की प्रमुख विशेषता है। हिंदी में साहित्यिक प्रवृत्ति से इसकी महनीयता प्रस्फुटित होती है। इस दृष्टि से हिंदी संपूर्ण राष्ट्र के प्रतिनिधित्व की क्षमता रखती है। हिंदी सबको जोड़ने वाली भाषा है। भाषा लोक मानस की उर्वर भूमि में अंकुरित, पल्लवित और विकसित होती है तथा लोक व्यवहार की प्रयोगशाला में उसका स्वरूप निरंतर और संवरता रहता है।

भारतीय संस्कृति सदैव सामाजिक जीवन को प्रभावित करती रही है। भारतीय संस्कृति तो 'वसुधैव कुटुम्बकम्' की बात करती है, अर्थात् सारा विश्व एक परिवार है। जहाँ एक समाज को दूसरे समाज से, एक राष्ट्र को दूसरे राष्ट्र से जोड़ते हुए चली है। वही हमारी संस्कृति है। वर्तमान युग में साहित्य सभी के हितों का दावा तो नहीं कर सकता, मगर बहुजन हिताय व बहुजन सुखाय का दावा कर सकता है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में विश्व पटल पर हिंदी की बहुआयामी प्रांसगितकता है। अब हिंदी केवल भारत की नहीं, बल्कि विश्व की भाषा बन चुकी है। इसे सम्पूर्ण दक्षिण एशिया की सम्पर्क भाषा भी कह सकते हैं।

वैश्वीकरण के दौर में एक महत्त्वपूर्ण विश्व भाषा के रूप में हिंदी के विकास की अनन्त संभावनाएँ है। कारण यह है कि हिंदी की ज्ञान विषयक बहुआयामी प्रांसगिकता बढ़ रही है। अब साहित्य की भाषा नहीं रही। इसके स्वरूप एवं आकार में विस्तार हुआ है। इसने समकालीनता को समझा तथा स्वयं को परिवर्तित परिवर्धित किया। भाषा अब केवल साहित्यिक न रहकर व्यावहारिक एवं व्यावसायिक भी हो गई है।

वैश्वीकरण के युग में सूचना एवं प्रौद्योगिकी को अधिक महत्त्व दिया जा रहा है। ऐसे में वही भाषा जीवंत एव सार्थक है, जो सूचना तथा प्रौद्योगिकी एवं वर्तमानकालिक मांगों के अनुरूप स्वयं को परिवर्तित करने में समर्थ है। इन आवश्यकताओं की चुनौतीपूर्ण कसौटी पर भारतीय भाषाओं में सर्वाधिक खरी हिंदी ही उतरती है। विज्ञान, खेल, अर्थ व्यापार, प्रतियोगिता, फिल्म, कानून, ज्योतिष आदि ज्ञान विषयक जानकारियाँ जिन पर कुछ वर्ष पूर्व तक अंग्रेजी या अन्य पाश्चात्य भाषाओं का आधिपत्य था, अब उसे हिंदी के माध्यम से भी पाठक तक सुलभता से पहुँचाया जा रहा है। डिजिटेल इंडिया, स्टेंड-अप स्ट्राट-अप इंडिया, मेक-इन-इंडिया, ई गर्वेंस, ई-मेल, वाट्स-अप इत्यादि से आज हिंदी घर-घर पहुँच रही है।

अनुवाद एक सामाजिक कार्य है। अनुवाद कार्य के बिना एक ही बात सभी भाषा भाषियों तक पहुँचाना असंभव है। आधुनिक युग में अनुवाद की भूमिका पूरी तरह बदल चुकी है। आजकल अनुवाद का प्रयोग जीवन के लगभग हर क्षेत्र में अनिवार्य हो गया है। आज अनुवाद का परिप्रेक्ष्य मात्र साहित्यिक अनुवाद तक ही सीमित नहीं रह गया है। उसका फैलाव साहित्येत्तर विषयों तक हो चुका है। आधुनिक युग विज्ञान का युग है। आज विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थाओं ने अनुवाद का महत्त्व पहचान लिया है। 21वीं सदी में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र तेजी से विकसित हो रहे हैं। सूचना प्रौद्योगिकी का क्षेत्र भी अनुवाद के व्यावसायिक स्वरूप का विस्तार कर रहे हैं। अंग्रेजी, हिंदी और भारतीय भाषाएँ परस्पर अनुवाद की भाषाओं के रूप में इस्तेमाल हो रही है। विभिन्न अनुवाद सॉफ्टवेयर विकसित किए जा रहे हैं। जैसे आकृति, शब्द रचना, शब्द लिपि, सारांश, यूनिकोड, इत्यादि। भारत के महान ग्रंथों को हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद किया गया है और अंग्रेजी के साहित्य का भी हिंदी में अनुवाद प्रस्तुत किया गया है जिससे दो संस्कृतियों एवं दो भाषाओं में आदान प्रदान हो सके और अच्छे-अच्छे साहित्य से आत्मसात किया जा सके। जैसे तुलसीदास कृत रामचरित मानस, गीतावली, कवितावली, विनयपत्रिका, भगवद्गीता, सूरदास के पद, प्रेमचंद जी की कहानियाँ एवं उपन्यास का अनुवाद प्रस्तुत किया गया है।

चिकित्सा, इंजीनियरिंग तथा अंतरिक्ष विज्ञान जैसे अनेक क्षेत्रों में अलग-अलग देश आज शोध में कीर्तिमान स्थापित करते जा रहे हैं। उन देशों के वैज्ञानिक अपनी भाषा में समाचार देने का प्रयास करते हैं। आजकल विदेशी कंपनियाँ चाहे वे बैंक हो, सभी अपनी कंपनियों एवं अपनी सभी सुविधाओं को हिंदी विज्ञापन जारी कर ग्राहकों तक पहुँचाते हैं। जिससे साधारण जनता भली-भाँति समझकर कंपनी का उत्पाद खरीदती है बैंकों में अपना पैसा निवेश करती है। आजकल सभी बीमा कंपनियाँ भी हिंदी भाषा के विज्ञापन द्वारा जन-जन तक पहुँच रही है।

तकनीकी विस्तार के अंर्तगत इंटरनेट के अंतरराष्ट्रीय संजाल ने सूचनाओं के विश्वव्यापी आदान-प्रदान को अपने तंत्रजाल में बाँध लिया है। यह प्रणाली विश्व के करोडों लोगों द्वारा अपनायी जा रही है। अब इंटरनेट पर हिंदी बड़ी तेजी से लोगों से संपर्क स्थापित कर रही है।

इंटरनेट का मुख्य अवयव है 'वेबसाइट'। 'वेबसाइट' का शाब्दिक अर्थ है 'जाल का दृश्य'। परन्तु सूचना के संसार का यही वह द्वार है, जिसके अंदर जब प्रविष्टि मिलती है, तब हम सूचनाओं के अपार राशि में अपने आपको पाते हैं। वेबसाइट आज सूचना प्रौद्योगिकी का एक प्रमुख अवयव बन गये हैं। विश्व को विश्व से संवाद स्थापित करने में वेबसाइटों का योगदान अभूतपूर्व है। वेबसाइट एक साधन है वैश्वीकरण की दिशा में एक कदम आगे बढ़ाने का तथा इसके विकास ने यह सिद्ध भी कर दिया है। आज हिंदी वैश्विक मीडिया की चहेती भाषाओं में एक है। इंटरनेट पर तो हिंदी छा गयी है। www.rajbhasa.com, www.rajbhasha.niv.in, www.rajbhasa.mit.gov.in, www.Indianlanguages.com., www.educindia.com., www.rosettastone.com., www.bharatdarshan.com., www.wordanywhere.com., www.hindinet.com., www.hindibhasha.com,

www.cill.com., www.boloji.org., आदि न जाने कितनी वेबसाइट पर हिंदी झलक रही है। इंग्लैड के महान विद्वान डॉ. माग्रेगर के अनुसार 'हिंदी दुनिया की महान भाषाओं में से एक है। हिंदी का महत्त्व आज इसलिए और बढ़ गया है कि भारत आज शिक्षा, उद्योग, विज्ञान एवं तकनीक हिसाब से दुनिया का अग्रणी देश है। व्यवसाय एवं संचार दोनों क्षेत्रों में यह अनिवार्यत: स्थापित हो चुकी है।'

आज बहुराष्ट्रीय कंपनियों के उत्पाद के प्रचार में हिंदी सूचनापरक जानकारी, विज्ञापन, रिपोर्टस, अहम भूमिका निभा रही है। आज बाजार का आवश्यक साधन है भाषा। विकसित देश भारत को एक बड़े बाजार के रूप में देखते हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनियों को अपना माल भारत में बेचने के लिए अंग्रेजी को छोड़ हिंदी अपनाना पड़ रहा है। इन कंपनियों का लक्ष्य है कि जिस भाषा में उनके उत्पादन बिक रहे हैं वह उसी भाषा का प्रयोग करेगी। सभी मोबाइल कंपनियाँ हिंदी भाषा का बखूबी प्रयोग कर रही है। इसके अतिरिक्त स्टार टी वी, जी टी.वी, आजतक, टाइम्स नाव, जैसे बडे चैनलों के साथ-साथ अनेक केबल चैनलों पर विज्ञापनों की भाषा हिंदी की है।

पिछले दो दशकों में हिंदी का अंतरराष्ट्रीय विकास बहुत तेजी से हुआ है। बेब, संगीत, सिनेमा ने इसे और भी आगे विकसित किया है। आज विदेशों में भी हिंदी शिक्षा के प्रति लोगों में रूचि जागृत हुई है। विदेशी विश्वविद्यालयों में हिंदी के पाठ्यक्रम पढ़ाये जा रहे हैं जिसमें हिंदी साहित्य, हिंदी व्याकरण, हिंदी बोलचाल प्रमुख है। स्कूलों और विश्वविद्यालयों में हिंदी शिक्षक, हिंदी प्रोफेसर नियुक्त किए जा रहे हैं।

चाहे वह चीन, जापान, अमरीका, ब्रिटेन, जर्मनी, पौलेण्ड, ऑस्ट्रेलिया हो सभी जगह हिंदी का बोलबाला है। भारत सरकार हिंदी भाषा को यू.एन. में स्थापित करने का पूरा प्रयास कर रही है इसमें कतई संदेह नहीं कि यह भाषा अपना गौरवपूर्ण स्थान अवश्य प्राप्त कर लेगी।

वैश्वीकरण के इस दौर में एवं अंतरराष्ट्रीय बाजार में हिंदी की मांग जिस तेजी से बढ़ी है वैसी किसी और भाषा की नहीं है। आज हिंदी राजभाषा, सम्पर्कभाषा, जनभाषा के सोपानों को पार कर विश्वभाषा बनने की ओर आगे बढ़ रही है। हिंदी के विस्तार को देखते हुए उसके उज्ज्वल भविष्य का अंदाजा सहज ही लगाया जा सकता है। इससे हिंदी के विकास की दिशा और दशा निर्धारित हो रही है जो निश्चित ही हिंदी भाषा के विकास और महत्त्व को दर्शाता है।

हिंदी अधिकारी (सेवानिवृत्त) महालेखाकर
(लेखा व हक) का कार्यालय, चेन्नई

RAJBEER SINGH SOLANKI
TREASURER
BUILDERS ASSOCIATION OF INDIA DELHI NORTH CENTRE

M/S RAJBEER SINGH
ENGINEERS & GOVERNMENT CONSTRUCTIONS
H-196, Raj Nagar-II, Gali No. 12, Palam Colony, New Delhi-110077
E-mail: visionconstructions@hotmail.com
Mobile: 9891344565

देख कर बाधा विविध, बहु विघ्न घबराते नहीं, रह भरोसे भाग्य के दुख भोग पछताते नहीं।
काम कितना ही कठिन हो किन्तु उकताते नहीं, भीड़ में चंचल बने जो वीर दिखलाते नहीं।
हो गये एक आन में उनके बुरे दिन भी भले, सब जगह सब काल में वे ही मिले फूले फले।

-अयोध्या सिंह उपाध्याय 'हरिऔध'

हिंदी और भारत का अमृत महोत्सव

-डॉ. श्याम सुंदर कथूरिया

'आजादी का अमृत महोत्सव यानी-आजादी की ऊर्जा का अमृत, 'आजादी का अमृत महोत्सव' यानी-स्वाधीनता सेनानियों से प्रेरणाओं का अमृत। 'आजादी का अमृत महोत्सव' यानी-नए विचारों का अमृत, नए संकल्पों का अमृत। 'आजादी का अमृत महोत्सव' यानी-आत्मनिर्भरता का अमृत और इसीलिए यह महोत्सव, राष्ट्र के जागरण का महोत्सव है। यह महोत्सव, सुराज्य के सपने को पूरा करने का महोत्सव है। यह महोत्सव, वैश्विक शांति का, विकास का महोत्सव है।'

-नरेंद्र मोदी
भारत के प्रधानमंत्री

हम सब जानते हैं कि इस समय देश में 'आजादी का अमृत महोत्सव' पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया रहा है। सभी भारतवासी इस पावन उत्सव के माध्यम से उन गुमनाम वीर सुपूतों का स्मरण कर रहे हैं, जिन्होंने अंग्रेजों से इस देश को स्वतंत्रता दिलाने में अपना बलिदान दिया। इस अवसर पर देश के गौरवशाली इतिहास, विरासत एवं समृद्ध परंपराओं को याद किया जा रहा है। ऐसे में, हिंदी और 'भारत का अमृत' महोत्सव के बीच क्या संबंध हो सकता है? यह एक समझने का विषय है।

प्रथम दृष्टया यह देखने में आया है कि सरकार ने इस अमृत काल में अनेक सांस्कृतिक-सामाजिक कार्यक्रमों का आयोजन किया है, परंतु गहराई से देखने पर लगता है कि कहीं-न-कहीं हिंदी का भी इनसे संबंध है। इस दौरान आयोजित विभिन्न गतिविधियों से कुछ ऐसे पहलू उभरकर सामने आए जो दर्शाते हैं कि देश के स्वतंत्रता आंदोलन में हिंदी की अपनी भूमिका रही और आज इसे इसका अधिकार दिलाए जाने की आवश्यकता है। यहाँ हम जानेंगे कि किस प्रकार हिंदी और भारत का अमृत महोत्सव प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से आपस में जुड़े हुए हैं।

सर्वप्रथम हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि भारत का अमृत महोत्सव आयोजन की पृष्ठभूमि क्या है? हमें ज्ञात है कि बड़े कठिन और लंबे संघर्ष के बाद ही भारत राष्ट्र को विदेशी आततायियों की गुलामी से मुक्ति मिली। अंग्रेजों के साथ-साथ मुगलों की पराधीनता ने हमारे देश की संस्कृति, विरासत और पहचान को

लगभग नष्ट ही कर दिया था। फलस्वरूप, स्वतंत्रता के दशकों बाद भी देशवासियों में आत्म-गौरव का नितांत अभाव देखने को मिल रहा था। विदेशी विचारधारा इतनी हावी हुई कि हमें अपनी उपलब्धियाँ गौण और तुच्छ लगने लगीं। हमें इतिहास में भी ना तो ऐसा कुछ पढ़ाया गया और ना ही बताया गया, जिस पर हम गर्व कर सकें। अतः भारतीय परंपरा, शौर्य और स्वाभिमान को पुनर्जागृत एवं पुनर्स्थापित करना ही इस अमृत महोत्सव का वास्तविक उद्देश्य है। 'आजादी का अमृत महोत्सव' स्वतंत्रता के 75 साल और इसकी प्रगति के उपलक्ष्य में भारत सरकार की एक पहल है।

यहाँ स्पष्ट करना आवश्यक है कि इसे 'अमृत महोत्सव' या 'अमृत काल' ही नाम क्यों दिया गया? वस्तुतः भारत ने 15 अगस्त, 2022 को अंग्रेजों से मिली स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ पर 76वां स्वतंत्रता दिवस मनाया। इन महत्त्वपूर्ण 75 वर्षों की स्मृति के आयोजन को ही 'अमृत महोत्सव' का नाम दिया गया, जो पवित्रता एवं संजीवनी का प्रतीक है। इस राष्ट्रीय उत्सव की आधिकारिक यात्रा की शुरुआत 12 मार्च, 2021 को उस दिन की याद में की गई, जब 91 वर्ष पूर्व 12 मार्च, 1930 को महात्मा गाँधी ने अंग्रेजों द्वारा लगाए गए एक नए नमक शुल्क के विरोध में अपना ऐतिहासिक 'नमक सत्याग्रह' शुरू किया था। इस स्मरणोत्सव के 75 सप्ताह हमारी स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ पर पूरे हुए तथा इसके

विविध कार्यकलापों की शृंखला अवधि अगले एक वर्ष, अर्थात् 15 अगस्त, 2023 तक निर्धारित की गई।

इस भारतीय उत्सव के कार्यक्रमों को निम्नानुसार श्रेणीबद्ध किया गया है-

मंत्रालय और विभाग: भारत के केंद्रीय मंत्रालयों द्वारा आयोजित कार्यक्रम।

राज्य और संघ राज्यक्षेत्र: राज्य और संघ राज्यक्षेत्र स्तर के मंत्रालयों, विभागों और अभिकरणों द्वारा आयोजित कार्यक्रम।

विश्व के देश: अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आयोजित कार्यक्रम।

प्रतिष्ठित कार्यक्रम: 'आजादी का अमृत महोत्सव' से जुड़े कार्यक्रमों को स्पष्ट करने के लिए उन्हें अपेक्षाकृत बड़े पैमाने पर आयोजित किया गया।

विषयवार कार्यक्रम:

1. **स्वतंत्रता संग्राम**-इतिहास में मील के पत्थर, गुमनाम नायकों आदि को याद करना;
2. **विचार**/75-भारत को आकार देने वाले विचारों और आदर्शों का जश्न मनाना;
3. **समाधान**/75-विशेष उद्देश्य और लक्ष्यों के लिए प्रतिबद्धताओं को मजबूत करना;
4. **कार्य**/75-नीतियों को लागू करने और प्रतिबद्धताओं को साकार करने के लिए उठाए जा रहे कदमों पर प्रकाश डालना;
5. **उपलब्धियाँ**/75-विभिन्न क्षेत्रों में विकास और प्रगति का प्रदर्शन।

उपर्युक्तानुसार सैकड़ों क्रियाकलाप आयोजित किए जाने निश्चित हुए। ये नागरिकों के बीच भारतीय गर्व, एकता और देशभक्ति की भावना को मजबूत करने का उद्देश्य रखते हैं। यह उत्सव हमें हमारे देश की महानता, संस्कृति और एकता को समझने का अवसर देता है तथा हमें स्वतंत्र भारत के उज्ज्वल भविष्य की ओर प्रेरित करता है। यह भारत 2.0 को सक्रिय करने के, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण को साकार करने की क्षमता रखता है, आत्मानिर्भर भारत की भावना के साथ इसका मार्गदर्शन करता है। संक्षेप में कहा जाए तो इस उत्सव के अंतर्निहित पहलू अत्यंत गूढ़ हैं।

प्रस्तुत लेख के विषय की अपेक्षानुरूप हिंदी भाषा का संक्षिप्त परिचय यह है कि यह भारतीय आर्य भाषा परिवार की भाषा है। इसका इतिहास लगभग एक हजार वर्ष पुराना माना गया है। हिंदी वह भाषा है, जो भारतीय सभ्यता, संस्कृति, रीति-रिवाज और ऐतिहासिक परंपराओं का एक महत्त्वपूर्ण हिस्सा है। हिंदी देश भर में बहुतायत लोगों द्वारा बोली जाती है और विभिन्न भाषाओं का एक संयोजन है। हिंदी भाषा देश की एकात्मता को बढ़ावा देती है और हमारी सांस्कृतिक विरासत को प्रतिष्ठित करती है। इस समय यह विश्व के लगभग 150 विश्वविद्यालयों में पढ़ाई जा रही है तथा एक वैश्विक भाषा के रूप में उभर रही है।

अब हम यह समझते हैं कि हिंदी का भारत के अमृत महोत्सव से क्या संबंध है? इसे जानने के लिए हमें इतिहास में जाना होगा। सोलहवीं शताब्दी में भारत जब मुगलों के अधीन था, तब उनसे मुक्ति पाने के लिए राज्यों, रियासतों और रजवाड़ों के स्तर पर संघर्ष हुआ करते थे। मुगलों के बाद अठारहवीं शताब्दी में जब अंग्रेजों ने हम पर शासन प्रारम्भ किया, तब धीरे-धीरे उन्नीसवीं शताब्दी में पूरे देश के लोग अंग्रेजों की दासता से मुक्ति के लिए प्रयास करने लगे। विडंबना यह थी कि इस विशाल भू-भाग वाले देश में अनेक जातियों, पंथों और संप्रदायों के लोग रहते थे, जिनके भिन्न-भिन्न रीति-रिवाज, परम्पराएँ, भाषाएँ और भूषाएँ थीं। इस विविधता में एकता पैदा करना एक बड़ी चुनौती लग रही थी।

इसी बीच देश में ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध चल रहे विरोध में 09 जनवरी, 1915 को अफ्रीका से भारत में महात्मा गाँधी जी का पदार्पण हुआ। उन्होंने स्वतंत्रता-संग्राम का नेतृत्व किया। वे इस बात को जान गए थे कि इस देश को जोड़ने के लिए एक सूत्र की आवश्यकता है ताकि सारी जनता को एक साथ मिलाकर विदेशी राज-सत्ता को उखाड़ फेंका जा सके। देश में एकता की कड़ी की तलाश में उन्होंने पूर्व से पश्चिम तथा उत्तर से दक्षिण, पूरे भारत का भ्रमण करके जन-भावना समझने का प्रयास किया। उन्होंने पाया कि हिंदी भाषा संपूर्ण भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषाओं में से एक है। हिंदी एक ऐसी संपर्क भाषा है, जिसके माध्यम से लोग एक दूसरे से सरलतापूर्वक संवाद स्थापित कर सकते हैं। यह भारत के लोगों को आपस में जोड़ सकती है। उन्हें यह प्रबल विश्वास हो गया कि हिंदी इस देश को स्वतंत्र

कराने में सहायक सिद्ध हो सकती है।

हिंदीतर भाषी होते हुए भी, महात्मा गाँधी हिंदी की शक्ति से इतने प्रभावित हुए कि वर्ष 1918 में महात्मा गाँधी ने इंदौर के हिंदी साहित्य सम्मेलन में कहा था, 'जैसे ब्रिटिश अंग्रेजी में बोलते हैं और सारे कामों में अंग्रेजी का ही प्रयोग करते हैं, वैसे ही मैं सभी से प्रार्थना करता हूँ कि हिंदी को राष्ट्रीय भाषा का सम्मान अदा करें। इसे राष्ट्रीय भाषा बनाकर हमें अपने कर्तव्य को निभाना चाहिए।'

महात्मा गाँधी ने इसके बाद पाँच 'हिंदी दूत' उन राज्यों में भेजे, जहाँ पर इस भाषा का ज्यादा प्रचलन नहीं था। इन पाँच दूतों में महात्मा गाँधी के सबसे प्रिय, छोटे बेटे देवदास गाँधी तथा स्वामी सत्यदेव भी थे। ये पाँच हिंदी दूत हिंदी के प्रचार-प्रसार के लिए सबसे पहले तत्कालीन मद्रास स्टेट पहुँचे, जो आज का तमिलनाडु है। यहाँ 'हिंदी प्रचार आन्दोलन' प्रारम्भ हुआ। फलस्वरूप वर्ष 1918 में 'दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा' का गठन हुआ।

आजादी के आंदोलन में महात्मा गाँधी ने देश के पत्रकारों संपादकों और प्रकाशकों को भी हिंदी भाषा को अपनाने तथा इसके प्रचार-प्रसार के लिए जोड़ा और उन पर अपना गहरा प्रभाव छोड़ा था। उनमें गणेश शंकर विद्यार्थी, माखनलाल चतुर्वेदी, बाबूराव विष्णु पराड़कर, लक्ष्मण नारायण गर्दे, अंबिका प्रसाद वाजपेई, आदि प्रमुख थे। गाँधी जी ने स्वराज, स्वदेशी, स्वावलंबन, नैतिकता, अस्पृश्यता, राष्ट्रीयता, ग्राम स्वराज, महिला जागरण जैसे स्वाधीनता की बुनियाद में चलाए जा रहे आंदोलन में भाषा और लिपि के प्रश्नों को, राष्ट्रभाषा और राष्ट्र-लिपि के रूप में, हिंदी को राष्ट्रभाषा और देवनागरी लिपि हेतु संकल्पित होकर कार्य किया था।

हिंदी ने भारतीय स्वतंत्रता-संग्राम में एक महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इस काल में हिंदी भाषा ने लोगों को एक साथ लड़ने और संघर्ष करने के लिए एक आधार प्रदान किया। अनेक स्वतंत्रता सेनानियों और महानायकों ने हिंदी को अपनी आवाज बनाकर अपने संदेशों को देश के लोगों तक पहुँचाया और अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई में योगदान दिया।

गाँधी जी का हिंदी के प्रति इस सीमा तक आग्रह रहता था कि जो भी व्यक्ति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सदस्य बनना चाहता है, पहले उसे हिंदी भाषा आनी चाहिए। ध्यातव्य है कि स्वतंत्रता से पूर्व देश में आजादी से आशय था, अंग्रेजों के साथ-साथ अंग्रेजी से मुक्ति। यह भी सत्य है कि कालान्तर में हमें अंग्रेजों से तो मुक्ति मिल गई, परन्तु अंग्रेजी से अभी तक मुक्ति नहीं मिल पाई। स्थिति यह है कि हम अभी तक देश के लिए एक साझी भाषा (हिंदी) पर एकमत नहीं हो पाए। देशी भाषाओं के बीच की असहमति में विदेशी भाषा (अंग्रेजी) राज कर रही है।

इस वर्णन से ज्ञात हो रहा है कि हिंदी और आजादी दोनों में अटूट साथ रहा है और आज जब हम 'आजादी का अमृत महोत्सव' पूरे धूमधाम के साथ मना रहे हैं, तो हिंदी इससे कैसे अलग रह सकती है? यह संबंध इस बात से भी उजागर होता है कि आजादी के इस महोत्सव के दौरान 15 अगस्त, 2022 को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर ऐतिहासिक लाल किले की प्राचीर से माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब देश को संबोधित किया तो उन्होंने नागरिकों से आह्वान किया कि आने वाले 25 साल के लिए हमें निम्नलिखित 'पंच-प्रण' पर अपनी शक्ति, संकल्पों और सामर्थ्य को केंद्रित करना होगा-

1. विकसित भारत राष्ट्र;
2. गुलाम मानसिकता से मुक्ति;
3. अपनी विरासत पर गर्व;
4. एकता और एकजुटता;
5. नागरिक कर्तव्य बोध।

उपर्युक्त के द्वारा माननीय प्रधानमंत्री जी ने आत्मनिर्भर भारत के लिए, वर्ष 2047 में जब आजादी के 100 साल पूरे होंगे, आगामी 25 वर्षों की पूरी योजना देशवासियों के समक्ष रख दी है। देखने में तो ये पाँच प्रण प्रत्यक्ष रूप से हिंदी से जुड़े हुए प्रतीत नहीं होते, परन्तु अगर हम इन पर सूक्ष्म दृष्टि से विचार-मंथन करें तो कहीं-न-कहीं इनमें हिंदी का विकास, उत्थान और प्रगति भी निहित हैं। इन लक्ष्यों की प्राप्ति में हिंदी भाषा एक माध्यम या सहायक ही लग रही है। नीचे इनका बिंदुवार विश्लेषण प्रस्तुत किया जा रहा है-

1. विकसित भारत का लक्ष्य

पहले प्रण में माननीय प्रधानमंत्री जी ने देशवासियों के समक्ष एक बड़ा संकल्प रखा है कि हम अपने देश को विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में लाएँगे। इस दृष्टि के साथ आगे

बढ़ना कि हमारा देश एक विकसित भारत होगा और इससे कम कुछ भी नहीं। निश्चित ही, यदि आज हम पूरा वैश्विक परिदृश्य देखें तो यह परिलक्षित होता है कि जितने भी विकसित राष्ट्र हैं, उन्होंने अपने देश का विकास अपनी भाषा के माध्यम से किया है, न कि विदेशी या अंग्रेजी भाषा के माध्यम से। इसलिए अगर हम भी भारत को विकसित बनाना चाहते हैं तो पहले हिंदी को आगे लाना होगा और यह हिंदी ही इस देश के विकास का मार्ग प्रशस्त करेगी।

2. औपनिवेशिक मानसिकता के समस्त चिह्नों को मिटा देना

इसके अंतर्गत, भारत को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में आग्रह किया गया है कि हमारे मन के भीतर गुलामी का एक भी अंश है, तो उसे बचने नहीं देना है। हमारे अस्तित्व एवं आदतों अथवा चेतना के गहनतम कोनों में भी, दमन का कोई अंश नहीं होना चाहिए। हिंदी के संदर्भ में देखें तो ज्ञात होता है कि हमने अंग्रेजों की परतंत्रता से बहुत पहले ही मुक्ति प्राप्त कर ली थी, परन्तु मानसिक रूप से हम अभी भी दास हैं। मानो, हम अंग्रेजी भाषा की गुलामी कर रहे हैं। मुगलों और अंग्रेजों की लंबी परवशता के कारण गुलामी का रक्त अभी तक हमारी नसों में दौड़ रहा है। हमारी सोच और विचारों पर अंग्रेजी हावी है। इसलिए हम अपने व्यवहार और काम-काज में अंग्रेजी का प्रयोग करते हैं। अत: दिमाग से अंग्रेजी का भूत भगाना आवश्यक है।

3. अपनी जड़ों पर गर्व करें

हमें हमारी 4000 वर्षों से भी अधिक पुरातन सभ्यता पर गर्व होना चाहिए, क्योंकि यह वही विरासत है, जिसने अतीत में भारत को अपना स्वर्णिम काल दिया था तथा जिस पर हम एक और उन्नत राष्ट्र का निर्माण करेंगे। हमारी महान परंपराएँ या मान्यताएँ सांस्कृतिक गौरव का विषय हैं। हमें इन्हें पोषित करना चाहिए तथा इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। विदेशी रीति-रिवाजों का अंधानुकरण नहीं करना चाहिए। भाषा के संदर्भ में भी यही बात लागू होती है। हमें अपनी भाषाओं को समृद्ध करना है न कि अंग्रेजी भाषा के आडंबर और दिखावे में जीना है। हिंदी हमारी भारतीय संस्कृति का प्रतीक है, यदि हम इस भाषायी विरासत का संरक्षण नहीं करेंगे तो हमारी संस्कृति भी विकृत हो जाएगी।

4. एकता और एकजुटता

इसका मूल ध्येय है, हमारे प्रयासों में एकजुटता सुनिश्चित करना। भारत विविधताओं से भरा देश है। उत्तर से दक्षिण तक, पूर्व से पश्चिम तक, यह राष्ट्र विभिन्न संस्कृतियों, रीति-रिवाजों, भाषाओं, भोजन, पहनावे, त्योहारों आदि के कई शृंखला समूहों को अपने में समेटे हुए है। एक एकीकृत शक्ति के रूप में आगे बढ़ने का माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वप्न आत्मनिर्भर भारत की नींव रहा है। इस प्रसंग में स्पष्ट है कि इस देश में केवल हिंदी ही एक ऐसी भाषा है जो भारत की एकता की कड़ी होने के नाते इस प्रण की पूर्ति में सहायक सिद्ध हो सकती है। हिंदी प्रारंभ से ही जन-जन की संपर्क भाषा रही है और यह भी जग विदित है कि हिंदी ने ही इस देश को एकजुट कर स्वतंत्रता दिलाई। अत: इस महोत्सव के माध्यम से हिंदी को अंग्रेजी के स्थान पर प्रतिस्थापित करके इसकी गरिमा और अधिक बढ़ानी है।

5. नागरिकों में कर्तव्य की भावना

इस प्रण का मंतव्य यह है कि राष्ट्र के प्रति उत्तरदायित्व की भावना और उसकी उन्नति में योगदान देने का प्रयास करना। किसी भी स्वतंत्र देश में नागरिकों के अधिकार तब तक सुरक्षित नहीं रह सकते, जब तक वे अपने कर्तव्यों का ईमानदारी से पालन नहीं करते। इस अमृत महोत्सव में सभी नागरिकों, चाहे वह प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या बड़े से बड़ा अधिकारी हो, को प्रण लेना है कि संविधान में निर्धारित कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक पालन कर इस राष्ट्र को परम वैभव पर ले जाना है। हिंदी को भी इस देश में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा के साथ-साथ संविधान में राजभाषा का दर्जा मिला है। अत: इसका भी यथोचित सम्मान करना, हमारे कर्तव्यों की श्रेणी में आता है। यदि हिंदी को अपने ही देश में आदर नहीं मिलेगा तो विश्व में इसकी स्वीकार्यता कैसे बनेगी?

ऊपर पंच प्रण की समीक्षा से यह बात प्रकट हो रही है कि ये केवल प्रतिज्ञाएँ नहीं हैं, अपितु हमारे आने वाले 25 साल के सपनों को पूरा करने के लिए एक बहुत बड़ी प्राण-शक्ति हैं। इनसे जहाँ एक और हमारे इतिहास की धरोहर को सम्मान मिलेगा तो वहीं दूसरी ओर हिंदी भाषा को अपना अधिकार मिलेगा, क्योंकि इसमें अगोचर हिंदी-संदेश विद्यमान है। 'आजादी का अमृत महोत्सव' हिंदी के बिना

तब तक अधूरा है, जब तक इस देश को अंग्रेजी के प्रभुत्व से मुक्ति नहीं मिल जाती। यह ठीक उसी प्रकार होना चाहिए, जैसे इस देश ने 15 अगस्त, 1947 को अंग्रेजों से मुक्ति पाई थी। इस दिशा में, संपूर्ण जगत में प्रधानमंत्री जी द्वारा हिंदी का डंका बजाया जाना, चिकित्सा और तकनीकी पाठ्यक्रमों को हिंदी में पढ़ाया जाना, न्याय-व्यवस्था में हिंदी लाना आदि आजादी के अमृत काल की हिंदी-गतिविधियों में से ही तो हैं।

निष्कर्ष

'आजादी का अमृत महोत्सव' हमें अपनी छुपी क्षमताओं का पता लगाने और अंतरराष्ट्रीय समुदाय में अपने सही स्थान को पुनः प्राप्त करने के लिए वास्तविक, सहयोगात्मक कार्रवाई करने के लिए प्रेरित करता है। यह आजादी के बाद से प्रगतिशील भारत की 75 साल की यात्रा और गतिविधियों एवं उपलब्धियों को याद करता है। यह 'विजन इंडिया/2047' के लिए समारोहों की शुरुआत का भी प्रतीक है।

स्वतंत्रता, एकता, लोकतंत्र और विकास के इस पर्व में 'आत्मनिर्भर भारत, श्रेष्ठ भारत' केवल शब्द नहीं, अपितु देशवासियों के लिए एक मंत्र बन गया है। यह एक ऐसा अमृत काल है, जो हमारे देश को आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक और वैज्ञानिक रूप से सशक्त बनाने में मदद करेगा। हम भारत को फिर से 'सोने की चिड़िया' और 'विश्व गुरु' कह सकेंगे।

अमृत महोत्सव का उद्देश्य भारतीय जनता में राष्ट्रीय भावना, स्वाधीनता के प्रतीक हिंदी भाषा के प्रति समर्पण और स्वाधीनता संग्राम के महान पुरुषों की याद दिलाना है। यह हमें हमारे देश के गौरवशाली इतिहास को समझने और मानने का मौका देता है और यह याद दिलाता है कि हमें अपने देश की स्वतंत्रता और भाषिक मान्यताओं का सम्मान करना चाहिए। इस महोत्सव के माध्यम से हिंदी भाषा और भारतीय स्वतंत्रता के महत्त्व के प्रति जनता के बीच जागरूकता फैलेगी और उन्हें इन महत्त्वपूर्ण मुद्दों पर विचार करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकेगा।

आजादी का अमृत महोत्सव में हिंदी को यथोचित भूमिका मिली है, क्योंकि यह भारतीय स्वतंत्रता-संग्राम की भाषा थी। इसलिए यह हिंदी भाषा के महत्त्व, विकास, साहित्यिक योगदान और उपयोग को भी समर्पित है। हिंदी भाषा को आजादी मिलने का अमृत महोत्सव भारतीय समाज के लिए एक स्वाभिमान और गर्व का क्षण है। यह महोत्सव हिंदी भाषा को सम्मानित, प्रचारित करने और संवर्द्धित करने का एक अवसर है।

-जय हिंद, जय हिंदी-

संदर्भ

https://amritmahotsav.nic.in/

https://hi.wikipedia.org/

https://hindi.news18.com/news/knowledge

https://www.setumag.com/

संयुक्त निदेशक (राजभाषा)

कर्मचारी राज्य बीमा निगम

With Best Compliments from:

Hindware

Mr. Santosh

9650322012

देवनागरी दुनिया की सर्वाधिक वैज्ञानिक लिपि है। हिन्दी विश्व की महान भाषा है। **-राहुल सांकृत्यायन**

नींव जिस पर भवन अपना आधार पाता है

'आप कमजोर नींव पर मजबूत इमारत का निर्माण नहीं कर सकते।'
-गॉर्डन बी हिंकले

-अनुराग खरे

किसी भी भवन के निर्माण का मुख्य भाग उसकी नींव होती है। प्रसिद्ध कहावत भी है कि जिसकी जडें मजबूत होती हैं वह वृक्ष उतना ही मजबूत होता है। ठीक इसी प्रकार मजबूत नींव पर बनी इमारतें सदियों के इतिहास को कहने में सक्षम होती हैं। नींव के बिना आप दुनिया में गगनचुंबी इमारतों का निर्माण नहीं देख सकते हैं। वास्तव में एक इमारत की सुंदरता नींव पर बहुत हद तक निर्भर करती है क्योंकि यह नींव का ही महत्त्व है जो इमारत को समय की कसौटी पर खरा उतारेगा। ढांचागत डिज़ाइन में भवन का कुल भार नींव के माध्यम से ही मृदा में रूपांतरित होता है। एक इमारत की ताकत उसकी नींव में होती है। किसी भी नींव का मुख्य उद्देश्य उसके ऊपर की संरचना को ग्रहण करना और उसे खड़ा रखना है। इसके विपरीत, एक खराब नींव उस पर रहने वालों और पड़ोस के लिए अत्यधिक खतरनाक हो सकती है। गगनचुंबी इमारतों के निर्माण कार्य के साथ ही बड़े शहरों में शक्तिशाली नींव रखना और भी महत्त्वपूर्ण हो गया है। इमारत का सबसे महत्त्वपूर्ण हिस्सा यकीनन वह नींव है जिस पर इसका निर्माण किया गया है। यह इमारत का वह आधार है जो अधिरचना से भार को पृथ्वी पर स्थानांतरित करता है। यदि नींव ठीक से नहीं बनाई गई तो इमारत को भविष्य में गंभीर संरचनात्मक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। नींव के बिना स्तंभों का आधार जमीन में प्रवेश करेगा जिससे संरचना में अस्थिरता पैदा होगी क्योंकि नींव स्तंभों से भार को बड़े क्षेत्र में फैलाने में मदद करती है। नींव के महत्त्व को निम्न बिंदुओं के माध्यम से समझाया जा सकता है:-

1. बिल्डिंग सपोर्ट

यह नींव ही है जो पूरे ढांचे का भार वहन करती है और इसे समतल रखती है। क्रैकिंग या बकलिंग से बचने के लिए इसे लाइव लोड के साथ-साथ डेड लोड सहन करने में सक्षम होना चाहिए। यदि नींव में किसी भी बिंदु पर किसी भी प्रकार की कोई खराबी आती है या विफल हो जाती है तो इमारत अस्थिर हो सकती है या गिर भी सकती है। बिल्डिंग की नींव सिर्फ कंक्रीट डालना नहीं है बल्कि इसे मिट्टी में ठीक से फिट करना है जैसे कि इसे मिट्टी में सिल दिया गया हो। भार वहन सुनिश्चित करने के लिए इसे आवश्यकतानुसार संकुचित किया जाना चाहिए।

2. विपत्तियों से सुरक्षा

नींव के निर्माण से पहले क्षेत्र के मौसम और उसकी जमीनी स्थिति के बारे में अध्ययन करना आवश्यक है। किसी भी प्राकृतिक आपदा जैसे भूकंप, चक्रवात आदि के प्रभावों का सामना करने के लिए नींव को काफी मजबूत बनाया जाता है। नींव की ताकत हमेशा उस अत्यधिक प्राकृतिक आपदा के अनुसार डिजाइन की जाती है जो संबंधित क्षेत्र में पहले ही आ चुकी है।

संक्षेप में, एक संरचना के निर्माण में नींव तीन प्रमुख महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है:-

1. नींव का प्राथमिक उद्देश्य पूरी इमारत के भार का समर्थन करना है।
2. एक अच्छी तरह से डिज़ाइन की गई और मजबूत नींव प्राकृतिक आपदाओं में भी इमारत को खड़ा रखती है। अच्छी तरह से निर्मित नींव भूकंप, बाढ़, तेज हवा जैसी आपदाओं के समय इमारत में रहने वालों को सुरक्षित रखती है।

निर्माण विशेषज्ञों और इंजीनियरों के अनुसार, नींव को

'मृत' भार और 'जीवित' भार का सामना करने में सक्षम होना चाहिए। मृत भार मूल संरचना का भार है। इसे डेड लोड कहा जाता है क्योंकि यह स्थिर रहता है। दूसरी ओर, जीवित भार लोगों और अन्य वस्तुओं का भार है जो वे अपने साथ लाते हैं। नींव दृढ़ होनी चाहिए और पूरी इमारत के वजन को जमीन पर लाने में सक्षम होनी चाहिए। यदि भवन ढलान वाले क्षेत्रों या नम भूमि पर बनाया जा रहा है, तो नींव को अनुकूलित और टिकाऊ होना चाहिए।

यदि भवन की नींव मजबूत न हो तो भवन की विफलता की सम्भावना बहुत अधिक हो जाती है। किसी भी भवन की संरचनात्मक रुपरेखा बनाने में नींव की डिजाइन एक मुख्य भाग होती है। नींव मुख्यत: निम्न प्रकार की होती है:-

1. ईंट के काम में पट्टीनुमा नींव (strip foundation in brick work) स्ट्रिप फाउंडेशन में एक स्ट्रिप जिसे आम बोलचाल में पट्टी कहते हैं। जिसको भारी दीवारों के नीचे बनाया जाता है। यह निरंतर स्ट्रिप दीवार में एक आधार के रूप में कार्य करती हैं। स्ट्रिप को बनाने के लिए कंक्रीट का उपयोग होता है। कंक्रीट मुख्य रूप से नींव के लिए इस्तेमाल की जाने वाली सामग्रियों में से एक है। नींव की खांइयो को भरने के लिए कंक्रीट का इस्तेमाल होता है। कंक्रीट की सहायता से दीवार के लिए एक आधार प्रदान किया जाता है जो दीवार के लिए पर्याप्त संक्षारक शक्ति को विकसित करता है क्योंकि कंक्रीट नींव पर भार को सपोर्ट करने के लिए कठोर हो जाता है।

भवन निर्माण के इतिहास में पोर्टलैंड सीमेंट के इस्तेमाल से पहले नींव निर्माण के लिए ईंटो का इस्तेमाल होता था और ईंटों से ही नींव की स्ट्रिप बनाई जाती थी। ईंट नींव को सीधे अधोभूमि से या प्राकृतिक पत्थरों के फाउंडेशन पर बनाया जाता था। कंक्रीट स्ट्रिप फाउंडेशन की चौड़ाई अधोभूमि (subsoil) की असर क्षमता और नींव पर पढ़ने वाले भार पर निर्भर करती है।

2. पृथक आधार (isolated footing)

यह सबसे अधिक इस्तेमाल की जाने वाली नींव का प्रकार है जिसका उपयोग सिंगल कॉलम के लिए किया जाता है। एक पृथक आधार का आकार वर्गाकार या आयताकार हो सकता है और इसका उपयोग तब किया जाता है जब संरचना का भार स्तंभों के माध्यम से स्थानांतरित किया जाता है। यह सबसे सरल और सामान्य प्रकार की नींवों में से एक हैं। इनका उपयोग तब किया जाता है जब भवन का भार स्तंभों द्वारा ले जाया जाता है। आमतौर पर, प्रत्येक कॉलम का अपना एक फुटिंग होगा। फुटिंग कंक्रीट का एक वर्ग या आयताकार पैड है जिस पर स्तंभ बैठता है। फुटिंग का आकार प्राप्त करने के लिए, इंजीनियर को कॉलम के भार के अनुरूप डिजाइन करना होता है जो वहाँ की मिट्टी की सुरक्षित असर क्षमता पर निर्भर करता है।

आइसोलेटेड फुटिंग्स (isolated footing) के निम्न प्रकार होते हैं।

1. एकल पैड आधार (single pad footing)
2. स्टेप कॉलम आधार (stepped column footing)
3. ढलान वाला स्तंभ आधार (sloped column footing)
4. वाल फुटिंग्स विदाउट स्टेप (wall footing without step)
5. सीढ़ीदार दीवार का आधार (stepped wall footing)

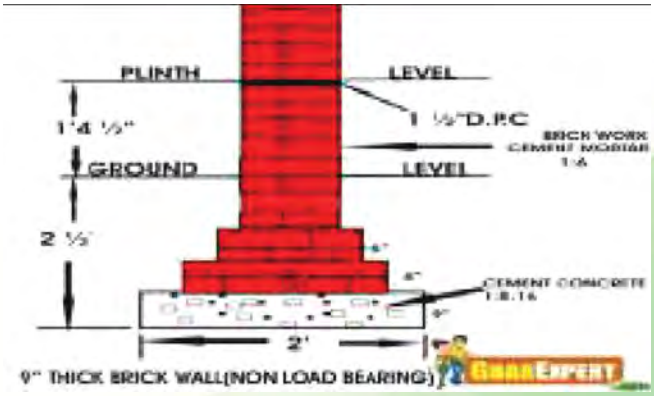

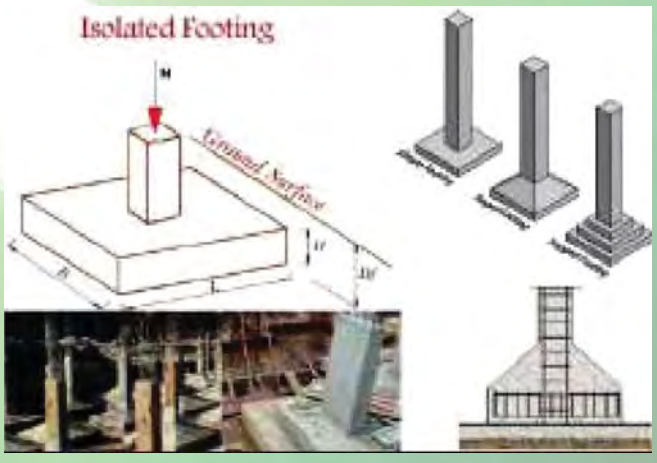

6. ग्रिलेज फाउंडेशन (grillage foundation)

३.संयुक्त आधार (combined footing)

जब दो या दो से अधिक कॉलम इतने करीब होते हैं कि अलग-अलग फुटिंग्स के ओवरलैपिंग का कारण बनते हैं, तो इन्हें संयुक्त फुटिंग्स द्वारा बदल दिया जाता है। इसका उपयोग तब भी किया जाता है जब मिट्टी की वहन क्षमता आवश्यकता से कम होती है।

जब स्तंभ को बारीकी से फैलाया जाता है तो संयुक्त पैरिंग प्रदान की जाती है ताकि उनके पैर एक दूसरे के साथ ओवरलैप हो जाएँ। ऐसे समय में जब कॉलम निकट होते हैं और यदि हम अलग-अलग पड़े हुए पैरों को अलग कर देते हैं तो ऐसे मामले में अलग-अलग पड़ने की तुलना में एक संयुक्त पैर प्रदान करना बेहतर होता है।

निम्न स्थिति में संयुक्त पायदान का प्रयोग किया जाता है-

- जब केंद्र से स्तंभों के बीच की दूरी छोटी होती है और मिट्टी में कम असर क्षमता होती है। व्यक्तिगत कॉलम फुटिंग एक दूसरे को ओवरलैप कर सकते हैं।
- यदि प्रॉपर्टी लाइन और सीवर लाइन के पास कॉलम स्थित है तो गुरुत्वाकर्षण का कॉलम सेंटर फुटिंग के साथ मेल नहीं खाएगा। फिर आसन्न आंतरिक स्तंभ के साथ इस फुटिंग को संयुक्त करना आवश्यक है।
- किसी भी कारण से एक तरफ के पैर के आयाम प्रतिबंधित हैं ताकि स्तंभ के चरणों को संयोजित किया जा सके।

उपयुक्तता:

- कॉलम के लिए बारीकी से जगह दी गई है।
- प्रॉपर्टी लाइन या सीवर लाइन के पास स्थित कॉलम।

कंबाइंड फुटिंग दो प्रकार की होती है

1. आयताकार संयुक्त आधार (Rectangular combined footing.
2. ट्रेपेजोइडल संयुक्त आधार (Trapezoidal combined footing.

4. बेडा नींव (raft foundation)

राफ्ट फाउंडेशन को मैट फाउंडेशन के रूप में भी जाना

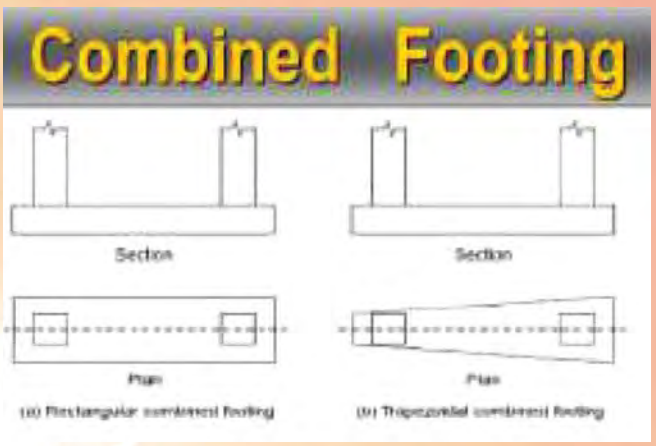

जाता है। यह एक निरंतर स्लैब है जो एक नींव के निर्माण के पूरे क्षेत्र को कवर करता है और अपने वजन को जमीन पर स्थानांतरित करता है। इस प्रकार यह संरचना के सभी भार वहन करने वाले तत्त्वों के लिए इसे एक बेड़ा या चटाई के रूप में डिज़ाइन किया गया है। इसका उपयोग कम असर क्षमता वाली मिट्टी जैसे विशाल मिट्टी में किया जाता है।

राफ्ट फाउंडेशन (raft foundation) जिसे मैट फ़ाउंडेशन भी कहा जाता है, का उपयोग अक्सर बेसमेंट के निर्माण के समय किया जाता है। एक बड़ा बेड़ा पूरे तहखाने का फर्श स्लैब नींव के रूप में कार्य करता है, भवन का भार भवन के पूरे फुटप्रिंट पर समान रूप से पड़ता है। इसे बेड़ा कहा जाता है।

आजकल मैट फ़ाउंडेशन का उपयोग वहाँ किया जाता है जहाँ रेनफोर्समेंट कंक्रीट की राफ्ट को इमारत के पूरे भार को जमीन से स्थानांतरित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है अर्थात जहाँ बिल्डिंग लोड को एक बड़े क्षेत्र में फैलाना पड़ता है या जहाँ कॉलम को बारीकी से फैलाया जाता है, जिसका अर्थ है कि यदि इंडिविजुअल फुटिंग का उपयोग किया जाता है तो वे एक दूसरे को स्पर्श करेंगे।

इस फाउंडेशन का उपयोग कम असर क्षमता वाली मिट्टी के लिए भी किया जाता है क्योंकि यह इमारत के पूरे क्षेत्र में इमारत के वजन को वितरित करता है, न कि छोटे क्षेत्र में या व्यक्तिगत बिंदु पर। अंततः मिट्टी पर प्रति क्षेत्र तनाव कम करता है। सिविल इंजीनियरों के लिए तनाव की अवधारणा बहुत सरल है। हम जानते हैं कि तनाव क्षेत्र के अनुपात में होता है। उदाहरण के लिए-अगर किसी इमारत में 10 मीटर का वजन 100 टन है और एक बेड़ा नींव है तो मिट्टी पर तनाव

वजन/क्षेत्र = 100/100 = 1 टन प्रति वर्ग मीटर होगा।

एक अन्य मामले में, यदि एक ही इमारत में 4 अलग-अलग फुटिंग्स हैं, प्रत्येक 1 मीटर x 1 मीटर है, तो नींव का कुल क्षेत्रफल 4 M 2 होगा और मिट्टी पर तनाव 100/4 होगा जो प्रति वर्ग लगभग 25 टन मीटर है। इसलिए यह नींव पर प्रति यूनिट क्षेत्र में लोड बढ़ाता है।

आमतौर पर उपयोग किए जाने वाले दो प्रकार के राफ्ट है।

1. फ्लैट राफ्ट (flat raft)
2. चौड़े पैर की राफ्ट (wide toe raft)

5. पाइल नींव (pile foundation)

पाइल एक प्रकार की गहरी नींव है जो कंक्रीट, लकड़ी या स्टील से बनी होती है। यह एक छोटे व्यास के स्तंभ की तरह होता है जिसे जमीन में गाड़ दिया जाता है। सरल शब्दों में, ढेर नींव में उथले नींव से अधिक गहराई होती है। इस प्रकार की नींव मुख्य रूप से पुल निर्माण में उपयोग की जाती है।

पाइल फ़ाउंडेशन का उपयोग फुटिंग के आधार से भार को ज़मीनी स्तर से काफी गहरे स्थित कठोर चट्टानी स्तर तक स्थानांतरित करने के लिए किया जाता है। ये कंक्रीट, लकड़ी या स्टील से बने पतले स्तंभों की तरह होते हैं जिन्हें जमीन में गाड़ा या डाला जाता है। इसका उपयोग तब किया जाता है जब मिट्टी की वहन क्षमता इमारत के भार को सहन करने और इसे कठोर चट्टानी परत में स्थानांतरित करने के लिए पर्याप्त नहीं होती है। पाइल नींव का प्राथमिक उद्देश्य घर्षण ढेर का उपयोग करके भार का प्रतिरोध करना है।

इस प्रकार की नींव का उपयोग तब किया जाता है जब नींव के नीचे की मिट्टी में कठोर असर तक गहरी मिट्टी में इमारत के भार को ले जाने के लिए पर्याप्त असर क्षमता नहीं होती है। ढेर नींव का मुख्य कार्य भार को ढेर बिंदु या आधार पर घर्षण ढेर और अंत-असर ढेर के संयोजन से जमीन के निचले स्तर पर संचारित करना है।

उपयुक्तता (suitability)

हम एक पाइल नींव का उपयोग करते हैं जब:

1. संकुचित या कमजोर ऊपरी मिट्टी की परत।
2. क्षैतिज बलों की उपस्थिति।
3. उत्थान बलों के अधीन।
4. मिट्टी का कटाव।

इसके अतिरिक्त पुल इत्यादि का निर्माण करने के लिए कूप नींव (well foundation) का भी उपयोग किया जाता है। इसे निम्न चित्र के माध्यम से समझा जा सकता है-

नींव निर्माण में यह ध्यान देना बहुत जरुरी है कि वह भवन का भार पूर्ण रूप से एवं बराबर मात्रा में मृदा में स्थानांतरित करे। ऐसा न होने पर भवन या इमारत अपना सही आकार लेने में असफल हो जाती है। उदाहरण के लिए-पीसा की मीनार जो कि अपनी नींव की डिज़ाइन खराब होने के कारण यह एक दिशा में झुक गयी है।

नींव निर्माण में एक मुख्य भाग मृदा की वहन क्षमता एवं उस स्थान के तलरूप या स्थलाकृति का भी होता है जिस स्थान पर इस भवन का निर्माण होता है। उदाहरण के तौर पर यदि हम चट्टानी इलाके में भवन निर्माण कर रहे है तो वहन क्षमता बहुत ज्यादा होती है व हल्की नींव (isolated footing, combined footing) से भी निर्माण कार्य हो जाता है। इसके ठीक विपरीत यदि हम उस स्थान पर निर्माण कर रहे हैं जहाँ मृदा की वहन क्षमता बहुत कम है और यदि दलदल इत्यादि है तो वहाँ पर डीप या पाइल फाउंडेशन इत्यादि की भी जरूरत पड़ती है। कौन सी तरह की नींव किस स्थान पर उपयुक्त होगी इसका निर्णय मृदा की वहन क्षमता जांच कर निर्धारित किया जाता है। आज वर्तमान में हम बहुत सारे भवनों की पहाड़ों में संरचनात्मक विफलता के बारे में सुनते है। इसका मुख्य कारण मृदा एवं नींव का सही तरीके से डिजाइन न किया जाना होता है। पहाड़ों पर तो इसकी भी जाँच अति आवश्यक होती है कि स्लिप सर्किल जिसके तहत मिट्टी का एक बड़ा भाग फिसल सकता है, वह है कि नहीं और यदि है तो उसका क्या निस्तारण है। पहाड़ों पर वैसे तो भूस्खलन के स्थान, उन पर उगने वाले पेड़ों से आसानी से चिह्नित किये जाते हैं। यदि पेड़ के तने सीधे ऊपर न जाकर गोलाकार आकृति में ऊपर जा रहे हैं तो यह सम्भव है कि इस स्थान की मिट्टी गिर रही है। ऐसे में भविष्य में भूस्खलन हो सकता है। ऐसे स्थानों पर हमें भवन निर्माण करने से बचना चाहिए। इसके अतिरिक्त यदि वर्टीकल क्लिफ (उर्ध्व) के पास भवन बनाना है तब उसमें नींव का निर्धारण बहुत महध्वपूर्ण हो जाता है अन्यथा पूरा भवन स्खलित हो सकता है। सामान्यतया इन स्थितियों में गहरी नींव का निर्माण होता है।

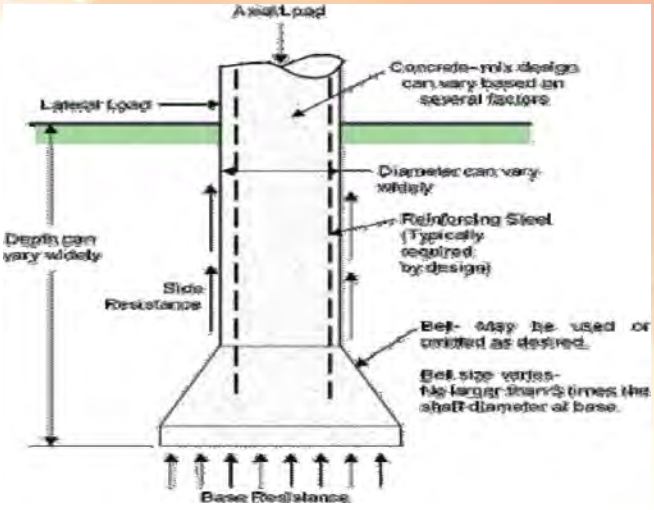

मैदानी इलाको में सामान्यत: रेतीली या चिकनी मिट्टी होती है। इनमें भवन निर्माण के समय ध्यान देने की यह बात होती है कि भवन का कुल भार समान रूप से उस मिट्टी पर स्थानांतरित हो जाए। कई बार मृदा क्षमता के अनुसार एवं छोटे भवनों में हम पृथक आधार का निर्माण करते हैं। इसमें एक बात यह ध्यान देने की होती है कि भवन का अंतर निपटान (differential settelment) न हो। ऐसे भवन जिनमें कम्पोजिट आधार देते हैं। जैसे कि कुछ स्थान पर पट्टीनुमा नींव तथा अन्य स्थानों पर पृथक या संयुक्त नींव। इन स्थानों पर भवन निर्माण की विफलता का साधारणतया मुख्य कारण अंतर निपटान होता (differential settelment) है। अंतर निपटान में न केवल भवन का संरचनात्मक विघटन होता है बल्कि इससे गैस लाइन, पानी लाइन भी फट जाती है।

राफ्ट या पाइल नींव समान्यतया उन स्थानों पर बनाते हैं जहाँ भवन बहुमंजिले होते हैं या मृदा की वहन क्षमता कम होती है। इसका भी निर्धारण भवन के कुल भार के अनुसार होता है। हालाँकि राफ्ट नींव से अंतर निपटान की संभावना बहुत हद तक कम हो जाती है फिर भी नींव का सही तरीके से संरचनात्मक डिज़ाइन बहुत आवश्यक होता है। पाइल

नींव का भी डिज़ाइन नमूना जांच करने के बाद ही किया जाता है। हालाँकि पाइल नींव से भवन की लागत में काफी वृद्धि होती है।

भवन निर्माण के समय यह भी सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि जिस स्थल पर भवन निर्माण हो रहा है, वहाँ काली कपास की मिट्टी या कोई अन्य ऐसी मिट्टी न हो जिसका क्षरण बहुत ज्यादा होता हो। इस प्रकार की मिट्टी में भवन निर्माण करने पर संरचनात्मक विफलता का खतरा बहुत अधिक होता है। अत: ऐसे स्थानों पर डिज़ाइन करते समय इससे सम्बंधित सभी सावधानियों का पूर्ण ध्यान रखा जाना आवश्यक है।

आजकल के भवन भूकम्प की दृष्टि से डिज़ाइन किये जाते हैं। इसमें यह भी ध्यान रखने की जरूरत होती है कि जिस स्थान पर इनका निर्माण हो रहा हो वहाँ द्रवीकरण का खतरा न हो। इसके लिए भी उन स्थानों पर जहाँ बलुई मिट्टी हो वहाँ भूकम्प में इमारत धंसने का खतरा बहुत ज्यादा होता है। भवन निर्माण में इसका निस्तारण किया जाना बहुत जरुरी है।

आजकल मृदा परीक्षण में मृदा की वहन क्षमता, भूजल तालिका की गहराई, मृदा के प्रकार जैसे-रेतीली, चिकनी मिट्टी इत्यादि का पता चल जाता है। अत: भवन निर्माण के पहले पूर्ण मृदा परीक्षण करवाना आवश्यक है। पहाड़ी इलाकों में ढाल स्थिरता का भी परीक्षण जरुर करवाना चाहिए।

अनेक बार ऐसे भवन जिनमें तलघर भी होता है, उनमें भूजल तालिका कितनी गहराई पर है, इसका भी विशेष ध्यान रखना पड़ता है। यदि भूजल तालिका बहुत ऊँची है जो कि मृदा परीक्षण में पता चलता है तो पहले पानी को पम्प के माध्यम से निकालकर प्रबलित कंक्रीट से वाटरप्रूफ तहखाना की संरचना का निर्माण करना चाहिए। इसके डिज़ाइन में पानी के उत्क्षेप का भी ध्यान रखा जाता है। कुछ स्थानों पर जहाँ भवन का निर्माण नदी इत्यादि के पास हो रहा है, वहाँ बहुत संभावना होती है कि पानी के बहाव से नींव के नीचे की मृदा निकल जाये। इस स्थिति में भवन का व्यस्थापन बहुत आसानी से हो जाता है व भवन संरचना विफल हो जाती है। ऐसे स्थानों पर प्रतिधारण भित्ति इत्यादि का निर्माण विशेषतया किया जाता है। आजकल नींव के ऊपर ही विशेष संरचनाएँ बना दी जाती हैं जो कि भूकम्प की स्थिति में भवन की रक्षा करती हैं। इनका भी आजकल मुख्य इमारतों में बहुत उपयोग हो रहा है। अनेक बार भवन की वास्तु योजना इस प्रकार की होती है कि भवन का भार वितरण समान नहीं होता है या कई बार भवन ऐसी आकृति के भवन बनते हैं जो कि सीसमिक डिज़ाइन के अनुसार नहीं होते हैं व भूकम्प में हानि की संभावना बहुत अधिक हो जाती है।

ताजमहल के नीचे लकड़ी के लठ्ठे लगाये गए हैं। यह लकड़ी पानी में और अधिक मजबूत हो जाती है। यही कारण है कि नदी के किनारे होते हुए भी ताजमहल इन लकड़ी की नींव पर सुरक्षित खड़ा रहा। इसके अतिरिक्त विभिन्न स्थानों पर जगह के अनुसार लोकल मैटेरियल से भी नींव बनायी जाती है जो कि उस स्थान के अनुसार उपयुक्त होती है।

एल, टी, ई और वाई आकार वाले भवनों को उचित स्थानों पर पृथक्करण खंड प्रदान करके आयताकार भागों में विभाजित किया जाना चाहिए।

एक अच्छे संरचनात्मक अभियंता को इस तरह के भवनों को तापीय विस्तार जोड़ से पृथक कर देना चाहिए ताकि भवन पर वास्तुगत प्रभाव न हो तथा संरचना भी सुरक्षित रहे। तापीय विस्तार जोड़ के समय भवन की नींव का भार विभिन्न कॉलमो के माध्यम से किस प्रकार स्थानांतरित हो रहा है, इसका विशेष ध्यान रखना चाहिए अन्यथा भवन निर्माण की विफलता की संभावना अधिक हो जाती है।

इस लेख का आशय मुख्य रूप से यह बताना है कि सामान्यत: जो भाग हमें दिखाई नहीं दे रहा, वह जमीन के अंदर होता है, वह भाग भवन का सब से महत्त्वपूर्ण भाग होता है। पुनर्वास भविष्य में संभव नहीं होता है। आज हम पहाड़ों पर अनेक समस्याओं का सामना कर रहे हैं, वह केवल और केवल अभियांत्रिकी का सही तरीके से प्रयोग न करने के कारण हुआ है। यदि निर्माण कार्य इमारत की उपयुक्त डिज़ाइन निर्माण के स्थान एवं उसकी स्थलाकृति को देखकर किया जाये तो कोई कारण नहीं है कि भूकम्प आदि से इमारत को जरा सी भी क्षति पहुँचे। हम प्रकृति को अवश्य दोष देते हैं परन्तु ज्यादातर कारणों में दोषी संरचनात्मक नक्शे ही हैं जो कि सभी मापदंडों को ध्यान में न रखकर कुशल इंजीनियरों द्वारा नहीं बनाये जाते है।

मुख्य अभियंता
के.लो.नि.वि. नई दिल्ली

सिक्का सच्चाई का

-डॉ. संजीव कुमार बंसल

चलो, कलयुग का हाल सुनाएँ,
उल्टा चोर कोतवाल को डाँटे,
बात-बात पर लोग ज्ञान बाँटे।
ढँग की कोई जो बात बताए,
चार लोगों में मूर्ख कहलाए।।

यहाँ कोई किसी का
नहीं दोस्त, ऐ दोस्त!
जुड़े हैं सब,
किसी न किसी लोभ से...
हर किसी को समझना
नहीं हितैषी, ओ मित्र!
रहना सावधान, मिलेंगे बन्दर और गिद्ध,
अच्छे-अच्छे पल भर में
होते गलत सिद्ध।।

परित्यक्त होने से पूर्व ही,
कुछ लोग छोड़कर दूसरों को मझधार में,
मढ़ देते हैं सारे इल्जाम बड़ी खूबसूरती से,
दूसरे के सर कुछ इस तरह से भी।
किसी को त्यागने में करना नहीं देरी।।

करके छल, कहें वे बड़े रौब से...
छल करोगे तो छल ही तो मिलेगा,
हमने भी कहा, शुरुआत करी है तुमने,
घड़ा पाप का, कभी तो भरेगा।
सिक्का सच्चाई का, कभी तो चलेगा।।

खोटा है आज तो क्या हुआ साहब,
कभी तो चलेगा सिक्का सच्चाई का।
सिक्का चलेगा जब सच्चाई का,
होगा हिसाब मेरी भी तन्हाई का।
जमाना करे कितना भी बुरा,
छोड़ना तुम मत राह भलाई का।।

क्यों करता अभिमान रे...

-सौ. तारिणी पुरंदरे

क्यों करता अभिमान रे मानव,
काहे का अभिमान।
नाशवंत यह देह है प्राणी,
तज देगा यह प्राण।
क्यों करता अभिमान रे मानव,
काहे का अभिमान।।1।।
पैसा गहने धन है जोड़ा,
जाने कितनों का दिल तोड़ा।
संग न जाये धन और दौलत,
इसका रखना ध्यान।
क्यों करता अभिमान रे मानव,
काहे का अभिमान।।2।।
मात-पिता ने जन्म दिया है,
प्यार से पाला-पोसा है।
जीने के लायक तुझे बनाया,
बनाया सामर्थ्यवान।
क्यों करता अभिमान रे मानव,
काहे का अभिमान।।3।।
प्राण छोड़ जाएँगे इक दिन,
देह भी नहीं रहेगा तेरा।
फिर क्यूँ करता मैं और मेरा।
पहचान अपने अस्तित्व को,
जीवन ये प्रभु का मान।
क्यों करता अभिमान रे मानव,
काहे का अभिमान।।4।।
संग जाएगा प्रेम समर्पण,
भगवद् भक्ति भगवद् चिंतन।
आशीष मात-पिता के और
परोपकार के कर्म सुमन।
बड़े भाग मानुष तन पाया,
किरपा ये प्रभु की जान।
क्यों करता अभिमान रे मानव,
काहे का अभिमान।।5।।

स्वतंत्रता संग्राम में हिन्दी पत्रकारिता की भूमिका : एक अध्ययन

-डॉ. राकेश कुमार दुबे

स्वतंत्रता आन्दोलन को विविध विचारों के माध्यम से गत्यात्मक शक्ति प्रदान की। स्वतंत्रता आन्दोलन के रथ का एक पहिया भारत की जनता थी तो दूसरा पहिया समाचार पत्र थे और दोनों की निर्णायक गति में राष्ट्र परतन्त्रता की बेड़ियों से विमुक्त हुआ। प्रस्तुत शोध प्रपत्र 'स्वतंत्रता आन्दोलन' में हिन्दी समाचार पत्रों की भूमिका के अध्ययन एवं अनुशीलन के क्रम में इन तथ्यों का संज्ञान लिया हैं कि स्वतंत्रता के आन्दोलन में हिन्दी समाचार पत्र मात्र विमुक्ती आन्दोलन के अधिवक्ता नही थे बल्कि भारत के भावी लोकतन्त्र, राजनीतिक विचार, भावी संविधान के आधारभूत तत्वों नागरिक अधिकारों, नागरिक कर्तव्यों तथा भावी सरकार के समक्ष राष्ट्र निर्माण के क्रम में आने वाली महत्त्वपूर्ण बाधाओं रेखांकन तथा अन्यान्य राष्ट्रीय राजनीति के सिद्धान्तों की आधारशिला भी स्वतंत्रता आन्दोलन के हिन्दी समाचार पत्र रख रहे थे। इसमें शोध विधि के रूप में गुणात्मक और मात्रात्मक प्राविधि का प्रयोग किया गया है। सभी तथ्य एवं आंकड़े द्वितीयक स्रोत से प्राप्त किये गए हैं।

बीज-शब्दः- हिंदी पत्रकारिता, उदन्त मार्तण्ड, आज, तिलक, गाँधी

स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान भारत में अनेक अखबार और पत्रिकाएँ निकलीं जिन्होंने लोगों को आजादी की लड़ाई के लिए तैयार किया और अंततः भारत को आजादी हासिल हुई भी। इस तरह भारत की आजादी में कलम का बड़ा योगदान रहा है। यह प्रेस ही थी जिसने भारतवासियों में देशभक्ति की अलख जगाकर उन्हें लामबंद किया और अंततः अंग्रेजों को भारत को आजाद करना ही पड़ा। प्रेस के प्रति अंग्रेज सरकार का रुख शुरू से ही नकारात्मक रहा और यदा-कदा उसने इस पर पाबंदी लगाने की कोशिश भी की। जेम्स अगस्टस हिक्की ने 29 जनवरी 1780 को पहला भारतीय समाचारपत्र बंगाल गजट कलकत्ता से अंग्रेजी में निकाला। इसका आदर्श वाक्य था; सभी के लिए खुला, फिर भी किसी से प्रभावित नहीं। अपने निर्भीक आचरण और विवेक पर अड़े रहने के कारण हिक्की को ईस्ट इंडिया कंपनी का कोपभाजन बनना पड़ा। ब्रिटिश शासन अपनी प्रशासनिक नीतियों की भनक जनता

तक नही ले जाना चाहती थी क्योंकि ब्रिटिश नीतियाँ भारतीय जनता की विरोधी नीतियाँ थी। ब्रिटिश शासन जानबूझ कर जनता की मौलिक समस्याओं का संज्ञान नही लेती थी, ब्रिटिश शासन जनता एवं शासन के मध्य संचार में ईमानदार नही थी। संचार सत्य के रहस्य का उद्घाटन करता है ब्रिटिश शासन स्वार्थ से अभिप्रेरित था जिसका मूल मनतव्य भारत का आर्थिक शोषण था। आर्थिक शोषण के लिये राजनीतिक आधिपत्य अनिवार्य था। राजनीतिक आधिपत्य या शासन का अधिग्रहण तथा उसकी वैधता का गहन विश्लेषण और अनवेषण हिन्दी समाचार पत्र कर रहे थे। फलतः हिन्दी समाचार पत्र ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के कोप का बार-बार शिकार हो रहे थे।

स्वतंत्रता आन्दोलन के कई नेतृत्वकर्ता स्वयं पत्रकार थे तथा राष्ट्रीय आन्दोलन को अपने समाचार पत्रों के माध्यम से उत्प्रेरित कर रहे थे। भारतीय स्वतंत्रता आन्दोलन के मुक्तधारा के सर्वाधिक सशक्त हस्ताक्षर महात्मा गाँधी के नेतृत्व में हरिजन तथा यंग इण्डिया नामक समाचार पत्र प्रकाशित होते थे। अपने विचार एवं सिद्धान्तों को महात्मा गाँधी हरिजन एवं यंगइण्डिया के माध्यम से ही व्याख्यायित करते थे। आन्दोलन की अनिवार्यता तथा उसकी सत्यता को सामयिकता में रूपान्तरित करते थे तथा जनता एवं सरकार क्रमशः दोनों के समक्ष नीर-क्षीर के लिये प्रस्तुत करते थे। जनता उसका संज्ञान लेती थी तथा सरकार उसे अस्वीकार करती थी।

जनता एवं सरकार के मध्य अन्तर्द्वन्द्व को पराकाष्ठा पर पहुँचाने का श्रेय समाचार पत्रों को है। अन्तर्द्वन्द्व जब अपने चरम पर होता है तो क्रान्ति का सूत्रपात होता है। इस दृष्टि से हिन्दी के समाचार पत्र और उसकी भूमिका नि:सन्देह क्रान्तिकारी थी।

यह तथ्य इतिहास का सर्वाधिक सत्य विवरण है। भारत की जन सम्प्रभुता तथा भारतवासियों की ब्रिटिश दासता से विमुक्ति भारतीय राष्ट्रवाद का श्रेय प्रेम एवं पाथेय था। परन्तु इसके साथ ही हिन्दी के समाचार पत्रों ने राष्ट्र की अन्य गम्भीर समस्याओं को अपने वैचारिक क्षितिज में समाहित करते हुये विषय वस्तु को राष्ट्रीय महत्त्व का बना दिया था। मजदूर समस्या, कृषक समस्या, करो का आरोपण, राजस्व नीति की कठोरता तथा दमनकारी प्रवृति, बाल विवाह, स्त्री शिक्षा, जैसे मौलिक प्रश्नों को राष्ट्रीय स्वरूप प्रदान कर उसे जनसंवाद के लिये राष्ट्रीय मंच प्रदान किया यदि हिन्दी के तत्कालीन समाचार पत्र इन मौलिक प्रश्नों पर राष्ट्र का ध्यान आकर्षित नहीं करते तो स्वतंत्रता आन्दोलन की गत्यात्मक ऊर्जा समाप्त नही तो क्षीण अवश्य हो जाती।

'उदंत मार्तण्ड' को हिंदी का पहला समाचार पत्र माना जाता है। अपने समय का यह खास समाचार पत्र था, मगर आर्थिक परेशानियों के कारण यह जल्दी ही बंद हो गया। आगे चलकर माहौल बदला और जिस मकसद की खातिर पत्र शुरू किए गए थे, उनका विस्तार हुआ।

समाचार सुधा वर्षण, अभ्युदय, शंखनाद, हलधर, सत्याग्रह समाचार, युद्धवीर, क्रांतिवीर, स्वदेश, नया हिन्दुस्तान, कल्याण, हिंदी प्रदीप, ब्राह्मण, बुन्देलखण्ड केसरी, मतवाला जैसे दैनिक, साप्ताहिक, पाक्षिक पत्र तो सरस्वती, विप्लव, अलंकार, चांद, हंस, प्रताप, सैनिक, क्रांति, बलिदान, वालिंटयर आदि जनवादी पत्रिकाओं ने आहिस्ता-आहिस्ता लोगों में सोये हुए वतनपरस्ती के जज्बे को जगाया और क्रांति का आह्वान किया। नतीजतन उन्हें सत्ता का कोपभाजन बनना पड़ा। दमन, नियंत्रण के दुष्चक्र से गुजरते हुए उन्हें कई प्रेस अधिनियमों का सामना करना पड़ा।

'वर्तमान पत्र' में पंडित जवाहर लाल नेहरू द्वारा लिखा 'राजनीतिक भूकम्प' शीर्षक लेख, 'अभ्युदय' का भगत सिंह विशेषांक, किसान विशेषांक, 'नया हिन्दुस्तान' के साम्राज्यवाद, पूंजीवाद और फांसीवादी विरोधी लेख, 'स्वदेश' का विजय अंक, 'चांद' का अछूत अंक, फांसी अंक, 'बलिदान' का नववर्षांक, 'क्रांति' के 1939 के सितम्बर, अक्टूबर अंक, 'विप्लव' का चंद्रशेखर अंक अपने क्रांतिकारी तेवर और राजनैतिक चेतना फैलाने के इल्जाम में अंग्रेजी सरकार की टेढ़ी निगाह के शिकार हुए और उन्हें जब्ती, प्रतिबंध, जुर्माना का सामना करना पड़ा। संपादकों को कारावास भुगतना पड़ा।

भारतीय पत्रकारिता की स्वाधीनता को बाधित करने वाला पहला प्रेस अधिनियम गवर्नर जनरल वेलेजली के शासनकाल में 1799 को ही सामने आ गया था। भारतीय पत्रकारिता के आदिजनक जॉन्स आगस्टक हिक्की के समाचार पत्र 'हिक्की गजट को विद्रोह के चलते सर्वप्रथम प्रतिबंध का सामना करना पड़ा। हिक्की को एक साल की कैद और दो हजार रुपए जुर्माने की सजा हुई।

कालांतर में 1857 में गैंगिंक एक्ट, 1878 में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, 1908 में न्यूज पेपर्स एक्ट (इन्साइटमेंट अफैंसेज), 1910 में इंडियन प्रेस एक्ट, 1930 में इंडियन प्रेस ऑडिनेंस, 1931 में दि इंडियन प्रेस एक्ट (इमरजेंसी पावर्स) जैसे दमनकारी कानून अंग्रेजी सरकार द्वारा प्रेस की स्वतंत्रता को बाधित करने के उद्देश्य से लागू किए गए। अंग्रेजी सरकार इन काले कानूनों का सहारा लेकर किसी भी पत्र-पत्रिका पर चाहे जब प्रतिबंध, जुर्माना लगा देती थी। आपत्तिजनक लेख वाले पत्र-पत्रिकाओं को जब्त कर लिया जाता। लेखक, संपादकों को कारावास भुगतना पड़ता व पत्रों को दोबारा शुरू करने के लिए जमानत की भारी भरकम रकम जमा करनी पड़ती। बावजूद इसके समाचार पत्र संपादकों के तेवर उग्र से उग्रतर होते चले गए। आजादी के आन्दोलन में जो भूमिका उन्होंने खुद तय की थी, उस पर उनका भरोसा और भी ज्यादा मजबूत होता चला गया। जेल, जब्ती, जुर्माना के डर से उनके हौसले पस्त नहीं हुए।

बीसवीं सदी के दूसरे-तीसरे दशक में सत्याग्रह, असहयोग आन्दोलन, सविनय अवज्ञा आन्दोलन के प्रचार प्रसार और उन आन्दोलनों की कामयाबी में समाचार पत्रों की अहम भूमिका रही। कई पत्रों ने स्वाधीनता आन्दोलन में प्रवक्ता का रोल निभाया।

आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी विशुद्ध हिन्दी पत्रकारिता

के शलाका पुरूष थे उन्होंने हिन्दी पत्रकारिता को जहाँ राष्ट्रीय भावधारा में आकण्ठ डुबो दिया वहीं आचार्य श्री ने हिन्दी पत्रकारिता को भाषिक एवं व्याकरिक स्वरूप प्रदान किया। द्विवेदी जी ईमानदार निष्पक्ष स्वाधीन तथा योग्य पत्रकारिता के शलाका पुरूष हैं। पं. बनारसीदास चतुर्वेदी ने इन्हें हिन्दी पत्रकारिता का दैदिव्यमान नक्षत्र तथा सरस्वती को राष्ट्रवाद का ज्योति पुंज बताया है। स्वतंत्रता आन्दोलन के दौरान आन्दोलन के मन्तव्य तथा उसके मूल ध्येय को जनता में प्रसारित करने का श्रेय तत्कालीन हिन्दी समाचार पत्र के सम्पादकों को जाता है इनमें अन्य अग्रणी नाम हैं हिन्दी पत्रकारिता के प्रतिस्थापक सम्पादक युगुल किशोर शुक्ल, पत्रकारिता के तेज पुंज निर्भीकता तथा निष्पक्षता की साकार मूति पत्रकारिता के मानक के निर्धारक श्रद्धेय गणेश शंकर विद्यार्थी, काशी की पत्रकारिता के कृति लता बाबूराव विष्णु राव पराड़कर, हिन्दी साहित्यिक पत्रकारिता के अमर शिल्पी बाबू हरिचन्द्र, भारतीय राष्ट्रवाद के प्रखर प्रवक्ता (एक भारतीय आत्मा) माखन लाल चतुर्वेदी, हिन्दी पत्रकारिता के नवरत्न बाबू बाल मुकुन्द गुप्त प्रवृत्त सम्पादकों ने राष्ट्रीय स्वतंत्रता के धधकते अग्निकुण्ड में अपनी आहुतियाँ दी।

पं. शुक्ल ने हिन्दी पत्रकारिता का समारम्भ किया। 16 फरवरी 1826 में सरकार से लाइसेन्स प्राप्त करके 30 मई 1826 को उदन्त मार्तण्ड का सफल प्रकाशन प्रारम्भ किया। 79 अंकों के प्रकाशन के बाद सरकारी दमन के परिणाम स्वरूप उर्दन्त मार्तण्ड असमय काल के गाल में समा गया। जिसकी पृष्ठभूमि में उदण्त मार्तण्ड का प्रखर राष्ट्रवाद था।

स्वतंत्रता संघर्ष में पुनरूत्थान सुधारवाद तथा प्राच्य शिक्षा के भारतीय शिल्पी पं मदनमोहन मालवीय ने हिन्दुस्थान के सम्पादक के रूप में सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को समग्रता के साथ भारतीय जनमानस के समक्ष प्रस्तुत किया जिसका व्यापक प्रतिसम्भरण हिन्दुस्थान को प्राप्त हुआ। भारतीय राष्ट्रवाद के सम्मुख एक महत्त्वपूर्ण प्रश्न राष्ट्रवाद की समग्रता तथा उसकी एकात्मकता को लेकर था। यह यक्ष प्रश्न स्वतंत्रता मुक्ति संग्राम के महान योद्धाओं के मानस में चिन्ता रूप में परिव्याप्त था क्योंकि हिन्दू और मुस्लिम दो कौम के स्थान पर दो राष्ट्र के रूप में प्रस्तुत कर रहे थे जो राष्ट्रीय एकात्मकता के लिये एक गम्भीर समस्या थी। गणेश शंकर विद्यार्थी और प्रताप इस विभाजनकारी काल खण्ड में समन्वय सेतु का कार्य कर रहे थे। इसीलिये हिन्दी पत्रकारिता के इतिहास में स्वतंत्रता संघर्ष के परिवेश में गणेश शंकर विद्यार्थी की पत्रकारिता राष्ट्रवाद हिन्दू-मुस्लिम एकता समन्वय तथा समरसता की पत्रकारिता का आदर्श स्वरूप (रोल मॉडल) है। बाबू बाल मुकुन्द गुप्त ने स्वतंत्रता संघर्ष में हिन्दी पत्रकारिता को यथार्थ की ओर उन्मुक्त किया। बकौल बालमुकुन्द गुप्त जो सुनो उसे मत लिखो, जो देखो उसे लिखो, हिन्दी पत्रकारिता का सहज और सरल स्लोगन बन गया।

महात्मा गाँधी सदृश्य जननायक की हिन्दी पत्रकारिता संयमित तथा मर्यादित थी। उसमें पीड़ा थी परन्तु आक्रोश नही था। यह ऋषितुल्य व्यक्तित्व का नैसर्गिक युग धर्म था। जबकि पीड़ा से आक्रोश का जन्म होता है। राष्ट्रगौरव का भाव उसे स्पन्दित करता है। पीड़ा की उच्चतम अवस्था उसे सहज उग्रवादी बना देती है। तिलक की पत्रकारिता को इसी संवर्ग में संगणित किया जाता है। तिलक में मनीषि की संवेदना थी तथा अन्याय का प्रतिकार करने की ऋषि तुल्य सचेष्टता था। केसरी के ओजपूर्ण आलेख हिन्दी पत्रकारिता की निर्भीकता के मानक रूप है राष्ट्रवाद के स्वर को पूर्ण संक्षमता के साथ तिलक ने उग्र स्वर प्रदान किया परिणामत: पूर्वाग्रही सरकार साक्षेप न्यायपालिका ने तिलक को छ: वर्ष का कठोर कारावास दिया। भारतीय स्वतंत्रता आन्दोलन में तिलक की हिन्दी पत्रकारिता आत्मोत्सर्ग का अद्वितीय मानक है।

इस शुरुआती दौर के पश्चात बाद के वर्षों में भी प्रेस को काफी कुछ झेलना पड़ा, लेकिन कलम झुकी नहीं और वह आजादी हासिल करके ही रही। हिंदोस्तान, सर्वहितैषी, हिंदी बंगवासी, साहित्य सुधानिधि, स्वराज्य, नृसिंह, प्रभा प्रभृति आदि समाचारपत्रों ने जागरण मंत्र के जरिए आंग्लो शासकों के दांत खट्टे कर दिए। 1885 में हिंदोस्तान का प्रकाशन कालाकांकर के राजा रामपाल सिंह ने शुरू किया।

इलाहाबाद से 1907 में बसंत पंचमी के दिन मदन मोहन मालवीय ने अभ्युदय साप्ताहिक निकाला। निर्भीकता, राष्ट्रप्रेम तथा समाज सुधार में अग्रणी यह पत्र 1918 में दैनिक भी हुआ। सरदार भगत सिंह की फांसी के बाद पत्र ने फांसी

अंक निकालकर क्रांति मचा दी। मालवीय की प्रेरणा से ही लीडर का प्रकाशन हुआ जिसने स्वतंत्रता आंदोलन को गति प्रदान की।

राजा राममोहन राय ने कई पत्र शुरू किए। जिसमें अहम हैं-साल 1816 में प्रकाशित 'बंगाल गजट'। बंगाल गजट भारतीय भाषा का पहला समाचार पत्र है। इस समाचार पत्र के संपादक गंगाधर भट्टाचार्य थे। इसके अलावा राजा राममोहन राय ने मिरातुल, संवाद कौमुदी, बंगाल हैराल्ड पत्र भी निकाले और लोगों में चेतना फैलाई।

गाँधी बहुभाषी और बहुलतावादी भारतीय समाज की प्रकृति और उसकी संरचना को जानते थे। इसीलिए उन्होंने अपनी पत्रकारिता का इस्तेमाल इस विविधता को एकता के सूत्र में बाँधने के लिए किया।

आज की पत्रकारिता पर, अखबारों और इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों पर, गौर करें। हम पाते हैं कि अखिल भारतीय किसी भाषा की इच्छा पत्रकार बिरादरी में आज प्रायः तिरोहित हो चुकी है। अंग्रेजी पढ़ने-समझने वाले लोग देश भर में भले दो प्रतिशत हों, लेकिन उसे अखिल भारतीय स्तर पर स्थापित करने का प्रभुवर्गीय हठ बेशर्मी के साथ बढ़ता जा रहा है। भारतीय भाषाओं में हिंदी को मित्रभाव से प्रायः नहीं देखा जाता है और यह प्रवृत्ति लगातार बढ़ रही है और तो और हिंदी की बोलियों में भी स्वयं को स्वतंत्र भाषा के रूप में स्थापित करने ओर हिंदी को कमतर दिखाने की प्रवृत्ति बढ़ी है। बड़े व्यापारिक घरानों द्वारा संचालित अखबारों और मीडिया में हिंदी में अँग्रेजी के शब्द घुसाने, हिंदी को हिंग्लिश बनाने की प्रवृत्ति बढ़ी है। दूसरी ओर, सर्वाधिक प्रसार संख्या का दावा करने वाले समाचारपत्रों के सबसे ज्यादा स्थानीय संस्करण हैं। इनमें प्रायः हर जिले का पन्ना है जहाँ छपी खबर दूसरे जिले में नदारद होती है। यही हाल राज्य स्तर पर है। यानी गाँधी की अखिल भारतीयता के स्थान पर क्षेत्रीयता और आंचलिकता आज सिरमौर बनी हुई है। आज एक राज्य अपने को विशेष राज्य का दर्जा देने की माँग करता है। संविधान में नागरिकों की तरह सभी राज्य भी बराबर हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि किसी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया जा सकता। किंतु इसके लिए जरूरी स्थितियाँ और विशेष कारण वहाँ वर्णित हैं। उनकी अनदेखी कर अपनी दूसरी कमजोरियों से ध्यान बँटाने और राजनीतिक धार चढ़ाने के लिए कोई क्षेत्रीय पार्टी या उसकी सरकार इस तरह की माँग उठा सकती है, बल्कि उठाती है और उसे अभियान की तरह चलाती है। अखबार इस तरह की माँग के औचित्य और कारणों की पड़ताल कर सकते हैं और तर्क व तथ्य की कसौटी पर कस कर अपनी राय और विश्लेषण पेश कर सकते हैं। वे नीर-क्षीर विवेक का इस्तेमाल कर पाठकों को वस्तुस्थिति से अवगत करा सकते हैं लेकिन वे ऐसा नहीं करते। उनके सामने विज्ञापन की बोटी है जिसे पाने के लिए वे काग-समाज की भांति एक सुर में काँव-काँव कर रहे होते हैं। विशेष राज्य के दर्जे की माँग करने वाले इस पिछड़े राज्य के विज्ञापन का सालाना बजट, आपको जानकर हैरत होगी, 350 करोड़ रुपये है। यानी हर महीने लगभग 30 करोड रुपये। यह राशि राज्य के गिनती के अखबारों और चैनलों में बाँटी जाती है। अब वेतनभोगी किस पत्रकार की हिम्मत कि करोड़ों की खैरात बाँटने वाली सरकार के खिलाफ मुँह खोले।

स्वतंत्रता आन्दोलन के परिवेश में 'आज' हिन्दी पत्रकारिता की लोकप्रियता का सर्वश्रेष्ठ और सर्वमान्य उदाहरण है। इससे यह तथ्य उजागर होता है कि स्वतंत्रता आन्दोलन को जन आन्दोलन बनाने में हिन्दी पत्रकारिता का अभूतपूर्व योगदान था। माखनलाल चतुर्वेदी उत्कट राष्ट्रवाद के शलाका पुरूष है। उन्हें भारतीय आत्मा कहा जाता था। स्वतंत्रता की जो माँग थी उस माँग के अनुरूप उन्होंने अपना लेखकीय धर्म निभाया। उनकी पत्रकारिता जीवन्त पत्रकारिता थी। उन्होंने राष्ट्रीय आन्दोलन के विचारों को अत्यन्त सहज भाषा में जनता तक पहुँचाया। चतुर्वेदी जी की पत्रकारिता हिन्दी पत्रकारिता की मुख्य धारा है। शोध अध्येता इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि स्वतंत्रता संघर्ष के परिवेश में हिन्दी पत्रकारिता और राष्ट्रीय आन्दोलन एक दूसरे के सम्पूरक थे।

मौजूदा दौर में जब मीडिया की आम जनता से लगभग संवादहीनता की स्थिति है। प्रतिबद्धताएँ बदल गई हैं। ऐसे माहौल में स्वाधीनता आन्दोलन के दौर की पत्रकारिता न सिर्फ हमें गहरे सरोकारों से जोड़ती है, बल्कि उस कर्तव्यपथ की भी याद दिलाती है, जिसे हम बिसरा चुके हैं।

जामिया मिल्लिया इस्लामिया,
नई दिल्ली, भारत

गाँधी की पत्रकारिता और स्वतंत्रता आन्दोलनः एक विश्लेषण

-प्रो. माला मिश्र

गाँधी जी ने अपनी पत्रकारिता का सफर इंग्लैंड से आरम्भ किया और अपने सार्वजनिक जीवन की शुरुआत पत्रकारिता से ही की। इंग्लैंड में उन्होंने टेलीग्राफ और डेली-न्यूज जैसे अखबारों के लिए भी लिखना आरम्भ कर दिया। ब्रिटेन में पत्र-पत्रिकाओं में लिखने का यह अभ्यास गाँधी जी की पत्रकारिता के आरम्भिक प्रशिक्षण का एक हिस्सा माना जा सकता है। वास्तव में गाँधीजी कई नए तत्व लेकर आए, जिनसे पत्रकारिता के क्षेत्र में एक मुक्त जीवन की शुरुआत हुई। उनके अनेक अनुयायियों ने लिखना शुरु किया और उनकी रचनाएँ भारतीय भाषाओं में प्रकाशित होने लगीं जिससे क्षेत्रीय पत्रकारिता का महत्त्व बढ़ने लगा और देश का कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं रह गया जहाँ से कोई क्षेत्रीय अखबार न निकलता हो। इसमें शोध विधि के रूप में गुणात्मक और मात्रात्मक प्राविधि का प्रयोग किया गया है। सभी तथ्य एवं आंकड़े द्वितीयक स्रोत से प्राप्त किये गए हैं।

बीज-शब्द

हिंदी पत्रकारिता, गाँधी, हरिजन, इंडियन ओपिनियन, गाँधी की नजर में पत्रकारिता का उद्देश्य राष्ट्रीयता की चेतना और जन-जागरण का था। वह जनमानस की समस्याओं को मुख्यधारा की पत्रकारिता में रखने के प्रबल पक्षधर थे। पत्रकारिता उनके लिए व्यवसाय नहीं, बल्कि जनमत को प्रभावित करने का एक लक्ष्योन्मुखी प्रभावी माध्यम था। महात्मा गाँधी ने अपने सार्वजनिक जीवन की शुरुआत पत्रकारिता से ही की थी। गाँधी ने पत्रकारिता में स्वतंत्र लेखन के माध्यम से प्रवेश किया था। बाद में साप्ताहिक पत्रों का संपादन किया। बीसवीं सदी के आरम्भ से लेकर स्वराजपूर्व के गाँधी युग तक पत्रकारिता का स्वर्णिम काल माना जाता है। इस युग की पत्रकारिता पर गाँधी जी की विशेष छाप रही। गाँधी के रचनात्मक कार्यक्रम और असहयोग आन्दोलन के प्रचार के लिए देश भर में कई पत्रों का प्रकाशन शुरू हुआ।

दक्षिण अफ्रीका में आकर गाँधी जी की पत्रकारिता अपने पूरे वर्चस्व के साथ फली-फूली। उन्होंने वहाँ राष्ट्रीय चेतना को जाग्रत करने और ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध जनमत निर्माण करने के माध्यम के रूप में पत्रकारिता का इस्तेमाल किया। वे अपने अनुभवों को और दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह के अपने प्रयोगों को

अधिक से अधिक लोगों की जानकारी में लाना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने ''इंडियन ओपीनियन'' नामक पत्र का सम्पादन करना आरम्भ किया। 1903 में इंडियन ओपीनियन का पहला ही अंक चार भाषाओं में प्रकाशित हुआ। ये भाषाएँ थीं-हिन्दी, अंग्रेजी, गुजराती और तमिल (गाँधी जी भारत के संभवतः अकेले ऐसे पत्रकार हुए जिन्होंने चार भाषाओं में पत्रकारिता की)।

पहले ही अंक में उन्होंने पत्रकारिता के उद्देश्यों की स्पष्ट व्याख्या करते हुए बताया कि पत्रकारिता का पहला काम जनभावनाओं को समझना और उन्हें अभिव्यक्ति देना है। इतना ही नहीं इसका उद्देश्य वांछित भावनाओं को जाग्रत कर निर्भीकता के साथ समाज में व्याप्त बुराइयों को उजागर करना भी है। अखबार का काम केवल सूचना भर देना नहीं है, बल्कि जन शिक्षण और जनमत निर्माण के लिए भी अखबार जरूरी हैं। उन्होंने इंडियन ओपीनियन के माध्यम से दक्षिण अफ्रीका में प्रवासी भारतीयों की समस्याओं को शिद्दत से उठाया, अपने अधिकारों के प्रति सजग किया। स्वतन्त्र जीवन का महत्त्व समझाया तथा उनमें सामाजिक और राजनैतिक चेतना जाग्रत की तथा नस्ल भेद के खिलाफ आवाज बुलंद की।

9 जनवरी, 1913 को स्वदेश लौटने के बाद उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व किया। गाँधीजी ने राष्ट्रवादी प्रेस और अपने पत्र 'यंग इंडिया', नवजीवन और अन्य आवधिक

पत्र पत्रिकाओं का इस्तेमाल देश के कोने-कोने में पहुँचने के लिए किया। वे भली-भाँति जानते थे कि ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों तक पहुँचने के लिए सदियों पुरानी मौखिक परंपराओं का सहारा लेना जरूरी है। इन परंपराओं में सार्वजनिक व्याख्यान, प्रार्थना सभाएँ और पद यात्राएँ शामिल थीं। स्वतंत्रता संग्राम को नई दिशा देने और प्रेरक नेतृत्व को राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत करने तथा अहिंसा, सत्याग्रह और सत्यनिष्ठा की बेजोड़ तकनीक के जरिए आजादी हासिल करने के लिए गाँधीजी ने संचार के सभी उपलब्ध साधनों का इस्तेमाल किया।

'इंडियन ओपिनियन' के जरिए महात्मा का लक्ष्य जहाँ अंग्रेज शासकों को अश्वेत आबादी, खासकर भारतीय समुदाय की जरूरतों और इच्छाओं से अवगत कराना था, वहीं दूसरी ओर उनका ध्येय भारतीय समुदाय के लोगों को उनकी कमियाँ और कमजोरियाँ बताना थी था। इस साप्ताहिक के प्रवेशांक में वह यह भी रेखांकित करते हैं कि ''हम यह मानने को कतई तैयार नहीं कि यहाँ रहने वाले भारतीय लोगों की जो कमियाँ गिनाई जाती हैं, हममें वे कमियाँ नहीं हैं। जब कभी भी हमें उनकी गलती नजर आएगी हम बेहिचक उन्हें बताएँगे ओर उन्हें दूर करने के तरीके भी सुझाएँगे।'' कहना न होगा कि गाँधी अपने अखबारों और लेखन के जरिए जीवनपर्यंत यह काम करते रहे। आज की पत्रकारिता और पत्रकार बिरादरी का बहुलांश जब अपनी कमियों-कमजोरियों की अनदेखी कर दूसरों के छिद्रान्वेषण में तल्लीन दिखाई देता है, तब गाँधी की अपने भीतर झाँकने की, आत्म-मूल्यांकन की प्रवृत्ति एक बेशकीमती पत्रकारी मूल्य बनकर उभरती है।

गाँधीजी ने कभी एक क्षण के लिए भी समाचार पत्रों के महत्त्व को (ऐसे समय में जबकि रेडियो पर ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण था और टेलीविजन चैनलों का अस्तित्व नहीं था) कम करके नहीं आंका। वे सभी अखबारों को पढ़ते थे और किसी गलत बयानी या तथ्यों को गलत ढंग से पेश किए जाने के बारे में उपयुक्त जवाब देते थे। उनकी यह खासियत थी कि उन्होंने परंपरागत और आधुनिक दोनों ही तरह के संचार माध्यमों का प्रभावकारी इस्तेमाल किया।

गाँधीजी ने यंग इंडिया और अन्य पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से अपने व्यक्तित्व का अहसास कराया। इस बदलाव का असर शुरू में ही दिखाई देने लगा। उन्होंने पत्र पत्रिकाओं को अपने विचारों के संप्रेषण का माध्यम बना दिया। यंग इंडिया की प्रतियाँ अधिक संख्या में बिकने लगीं। देश में कई अखबारों को मिला कर जितना सर्कुलेशन था, यंग इंडिया की प्रतियाँ उससे भी अधिक बिकने लगीं। उनमें न केवल नए विचार थे बल्कि सरल भाषा और शैली में पेश भी किया जा रहा था, जिससे गुणवत्तापूर्ण पत्रकारिता और लेखन की बयार बहने लगी थी। गाँधीजी की यह बेजोड़ विशेषता थी कि वे अपने पत्र-पत्रिकाओं के लिए विज्ञापन स्वीकार नहीं करते थे और अपने आलेखों को अन्य पत्र-पत्रिकाओं में छपने देने की अनुमति प्रदान करते थे। इससे उनके विचार भारत और विदेश में अनेक पत्र-पत्रिकाओं में निःशुल्क पुनः प्रकाशित होने लगे थे।

एक प्रभावकारी प्रचारक के नाते गाँधीजी निडर थे और उनके शब्द मुक्त होते थे। वे लाखों लोगों तक पहुँचे और उन्हें अपने लक्ष्य से अवगत कराया। गाँधीजी संभवतः युग-प्रवर्तक और महानतम पत्रकार थे। उनके द्वारा संपादित साप्ताहिक संभवतः उस युग के महानतम साप्ताहिक थे। उन्होंने कोई विज्ञापन प्रकाशित नहीं किया लेकिन साथ ही अखबार को घाटे में नहीं जाने दिया। वे सरल और स्पष्ट लेकिन प्रभावशाली लिखते थे, जिसमें जोशपूर्ण और ज्वलंत मुद्दे होते थे।

काम के अतिशय बोझ के चलते उन्हें देर रात तक या फिर सुबह से ही काम करना पड़ता था। वे अक्सर चलती ट्रेनों में लिखते थे। जब उनका एक हाथ लिखने से थक जाता तो वे दूसरे हाथ से लिखने लगते। तमाम व्यस्तताओं के बीच भी वे रोजाना तीन से चार लेख लिखते थे।

गाँधी ने 11 फरवरी 1933 को पुणे से 'हरिजन' का प्रकाशन प्रारंभ किया। इस पत्र की विशेषता यह है कि 'हरिजन अंग्रेजी' का प्रकाशन गाँधी जी ने 'यरवदा' जेल में रहते हुए प्रारंभ किया था। भारत में यह एकमात्र समाचार पत्र है जिसका प्रकाशन किसी कैदी ने जेल से किया। प्रकाशन के पश्चात उन्होंने नारणदास गाँधी को लिखा, 'हरिजन सेवा के अलावा अन्य किसी विषय पर सोचने की मेरी क्षमता तेजी से घटती जा रही है। अन्य बातों के विषय में सोचना, बोलना अथवा कुछ करना मुझे तकलीफ देता है।' उन्होंने

इस पत्र को पूरी तरह से हरिजनों को समर्पित कर दिया। 19 अक्टूबर 1934 को हरिजन में लिखते हैं, 'हरिजन ऐसा साप्ताहिक है, जो पूरी तरह से हरिजनों की सेवा के उद्देश्य को लेकर चलता है और उसमें किसी भी चीज के लिए गुंजाइश नहीं है, जिसका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हरिजनों से कोई संबंध नहीं है।' यह एक अद्वितीय उदाहरण है। हरिजन के अंकों को पढ़ने से स्पष्ट हो जाता है कि उनकी संवेदना ही नहीं विचार भी हरिजनों के प्रति कितनी स्पष्ट थे। हरिजन अंग्रेजी के पहले अंक की दस हजार प्रतियाँ छपी थीं और पहले पृष्ठ पर रविन्द्रनाथ टैगोर की कविता 'मेहतर' छपी थी। कविता है, **'शिव ने कभी विषपान कर, बचाया था विश्व को विषप्लावन से, और तुम भी तो, बंधु, प्रतिदिन उसी देवोपन धैर्य से, विश्व को मलीनता से बचाते हो, अरे बंधु! अरे वीर! दे दो हमें भी साहस तुम अपना सा, कि मनुष्य से लांछना सब सहते हुए भी हम, मनुष्य की सेवा करते रहें सदा।'**

गाँधी के संघर्ष का एक बड़ा साधन पत्रकारिता रहा है। चाहे दक्षिण अफ्रीका में नस्ल भेद के खिलाफ संघर्ष करते वक्त 'इंडियन ओपेनियन' का प्रकाशन हो, चाहे ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ स्वाधीनता-आंदोलन में सक्रियता के दौरान 'यंग इंडिया' का या छुआछूत के खिलाफ 'हरिजन' का प्रकाशन हो। गाँधी ने पत्रकारिता के जरिए समाज के चेतना-निर्माण का कार्य किया। गाँधी ने अपने किसी भी समाचार पत्र में कभी भी विज्ञापन स्वीकार नहीं किये। गाँधी की पत्रकारिता में उनके संघर्ष का बड़ा व्याहारिक दृष्टिकोण नजर आता है। जिस आमजन, हरिजन एवं सामाजिक समानता के प्रति गाँधी का रुझान उनके जीवन संघर्ष में दिखता है, बिल्कुल वैसा ही रुझान उनकी पत्रकारिता में भी देखा जा सकता है। गाँधी के शब्द और कर्म, चेतना और चिंतन के केंद्र में हमेशा ही अंतिम जन रहता था। वे अंतिम जन की आँख से समाज, देश-दुनिया को देखने के लिये प्रेरित भी करते थे।

गाँधी की लगभग 50 वर्षों की पत्रकारिता जो उन्होंने इंडियन ओपिनियन, यंग इंडियन, नवजीवन और हरिजन के माध्यम से की, वह भी राजनैतिक बगावत और सामाजिक बुराइयों पर निरंतर हमला था। गाँधी-युग पत्रकारिता की समृद्धि का युग है। गाँधी युग में जो भी पत्रिकाएँ निकलीं उनमें भाषा, कलेवर, विचार के दृष्टिकोण से कई बदलाव भी आये। देश के लिए हर प्रकार की स्वाधीनता पाना ही इन पत्रों का मुख्य उद्देश्य था। इस युग में स्वतंत्रता का प्रसार हुआ। कांग्रेस ने महात्मा गाँधी के नेतृत्व में देश की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करने वाले प्रमुख संगठन का रूप ग्रहण कर लिया।

गाँधी भले ही व्यवसाय से पत्रकार न रहे हों, किन्तु उन्होंने अपनी लेखनी का जिस उत्तरदायित्व के साथ उपयोग किया था और जैसे संयम और अनुशासन का उन्होंने अपने संपादन में उपयोग किया था, वह आज दुर्लभ है। गाँधी शब्द की ताकत को बखूबी पहचानते थे इसलिए बड़ी सावधानी से लिखते थे। अपनी लेखनी से वह लोगों को आंदोलन के लिए प्रेरित करते थे। गाँधी की जैसी सरल भाषा और सहज संप्रेषणीयता पत्रकारिता में आज भी आदर्श है। महात्मा गाँधी पाठक के साथ सीधा संवाद करते थे। वह कहते थे कि पाठक नहीं तैयार करना है, पाठक को तैयार करना है। पाठक ऐसा होना चाहिए, जो केवल खबरों को पढ़ता ही न हो बल्कि बार-बार पढ़ता हो।

स्वतंत्र अभिव्यक्ति पर किसी प्रकार के प्रतिबंध स्वीकार नहीं किया। उन्होंने स्पष्ट लिखा- ''यदि प्रेस सलाहकार को सत्याग्रह संबंधी प्रत्येक सामग्री भेजी जाने लगी तो प्रेस की स्वतंत्रता समाप्त हो जायेगी। समाचार पत्रों की स्वतंत्रता हमारा परम अधिकार है। अत: हम इस प्रकार के आदेशों को नहीं मान सकते।'' प्रेस नियंत्रणों के कारण यंग इण्डिया के प्रकाशन को असम्भव देखते हुए सन् 1930 में उन्होंने लिखा-''मैं पत्रकारों और प्रकाशकों से अनुरोध करूँगा कि वे जमानत देने से इनकार कर दें और यदि उनसे जमानत मांगी गई तो इच्छानुसार प्रकाशन बंद कर दे अथवा जमानत जब्त करने के विरुद्ध शासन को चुनौती दें। व्यवसायिक पत्रकारिता से दूर रहते हुए गाँधी ने सदा जनहित एवं मशीनरी भावना से कार्य किया। देश के कोने-कोने में घूमकर संवाददाता एक दो खबरे ही लाता है किंतु गाँधी समस्त राष्ट्र का बल अपनी मुठ्ठी में ले आये थे। उनकी समस्त पत्रकारिता में उनकी समस्त अभिव्यक्ति में एक महान दर्शन है।

अदिति महाविद्यालय
दिल्ली विश्वविद्यालय

वैज्ञानिक और सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हिंदी के बदलते आयाम

-डॉ. शंभू बाबू प्रभुदेसाई

प्रस्तावना

'आज हिंदी भाषा विश्व में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा सिद्ध हो चुकी है, विश्व में हिंदी जानने वाले सबसे अधिक है। विश्व की भाषाओं की रैंकिंग में हिंदी पहले स्थान पर है, अंग्रेजी दूसरे पर और चीनी तीसरे नंबर पर है।

डॉ. जयंती प्रसाद नौटियाल की उपरोक्त पंक्तियाँ वैज्ञानिक और सूचना प्रौद्योगिकी अनुसंधान के क्षेत्र में बदलते आयाम-हिंदी के बारे में सटीक बैठती है। आज का युग विज्ञान एवं तकनीकी का है, जीवन का कोई भी क्षेत्र इससे अछूता नहीं रह पाया है। तकनीकी क्षेत्र में यदि हिंदी के कंप्यूटरीकरण के स्तर विकास को परखें तो यह नजर आता है कि वर्ड प्रोसेसिंग याने शब्द संसाधन में पत्र लिखना, रिपोर्ट तैयार करना, आलेख लिखना आदि कार्य काफी अच्छी स्थिति में है। हिंदी की भूमिका को इस क्षेत्र में कई आधार पर आंका जा सकता है, प्रमुख आधार है हिंदी में अनुवाद की स्थिति, पारिभाषिक शब्दावली का निर्माण, मानकीकरण के प्रयास, टंकण, अन्य यांत्रिक विकास की स्थिति आदि। प्रगतिगत भारत की आजादी के 75 साल और इसके लोगों, संस्कृति और उपलब्धियों के गौरवनीय इतिहास को मनाने के लिए आजादी का अमृत महोत्सव की अधिकारिक यात्रा 12 मार्च 2021 को शुरू होकर 15 अगस्त 2023 को एक वर्ष के बाद समाप्त होगी। आजादी का अमृत महोत्सव भारत की सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और आर्थिक पहचान के बारे में प्रगतिशील है।

समूचे विश्व में हिंदी का विकास करने हिंदी को प्रचारित व प्रसारित करने के बहुमूल्य उद्देश्य से विश्व हिंदी सम्मेलनों की शुरूआत की गई। प्रथम विश्व हिन्दी सम्मेलन 10 जनवरी 1975 को नागपुर-महाराष्ट्र में आयोजित हुआ। अत: पहले विश्व हिन्दी सम्मेलन की वर्ष गांठ के रूप में 10 जनवरी को विश्व हिन्दी दिवस के रूप में मनाया जाता

है। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह ने 10 जनवरी 2006 को प्रति वर्ष विश्व हिंदी दिवस, दुनियाभर में हिंदी भाषा को बढ़ावा देने के रूप में मनाए जाने की घोषणा की थी। विश्व में हिंदी प्रचार-प्रसार जागरूकता पैदा करना और हिंदी को अंतरराष्ट्रीय भाषा के रूप में पेश करना इसका मुख्य उद्देश्य है। सभी सरकारी कार्यालयों में, भारत के दूतावास इस दिन को विशेष कर मनाया जाता है। तब से भारतीय विदेश मंत्रालय ने विदेश में पहली बार विश्व हिन्दी दिवस मनाया और यह हर साल मनाया भी जाता है। इसकी थीम यानी उद्देश्य है कि हिंदी भाषा का देश के साथ-साथ पूरे विश्व भर में प्रचार-प्रसार करना है। साथ ही भारतीय उपमहाद्वीप के सभी लोग हिंदी समझें और विदेशियों में भी हिंदी का प्रचार तथा प्रसार किया जाए। इसी क्रम में अब तक ग्यारह विश्व हिंन्दी सम्मेलन संपन्न हुए और 12वां विश्व हिन्दी सम्मेलन फिजी देश में 15 से 17 फरवरी 2023 तक के दौरान संपन्न हुआ।

यह एक संयोग ही है कि कंप्यूटर का विकास सर्वप्रथम ऐसे विकसित देशों में हुआ जिनकी भाषा मुख्यत: अंग्रेजी रही। फलस्वरूप रोमनेतर लिपियों में कंप्यूटर पर कार्य कुछ देरी से आरंभ हुआ। हिंदी में कंप्यूटरीकरण को बढ़ावा देने के लिए सरकारी स्तर पर ही नहीं बल्कि गैर सरकारी स्तर पर भी अनेक संस्थाओं द्वारा हिंदी सॉफ्टवेयर के निर्माण में सक्रिय रूप से कार्य प्रगति पर है। सन् 1965 में देवनागरी संबंधित एक आवश्यक सॉफ्टवेयर निर्मित किया गया। इसके बाद अनेक पैकेज आए। समर्पित सॉफ्टवेयर प्रोग्राम के अंतर्गत और अधिक उपयोगी हिंदी में डाटा संसाधन का एक सॉफ्टवेयर आया जो द्विभाषी डाटाबेस प्रबंधन प्रणाली के नाम से जाना जाता है। डीम्बेस, लोटस क्लिपर फॉक्सप्रो तथा

ओरेकल आदि रोमन लिपि के सभी सॉफ्टवेयर पैकेज में हिंदी कार्य किया जा सकता है। लिप्स प्रौद्योगिकी सी-डैक जिष्ठ ग्रुप पुणे के दूसरे चरण में हिंदी में विडियों प्रदर्शनार्थ एक सॉफ्टवेयर विकसित किया गया है। यूनिकोड तकनीक ने तो इस काम को और आसान किया है। टाइप करो रोमन अंग्रेजी में और प्राप्त करो देवनागरी हिंदी में, सचमुच नई प्रौद्योगिकी के नित नये आविष्कारों ने लोगों को आत्मनिर्भर बनाया है। आज इंटरनेट के साथ अन्य अनेक तकनीकी सूचना संजाल सोशल नेटवर्किंग साइट्स के रूप में बेजोड़ है। इन अत्याधुनिक साइट्स में हिंदी में अभिव्यक्ति की सारी सुविधा उपलब्ध है-ऑरकूट, फेसबुक, ट्विटर, माई स्पेस, वाट्सअप, इंस्टाग्राम, ब्लॉग स्पॉट हिंदी में नवीनतम ई-टूल्स-हिंदी टाइपिंग विकल्प, मशीन अनुवाद, कंठस्थ (ट्रांसलेशन मेमोरी सिस्टम)। हिंदी ई-लर्निंग, अनुवाद ई-लर्निंग वैज्ञानिक और सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हिंदी के बदलते आयाम, ऑनलाइन ई-महाशब्दकोश, हिंदी स्कैनर, विंडोज 10 में नया फोनेटिक की-बोर्ड, ई-सरल हिंदी वाक्यकोश, ई-पत्रिका पुस्तकालय, ईकाई परिवर्तक, गूगल सीट में एक साथ कई भाषाओं में अनुवाद, कंप्यूटर पर ऑफलाइन वॉइस टाइपिंग-बिना क्रोम ब्राउसर के, संख्या से शब्दों में परिवर्तक, हिंदी में बोलकर टाइप करे, कृति देव से यूनिकोड में परिवर्तक, एंड्रॉयड फोन पर हिंदी में वॉइस टाइपिंग, हिंदी में ई-मेल आयडी-डाटामेल के द्वारा, जैसे एसबीप्रभुदेसाई, डाटामेल, भारत चल रहा है।

हिंदी में अनेक पोर्टल भी प्रारंभ हो गए हैं। पोर्टल के माध्यम से देश-विदेश की खबरें, वर्गीकृत विज्ञापन, कारोबार संबंधी सूचनाएँ, शेयर बाजार, शिक्षा, मौसम, खेलकूद, पर्यटन, साहित्य, संस्कृति, धर्म, दर्शन आदि के बारे में जानकारी प्राप्त की जा सकती है। राजभाषा विभाग सी-डैक, पुणे के माध्यम से कंप्यूटर पर हिंदी प्रयोग को सरल व कुशल बनाने के लिए विभिन्न सॉफ्टवेयर हिंदी भाषा को तकनीकी से जोड़ने का सफल प्रयास प्रगत संगणन विकास केन्द्र (सी-डैक), पुणे ने किया है। अक्षर, आकृति, सुलिपि, शब्दरत्ना, अंकुर, विजन ऑफिस, इंडिका, एपीएस आदि से लेकर यूनिकोड तक विभिन्न सोपानों से गुजरते हुए अपने भविष्य की ओर हिन्दी के माध्यम से ई-मेल भेजने की सुविधा सॉफ्टवेयर ई-मेल दुनिया, अधिकारियों को आशुलिपिकों के अभाव में भी हिन्दी में डिक्टेशन लिखवाने के लिए वाचांतर सॉफ्टवेयर और अनुवादकों के अभाव में मानव समर्पित मंत्र आदि का आविष्कार इस ओर उजाला फैलाता है। हिंदी के नए सॉफ्टवेयर हों या इंटरनेट, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी अनेक चुनौतियों को स्वीकार कर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जनमाध्यमों में अपनी मानक भूमिका के लिए संघर्ष रत है। आज के दौर में इंटरनेट पर सभी तरह की महत्त्वपूर्ण जानकारियाँ व सूचनाएँ उपलब्ध हैं जैसे परीक्षाओं के परिणाम, समाचार, ई-मेल, विभिन्न प्रकार की पत्र-पत्रिकाएँ, साहित्य, अति महत्त्वपूर्ण जानकारी युक्त डिजिटल पुस्तकालय आदि।

रोजगार के लिए सूचना और प्रौद्योगिकी का ज्ञान आवश्यक ही नहीं किन्तु अपरिहार्य है। इसलिए रोजगार के लिए सूचना प्रौद्योगिकी का प्रयोग पूँजी बाजार, पुस्तकालय, शिक्षा एवं शोध, मौसम विज्ञान, अंतरिक्ष विज्ञान, जन संचार, प्रकाशन तथा मनोरंजन के क्षेत्र में व्यापक रूप से हो रहा है। अतः आज शिक्षा का केन्द्र बिन्दु रोजगार है। सूचनाओं को जन-जन तक पहुँचाने के लिए अनुवाद सशक्त माध्यम है और जिसके प्रचार-प्रसार में सूचना प्रौद्योगिकी अपनी अहम् भूमिका निभाती है। पिछली सदियों के इंसान को यदि जिन्दा करके कंप्यूटर, मोबाइल, लैपटॉप, आईपोड जैसी न जाने कितनी ही चमत्कारी वस्तुएँ दिखा दी जाए तो बेचारा गश खाकर गिर पड़े। आज की पीढ़ी इन चीजों के बिना जीने की कल्पना भी नहीं कर सकती। सूचना प्रौद्योगिकी की शुरुआत भले ही अमेरीका में हुई हो, फिर भी भारत की मदद के बिना यह आगे नहीं बढ़ सकती थी। गूगल के एक वरिष्ठ अधिकारी की ये स्वीकारोक्ति काफी महत्त्वपूर्ण है कि आने वाले कुछ वर्षों में भारत दुनिया के बड़े कंप्यूटर बाजारों में से एक होगा और इन्टरनेट पर जिन तीन भाषाओं का दबदबा होगा वे हैं-हिंदी, मेंडरिन और अंग्रेजी।

सूचना टेक्नोलॉजी के सूचना और टेक्नोलॉजी दो प्रमुख घटक है। भारत के संदर्भ में तीसरा घटक भाषा है। भारत देश में 22 भाषाएं मान्यता प्राप्त हैं और अंग्रेजी समझने वाले कम हैं तो यह घटक महत्त्वपूर्ण हो जाता है। टेक्नोलॉजी से तात्पर्य उन उपकरणों से है जो सूचना को एक छोर से दूसरे छोर तक पहुँचाते हैं। इनमें कम्प्यूटर, इंटरनेट, मोडेम, स्कैनर, वीडियो, कैमरा, साउन्ड कार्ड, टेलीफोन, फैक्स, प्रिन्टर,

सर्वर, सेटेलाइट, कोश निर्माण, मशीनरी अनुवाद, पाठबोधन, स्पीच टू टेक्स्ट, रोबोटिक्स एवं प्रथम हिंदी पोर्टल विश्व का विकास वेबदुनिया डॉट कॉम (इंडिया लिमिटेड) को जाता है। गोदान उपन्यास का जापानी भाषा में, रामचरित मानस का चीनी आर रूसी भाषा में पद्यानुवाद प्रकाशित किया गया है। सेटेलाइट आदि शामिल है। आज मोबाईल के भीतर भी इंटरनेट सेवाएँ उपलब्ध की गई है। इंटरनेट से हमें सामान्य सूचना एवं तात्कालिक महत्त्व की याने व्यापारिक, वाणिज्यिक, व्यावसायिक, राजनीतिक, सामाजिक एवं व्यक्तिगत सूचनाएँ आती हैं और ज्ञानात्मक सूचना में ज्ञान संबंधी जानकारी शब्दकोश, विश्वकोष, थिसोरस, साहित्य, संस्कृति, इतिहास, भूगोल आदि आती है। विद्वान द्वारा अर्पित विशिष्ट ज्ञान के व्यवहारिक रूप का दूसरा नाम प्रौद्योगिकी है। सूचना प्रौद्योगिकी का नाम लेते ही कम्प्यूटर माइक्रोचिप, इंटरनेट, मल्टीमीडिया आदि के चित्र मानस पटल पर उभरने लगते हैं। साथ ही दूरस्थ संचार में निरंतर नए तकनीकी के अनुवेक्षक जैसे टेलेक्स, फैक्स, ई-मेल, कम्प्यूटर को जन्म दिया। इसके साथ-साथ माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार प्रौद्योगिकी, सूचना प्रौद्योगिकी में शामिल है। भारत देश ने सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सर्वोपरि स्थान प्राप्त किया है।

इलेक्ट्रॉनिक संचार माध्यम कम्प्यूटर आदि के उपयोग से हिन्दी ने धीरे-धीरे अपनी जगह बना ली है। एक तरफ हिन्दी का प्रचार-प्रसार हो रहा है तो दूसरी तरफ हिन्दी क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनिक यंत्रों का बाजार भी फैल रहा है। इससे हिन्दी की अंतरराष्ट्रीय भूमिका मजबूत हो रही है। इन बातों को ध्यान में रखकर पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने कहा कि भारत को समझना है तो हिन्दी सीखो। 'बिलगेट्स' ने स्वीकारा है 'नागरी की संगणकीय आवश्यकता हिंदी के विकास में परिणत होगी यह लगभग तय है। विदेशों में प्रचार-प्रसार आकाशवाणी, दूरदर्शन, पत्र-पत्रिका, कंप्यूटर आदि के माध्यम से हो रहा है। फीजी का भी हिंदी साहित्य सृजन में महत्त्वपूर्ण स्थान है। जोगिन्द्र सिंह केवल फीजी के चर्चित उपन्यासकार है। धरती मेरी माता, सवेरा आदि तथा श्री बेनीलाक मोरिस की पुस्तक गली-गली सितारोए फीजी लोक साहित्य की चर्चित रचना है। विश्व के लगभग 120 विश्वविद्यालयों में हिंदी अध्ययन के केन्द्र खोलकर अध्ययन अध्यापन की व्यवस्था की गई है। नेपाल में हिंदी को उच्चतम शिक्षा तक स्थान मिला है। आस्ट्रियन एअरलाइन्स, स्विस एअरलाइन्स, एअर फ्रांस ने कहा है कि भारतीय यात्राओं की लगातार हो रही वृद्धि को दृष्टिगत रखते हुए भारत की प्रत्येक उड़ान में कम से कम दो क्रू को रखेंगे जो हिंदी बोलना जानते है। भूमंडल पर हिंदी दौड रही है तथा वायुमंडल में उड़ रही है। समाचार पत्र, पत्र-पत्रिकाएँ, आकाशवाणी, दूरदर्शन, फिल्म, कंप्यूटर, इंटरनेट और सोशल मीडिया में हिंदी का बहुत ही प्रचार-प्रसार किया है। वैश्विक ग्राम में अपना अस्तित्व बनाए रखने हेतु प्रतिस्पर्धा भी बढ़ रही है।

आज हिन्दी भाषा और साहित्य ही नहीं अपितु विज्ञान, शिक्षा, चिकित्सा, अभियांत्रिकी, विधि, कृषि, उद्योग प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में हिन्दी का प्रयोग हो रहा है। सभी भारतीयों में एकात्मकता निर्माण करने में हिन्दी की भूमिका महत्त्वपूर्ण है। सभी मनीषियों द्वारा पारस्परिक व्यवहार की आपस में मिलने-जुलने की भाषा के रूप में विकसित होकर एक महान राष्ट्र भारत की सभी प्रकार से सुभाषा कही जाने की अधिकारिणी है।

हिंदी राष्ट्रभाषा एवं संयुक्त राष्ट्र संघ की अधिकृत भाषा बनने के योग्य है। हिन्दी, संयुक्त राष्ट्र संघ की आधिकारिक भाषा बने तो भारत देश के लिए यह बड़े गर्व की बात होगी। दैनंदिन का सरकारी कामकाज करने के लिए अनुकूल और अनुकरणीय वातावरण बनाने हिन्दी के प्रति हमारी हीन भावना को बदलना पड़ेगा। विदेशों में अपने दूतावासों तक यह संदेश पहुँच जाएगा तभी हिन्दी को संयुक्त राष्ट्र संघ की आधिकारिक भाषा विश्वव्यापी बनाने का सही गौरव मिलेगा तथा देवनागरी लिपि राष्ट्रलिपि होने के लिए सर्वथा उपयुक्त है, कम्प्यूटर क्षेत्र में हिन्दी का प्रयोग सहज होने से प्रयोग में निरंतर वृद्धि हो रही है। आज हिन्दी इंटरनेट की भाषा बनकर विश्व प्रतिस्पर्धा हेतु तैयार खड़ी है। कम्प्यूटर के माध्यम से हिन्दी को विश्व स्तर की भाषा बना सकते हैं।

निष्कर्ष

सरल शब्दों में कहे तो हिंदी हमारे मान, सम्मान, स्वाभिमान और गर्व की भाषा है । हिंदी और सूचना-प्रौद्योगिकी के अभूतपूर्व विकास के परिणामस्वरूप संसार में विभिन्न प्रगतिशील राष्ट्रों की आपसी दूरी कम होती जा रही है। संसार के सभी विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में हिन्दी

भाषा और साहित्य का अध्ययन अध्यापन जोर पकड़ता जा रहा है। वैश्विक परिदृश्य में भारत विदेशों में स्थित कंपनियाँ अपने कार्मिकों को हिंदी सीखने के लिए आग्रह कर रही है, इससे वैश्विक स्वरूप में काफी इजाफा होगा। इस क्रम में वह दिन दूर नहीं जब विश्व भाषा के रूप में हिन्दी विकसित हो जाएगी। इस दृष्टि से पहले से ही विश्व हिन्दी दिवस मनाया जा रहा है। परिणामस्वरूप अंग्रेजी के बराबर हिन्दी का विस्तार विश्व मंच पर विराजने लगे।

आने वाले दिनों में भूमंडलीकरण, निजीकरण और औद्योगिकीकरण के प्रभाव में आकर विश्व बाजार की सबसे बड़ी भारत की भाषा हिन्दी सागरों की सीमा को लांघ कर देश-विदेश में अपना स्थान बना लेगी।

यह कहना यथार्थ होगा

''झंडा ऊँचा रहे हमारा तिरंगा, ठीक ऐसे ही भाषा ऊँची रहे हमारी हिन्दी क्योंकि वह सिंध भूमि की बिंदी है और संसार की बिंदी बनने वाली है।''

सेवानिवृत्त उप महाप्रबंधक (राजभाषा)
गोवा शिपयार्ड लिमिटेड

कौन सही? कौन गलत?

-डॉ. संजीव कुमार बंसल

तुम भी यहीं, हम भी यहीं।
अब तो बताएगा वक्त ही,
तुम गलत या हम सही।
हम गलत या गलत तुम भी,
या फिर गलत हम और तुम सही।
सही, होता है सही,
गलत का अस्तित्व तभी।
गलत, होता है गलत,
सही का महत्त्व भी होगा कभी।
सत्य और असत्य की
चलती ही रही थी,
चलती ही रहेगी लड़ाई,
सत्य और असत्य को
सिद्ध करने की कोशिश,
न करो मेरे यार, मेरे दोस्त,
जो होता है सच्चा, मासूम, निर्दोष,
उसके लिए यह आसाँ नहीं,
यह कार्य होगा दुष्कर-मेरे भाई।
यह अधिकार देते हैं हम
आज इस समय को ही,
समय के चक्र ने कर दी है,
अच्छे-अच्छे मैल की धुलाई।

जो है, वो इस पल है

-सुनीलानंद

1 ''जो'', जो जी लिए, वो जिन्दगी
जो पड़े काटनी, वो है सजा!
मिला है यहाँ जो भी जीवन.....,
लिए चलें भरपूर उसका मजा !!

2 ''है'', है आज अभी बस यही एक पल
जो है हमारा सुनहरा क्षण!
कल की चाह में क्यूँ रहें हम.....,
जीए चलें बस इस तत्क्षण!!

3 ''वो'', वो होगा तो ऐसा होगा
नहीं चाह धरें इसकी यहाँ हम!
जीवन मिला है सांसों में.....,
क्यूँ वर्षों की चिंता पालें हम!!

4 ''इस'', इस पल को बना लें हम अपना
क्या पता रहें कल या ना रहें!
जीवन का क्या पता ठिकाना...,
इस पल में जीवन जीते रहें!!

5 ''पल'', पल-पल जीवन ये बह रहा
बहने का नाम ही जीवन है!
कल-कल बहते चलें यहाँ पर.....,
सतत चलने का नाम ही जीवन है!!

6 ''है'', है जो तेरे पास यहाँ पर
वही है तेरी सच्ची दौलत !
कल किसने यहाँ पर देखा है.....,
नहीं टिकी है कल में किसी की शोहरत!!

महात्मा गाँधी: मातृभाषा, सम्पर्क भाषा, राष्ट्रभाषा और राजभाषा हिन्दी

-देवी प्रसाद मिश्र

महात्मा गाँधी जी का नाम लेते ही मानस पटल पर एक ऐसे महानायक की छवि उभरती है जिसका हृदय अंत्योदय की समावेशी संकल्पना से आप्लावित था। स्वतंत्रता संग्राम के इस महानायक का अंतिम लक्ष्य राजनीतिक स्वतंत्रता न होकर भारत को एक राष्ट्र बनाना था। इसी संकल्पना को मन में लेकर महात्मा गाँधी जी ने न केवल राजनीतिक आजादी के लिए संघर्ष किया बल्कि आजीवन अनवरत रचनात्मक सामाजिक कार्यों के लिए संघर्षरत रहे। आजादी की लड़ाई में उनका सपना केवल राजनीतिक आजादी प्राप्त करने तक ही सीमित नहीं था बल्कि उनका सपना एक समावेशी समाज का निर्माण करना था। उनके सपने में समाज के अंतिम व्यक्ति का उदय उनका परम लक्ष्य था।

महात्मा गाँधी जी बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी थे। उन्होंने स्वतंत्रता से पूर्व प्रारंभिक शिक्षा में मातृभाषा को गंभीरता से अपनाने का आह्वान करते हुए कहा था 'मातृभाषा मनुष्य के लिए उतनी ही स्वाभाविक है जितनी छोटे बच्चों के लिए माँ का दूध और कुछ हो भी कैसे सकता है। बच्चा अपना पहला पाठ अपनी माँ से ही सीखता है। इसलिए मैं बच्चों के मानसिक विकास के लिए उन पर माँ की भाषा को छोड़कर कोई दूसरी भाषा लादना मातृभूमि के प्रति पाप समझता हूँ'। उन्होंने सन् 1938 में 'हरिजन सेवक' में अपने एक अनुप्रेरक वाकिये का उल्लेख करते हुए लिखा है 'हाँ, अब मैं जरूर देखता हूँ कि जितना गणित, रेखागणित, बीजगणित, रसायन शास्त्र और ज्योतिष सीखने में मुझे 4 साल लगे, अगर अंग्रेजी के बजाय गुजराती में मैंने पढ़ा होता तो उतना मैंने आसानी से 1 साल में ही सीख लिया होता'।

महात्मा गाँधी जी का भारत के राजनीतिक क्षितिज पर पदार्पण एक ऐसे समय पर हुआ जब स्वतंत्रता आंदोलन अपने चरमोत्कर्ष पर था। वह स्वतंत्रता आंदोलन के पहले राजनेता थे जिन्होंने शिद्दत से महसूस किया कि भारत को अंग्रेजों के चंगुल से छुड़ाना है तो जनभागीदारी के बिना यह कदापि संभव नहीं है और इस आंदोलन के दौरान जनभागीदारी सुनिश्चित करने के लिए जनता की ही भाषा में जन-आंदोलन चलाना होगा।

उनके लिए हिंदी एक भाषा या मात्र संप्रेषण का साधन न होकर राष्ट्रीयता की प्रतीक थी। उनका मानना था कि सबसे बड़ी समाज सेवा यह है कि हम सब अपनी देशी-भाषाओं की तरफ मुड़े और भारत की सभी भाषाओं का आदर करते हुए हिंदी को राष्ट्रभाषा के पद पर प्रतिष्ठित करें। वे कहते थे कि मैं हिंदी के जरिए प्रांतीय भाषाओं को दबाना नहीं चाहता बल्कि उनके साथ हिंदी को भी मिला देना चाहता हूँ। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान देश के कोने-कोने में संघर्षरत स्वतंत्रता सेनानियों से मिलकर उन्होंने यह महसूस किया था कि भारत की राष्ट्रीय एकता को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए जन-जन की भाषा हिंदी को राष्ट्रभाषा का सम्मान देना एक व्यवहारिक कदम है।

भारत की अंग्रेजी हुकूमत स्वतंत्रता आंदोलन की राष्ट्रीय मुहिम को कमजोर करने के लिए जब भाषाई आधार पर हिंदू और मुसलमानों के बीच जुबान आधारित वैमनस्य और फूट डालने का प्रयास कर रही थी तब गाँधी जी ने अंग्रेजों की इस कुटिल चाल को बखूबी समझते हुए हिंदी को हिंदी के स्थान पर हिंदुस्तानी कहना शुरू कर दिया। गाँधी जी ने 3 जुलाई 1937 में ''हरिजन सेवक'' में लिखा है मेरा विश्वास है कि-''(1) हिंदी, हिंदुस्तानी और उर्दू शब्द एक ही जुबान की सूचक है। जिसे उत्तर भारत में हिंदू और मुसलमान दोनों बोलते हैं और जो देवनागरी या फारसी लिपि में लिखी जाती है। (2) इस भाषा के लिए उर्दू शब्द शुरू होने से पहले हिंदू-मुसलमान दोनों इसे हिंदी ही कहते थे''। इसी तरह, 9 नवंबर 1947 को भी ''हरिजन सेवक'' में लिखा था कि ''हिंदुस्तानी की खूबी यह है कि उसे न तो संस्कृत से बैर, न ही अरबी-फारसी से। हिंदुस्तानी की ताकत बढ़ेगी जब वह अपनी मिठास को कायम रखकर दुनिया की सब भाषाओं का सहारा लेगी। लेकिन उसका व्याकरण तो हमेशा हिंदी ही रहेगा''। इन विचारों के पीछे उनकी मान्यता थी कि हिंदुस्तानी की सरलता, जीवंतता तथा आत्मीयता इसकी ग्रहणशीलता और संवाद में है। वह

हिंदुस्तानी को हिंदू-मुस्लिम एकता की एक कड़ी मानते थे।

27 दिसंबर, 1917 को भाषा के संबंध में गाँधी जी ने भाषा को जीवन से जुड़ने तथा जनता के निकटस्थ रहने वाली चीज कहते हुए कहा था ''यदि हम अंग्रेजी के आदी नहीं हो गए होते तो यह समझने में हमें देर नहीं लगती कि अंग्रेजी के शिक्षा का माध्यम होने से हमारी बौद्धिक चेतना जीवन से कटकर दूर हो गई है। हम अपनी जनता से दूर हो गए हैं''। ''इसी तरह उन्होंने 15 अगस्त 1947 को दिए गए अपने एक संदेश में कहा था कि ''हिंदी ही हिंदुस्तान के शिक्षित समुदाय की सामान्य भाषा हो सकती है, यह बात निर्विवाद है। यह कैसे हो केवल यही विचार करना है। जिस स्थान को आजकल अंग्रेजी लेने का प्रयास कर रही है और जिसे लेना उसके लिए असंभव है वही स्थान हिंदी को मिलना चाहिए क्योंकि हिंदी का उस पर पूर्ण अधिकार है।

गाँधी जी के उक्त दोनों विचारों का यदि हम तुलनात्मक अनुशीलन और विश्लेषण करें तो यह मानने में कोई दो राय नहीं है कि गाँधी जी के राजनीतिक जीवन में पदार्पण से लेकर जीवनपर्यंत हिंदी के प्रति उनकी अधिमान्यता और लगाव देश की तमाम शोषित, वंचित, दलित, दमित, अशिक्षित और धर्म और भाषा के आधार पर विभाजित जनता को राष्ट्र निर्माण की मुख्यधारा में लाने का एक सत प्रयास था। क्योंकि उनका मानना था कि हिंदी ही एक ऐसी भाषा है जो देश की विशाल जनसमूह की सभ्यता और संस्कृति की न केवल संवाहक है अपितु उसमें भारत को एक सशक्त राष्ट्र बनाने की क्षमता और सामर्थ्य भी निहित है। वहीं दूसरी तरफ अंग्रेजी शासक की भाषा होने के अहंकार तथा दूसरी भाषा को कमतर आंकने की भावना से ओतप्रोत है। इसीलिए गाँधी जी जीवन पर्यंत अंग्रेजी के स्थान पर हिंदी सहित समस्त भारतीय भाषाओं को स्थापित करने की पुरजोर वकालत करते रहे। उन्होंने हिंदी सहित सभी भारतीय भाषाओं का सम्मान करते हुए 17 मई, 1942 को कहा था कि ''महान प्रांतीय भाषाओं को उनके स्थान से हटाने की कोई बात ही नहीं है क्योंकि राष्ट्रभाषा की इमारत प्रांतीय भाषाओं की नींव पर ही खड़ी की जानी है। दोनों का लक्ष्य एक दूसरे की जगह लेना नहीं बल्कि एक दूसरे की कमी को पूरा करना है। गाँधीजी सदैव यह कहा करते थे कि कोई भी देश सही मायने में तब तक स्वतंत्र नहीं कहा जाएगा जब तक कि वह अपनी भाषा में नहीं बोलता है''।

भारतीय संस्कृति तथा सभी भारतीय भाषाओं के पक्षपोषक गाँधीजी न केवल मातृभाषा, संपर्क भाषा, राष्ट्रभाषा/राजभाषा के मर्मभेद को जाने वाले कुशल चितेरे थे बल्कि उन्होंने आज के लगभग 100 साल पूर्व ही बोलियों को भाषा का रूप देने की प्रवृत्ति को भांपते हुए कहा था कि ''जो वृत्ति इतनी वर्जनशील और संकीर्ण है कि हर बोली को चिरस्थाई बनाना और विकसित करना चाहती है वह राष्ट्र विरोधी और विश्व विरोधी है। मेरी विनम्र सम्मति में तमाम अविकसित और अलिखित बोलियों का बलिदान करके उन्हें हिंदी या हिंदुस्तानी की धारा में मिला देना चाहिए। यह आत्महत्या नहीं बल्कि राष्ट्रहित और देशहित में की गई कुर्बानी होगी''।

गाँधीजी न केवल तमाम बोलियों को हिंदी के साथ मिला देने के समर्थक थे बल्कि वह चाहते थे कि देवनागरी लिपि सभी भारतीय भाषाओं की सामान्य लिपि भी होनी चाहिए। उनका मानना था प्रांतीय भाषाओं को प्रांतीय लिपि के साथ-साथ देवनागरी लिपि में भी लिखा जाना चाहिए। गाँधीजी का न केवल यह मानना था बल्कि यह विश्वास था कि भाषायी दृष्टि से एकता के सूत्र में आबद्ध राष्ट्र ही विदेशी भाषा के चंगुल से मुक्त हो सकता है। इसलिए वह आजीवन हिंदी सहित भारतीय भाषाओं के उत्थान, विकास एवं प्रचार-प्रसार के लिए प्राणपण अग्रसर रहे। हिंदी के प्रति गाँधी जी के लगाव और अपनत्व को देखकर हिन्दी को पूज्य बापू जी की मानसपुत्री कहना सर्वथा समीचीन होगा। भारत के राष्ट्रीय राजनीतिक मंच पर शायद ही ऐसा कोई राजनेता होगा जो बापू जी की तरह मातृभाषा तथा हिंदी को प्रारंभिक शिक्षा का माध्यम बनाने का प्राणपण उद्‌बोधन किया हो। मेरा मानना है यदि बापूजी असमय कालकवलित न हुए होते तो हिंदी न केवल भारत की राष्ट्रभाषा अपितु आज विश्व भाषा के रूप में पदस्थ होती। आज पूज्य बापू जी की 150वीं जयंती की पुण्य बेला पर हम सभी देश और विदेश में रहने वाले भारतीयों का न केवल नैतिक बल्कि राष्ट्रीय दायित्व भी है कि हम सभी अपने जाति, धर्म, वर्ग, भाषा और क्षेत्र की सीमाओं से ऊपर उठकर हिंदी को सभी भारतीय भाषाओं के सहयोग से राष्ट्रभाषा का दर्जा दिलाने का संकल्प लें। आज भी हम राजनीतिक रूप से भले ही आजाद हो गए हैं पर मानसिक रूप से आज भी अंग्रेजी भाषा के गुलाम हैं।

एक राष्ट्र हो, एक राष्ट्रध्वज, एक राष्ट्र की भाषा।
प्रांतीय भाषाओं के पाथेय से, हिन्दी बने राष्ट्रभाषा
रहे राष्ट्र में सदा एकता, जन-जन की अभिलाषा॥

मेरी दृष्टि में हम भारतीयों का यही संकल्प पूज्य बापूजी के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी।

उपाध्यक्ष, विश्व हिन्दी परिषद

हिन्दी भाषा और साहित्य की समृद्धि में विदेशी विद्वानों का योगदान

-महिमानंदन भट्ट

हिन्दी साहित्य और भाषा में गहरी रुचि रखने वाले अनेक व्यक्ति ऐसे है जिन्होंने विदेशी होते हुए भी भारतीय भाषा-संदर्भ पर विचार किया और हिन्दी के पक्ष में अपना मत प्रबल रूप से रखा। कुछ दूरदर्शी अंग्रेजी शासकों का मत था कि फारसी और संस्कृत द्वारा जनसंपर्क संभव नहीं है तब उनका ध्यान भारतीय भाषाओं तथा विशेष रूप से हिन्दुस्तानी (हिन्दी) सीखने कि ओर गया वर्षों पहले जो विदेशी भारत आए उन्होंने भी हिन्दी को भारतीय जन-जीवन की सम्पर्क भाषा स्वीकार किया था। दक्षिण में चेन्नई, पूर्व में कोलकाता, पश्चिम में मुंबई और उत्तर में आगरा जैसे सुप्रसिद्ध नगरों में जिन विदेशी विद्वानों का आगमन हुआ, उन्होंने जनसम्पर्क के लिए जिस भाषा को माध्यम बनाया वह भाषा हिन्दी ही थी। हिन्दी सीखने के लिए उन विदेशियों में जो शिक्षित-वर्ग थे। उन्होंने कोश तैयार किए। व्याकरण के ग्रंथ लिखे, पाठ्य पुस्तकें तैयार की और हिन्दी में अनूदित किए।

हिन्दी को विदेशी व्यक्तियों में सबसे पहले व्यापारियों ने आश्रय दिया। व्यापारी का संपर्क उच्च स्तरीय शिक्षित वर्ग की अपेक्षा सामान्य व्यक्ति से होता है। व्यापारियों में सबसे पहले विदेशी जॉन केटेलर है जो व्यापार के लिए सूरत शहर में आया था। सूरत की भाषा गुजराती है। गुजराती माध्यम से वह सूरत में तो अपना काम चला लेता था किन्तु सूरत से बाहर उसे हिन्दी की आवश्यकता पड़ती थी। उसकी मातृभाषा डच थी, हिन्दी वह जानता नहीं था। सबसे पहला काम उसने हिन्दी सीखने का किया और अपने देश के लोगों के लिए डच भाषा में उसने व्याकरण की पुस्तक तैयार की। यह व्याकरण सन् 1985 में लिखा गया। व्याकरण में जिस हिन्दी का प्रयोग है वह शुद्ध हिन्दी न होकर सूरत के आस-पास व्यापारी वर्ग में प्रचलित होने वाली हिन्दी है। आज भी मुंबई शहर में 'बम्बइया हिन्दी' के नाम से एक भाषा बोली जाती है जिसका कोई व्याकरण नहीं है। यह हिन्दी जनसम्पर्क की दृष्टि से पूरी तरह कामयाब है। इसे पारसी, मराठी, गुजराती और पूर्वी उत्तर-प्रदेश के सभी लोग बेहिचक बोलते और समझते है। इसी प्रकार ईसाई मिशनरी शुल्जे को सन् 1719 में मद्रास (अब चेन्नई) आकर भाषा समस्या का करना पड़ा। मद्रास (अब चेन्नई) में प्रांतीय तमिल भाषा का प्रयोग होने के कारण उन्होंने हिन्दुस्तानी भाषा सीखकर **ग्रेमेटिका हिन्दोस्तानिक** नाम से देवनागरी अक्षरों में हिन्दुस्तानी (हिन्दी) का व्याकरण लिखा। शुल्जे

का कार्यक्षेत्र दक्षिण भारत में होने के कारण उनके व्याकरण में हिन्दी रूप का आधार दक्षिण में प्रचलित बोल-चाल की हिन्दी ही है। इन दोनों प्राचीन व्याकरण पुस्तकों की विषय-वस्तु और भाषा को 'जन-हिन्दी' शब्द की संज्ञा दी गई। यह वह समय था जब हिन्दी में किसी व्याकरण-पुस्तक का प्रकाशन नही हुआ था।

सन् 1801 में भारतीय भाषाओं का एक व्याकरण ग्रंथ हेरासिव लेवेडेफ नामक विद्वान का प्रकाश में आया। इसका नाम था, ''ग्रामर ऑफ द प्योर एण्ड मिक्सड ईस्ट इंडियन डाइलेक्टस''। सन् 1785 में वे सैर सपाटे के लिए चेन्नई आए। संगीत प्रेमी होने के कारण योरोपीय समाज में वह लोकप्रिय हो गया और 1787 में कोलकाता आ गया। यहाँ आकर उन्होंने ब्राह्मणों की भाषा, लिपि, वर्णमाला आदि सीखी और संगीत के साथ नाटकों में भी रुचि ली। उनकी लोकप्रियता देख उनके योरोपीय मित्र ही उनसे ईर्ष्या करने लगे और इतना परेशान किया कि वह 1797 में भारत छोड़कर लंदन चले गए। वहाँ पहुँचकर उन्होंने उपर्युक्त व्याकरण ग्रंथ लिखा। इस पुस्तक से लेखक का हिन्दी प्रेम प्रमाणित होता है। सन् 1813 में जॉन शेक्सपीयर नाम ने एक व्यक्ति ने हिन्दुस्तानी का व्याकरण (ए ग्रामर ऑफ दि हिन्दुस्तानी लैंग्वेज) नाम से लिखा जो अत्यधिक लोकप्रिय हुआ और इसके कई संस्करण निकले। जौन शेक्सपीयर ने हिन्दुस्तानी और अंग्रेजी कोश भी बनाया था। सन् 1827 में पादरी आदम ने कोलकाता से ''हिन्दी भाषा का व्याकरण'' (ए ग्रामर ऑफ हिन्दी लैंग्वेज) प्रकाशित किया। इसका नाम हिन्दी रखा गया। इससे पहले किसी विदेशी विद्वान ने हिन्दी शब्द का

प्रयोग नहीं किया था।

हिन्दी का छात्रों के उपयोग के लिए व्याकरण लिखने वाले **रेवरेन्ड विलियम** का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है क्योंकि उन्होंने अपनी पुस्तक का नाम हिन्दी में ''भाषा भास्कर'' रखा था। अंग्रेजी में इसका नाम ''ए स्टूडेन्टस् ग्रामर ऑफ द हिन्दी लैंग्वेज'' रखा गया था। ''भाषा भास्कर'' नामकरण हिन्दी भाषियों के लिए बहुत आकर्षक सिद्ध हुआ। यह पुस्तक पुरस्कृत भी हुई और बाद में सरकार ने इसका कॉपीराइट ही खरीद लिया। इस व्याकरण की विशेषता यह थी कि इसमें हिन्दी के अनूदित ग्रंथों के उदाहरण दिए गए थे। रामचरितमानस और शकुन्तला नाटक के भी कुछ अंश इसमें हैं। ''भाषा भास्कर'' अर्थात् हिन्दी का व्याकरण शीर्षक से इस पुस्तक का खूब प्रचार हुआ। पहले यह 1870 में अंग्रेजी में लिखा गया था किन्तु बाद में हिन्दी रूपान्तर 1886 ई. में नवलकिशोर प्रेस में मुद्रित हुआ।

विदेशी विद्वानों में सबसे अधिक व्यापक और विस्तृत रूप में व्याकरण लिखने वाले **रेवरेंड एस.एच. कैलाग** है। हिन्दी भाषियों से संपर्क होने के कारण वे स्वयं हिन्दी की प्रकृति से परिचित हो गए। सन् 1875 में इन्होंने ''ए ग्रामर ऑफ हिन्दी लैंग्वेज'' नाम से अपना व्याकरण प्रकाशित किया। हिन्दी व्याकरण लिखन वाले विद्वानों में **एडविन ग्रीव्स** का नाम भी उल्लेखनीय है। पादरी के पद पर काम करते हुए उन्होंने हिन्दी भाषा का ज्ञान अर्जित किया और अंग्रेजी माध्यम से हिन्दी व्याकरण लिखा। ''ग्रामर ऑफ मॉर्डन हिन्दी'' नामक इस पुस्तक में अंग्रेजी पारिभाषिक शब्दों के साथ हिन्दी के शब्द भी लिखे गए है। इन पुस्तकों के अतिरिक्त हिन्दी व्याकरण से सम्बन्धित लगभग एक दर्जन पुस्तकें उन्नीसवीं शताब्दी में लंदन, फ्रांस और इटली में प्रकाशित हुई। इन समस्त विदेशी विद्वानों की व्याकरण पुस्तकों पर विचार करने पर सहज ही यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि यदि अठारहवीं एवं उन्नीसवीं सदी में इन विदेशी लेखकों का ध्यान हिन्दी की ओर न गया होता तो शायद हिन्दी का व्याकरण विकसित न हो पाता। भारतीय हिन्दी लेखकों के व्याकरण ग्रंथ तो बीसवीं सदी की देन है।

भारतीय धर्म, दर्शन, ज्योतिष, व्याकरण आदि की गहरी पकड़ वाले विदेशी विद्वानों में **हेनरी थॉमस कोलब्रुक** का नाम सुप्रसिद्ध है। भाषा वैज्ञानिक की दृष्टि से **कोलब्रुक** की सबसे बड़ी देन यही है कि उन्होंने प्राचीन भारत के दस प्रदेशों की भाषाओं को जोड़ने का प्रयत्न किया। हिन्दी भाषा और इतिहास के क्षेत्र में फ्रांस के मासई नगर में पैदा हुए **गासां द तासी** का नाम उल्लेखनीय है। **तासी** को फ्रेंच भाषा के साथ अरबी भाषा और मुस्लिम इतिहास में रूचि थी, इसलिए उर्दू के प्रबल समर्थक बनकर इन्होंने अपनी पुस्तकों में अरबी-फारसी के साथ उर्दू का पक्ष लिया तथा अपनी पुस्तक में हिन्दी तथा उर्दू दोनों भाषाओं को स्थान दिया। उन्होंने हिन्दुस्तानी भाषा के प्राथमिक सिद्धांतों पर भी ग्रंथ लिखा। **तासी** का मत रहा है कि ''भारत को सर्वाधिक शक्ति सम्पन्न तथा सर्वाधिक सभ्य एवं शिष्टजनों में प्रचलित भाषा हिन्दुस्तानी है।'' संस्कृत भाषा में विद्वान प्रोफेसर **मोनियर विलियम** का नाम भी हिन्दी सेवी भाषाविद् विद्वानों में गिना जाता है। उन्होंने एक पुस्तक सरल हिन्दी प्रवेशिका (एनजी इंट्रोडक्शन टू हिन्दी) नाम से लिखी। उन्होंने लिखा है कि भारत और भारतवासियों को अंग्रेज जाति तब तक भली-भाँति नही समझ सकती जब तक कि हम उनकी भाषा को सही तौर पर नहीं समझते।

जॉन बीम्स नामक विद्वान ने व्याकरण और भाषा विषयक एक प्रसिद्ध गंथ लिखा जिसका शीर्षक था, ''कम्परेटिव ग्रामर ऑफ द एरियन लैंग्वेज ऑफ इंडिया'' अर्थात् भारत की आर्य भाषाओं का तुलनात्मक अध्ययन। भारत के कई प्रांतों में रहने के फलस्वरूप उन्हें हिन्दी, बंगाली, मैथिली, मराठी, भोजपुरी, गुजराती, राजस्थानी आदि भाषाओं का अच्छा ज्ञान हो गया। भारत में भाषा विज्ञान को लोकप्रिय और पठनीय विषय बनाने का श्रेय **बीम्स** को है। **बीम्स** को भारतीय आर्य भाषाओं की भाषिकी का संस्थापक माना जाता है। ग्रियर्सन ने भी इनकी कार्य कुशलता तथा विद्वता की धाक मानी है। हिन्दी भाषा, साहित्य, साहित्यकार और हिन्दी की बोलियों का प्रामाणिक अध्ययन प्रस्तुत करने वाले विदेशी विद्वानों में **जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन** का नाम प्रमुख है। उन्होंने भारतीय भाषाओं को समझने के लिए प्रत्येक स्थान पर स्वयं जाकर और स्थानीय लोगों से सम्पर्क स्थापित कर भाषा का शुद्ध ज्ञान अर्जित किया। ''भारत का भाषा सर्वेक्षण'' प्रस्तुत करने वाला उनका विशाल ग्रंथ अपने क्षेत्र का बेजोड़ अनुपम ग्रंथ है। सन् 1898 में उन्होंने यह काम शुरू किया था और यह कार्य लगभग 25 वर्ष तक चलता रहा। इस कार्य में उन्होंने भाषाशास्त्र में रूचि रखने वाले भारतीय तथा

विदेशी विद्वानों की सहायता ली। इस भाषा सर्वेक्षण के बाद भारत में किसी विद्वान ने इसे आगे नहीं बढ़ाया।

हिन्दी साहित्य और हिन्दी साहित्य के इतिहास में भी ग्रियर्सन की गहरी रूचि थी। उन्होंने चन्दवरदाई, जायसी, विद्यापति, तुलसी, बिहारी, कबीर आदि कवियों पर स्वतंत्र लेख और पुस्तकें लिखीं। उनके हिन्दी साहित्य का नाम है–''दि मॉडर्न वर्नाक्लूलर लिटरेचर ऑफ हिन्दुस्तान''। पं. रामचन्द्र शुक्ल ने अपने इतिहास में इस ग्रंथ से बहुत सहायता ली। हिन्दी भाषा और साहित्य की सेवा के लिए जितना विस्तृत और व्यापक काम ग्रियर्सन ने किया उतना दूसरा कोई विदेशी नहीं कर सका। वे भारतभूमि के प्रति आजीवन कृतज्ञता, आदर और श्रद्धाभाव से भरे रहे।

हिन्दी भाषा विज्ञान के क्षेत्र में कार्य करने वाले विद्वानों में **डॉ. ए.एफ. रुडाल्फ हार्नले** का नाम उनकी सुप्रसिद्ध पुस्तक ''ग्रामर ऑफ दि ईस्टर्न हिन्दी'' के कारण विख्यात है। उन्होंने हिन्दी का स्वरूप निर्धारण करने का प्रयत्न किया और हिन्दी धातु संग्रह का ऐसा महत्त्वपूर्ण काम किया जो पहले किसी विदेशी या भारतीय विद्वान ने नहीं किया था। 'रामचरितमानस' पर शोध-प्रबंध लिखकर पी.एच.डी. की उपाधि प्राप्त करने वाले इटली के विद्वान **डॉ. एल.पी. टेस्सीटरी** का नाम उनके राजस्थानी भाषा तथा साहित्य पर कार्य करने के कारण प्रसिद्ध है। हिन्दी साहित्य का इतिहास लिखने वाले **एफ.ए.की** का नाम उनकी छोटी-सी पुस्तक के कारण प्रसिद्ध हुआ। उनकी पुस्तक में हिन्दी साहित्य का काल विभाजन सूझ-बूझ के साथ किया गया है। इसके अलावा कुछ लेखकों ने अपने क्षेत्र विशेष के लिए कोश तैयार किए। **मि. फैलन** के कोश में हिन्दी के मुहावरे और कहावतें भी हैं। कानून और वाणिज्य का कोश भी सबसे पहले **फैलन** ने ही तैयार किया था। डंकन फोर्ब्स, थॉमसन, जॉन प्लाट्स भी कोश निर्माण में उल्लेखनीय योगदान करने वाले विदेशी विद्वान हैं।

विदेशी विद्वानों का हिन्दी भाषा और साहित्य की समृद्धि में किया गया योगदान अविस्मरणीय है। हिन्दी और भारतीय भाषाओं की ओर ध्यान इसलिए गया क्योंकि उन्हें भारत को जानने की इच्छा थी। जिस भी विदेशी विद्वान का हिन्दी के साथ संपर्क हुआ, प्रायः सभी ने इसके व्याकरण, साहित्य, लिपि आदि की प्रशंसा की और इसकी समृद्धि में योगदान दिया। हिन्दी जगत इन विद्वानों की हिन्दी-सेवा को सदा सम्मान और आदर प्रदान करता रहेगा।

पूर्व प्रबंधक (राजभाषा)
केन्द्रीय भंडारण निगम

डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए दूरसंचार और आईसीटी अवसंरचना का निर्माण

स्ट्रेटेजिक नेटवर्क अवसंरचना सेवाओं में योगदान।

सेवाएं

• एचडी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग • डेटा सेंटर और क्लाउड • रिटेल ब्रॉडबैंड-रेलवायर
• लीज्ड लाइन • वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क • वॉयस कैरिज नेटवर्क के लिए एनएलडी
• इंटरनेट लीज्ड लाइन • कंसल्टेंसी सेवाएं • सिगनलिंग सेवाएं • टॉवर को-लोकेशन
• राज्यव्यापी क्षेत्र नेटवर्क प्रबंधन।

www.railtel.in

रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
(भारत सरकार का उपक्रम)

मिनी रत्न (श्रेणी-I) सीपीएसई

कॉर्पोरेट कार्यालय: प्लेट-ए, 6 वीं मंजिल, कार्यालय टॉवर -2,
एनबीसीसी बिल्डिंग, ईस्ट किदवई नगर, नई दिल्ली -110023
फ़ोन:: +91-11-22185933,
फैक्स: +91-11-22185978

हिन्दी भाषा का वैश्विक विकास

-पं. रामनरेश तिवारी पिण्डीवासा

भाषा विचारों की संवाहिका होती है। दुनिया की संपूर्ण आबादी किसी न किसी भाषा के माध्यम से एक-दूसरे से संवाद स्थापित करती है। वैश्विक संदर्भ में यदि हम बात करें तो विश्व भाषा उस भाषा को कहते हैं जिसका प्रयोग अंतरराष्ट्रीय स्तर पर होता है और जिस भाषा को लोग दूसरी भाषा या अतिरिक्त भाषा के रूप में सीखते हैं। सामान्यत: अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भाषा की कल्पना करते समय केवल एक भाषा हमारे मन-मस्तिष्क में उभर कर आती है और वह है-आंग्ल यानी अंग्रेजी। इसका स्पष्ट कारण यह है कि विश्व के अधिकांश देश गुलामी के जंजीरों में जकड़े रहे और उनके ऊपर न केवल अंग्रेजी की हुकूमत बल्कि उनकी भाषा भी हावी रही। तथापि, ऐसे देश एक-एक कर आजाद होते गए और उन्होंने अपनी अस्मिता स्थापित करने के लिए अपनी भाषा और अपने संस्कारों का सहारा लिया। आज विश्व के सभी विकसित देश इस तथ्य को बड़े ही गर्व के साथ स्वीकार करते हैं कि उन्होंने विकास यात्रा को अपने भाषा के बल पर पूरी की है।

यह विचारणीय तथ्य है कि हिन्दी इस वैश्विक दौड़ में बराबर की हिस्सेदार है। आज संपूर्ण विश्व हिन्दी और हिन्दुस्तान के विद्वानों/वैज्ञानिकों एवं इंजीनियरों का लोहा मान रहा है। ऐसे में हिन्दी की भूमिका अत्यन्त ही महत्त्वपूर्ण हो गयी है। देश को मिली स्वतंत्रता के बाद भारत में हिन्दी ने राजभाषा, राष्ट्रभाषा और संपर्क भाषा के रूप में अपना स्थान बना लिया है। साथ ही वैश्विक स्तर पर हिन्दी भाषा की बढ़ती लोकप्रियता और उपादेयता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि विश्वभर में हिन्दी सीखने वालों की संख्या में जबरदस्त वृद्धि हुई है। गत 8 वर्षों में हिन्दी बोलने की मांग में लगभग 50% की वृद्धि हुई है। दैनिक जागरण में प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार केवल अमेरिका में हिन्दी बोलने वालों में 105% की वृद्धि हुई है जबकि अन्य भारतीय भाषाएँ बोलने वालों में 80% से अधिक की वृद्धि हुई है।

भारत की विकास यात्रा में सहयोग करते हुए अनिवासी भारतीय भी अपनी अगली पीढ़ी को हिन्दी सिखाने के लिए प्रेरित कर रहे है, जिससे वे भारत के साथ अपने संबंधों को और प्रगाढ़ बना सकें। 80 व 90 के दशक में भारत में उदारीकरण, वैश्वीकरण तथा औद्योगीकरण की प्रक्रिया ने तीव्र गति पकड़ी। परिणामस्वरूप अनेक विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ भारत में आई। परिणामत: हिन्दी के लिए एक खतरा दिखाई देने लगा क्योंकि अंग्रेजी ही उनकी भाषा थी। आज मनोरंजन की दुनिया में भी हिन्दी सबसे अधिक मुनाफे की भाषा बन गयी है। कुल विज्ञापनों का लगभग 75 प्रतिशत हिन्दी माध्यम को दिया जा रहा है, चाहे वह सेवा क्षेत्र हो या विनिर्माण। यह कोई हिन्दी की आवश्यकता नहीं है बल्कि यह बाजार की आवश्यकता है। अंग्रेजी ने अपने औपनिवेशिक काल में संपूर्ण विश्व पर अंग्रेजी के वर्चस्व को कायम किया था। किन्तु वर्तमान में हिन्दी की वैश्विक उपयोगिता को देखते हुए यहाँ तक कि भारत के राज्यों में हिन्दी एक संपर्क भाषा के रूप में अपनी जडें जमा चुकी है और इसका विस्तार एशिया, खाड़ी के देशों में भी हुआ है। हिन्दी सोसाइटी सिंगापुर द्वारा कुल 7 हिन्दी प्रशिक्षण केन्द्र चलाये जा रहे हैं जिसमें बच्चों से लेकर वयस्कों तक को हिन्दी प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। यह संस्था वर्ष 1990 में स्थापित हुई और अब तक कुल 2100 से अधिक विद्यार्थियों को सफल प्रशिक्षण प्रदान कर चुकी है। ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया प्रांत की सरकार ने देश की केन्द्र सरकार से हिन्दी को राष्ट्रीय पाठ्यक्रम में शामिल करने की गुजारिश की है।

यूँ तो हमारी संस्कृति में ''वसुधैव कुटुंबकम्'' एक महत्त्वपूर्ण सूत्र-वाक्य के रूप में पहले से ही विख्यात है किन्तु विज्ञापन की होड़ में रिलायन्स समूह का एक विज्ञापन कर लो दुनिया मुठ्ठी में ने एक बार फिर इस नारे को

साकार कर दिया है।

हिन्दी वस्तुतः आज के सफल बाजार की सशक्त भाषा बनकर उभरी है। यह कहना समीचीन होगा कि हिन्दी के बिना न केवल हिन्दुस्तान बल्कि संपूर्ण विश्व अपने बाजार को विस्तार देने में आज असमर्थ महसूस कर रहा है। हिन्दी विज्ञापन, विज्ञान, साहित्य, कला और संस्कृति की अद्वितीय भाषा बन गयी है और हिन्दी का वैश्विक विकास द्रुत गति से बढ़ता जा रहा है। ऐसा प्रतीत होता है कि वह दिन दूर नहीं जब हिन्दी हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग बन जाएगी।

नगर प्रधान, नगर समन्वय समिति
केन्द्रीय सचिवालय हिन्दी परिषद, इलाहाबाद

संतोपदेश

सोना सज्जन साधु जन,
टूटे जुड़े सौ बार।
दुर्जन कुंभ कुम्हार के,
ऐके करें दरार।।
धीरे-धीरे रे मना,
धीरे-धीरे सब कुछ होय।
माली सींचे सौ घड़ा,
ऋतु आए फल होय।।
गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है,
गढ़ि गढ़ि काढ़े खोट।
भीतर हाथ संवार दे,
बाहर मारे चोट।।
कारज धीरे होत हैं,
काहे होत अधीर।
समय पाय तरुवर फले,
केतिक सींचो नीर।।
कबीर सुता क्या करे,
जागो जपो मुरारी।
एक दिन है सोवना,
लंबे पाँव पसारी।।
कल करे सो आज कर,
आज करे सो अब।
पल में प्रलय होयगी,
बहुरि करैगो कब।।

प्रस्तुतिः पंकज दीवान

चिंतन

-सुनीलानंद

(1) 'चिं', चिंता है रोग, चिंतन साधना
करें सदा हम यहाँ पर चिंतन।
पल-पल जीवन ये बदल रहा....,
हम करें यहाँ प्रतिदिन मनन।।

(2) 'त', तन है तो जीवन में दुःख हैं
है शरीर व्याधियों का मंदिर।
इसमें ना रहें सदा उलझे...,
उतरें अपने मन अंतस अंदर।।

(3) 'न', नजर रखें स्वयं पर अपने
करें 'स्व', के विकास का चिंतन।
'प्र',भाव में किसी के ना आएँ...,
सदा करते रहें प्रभु का स्मरण।।

(4) 'चिंतन', चिंतन हमें स्वयं से है जोड़े
ये करे सदा आत्मिक उन्नयन।
करके चिंता औरों की सदा...,
हम करें स्वयं का यहाँ पतन।।

(5) 'चिंतन', चिंतन करवाए ईश्वर के दर्शन
ये जोड़े हमें मन प्रकृति से।
चिंता में जाएँ गलते प्रतिदिन...,
ये दूर करे हरपल जीवन से।।

(6) 'चिंतन', चिंतन है हमारी मुक्ति का मार्ग
सदा करें स्वाध्याय और मनन।
छोड़ें करना यहाँ पर चिंता...,
चलें करते प्रभु को जीवन अर्पण।।

राजभाषा नीति संबंधी प्रमुख निदेश

-डॉ. स्वीटी यादव

1. राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा (3) के अंतर्गत संकल्प, सामान्य आदेश, नियम, अधिसूचनाएं, प्रशासनिक व अन्य रिपोर्टें, प्रेस विज्ञप्तियाँ, संसद के किसी सदन या दोनों सदनों के समक्ष रखी जाने वाली प्रशासनिक व अन्य रिपोर्टें, सरकारी कागजात, संविदा, करार, अनुज्ञप्तियां, अनुज्ञापत्र, निविदा सूचनाएँ और निविदा प्रारूप द्विभाषी रूप में, अंग्रेजी और हिंदी, दोनों में जारी की जाएं। राजभाषा नियम 1976 के नियम 6 के अंतर्गत ऐसे दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति का दायित्व यह सुनिश्चित करना होगा कि ऐसे दस्तावेज हिन्दी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में तैयार, निष्पादित अथवा जारी किये जाएँ।
2. राजभाषा नियम 1976 के नियम 5 के अनुसार केन्द्र सरकार के कार्यालयों में हिन्दी में प्राप्ति पत्रादि का उत्तर हिन्दी में ही दिया जाना अनिवार्य है।
3. राजभाषा नियम 1976 के नियम 10 (4) के अनुसार केन्द्र सरकार के जिन कार्यालयों के 80 प्रतिशत कार्मिकों ने हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया हो, उन कार्यालयों के नाम राजपत्र में अधिसूचित किए जाएं।
4. राजभाषा नियम 1976 के नियम 8 (4) के अनुसार केन्द्र सरकार ऐसे अधिसूचित कार्यालयों के हिन्दी में प्रवीणता प्राप्त अधिकारियों/कर्मचारियों को टिप्पण, प्रारुपण और अन्य उन शासकीय कार्यों को केवल हिन्दी में करने के लिए आदेश जारी कर सकती है, जोकि आदेश में विनिर्दिष्ट हों।
5. राजभाषा नियम 1976 के नियम के अनुसार केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों से संबंधित सभी मैनुअल, संहिताएँ और प्रक्रिया संबंधी अन्य साहित्य, हिन्दी और अंग्रेजी में द्विभाषिक रूप में यथास्थिति मुद्रित या साइक्लोस्टाइल किया जाएगा और प्रकाशित किया जाएगा। केन्द्रीय सरकार के किसी कार्यालय में प्रयोग किए जाने वाले रजिस्टरों के प्रारूप और शीर्षक हिन्दी और अंग्रेजी में होंगे। केन्द्रीय सरकार के किसी कार्यालय में नामपट्ट, सूचनापट्ट, पत्र शीर्ष और लिफाफों पर उत्कीर्ण लेख तथा लेखन सामग्री की अन्य मदें हिंदी और अंग्रेजी में लिखी, मुद्रित या उत्कीर्ण की जाएँगी।

6. राजभाषा नियम 1976 के नियम 12 के अनुसार केन्द्र सरकार के प्रत्येक कार्यालय के प्रशासनिक प्रधान का यह उत्तरदायित्व है कि वह यह सुनिश्चित करे कि राजभाषा अधिनियम, राजभाषा नियमावली के प्रावधानों तथा इनके अधीन जारी किए गए निदेशों का समुचित रूप से अनुपालन हो तथा इस प्रयोजन से उपयुक्त एवं प्रभावकारी जाँच बिंदु बनाए जाएं।
7. राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय ने केन्द्रीय हिंदी समिति की 31वीं बैठक कार्यवृत्त में माननीय प्रधानमंत्रीजी द्वारा दिए गए सुझावों पर पुनः बल दिया है। ये सुझाव हैं:- सरकारी हिंदी और सामाजिक हिंदी के अंतर को कम करना, देश की दूसरी भाषाओं से हिंदी को और समृद्ध करने के लिए उपाय करना, दूसरी भाषाओं के अच्छे शब्दों को हिंदी में ग्रहण करना, दूसरी भारतीय भाषाओं से अच्छे शब्दों को खोज कर हिंदी भाषा में जोड़ना, हिंदी में अनुवाद सरल भाषा में सुनिश्चित करना जिससे सरकारी भाषा हिंदी के प्रचार-प्रसार में बाधक नहीं, सहायक हो।
8. राजभाषा विभाग ने भारत सरकार के सभी सचिवों/विभिन्न सरकारी संगठनों के प्रमुखों से आग्रह किया है कि जब वे प्रत्येक माह वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक की अध्यक्षता करें तो वे उनमें हिंदी में सरकारी काम-काज

में हुई प्रगति की भी समीक्षा करें और अपने संगठन में राजभाषा अधिनियम तथा नियमों के विभिन्न उपबंधों के कार्यान्वयन के बारे में चर्चा करें। साथ ही, संयुक्त सचिव (प्रशासन)/संगठन के प्रशासनिक प्रमुख को हिंदी कार्यान्वयन का तथा वर्ष की प्रत्येक तिमाही में राजभाष कार्यान्वयन समिति की बैठक की अध्यक्षता करने का उत्तरदात्यिव सौंपा जाए।

9. कार्यालयों/उपक्रमों/बैंकों आदि में राजभाषा का संवर्ग गठित होना चाहिए,जो कि कुल पदों के अनुरूप हो। मंत्रालयों/विभागों के अधीनस्थ कार्योलयों के हिंदी पदाधिकारियों कों केन्द्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा संवर्ग के समान वेतनमान व पदनाम दिए जाएं।

10. अधीनस्थ सेवाओं की भर्ती परीक्षाओं में अंग्रेजी के अनिवार्य प्रश्न पत्र को छोड़कर शेष विषयों के प्रश्न-पत्रों के उत्तर हिंदी में भी देने की छूट दी जाये और ऐसे प्रश्न पत्र द्विभाषी रूप से हिन्दी तथा अंग्रेजी दोनों भाषाओं में उपलब्ध कराए जाएँ। साक्षात्कार या मौखिक परीक्षा में उम्मीदवारों को हिन्दी में उत्तर देने की छूट दी जाएं।

11. केंद्र सरकार के कार्यालयों द्वारा सभी सेवाकालीन विभागीय तथा पदोन्नति परीक्षाओं में (अखिल भारतीय स्तर की परीक्षाओं सहित) अभ्यर्थियों को प्रश्न पत्रों के उत्तर हिंदी में भी देने की छूट दी जाये। प्रश्न पत्र अनिवार्यत: दोनों भाषाओं (हिंदी और अंग्रेजी) में तैयार कराए जाएँ जहाँ साक्षात्कार लिया जाना हो, वहाँ अभ्यर्थियों को पूछे प्रश्नों का उत्तर हिंदी में देने की छूट दी जाएँ।

12. सभी प्रकार की वैज्ञानिक/तकनीकी संगोष्ठियों तथा परिचर्चाओं आदि में वैज्ञानिकों आदि को राजभाषा हिंदी में शोध पत्र पढ़ने के लिए प्रेरित और प्रोत्साहित किया जाए। उक्त शोध पत्र संबंधित मंत्रालय/विभाग और कार्यालय आदि के मुख्य विषय से संबंधित हों।

13. केन्द्रीय सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग/कार्यालय आदि हिन्दी संगोष्ठियों का आयोजन करें।

14. 'क' तथा 'ख' क्षेत्रों में सभी प्रकार का प्रशिक्षण, चाहे वह अल्पावधि का हो अथवा दीर्घावधि का, सामान्यत: हिंदी माध्यम से हो। 'ग' क्षेत्र में प्रशिक्षण देने के लिए प्रशिक्षण सामग्री हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में तैयार कराई जाए और प्रशिक्षार्थी की मांग के अनुसार हिंदी या अंग्रेजी में उपलब्ध कराई जाएँ।

राजभाषा संकल्प, 1968

संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी रहेगी और उसके अनुच्छेद 351 के अनुसार हिंदी भाषा का प्रसार, वृद्धि करना और उसका विकास करना ताकि वह भारत की सामासिक संस्कृति के सब तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम हो सके।

1. यह सभा संकल्प करती है कि हिंदी के प्रसार एवं विकास की गति बढ़ाने के हेतु तथा संघ के विभिन्न राजकीय प्रयोजनों के लिए उत्तरोत्तर इसके प्रयोग हेतु भारत सरकार द्वारा एक अधिक गहन एवं व्यापक कार्यक्रम तैयार किया जाएगा और उसे कार्यान्वित किया जाएगा और किए जाने वाले उपायों एवं की जाने वाली प्रगति की विस्तृत वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्ट संसद की दोनों सभाओं के पटल पर रखी जाएगी और सब राज्य सरकारों को भेजी जाएगी।

2. संविधान की आठवीं अनुसूची में हिंदी के अतिरिक्त अन्य भारतीय भाषाओं का भी उल्लेख किया गया है और देश की शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक उन्नति के लिए यह आवश्यक है कि इन भाषाओं के पूर्ण विकास हेतु सामूहिक उपाए किए जाने चाहिए।

   यह सभा संकल्प करती है कि हिंदी के साथ-साथ इन सब भाषाओं के समन्वित विकास हेतु भारत सरकार द्वारा राज्य सरकारों के सहयोग से एक कार्यक्रम तैयार किया जाएगा और उसे कार्यान्वित किया जाएगा ताकि वे शीघ्र समृद्ध हो और आधुनिक ज्ञान के संचार का प्रभावी माध्यम बनें।

3. जबकि एकता की भावना के संवर्धन तथा देश के विभिन्न भागों में जनता में संचार की सुविधा हेतु यह आवश्यक है कि भारत सरकार द्वारा राज्य सरकारों के परामर्श से तैयार किए गए त्रि-भाषा सूत्र को सभी राज्यों में पूर्णत: कार्यान्वित करने के लिए प्रभावी किया जाना चाहिए।

यह सभा संकल्प करती है कि हिंदी भाषी क्षेत्रों में हिंदी तथा अंग्रेजी के अतिरिक्त एक आधुनिक भारतीय भाषा के, दक्षिण भारत की भाषाओं में से किसी एक को तरजीह देते हुए और अहिंदी भाषी क्षेत्रों में प्रादेशिक भाषाओं एवं अंग्रेजी के साथ-साथ हिंदी के अध्ययन के लिए उस सूत्र के अनुसार प्रबन्ध किया जाना चाहिए।

और जबकि यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि संघ की लोक सेवाओं के विषय में देश के विभिन्न भागों के लोगों के न्यायोचित दावों और हितों का पूर्ण परित्राण किया जाए।

4. यह सभा संकल्प करती है कि

क. उन विशेष सेवाओं अथवा पदों को छोड़कर जिनके लिए ऐसी किसी सेवा अथवा पद के कर्तव्यों के संतोषजनक निष्पादन हेतु केवल अंग्रेजी अथवा केवल हिंदी अथवा दोनों जैसी कि स्थिति हो, का उच्च स्तर का ज्ञान आवश्यक समझा जाए, संघ सेवाओं अथवा पदों के लिए भर्ती करने हेतु उम्मीदवारों के चयन के समय हिंदी अथवा अंग्रेजी में से किसी एक का ज्ञान अनिवार्यत होगा और

ख. कि परीक्षाओं की भावी योजना, प्रक्रिया संबंधी पहलुओं एवं समय के विषय में संघ लोक सेवा आयोग के विचार जानने के पश्चात अखिल भारतीय एवं उच्चतर केन्द्रीय सेवाओं संबंधी परीक्षाओं के लिए संविधान की आठवीं अनुसूची में सम्मिलित सभी भाषाओं तथा अंग्रेजी को वैकल्पिक माध्यम के रूप में रखने की अनुमति होगी।

आज की सबसे पहली और सबसे बड़ी समाज सेवा यह है कि हम अपनी देशी भाषाओं की ओर मुड़े और हिन्दी को राष्ट्रभाषा के पद पर प्रतिष्ठित करें। हमें अपनी सभी प्रादेशिक कार्रवाइयाँ अपनी-अपनी भाषाओं में चलानी चाहिए तथा हमारी राष्ट्रीय कार्रवाइयों की भाषा हिन्दी होनी चाहिए। जब तक हमारे स्कूल और कॉलेज विभिन्न देशी भाषाओं में शिक्षा देना आरंभ नहीं करते, तब तक हमें आराम लेने का अधिकार नहीं है।

-महात्मा गाँधी

हरियाली अमावस

-जयराम पुरंदरे

वसुंधरा पर धरा हाथ जब
सावन ने जलधारा का।
धारा जल की बहते पहुँची
खेंच दिया हरियाली खाका।

हरा हरा है बिछा गलीचा
वन उपवन खलियानों में।
खेत मुंडेरों पर्वत खाई
शहर गाँव गलियारों में।

पंछी उड़ते फिरते चहकें
बरखा का स्वागत करते।
मोर चकोर कीर पारावत
कोयल कुहू कुहू करते।।

वो देखो है नांव चली
बच्चों की कागज वाली।
इंद्रधनुष है छाया नभ में
खग चहकें डाली डाली।।

कहीं खुशी है कहीं भरा गम
रिमझिम है कहीं घोर प्रहार।
चिरपरिचित अंदाज में सावन
आया है देखो इस बार।।

खुशियों के रंग में भंग ना हो
समझ धरो मानव प्यारे।
शिक्षित हो अपना परिचय दो
प्रकृति को समझो सारे।।

माधव की लीला प्रकृति है
उसका संरक्षण है पूजा।
अपने को सुरक्षित करने
और नहीं साधन दूजा।।

नर-नारी पशु-पक्षी जड़ चेतन
है रूप उसी हरि के।
जीयो और जीने दो सबको
प्रभु स्मरण मन में कर के।।

प्रभु स्मरण मन में कर के।
प्रभु स्मरण मन में कर के।।

विचारोत्तेजक लेख -

चैट भाषा बनाम भाषा में प्रवीणता

-सुरेश कुमार श्रीचंदानी

हिंदी के प्रचारकों के समक्ष उभरते मुद्दों में जिस एक गम्भीर मुद्दे की गिनती की जा रही है वह है-चैट भाषा में बढ़ता हुआ संक्षेपाक्षरों का प्रयोग। हिंदी के अध्यापक हिंदी विषय की उत्तर पुस्तिकाओं की जांच करते समय तब सकते में आ जाते हैं जब वे देखते हैं कि कुछ परीक्षार्थी अपने प्रश्नों के उत्तरों में हिंगलिश और खिचड़ी भाषा के साथ-साथ चैट भाषा के संक्षेपाक्षरों जैसे कि गुड मॉर्निंग को Gm, बाय द वे को Btw, धन्यवाद को Thx, सॉरी को Sry, फिर मिलेंगे को cu, वेट ए मिनिट को W8am, कैन नोट टाक नौ को Ctn, बिफोर को B4, एज सून एज पॉसिबल को asap और 40 को 4T आदि के रूप में लिखने लग गये हैं। यदि यही रुझान दीर्घकाल तक जारी रहेगा तो कल्पना की जा सकती है कि वास्तव में भाषा की शुद्धता के लिए कितनी गम्भीर चुनौती उपस्थित होती रहेगी। किसी विषय के नोट्स बनाने या किन्हीं आत्मीय जनों से चैट भाषा में सम्प्रेषण करने के दौरान संक्षेपाक्षरों का प्रयोग करने में सरलता तथा समय और श्रम की बचत का लाभ हो जाने का कुछ महत्त्व हो सकता है किन्तु हर बार अथवा हर जगह ऐसा करना भाषा की सुन्दरता और गम्भीरता को कितनी क्षति पहुँचाता है उसकी कल्पना करना आसान नहीं है। आज की युवा पीढ़ी मोबाइल, व्हाट्सप्प और एस. एम. एस में चैट भाषा का धड़ल्ले से प्रयोग करने में लगी है जिससे वह भाषा में प्रवीणता अर्जन से काफी दूर होने लग जाती है। किसी शब्द को कैसे लिखना है? कैसे पढ़ना है? कैसे बोलना (उच्चारण करना) है? इसके लिये सही लिपि, सही रुपिम और सही स्वनिम का प्रयोग सीखना पड़ता है। भाषा के प्रचलन में आ जाने वाली ऐसी कई विकृतियाँ अशिक्षितों और अर्द्ध शिक्षितों के लिये कई भ्रामक स्थितियाँ उत्पन्न कर देती हैं। हिंदी के शिक्षक और प्रचारक के लिये लक्षित वर्ग में हिंदी के प्रयोग के लिये मानस बनाना और कठिन हो जाता है। व्यवहार में भाषा के प्रयोग (रजिस्टर) के ऐसे रुझानों के प्रति उसे जागरूक रहकर अपने मिशन को तदनुसार विनियमित करना जरूरी हो जाता है। कहीं-कहीं अंग्रेजी के संक्षेपाक्षर प्रचलन में जल्दी आ जाते हैं और हिंदी के संक्षेपाक्षरों को प्रचलन में लाना कठिन भी होता है तथा कुछ निहित स्वार्थी तत्व हिंदी में बनाये जाने वाले संक्षेपाक्षरों और उन्हें प्रचलन में लाने के प्रयासों की मजाक भी उड़ाते देखे जाते हैं। हिंदी के शिक्षकों और प्रचारकों को ऐसी बाधाओं पर पार पाने के लिये अपने संकल्प को और अधिक दृढ़ बनाने की आवश्यकता होती है एवं भाषा की शुद्धता बनाये रखने तथा उसमें प्रवीणता के महत्त्व के प्रति दृढ़तापूर्वक अभिप्रेरित बने रहना अनिवार्य होता है।

एशिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड धारक,
अजमेर

स्वामी विवेकानंद के अनमोल वचन

कोई कार्य तुच्छ नहीं। यदि मनपसंद कार्य मिल जाए, तो मूर्ख भी उसे पूरा कर सकता है, किन्तु बुद्धिमान पुरूष वही है, जो प्रत्येक कार्य को अपने लिए रुचिकर बना ले।

स्त्रियों की स्थिति में सुधार न होने तक विश्व के कल्याण का कोई भी मार्ग नहीं है। किसी पक्षी का केवल एक पंख के सहारे उड़ना नितांत असम्भव है।

हिंदी गीत

-किशोर कुमार कौशल

हिंदी समता की भाषा है,
हिंदी ममता की बोली है।
हिंदी तो भारतमाता के
माथे की चंदन रोली है।
कश्मीर से केरल तक पहुँची
इसने हर भाषा अपनाई,
संस्कृत भाषा इसकी जननी
हर भारतवासी को भाई।
गुजराती और मराठी में
यह तो मिसरी सी घुली मिली,
बँगला कुमाऊँनी गढ़वाली ब्रज
भोजपुरी भी संग चली।
अब तमिल तेलुगू मलयालम
हिंदी से बातें करती हैं,
उड़िया कन्नड़ डोगरी
कहीं उर्दू हिंदी में झरती हैं।
पूरे भारत में हिंदी-ध्वज
भारतीय रेल ने फहराया
हिंदी फिल्मों के गीतों को
हर भाषा-भाषी ने गाया।
हिंदी जन-जन की आशा है
हिंदी का रूप तराशा है,
इसको सब ने स्वीकार किया
यह राजकाज की भाषा है।
आसानी से घुलमिल जाती
नित नव प्रयोग में ढलती है,
हिंदी में मिलकर काम करें
यह सब को लेकर चलती है।
हिंदी में हस्ताक्षर करिए
सब स्नेह-निमंत्रण हिंदी में,
हम हिंदी का सम्मान करें
विस्तार-नियंत्रण हिंदी में।
दुनिया के उन्नत देशों में
अपना भारत आ सकता है,
सब मन से हिंदी अपनाएँ
यह सबकी आवश्यकता है।।

पूर्व मुख्य प्रबंधक (राजभाषा), एसटीसी

पहले पीटा फिर दुलराया

-डॉ. शशि वर्मा

पहले पीटा फिर दुलराया,
यह अब तक समझ न पाई।
ऐसा कोई दिन ना आया,
जिस दिन तेरी याद न आई।
पहले पीटा...।
उठना, गिरना और संभलना
मैंने माँ से सीखा।
पढ़ना-लिखना और समझना
मैंने माँ से सीखा।
शिक्षक थी या ज्ञान की देवी,
मैं यह अब तक समझ न पाई।
पहले पीटा...।
जब भी करूँ शरारत तो माँ मुझको डाँट लगाती
पढ़-लिखकर कुछ बन जाऊँ बस इसीलिये समझाती
माँ थी या मन्दिर की देवी मैं यह अब तक समझ न पाई।
पहले पीटा...।
फटी ओढ़नी में भी अम्मा कितनी प्यारी लगती
दुनियाँ की जितनी माँएं हैं सबसे न्यारी लगती
माँ थी या ममता की मूरत मैं यह अब तक समझ न पाई।
पहले पीटा...।
हाथ उठे जब भी ऊपर आशीष ही दिया माँ ने
मुश्किल में भी बनो निडर यह ज्ञान भी दिया माँ ने
माँ थी या थी जीवन दर्शन मैं यह अब तक समझ न पाई
पहले पीटा...।

वरिष्ठ साहित्यकार एवं कवयित्री

वीरों का कैसा हो वसंत?

-सुभद्राकुमारी चौहान

वीरों का कैसा हो वसंत?
आ रही हिमाचल से पुकार,
है उदधि गरजता बार-बार,
प्राची, पश्चिम, भू, नभ अपार,
सब पूछ रहे हैं दिग-दिगंत,
वीरों का कैसा हो वसंत?
फूली सरसों ने दिया रंग,
मधु लेकर आ पहुँचा अनंग,
वधु-वसुधा पुलकित अंग-अंग,
हैं वीर वेश में किंतु कंत,
वीरों का कैसा हो वसंत?
भर रही कोकिला इधर तान,
मारू बाजे पर उधर गान,
है रंग और रण का विधान,
मिलने आये हैं आदि-अंत,
वीरों का कैसा हो वसंत?
गलबाँहें हों, या हो कृपाण,
चल-चितवन हो या धनुष-बाण,
हो रस-विलास या दलित-त्राण,
अब यही समस्या है दुरंत,
वीरों का कैसा हो वसंत?
कह दे अतीत अब मौन त्याग,
लंके, तुझमें क्यों लगी आग?
ऐ कुरुक्षेत्र! अब जाग, जाग,
बतला अपने अनुभव अनंत,
वीरों का कैसा हो वसंत?
हल्दी-घाटी के शिला-खंड,
ऐ दुर्ग! सिंह-गढ़ के प्रचंड,
राणा-ताना का कर घमंड,
दो जगा आज स्मृतियाँ ज्वलंत,
वीरों का कैसा हो वसंत?
भूषण अथवा कवि चंद नहीं,
बिजली भर दे वह छंद नहीं,
है कलम बँधी, स्वच्छंद नहीं,
फिर हमें बतावे कौन? हंत!
वीरों का कैसा हो वसंत?

जिंदगी की असल खुशियाँ

-दिव्या

थकी हुई बेजान शाम में
कुछ खुशनुमा पल चुराते हैं।
रात के आंचल तले बैठकर
उन तारों से सब कह जाते हैं।
नहीं पड़ते हैं चांद के पीछे
जुगनू से काम चलाते हैं।
उस बंद पड़ी खिड़की को खोल
सुकून को गले लगाते हैं।
चलो जिंदगी जीने में थोड़ा व्यस्त हो जाते हैं।
बड़े हो गए तो क्या हुआ
एक बार फिर बच्चा बन जाते हैं।
उन नन्हे-नन्हे प्यारे खिलौनों को
फिर से हाथ लगाते हैं।
जो बिछड़ गए हैं हमसे
उनसे एक बार फिर मिल जाते हैं।
एक शाम जरा सबके साथ
मिल बैठकर बिताते हैं।
चलो जिंदगी जीने में थोड़ा व्यस्त हो जाते हैं।
रखकर सर माँ की गोद में
अपने हर झूठ का सच बताते हैं।
किसी की भूल पे उसे माफ कर
मुस्कुराते हुए आगे बढ़ जाते हैं।
मत भूलो कि दुनिया है गोल
तुमने जो खोया है वो था अनमोल।
नहीं मिलता वो जो खो जाता है
जब पता है फिर क्यों पछताते हैं।
चलो जिंदगी जीने में थोड़ा व्यस्त हो जाते हैं।
न जाने कब वापस बुला लिए जाएँगे
जाते-जाते अलविदा भी नहीं कह पाएँगे।
तो क्यों हम इतना स्वांग रचाते हैं।
चलो जिंदगी जीने में थोड़ा व्यस्त हो जाते हैं।

राष्ट्रीय बीज निगम

हिन्दी में संख्यावाचक शब्दों के मानक रूप और उनका व्यावहारिक प्रयोग

-आनंदकृष्ण

भारतीय अंक प्रणाली विश्व की सबसे पुरानी अंक प्रणाली है। भारत में खोजी गई दाशमिक प्रणाली सारे विश्व में मान्य है। शून्य का आविष्कार भी भारत में हुआ जिसके बाद अनेक गणितीय समस्याओं के समाधान संभव हो सके। भारत ने विश्व को गणित के रूप में अनमोल धरोहर दी है। फ्रांस के प्रसिद्ध गणितज्ञ पियरे साइमन लाप्लास ने दाशमिक प्रणाली के बारे में कहा था: 'भारत ने संख्याओं के प्रदर्शन के लिये दस अंकों वाली एक अति निपुण प्रणाली दी है। महत्त्वपूर्ण बात तो यह है कि यदि इस प्रणाली के अन्य गुणों की उपेक्षा भी कर दी जाए, तो भी इसके सरलतम होने को कदापि अस्वीकार नहीं किया जा सकता।'

हिंदी में संख्याओं और अंकों के देवनागरी स्वरूप लगभग वैसे ही हैं जो संस्कृत में हैं। संख्याओं व अंकों के उच्चारण भी संस्कृत से प्रभावित रहे हैं। सातवीं शताब्दी ईस्वी में जब भारतीय देवनागरी अंक (०,१,२,३,४,५,६,७,८,९) अरब पहुँचे तो वहाँ उनका स्वरूप थोड़ा बदल गया। अरबी भाषा में इस अंक प्रणाली को हिन्दसा नाम दिया गया जिसका अर्थ है-'हिन्द से प्राप्त'। अरबी लिपि दायं से बायं लिखी जाती है, किन्तु अरबी में अंक देवनागरी के समान बायं से दायं लिखे जाते हैं। यह भी इस बात का प्रमाण है कि अरबी अंकों की उत्पत्ति अरब देश में नहीं हुई है। इनका नाम 'हिन्दसा' से ही यह स्पष्ट है कि यह ज्ञान 'हिन्द' अर्थात् भारतवर्ष से मिला ज्ञान है। इस बदले हुए रूप में अंकों की यह प्रणाली यूरोप और आगे पहुँची, जहाँ इन्हें अरब में उत्पन्न मान लिया गया और इनका नाम 'अरेबिक अंक' पड़ गया। भारतीय अंक और गणितीय संक्रियाएँ तेजी से सारे विश्व में फैलीं। शताब्दियों की लंबी यात्रा पूरी करके जब वे अंक (0,1,2,3,4,5,6,7,8,9) भारत पहुँचे तो उन्हें पहचानने में भारतीयों को थोड़ा समय लगा, लेकिन जल्दी ही वे भारतीय परिवेश में घुल मिल गए। वह समय भारतीय नवजागरण का समय था। उस समय आधुनिकता के साथ ज्ञान के प्रत्येक क्षेत्र में मानकीकरण की प्रक्रिया चल रही थी। इसी प्रक्रिया के अंतर्गत अंकों के नए स्वरूप को 'भारतीय अंकों का अंतरराष्ट्रीय रूप' कहा गया और इस किंचित बदले हुए रूप में ये अंक भारतीय हो गए। इसी रूप में इन्हें संविधान के अनुच्छेद 343 (1) में भी राजकीय प्रयोजन के लिए स्वीकृत किया गया। इसी के साथ यह व्यवस्था भी दी गई है कि राष्ट्रपति, संघ के किसी भी राजकीय प्रयोजन के लिए भारतीय अंकों के अंतरराष्ट्रीय रूप के साथ देवनागरी रूप का प्रयोग भी प्राधिकृत कर सकते हैं।

अंकों के मानकीकृत स्वरूप के निर्धारण के बाद उनके शाब्दिक स्वरूप अर्थात वर्तनी के मानकीकरण का प्रश्न उठा। केंद्रीय हिन्दी निदेशालय में फरवरी 1980 में वर्तनीगत एकरूपता के उद्देश्य से भाषाविज्ञानियों की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में गंभीर विचार-विमर्श के पश्चात् संख्यात्मक शब्दों के मानक रूप निर्धारित किए गए। कुछ अंकों की एक से अधिक वर्तनी प्रचलन में थीं-जैसे 6 के लिए छह, छै और छः। इसी प्रकार कुछ संख्याओं की भी एक से अधिक वर्तनी प्रचलन में थीं, जैसे 22 के लिए बाईस और बावीस। इनमें से मानकीकरण में क्रमशः 'छह' और 'बाईस' को स्वीकृत किया गया। हिन्दी में 1 से 100 तक की संख्याओं के लिए अलग-अलग शब्द हैं, जबकि अंग्रेजी में केवल 1 से 20 तक और फिर प्रत्येक दस की संख्याओं (20, 30, 40, 33.. 100) के लिए अलग-अलग शब्द हैं। इसीलिए हिन्दी संख्याओं के विपक्ष में यह तर्क दिया जाता है कि 1 से 100 तक की संख्याओं को याद करने के लिए सौ शब्द याद करने पड़ते हैं जबकि अंग्रेजी की 1 से 100 तक कि संख्याओं के लिए कुल अठ्ठाईस शब्द याद करने पड़ते हैं। 21 व आगे की संख्याओं के लिए पूर्ववर्ती दस की संख्या और एक से नौ तक की संख्या (जैसे 21 के लिए पूर्ववर्ती दस की संख्या Twenty और

one) के पैटर्न में शब्द हैं। 21 को शब्दों में लिखने के लिए अंग्रेजी के Twenty one के स्थान पर हिंदी में केवल 'इक्कीस' लिखना या टाइप करना पड़ता है जो अपेक्षाकृत अधिक सहज, सरल, व्यावहारिक और कम श्रमसाध्य है। बड़ी संख्याओं को अंग्रेजी में शब्दों में लिखने में और भी अधिक समस्या होती है। जैसे 3,23,456 को अंग्रेजी में Three Lakh Twenty Three Thousand Four Hundred and Fifty Six, कुल दस शब्द लिखने पड़ते हैं जबकि हिन्दी में तीन लाख तेईस हजार चार सौ छप्पन, कुल सात शब्द लिखने होते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि अंग्रेजी के संख्यात्मक शब्दों के पैटर्न की सबसे बड़ी कमी यह है कि इसमें शब्दों की संख्या अधिक होती है जिससे उसमें अक्षरों की संख्या अधिक हो जाती है। इन शब्दों को लिखने या टाइप करने में अतिरिक्त श्रम करना पड़ता है। अंग्रेजी में संख्यात्मक शब्द लिखने में उनमें शरारतपूर्ण टेम्परिंग की आशंका भी बढ़ जाती है। स्माल म, प, स, व आदि अक्षरों को बहुत आसानी से दूसरे अक्षरों में इतनी सफाई से परिवर्तित किया जा सकता है कि उसे पकड़ा नहीं जा सकता है। अंग्रेजी के संख्यात्मक शब्दों की टेम्परिंग की रोकथाम के लिए कैपिटल अक्षरों के प्रयोग की सलाह दी जाती है किन्तु किसी शब्द के सारे अक्षरों को कैपिटल रूप में प्रयोग करने में अतिरिक्त सावधानी और अतिरिक्त परिश्रम की आवश्यकता होती है जो अंतत: अव्यावहारिक ही होती है।

हिन्दी में संख्याओं के मानकीकृत शब्द रूप प्राय: संस्कृत शब्दों से ही निकले हुए हैं। उनकी संरचना और पैटर्न को बहुत आसानी से समझा जा सकता है। कुछ समय पहले हिन्दी माध्यम के प्राथमिक विद्यालयों में जब गिनती सिखाई जाती थी तब विद्यार्थियों को ऊर्ध्वाधर पंक्तियों में 1 से 100 तक सीधी गिनती (1, 2, 3, 4 33, 97, 98, 99, 100) और 100 से 1 तक उल्टी गिनती (100, 99, 98, 97 . ..... 4, 3, 2, 1) के साथ ही आड़ी गिनती (1, 11, 21, 31, ... 70, 80, 90, 100) का भी अभ्यास कराया जाता था। यह आड़ी गिनती संख्याओं के शाब्दिक रूप की व्यवस्था (पैटर्न) को समझने-समझाने में बहुत सहायक होती थी। नीचे बनी हुई टेबल में यही आड़ी गिनती और उनके मानक शब्द दिए गए हैं।

1 एक	2 दो	3 तीन	4 चार	5 पाँच	6 छह	7 सात	8 आठ	9 नौ	10 दस
11 ग्यारह	12 बारह	13 तेरह	14 चौदह	15 पंद्रह	16 सोलह	17 सत्रह	18 अठारह	19 उन्नीस	20 बीस
21 इक्कीस	22 बाईस	23 तेईस	24 चौबीस	25 पच्चीस	26 छब्बीस	27 सत्ताईस	28 अट्ठाईस	29 उनतीस	30 तीस
31 इकतीस	32 बत्तीस	33 तैंतीस	34 चौंतीस	35 पैंतीस	36 छत्तीस	37 सैंतीस	38 अड़तीस	39 उनतालीस	40 चालीस
41 इकतालीस	42 बयालीस	43 तैंतालीस	44 चवालीस	45 पैंतालीस	46 छियालीस	47 सैंतालीस	48 अड़तालीस	49 उनचास	50 पचास
51 इक्यावन	52 बावन	53 तिरपन	54 चौवन	55 पचपन	56 छप्पन	57 सत्तावन	58 अठावन	59 उनसठ	60 साठ
61 इकसठ	62 बासठ	63 तिरसठ	64 चौंसठ	65 पैंसठ	66 छियासठ	67 सड़सठ	68 अड़सठ	69 उनहत्तर	70 सत्तर
71 इकहत्तर	72 बहत्तर	73 तिहत्तर	74 चौहत्तर	75 पचहत्तर	76 छिहत्तर	77 सतहत्तर	78 अठहत्तर	79 उनासी	80 अस्सी

81 इक्यासी	82 बयासी	83 तिरासी	84 चौरासी	85 पचासी	86 छियासी	87 सतासी	88 अठासी	89 नवासी	90 नब्बे
91 इक्यानवे	92 बानवे	93 तिरानवे	94 चौरानवे	95 पचानवे	96 छियानवे	97 सतानवे	98 अठानवे	99 निन्यानवे	100 सौ

इस टेबल को देखने से स्पष्ट समझ में आता है कि पहले वाले ऊर्ध्वाधर स्तम्भ में पहला शब्द 'एक' है। इसके नीचे आने वाले सभी संख्याओं (11-ग्यारह को छोड़ कर) का पहला अक्षर 'इ' है। 'ग्यारह' का भी उच्चारण पहले 'इग्यारह' था जिसमें किंचित परिवर्तन करके मानक रूप 'ग्यारह' स्वीकार कर लिया गया है।

दूसरे स्तम्भ की पहली संख्या 2 (दो) है। इसके नीचे आने वाली संख्याओं का पहला अक्षर 'बा-' है। इसी प्रकार 3 (तीन) वाले स्तम्भ में नीचे आने वाली सभी संख्याओं का पहला अक्षर 'त-', 4 (चार) वाले स्तम्भ में 'च-', 5 (पाँच) वाले स्तम्भ में 'प-', 6 (छह) वाले स्तम्भ में 'छ-', 7 (सात) वाले स्तम्भ में 'स-', 8 (आठ) वाले स्तम्भ में 'अ-' और 9 (नौ) वाले स्तम्भ में नीचे आने वाली संख्याओं में 89-नवासी और 99-निन्यानवे को छोड़कर शेष सब का पहला अक्षर 'उन-' है। '-उन' का अर्थ है 'एक कम'। ये सारी संख्याएँ अपने ठीक बाद में आने वाली दस की गुणांक वाली संख्या से एक कम होती हैं, जैसे उनसठ =साठ से एक कम। इसी प्रकार 19 (उन्नीस) से 28 (अट्ठाईस) की शृंखला में सभी संख्याओं के अंत में '-ईस', 29 'उनतीस' से 38 'अड़तीस' की शृंखला में सभी संख्याओं के अंत में '-तीस', 39 'उनतालीस' से 48 'अड़तालीस' की शृंखला में सभी संख्याओं के अंत में '-लीस' प्रत्यय आता है। 50 (पचास) की पंक्ति में 51 (इक्यावन) से 58 (अठ्ठावन) तक सभी संख्याओं के अंत में '-वन' या '-पन' प्रत्यय आता है। इसके बाद पुन: पहले जैसी व्यवस्था बनती है जिसमें 59 (उनसठ) से 68 (अड़सठ) तक की शृंखला में सभी संख्याओं के अंत में '-सठ', 69 (उनहत्तर) से 78 (अठहत्तर) तक की शृंखला में सभी संख्याओं के अंत में '-तर', 79 (उनासी) से 88 (अठासी) तक की शृंखला में सभी संख्याओं के अंत में '-सी' प्रत्यय लगता है। 89 (नवासी) की संरचना थोड़ी भिन्न है लेकिन आगे 90 (नब्बे) से निन्यानवे तक की शृंखला में सभी संख्याओं के अंत में '-बे' और '-नवे' प्रत्यय जुड़ता है। इस प्रकार थोड़े से अभ्यास से ही इस व्यवस्था को समझा जा सकता है और संख्याओं के शाब्दिक रूप को आसानी से स्मरण रखा जा सकता है।

भारतीय अंक व्यवस्था, दाशमिक प्रणाली और गणित ने सारे विश्व के लिए ज्ञान के अनुपम द्वार खोले हैं। ये प्रत्येक भारतीय के लिए गर्व का विषय है। हमारे संविधान ने भी इनके महत्त्व को स्वीकार करके इन्हें मान्यता दी है। एक सच्चे भारतीय होने के नाते हमारा दायित्व है कि हम इनका बेझिझक और सगर्व प्रयोग करें।

सहायक निदेशक (राजभाषा)
भारत संचार निगम लिमिटेड
मध्यप्रदेश परिमंडल कार्यालय,
बीएसएनएल भवन, अरेरा हिल्स,
भोपाल (मप्र) पिन-462027
ई-मेल: aanandkrishan@gmail.com
मोबाइल: 9425800818

जानीयात्प्रेषणेभृत्यान् बान्धवान्व्यसनाऽऽगमे।
मित्रं याऽऽपत्तिकालेषुभार्यां च विभवक्षये।।

भावार्थ: किसी महत्त्वपूर्ण कार्य पर भेजते समय सेवक की पहचान होती है। दु:ख के समय में बन्धु-बान्धवों की, विपत्ति के समय मित्र की तथा धन नष्ट हो जाने पर पत्नी की परीक्षा होती है। **-आचार्य चाणक्य**

राजभाषा हिन्दी की भूत एवं वर्तमान स्थिति

-नरेन्द्र सिंह

प्राचीन काल में संस्कृत, प्राकृत, पाली और अपभ्रंश आदि भाषाओं का राजभाषा के रूप में प्रयोग होता था तथा बाद में हिन्दी का प्रयोग शुरु हुआ। हमारे देश में मुगलों के आने के पहले काम-काज में हिन्दी का प्रयोग होता था लेकिन मुगलों के आने के बाद हिन्दी की जगह फारसी या उर्दू का प्रयोग किया जाने लगा।

अंग्रेजों ने भी अपने कामकाज की भाषा फारसी और उर्दू को बनाया। फिर भी जनता में हिन्दी का अध्ययन-अध्यापन नही रुका और व्यापार की भाषा बनी रही। आजादी की लड़ाई में हिन्दी ने सम्पर्क भाषा के रूप में महत्त्वपूर्ण कार्य किया।

1857 की मेरठ क्रांति में हिन्दी ने ही क्रान्तिकारियों में देश और प्रेम के लिए मर-मिटने का जोश पैदा किया। इससे जनता को यह एहसास होने लगा कि परतंत्रता एक अभिशाप है और स्वतंत्र होना ही हमारा प्रथम कर्तव्य है।

उसी समय बाल गंगाधर तिलक ने ''स्वतंत्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है''। गाँधी जी ने ''करो या मरो'', सुभाष चन्द्र बोस ने ''तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूँगा'' और भगत सिंह ने ''इन्कलाब जिंदाबाद'' का नारा दिया।

उसी समय स्वर कोकिला सरोजिनी नायडू ने अपनी कविताओं को हिन्दी में गाकर जन चेतना में जोश भरा और हिन्दी हिन्दुस्तानी कहलाई क्योंकि विभिन्न प्रान्तीय भाषाओं, संस्कृत और उर्दू और अंग्रेजी के शब्द हिन्दी के प्रयोग में आने लगे।

1857 से 1900 तक हिन्दी का कालखंड ''भारतेंदु युग'' के नाम से जाना गया। भारतेंदु जी ने भाषा में ही नहीं, साहित्य में भी नवीनता और आधुनिक चेतना का समावेश किया। उन्होंने हिन्दी का प्रबल समर्थन ''हंटर कमीशन'' का सामना करके किया और यह कहा कि देश में राजा और प्रजा की भाषा अलग-अलग नहीं होती है। सभी सभ्य देशों की अदालतों में उनके नागरिकों की भाषा, बोली और लिपि का प्रयोग होता है। भारत एक ऐसा देश है, जहाँ अदालती भाषा न तो शासकों की हैं और न ही प्रजा की। इस प्रकार भारतेंदु युग में भाषा का जागरण तथा द्विवेदी युग में सुधार का महत्त्वपूर्ण कार्य हुआ।

इस सम्बंध में एक घटना है कि देश स्वतंत्र होने के बाद बी.वी. सी. संवाददाता ने गाँधी जी को संदेश देने के लिए आग्रह किया, तब गाँधी जी ने सीधा यह जवाब दिया कि ''दुनिया से कह दो, गाँधी अंग्रेजी नहीं जानते''। वह तो केवल जनता की भाषा हिन्दी जानते हैं। गाँधी जी का यह मानना था कि भारत की राष्ट्रीय स्वाधीनता और गौरव के लिए हिन्दी अति आवश्यक है।

सन् 1950 कांग्रेस की स्थापना हुई, इसके बाद स्वाधीनता की लड़ाई के साथ-साथ राष्ट्र भाषा और राष्ट्र ध्वज की संकल्पना भी की जाने लगी। गाँधी जी के प्रयास से अखिल भारतीय स्तर पर कांग्रेस के पत्राचार में हिन्दी का प्रयोग प्रारंभ हो गया। गाँधी जी ने देश के दक्षिण क्षेत्र में हिन्दी का प्रचार-प्रसार करने के लिए अपने पुत्र देवदास गाँधी को भेजा। उनकी यह सोच थी कि दक्षिण में हिन्दी का सिखाया जाना बहुत आवश्यक है जिसके लिए उन्होंने दक्षिण हिन्दी प्रचार सभा का गठन भी कराया।

महात्मा गाँधी जी ने हिन्दी राष्ट्रभाषा बनाने के विशेष गुण बताए और यह कहा कि हिन्दी सरकारी काम करने के लिए आसान है, हिन्दी अधिकांश लोगों को बोलने, लिखने, समझने और प्रयोग करने में आसान है। भारत की आर्थिक, धार्मिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक प्रयोग में हिन्दी के प्रयोग की सबसे ज्यादा संभावना है। हिन्दी जैसे बोली जाती है वैसे ही लिखी जाती है अर्थात् इसमें सभी गुण मौजूद है।

देश में सुराज और स्वराज्य का सपना जिन हिन्दी कवयित्रियों/कवियों ने देखा, उनमें सुभद्रा कुमारी चौहान ने ''खूब लड़ी मर्दानी, वह झांसी वाली रानी थी'' पंडित

माखनलाल चतुर्वेदी की पंक्ति ''मुझे तोड़ लेना वनमाली'' जगदंबा हितैषी ''शहीदों के मजारों पर लगेंगे हर वर्ष मेले'' श्यामलाल गुप्त पार्षद ''विजयी विश्व तिरंगा प्यारा'' के नारों ने जनता में अभूतपूर्व जोश भरने का कार्य किया है।

जयशंकर प्रसाद के हिन्दी में लिखे गए नाटक ''चन्द्रगुप्त एवं स्कन्दगुप्त'' में देशप्रेम, उपेन्द्रनाथ अश्क एवं भगवती चरण वर्मा की कथा साहित्य में स्वाधीनता की आगाज दिखती है।

हिन्दी के साहित्यकार सर्वश्री महावीर प्रसाद द्विवेदी, अज्ञेय, जैनेन्द्र, मोहन राकेश ने कथा सहित में समाज के हर वर्ग की चेतना को प्रभावित किया और स्वतंत्रता की आग सुलगाने का कार्य साहित्य द्वारा बहुत खूब हुआ। उसी समय अकबर इलाहाबादी ने नारा दिया कि ''खींचों ना कमानों को ना तलवार निकालो, जब तोप मुकाबिल हो तो अखबार निकालो''।

देश की आजादी की लड़ाई में हिन्दी के इन नारों का योगदान ''वेद के वाक्यों'' के समान रहा। गाँधी जी ने कहा ''भारत छोड़ो''। सुभाष चंद्र बोस जी ने ''जय हिंद'' ''साइमन कमीशन वापस जाओ''। भगत सिंह ने इंकलाब जिंदाबाद'' तथा बंकिम चंद्र चटर्जी ने ''वंदे मातरम्'' का नारा दिया।

देश के प्रथम प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरु के ''आराम हराम है'' के नारे से भारतीय जन चेतना को जागृत करने तथा देश की अखंडता बनाए रखने की प्रेरणा मिली। आजादी के समय हिन्दी भाषा ने अपने शक्ति सामर्थ से लोगों को परिचय कराया क्योंकि देश के अधिकांश भाग में बोली और समझी जाती थी। उस समय जनसंचार के माध्यम बिल्कुल कम थे। हिन्दी की शब्दों को शक्ति और बंधुत्व भावना के कारण हिन्दी प्रबल रूप से जन चेतना को जागृत करने का माध्यम बनी। हिन्दी जनता की आवाज बनी क्योंकि हिन्दी देश के स्वाभिमान एवं गौरव से जुड़ी थी, इसलिए वह आजादी दिलाने में समर्थ रही। हिन्दी सदैव भारती के भाल पर सुशोभित रही। इसे संपर्क भाषा कहें, राष्ट्रभाषा कहे, लेकिन हिन्दी ने देश की एकता और अखंडता और जनता को जोड़ने के लिए अभूतपूर्व कार्य किया है।

किसी देश में मौलिक सोच एवं सृजनात्मक बातचीत उसकी भाषा में ही हो सकती है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखा है कि ''निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति का मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटय न हिय का शूल'' के वाक्य से किसी राष्ट्र की पहचान उसकी भाषा मजबूती से परखी जाती है।

वर्तमान में आप सभी ने अपने देश में आयोजित जी-20 सम्मेलन में भारतीय संस्कृति एवं हिन्दी भाषा के गौरव को देखा है। प्रधानमंत्री ने भी हिन्दी को विश्व पटल पर लाने के लिए सभी वैश्विक मंचों में हिन्दी भाषण देकर एक मिसाल कायम की है।

कवि विद्यापति ने भी कहा है कि ''देसी बयना, सब जन मिठ्ठा'' अर्थात् देसी भाषा सबको अच्छी लगती है।

जैसा हम सभी को मालूम है कि सरकार अपनी जन कल्याणकारी योजनाओं को प्रभावी रूप से लागू कराना चाहती है, तो उसे जनता की भाषा हिन्दी में संवाद एवं संप्रेषण करके ही सम्भव है।

वर्तमान में भारत सरकार राजभाषा विभाग हिन्दी के विस्तार के लिए नई पहल के रूप में ''हिन्दू शब्द सिंधु'' नामक शब्दकोश का निर्माण किया है जिसमें सभी भारतीय भाषाओं के शब्दों को शामिल किया है। वर्तमान में अनुवाद व्यवस्था के लिए ''कंठस्थ-2.0 टूल का लोकार्पण माननीय गृह मंत्री श्री अमित शह ने किया।

भाषा का सामान्य सिद्धांत जटिलता से सरलता की ओर जाना है। चूँकि हिन्दी भाषा अपने स्वभाव से सरल एवं सहज है, अतएव, सभी सरकारी कर्मचारियों से अपेक्षा है कि अपने-अपने कार्यालय की टिप्पणियाँ/पत्राचार में सुस्पष्ट एवं सरल हिन्दी का प्रयोग किया जाए।

हिन्दी का प्रश्न केवल भाषा का ही नहीं है, यह राष्ट्रीय स्वाभिमान एवं गौरव से जुड़ा है।

आइए, भारत को आत्मनिर्भर एवं विकसित राष्ट्र बनाने के लिए ''सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास और सबका प्रयास की उदार भावना को लेते हुए ''नव भारत निर्माण'' के लिए अपना समस्त कार्य हिन्दी में करें और ऐसा ही करने के लिए अपने सहकर्मियों को प्रेरित करें।

आजीवन प्रतिनिधि एवं
नराकास प्रतिनिधि
केन्द्रीय सचिवालय हिन्दी परिषद, कानपुर

भारतीय ज्ञान परंपरा के नृत्य : एक अवलोकन

(कथक के विशेष संदर्भ में)

-सुश्री शुभांगी

'नृत्य प्रकृति है। अपने दिल की सुनो, यह अपनी लय के साथ नृत्य करता है। शास्त्रीय नृत्य और संगीत आपके लिए सबसे बड़ी चीज है जो आपके दिमाग और आत्मा के बीच संतुलन बनाने में मदद करता है।

परंपरागत रूप से, भारतीय नृत्य रूपों को गुरु-शिष्य प्रणाली के माध्यम से सिखाया जाता था, जहाँ छात्र एक मजबूत नींव विकसित करने के लिए गुरु के निवास पर रहता है। इसने गुरु को शिष्य का पोषण करने और उन्हें प्राचीन भारतीय परंपरा में ज्ञान की किसी भी प्रणाली के साथ जाने वाले सभी महत्त्वपूर्ण मूल्यों के साथ व्यवसाय में विशेषज्ञ बनने के लिए तैयार करने में सक्षम बनाया। गुरुकुल की अनूठी विशेषताएँ गहरा प्रेम, सम्मान और आपसी सहभागिता थीं। वर्तमान दुनिया में महत्त्वपूर्ण परिवर्तन हैं, जहाँ डिजिटलीकरण एक अपरिहार्य प्रवृत्ति है। इस पेपर का एक उद्देश्य उन पहलुओं की पहचान करना है जो भारतीय शास्त्रीय नृत्य को डिजिटल बनाने की प्रक्रिया में 'संशोधित' और कभी-कभी खो जाते हैं। प्राकृतिक विकास से लड़ने और विकास को खारिज करने में कोई मदद नहीं मिलेगी, लेकिन एक कला के निर्माण के उद्देश्य को कम करने के लिए सावधानी बरतनी होगी, न कि एक सौंदर्य के माध्यम से दुनिया में धार्मिकता को बहाल करने के लिए। यह उपयोगी होगा यदि डिजिटलीकरण के माध्यम से जलमग्न होने के खतरे में संभावित विशेषताओं को शोधकर्ताओं और कलाकारों द्वारा पहचाना जाता है। उदाहरण के लिए, नृत्य प्रशिक्षण के दौरान, शुद्ध नृत्य तकनीक और संरचना का संतोषजनक हद तक अनुवाद किया जा सकता है क्योंकि मूल भावनात्मक रुख जोश का है। दूसरी ओर, अभिव्यक्ति मोड में गहन भागीदारी, भक्ति आरोहण और शिक्षक की वास्तविक उपस्थिति के दौरान एक संचरण और निकटता में पढ़ाया जाता है, गलत लगता है।

'कथक' शब्द व्युत्पत्ति- 'कथक अथवा 'कत्थक' दोनों शब्दों का आशय एक ही प्रकार की शास्त्रीय नृत्य शैली से है। कथक संस्कृत व्याकरण की दशमगण की 'कथ्' धातु से (कथनकर्त्तरिबूल) विनिर्मित एक कृदन्त शब्द है। इसकी उत्पत्ति निम्नांकित प्रकार से की गई है। 'कथयति यरू स कथन' अर्थात् जो कथन करे वह कथक है।

कथक नृत्य की उत्पत्ति एवं विकास

कथक भारतीय शास्त्रीय नृत्यों के आठ रूपों में से एक है, जिसकी उत्पत्ति उत्तर प्रदेश, भारत से हुई है। यह नृत्य रूप प्राचीन उत्तरी भारत के खानाबदोश बार्ड से अपनी उत्पत्ति का पता लगाता है, जिसे कथक या कहानीकार के रूप में जाना जाता है। गाँव के चौराहों और मंदिर के आंगन में प्रदर्शन करने वाले ये बार्ड ज्यादातर शास्त्रों की पौराणिक और नैतिक कहानियों को याद करने में माहिर थे और हाथ के इशारों और चेहरे के भावों के साथ अपने गायन को अलंकृत करते थे। यह सर्वोत्कृष्ट रंगमंच था, जिसमें कहानियों को जीवंत करने के लिए शैलीबद्ध इशारों के साथ-साथ वाद्य और मुखर संगीत का उपयोग किया गया था। इसके रूप में आज मंदिर और अनुष्ठान नृत्य और भक्ति आंदोलन के प्रभाव के निशान हैं। 16 वीं शताब्दी के बाद से इसने फारसी नृत्य और मध्य एशियाई नृत्य की कुछ विशेषताओं को अवशोषित किया जो मुगल युग के शाही दरबारों द्वारा आयात किए गए थे। कथक के तीन प्रमुख स्कूल या घराने हैं, बनारस, जयपुर और लखनऊ के घराने हैं। एक कम प्रमुख (और बाद में) रायगढ़ घराना भी है जिसने सभी तीन पूर्ववर्ती घरानों की तकनीक को समामेलित किया लेकिन अपनी विशिष्ट रचनाओं के लिए प्रसिद्ध हो गया।

भारतीय शास्त्रीय नृत्यों में कथक नृत्य उत्तर भारत का सर्वप्रमुख एवं अति लोकप्रिय नृत्य है। कई सदियों में कथक के अनेक उच्चकोटि के कलाकारों ने इस नृत्य में अपना नाम रोशन किया व इसको लोकप्रियता की बुलन्दी पर पहुँचाया। कथक नृत्य की प्रस्तुति में शिव का ताण्डव तथा श्रीकृष्ण की लीलाओं का नृत्यांकन इसकी प्रमुख विशेषता है। इसे कभी-कभी नटवरी नृत्य के नाम से भी सम्बोधित किया जाता है।

नृत्य मानव के आनंद को अभिव्यक्त करने का सर्वप्रथम और प्राकृतिक आधार रहा है इसलिए नृत्य की उत्पत्ति संभवत: मानव उत्पत्ति के साथ ही हुई हो।

कथक नृत्य की उत्पत्ति के सम्बंध में एक मत स्वामी हरिदास जी से सम्बंधित है। कहा जाता है कि स्वामी हरिदास जी ने जिन शिष्यों को गायन की शिक्षा दी वह गायक बने जिनको वादन की शिक्षा दी वह किन्नर बनें और जिनको नृत्य सिखाया वे कथक बने।

डॉ. प्रेम दवे के अनुसार 'वैष्णव भक्त स्वामी हरिदास के सम्मुख नृत्य किया करते थे'। स्वामीजी के जिन शिष्यों ने उनसे नृत्य की शिक्षा प्राप्त की वे कथक बने। आज भी वृन्दावन में रास के बीच-बीच में कथक के बोलों का प्रयोग किया जाता है जैसे-तकिट-तकिट, धिलांग, गदिगंन, तादीम-तादीम, तत तथा थे आदि।

डॉ. आर्या के अनुसार कथक नृत्य की जो उत्पत्ति हुई है वह भगवान कृष्ण के रास से मानी जाती है और उस समय रास के साथ प्राचीन काल से ही पखावज बजता आया है उसके बाद तबला आया। कहने का तात्पर्य है कि नृत्य की शुरूआत ही पखावज के साथ हुई है और कथक के साथ जो सर्वप्रथम अवनद्ध वाद्य बजा वह पखावज ही था। कथक नृत्य द्वापर युग लगभग 5000 वर्ष भगवान कृष्ण के समय से ही प्रचलन में है और अवनद्ध वाद्यों का सम्बन्ध तभी से चला आ रहा है।

पौराणिक काल में कथक नृत्य

इस काल में भी नृत्य का अति विकसित रूप हमारे सामने आता है। 'शिव पुराण' में शिव के मन्दिर में पूजन करते समय नृत्य एवं संगीत में पारंगत सौ कन्याओं द्वारा पूजन का विधान मिलता है। 'अग्नि पुराण' में नृत्य करते समय शरीर के विभिन्न अंग संचालन के प्रयोग के बारे में एक अलग अध्याय लिखा गया है। भागवत की 'रास-पंचाध्यायी' एवं 'विष्णु पुराण' में रास का उत्कृष्ट रूप देखने को मिलता है।

ऐतिहासिक काल में कथक नृत्य

श्रीमती शोभना नारायण के अनुसार-स पाणिनी ने अपने 'अष्टाध्यायी' जिसका रचनाकाल ईसा से 500 वर्ष पूर्व माना गया है, में शिलाली एवं कुशाश्व द्वारा लिखित 'नट सूत्र' (अनुपलब्ध) नामक ग्रंथ का उल्लेख किया है।

मध्य काल में कथक नृत्य ने अनेक उतार-चढ़ाव देखें। इस काल में भारत के वह क्षेत्र जिनमें कथक नृत्य फला-फुला तथा पल्लवित हुआ, उनमें जहाँ एक ओर हमें नृत्य पर संस्कृत में ग्रंथ लिखे जाने के प्रमाण मिलते हैं, वहीं नृत्य करने के लिए विषय वस्तु के लेखन की परम्परा भी दिखाई देती है। जिसके प्रमाण स्वरूप कुछ तथ्य इस प्रकार से हैं। बंगाल में जयदेव द्वारा नृत्य के लिए 'अष्टपदी' लिखी गई।

कथक नृत्य के घराने

'घराना' एक सामान्य शब्द है घराना शब्द की उत्पत्ति घर से हुई है। घराने का अर्थ उस विशेष वंश परम्परा से है जो एक पीढ़ी में हस्तांतरित होती है। संगीत के क्षेत्र में परम्परा का अर्थ सामान्य रूप से कला का पीढ़ी दर पीढ़ी उसी रूप में आगे बढ़ने जाने से होता है।

कथक नृत्य के विद्वान कलाकारों द्वारा कथक नृत्य में कुछ मौलिक परिवर्तन करके नये तत्वों को समाहित किया गया तथा एक पृथक शैली को विकसित किया गया यही शैली प्रतिष्ठित होकर घराना कहलायी।

लखनऊ कथक घराना

कथक के प्रसिद्ध लखनऊ घराने की शुरुआत ईश्वरी प्रसाद जी से मानी जाती है। ऐसा कहा जाता है कि ईश्वरी प्रसाद जी को सपने में भगवान श्रीकृष्ण ने दर्शन देकर इस नृत्य की भागवत बनाने की प्रेरणा दी उन्होंने यह ग्रन्थ रचकर इसकी शिक्षा अपने तीनों बेटो श्री अड़गू जी, खड़गू जी और तुलाराम जी को दी। इसके आगे अड़गू जी की वंश परम्परा ही लखनऊ कथक घराने के नाम से प्रख्यात हुई।

लखनऊ घराने का प्रारंभ स्व. ईश्वरी प्रसाद से माना

जाता है जो इलाहाबाद जिले के हण्डिया तहसील के निवासी थे। वे जाति के मिश्र ब्राह्मण थे। एक किवदंती के अनुसार कहा जाता है कि उन्हें स्वप्न में कथक नटवरी नृत्य का पुनरुद्धार करने के लिए श्रीकृष्ण ने आदेश दिया था। उसी क्षण से वह इस कार्य में लग गये और अपने तीनों पुत्रों अड़गूजी, खड़गूजी और तुलारामजी को नृत्य की शिक्षा दी और नृत्य का पुनरुद्धार करने का आदेश दिया। कहते है कि ईश्वरी प्रसाद की मृत्यु 105 वर्ष की अवस्था में सर्प के काटने से हुई। पिता की मृत्यु से पुत्रों को बहुत दुख हुआ लेकिन उनकी इच्छा के अनुसार वे नृत्य की साधना और प्रचार-प्रसार में लगे रहे। अड़गू जी के तीन पुत्र हुये प्रकाश जी, दयाल जी और हरि लाल जी जिनको अड़गू जी ने अच्छी शिक्षा दी। अडगू जी की मृत्यु के बाद तीनों पुत्र लखनऊ आ गये। वहाँ प्रकाश जी नवाब आशिफ उद्दौला के दरबारी नृत्यकार हो गये।

प्रकाश जी के तीन पुत्र हुये दुर्गा प्रसाद, ठाकुर प्रसाद और मान जी इन तीनों भाईयों ने नृत्य में बड़ी ख्याति प्राप्त की। दुर्गाप्रसाद के तीन पुत्र हुये महाराज बिन्दादीन, महाराज कालिका प्रसाद और भैरव प्रसाद जिन्हें नृत्य में बड़ी ख्याति मिली। महाराज कालिका प्रसाद और बिन्दादीन ठुमरी गायन में प्रसिद्ध थे और सैकड़ों ठुमरियों की रचना की। उनकी विशेषता यह थी कि ठुमरी गाते थे और उनका भाव अंग संचालनों द्वारा दिखाते थे। इस प्रकार भाव-प्रदर्शन लखनऊ घराने का प्रमुख हो गया। गौहरजान और जोहराबाई आदि प्रसिद्ध गायिकाओं ने बिन्दादीन महाराज से ठुमरी की शिक्षा ली। बिन्दादीन महाराज एक कट्टर हिन्दू थे और मुसलमानों और वेश्याओं के साथ रहने पर भी उन्होंने अपना सात्विक हिन्दू जीवन नहीं छोड़ा। कालिका प्रसाद के तीन पुत्र हुये जगन्नाथ प्रसाद जो अच्छन महाराज के नाम से प्रसिद्ध थे, बैजनाथ प्रसाद जो लच्छू महाराज के नाम से लोकप्रिय हुये और शम्भू महाराज। इन तीनों बन्धुओं ने नृत्य जगत में बड़ी क्रांति मचा दी। अच्छन महाराज भाव, लय और ताल के पण्डित थे। ये कठिन से कठिन तालों में बड़ी आसानी से नृत्य करते थे। इन्होंने अपने छोटे भाई को नृत्य की शिक्षा दी। जिस समय शम्भू महाराज की अवस्था केवल 8 वर्ष की थी तो उनके चाचा और गुरु महाराज बिंदादीन की मृत्यु हो गई। मृत्यु के समय बिंदादीन ने नृत्य सिखलाने का भार अच्छन महाराज पर डाल दिया था। अच्छन महाराज की मृत्यु 1950 में हुई। उनके एकमात्र पुत्र ब्रजमोहन नाथ थे जो बिरजू महाराज के नाम से प्रसिद्ध हुए। इस घराने में पैरों के बोल और शरीर के विभिन्न अंगों के सुन्दर संचालन पर विशेष ध्यान दिया जाता है। प्राय: छोटे-छोटे टुकड़े व तोड़े नाचे जाते हैं। गत भाव की तुलना में गत निकास पर अधिक ध्यान दिया जाता है।

जयपुर कथक घराना

वर्तमान काल में कथक का जयपुर घराना एक विकसित और समृद्ध परम्परा के रूप में हमारे सामने है। कथक नृत्य शैली का जयपुर घराना सबसे प्राचीन माना जाता है। जयपुर घराने के प्रर्वतक भानू जी (79) माने जाते है।

बनारस कथक घराना

कथक के बनारस घराने का जन्म राजस्थान से ही माना जाता है किन्तु इसका सम्पूर्ण विकास बनारस में ही होने के कारण यह 'बनारस घराने' के नाम से प्रसिद्ध हुआ। बनारस अथवा जानकीप्रसाद घराने की परम्परा के प्रादुर्भाव के विषय में ऐसी मान्यता है कि जयपुर घराने से पूर्व 'कथक' का राजस्थान में एक घराना था जो 'श्यामलदास घराना' के नाम से विख्यात था इसी घराने से बनारस घराने की वंश परम्परा की शुरूआत हुई मानी जाती है।

रायगढ़ कथक घराना

कथक का रायगढ़ घराने का जन्मस्थल म0प्र0 का छत्तीसगढ़ जिला है। यहाँ के राजा चक्रधर सिंह को नृत्य संगीत से अत्यंत लगाव था और वे स्वयं भी एक अच्छे कथक नर्तक थे। अच्छे संगीतज्ञ व रचनाकार होने के कारण राजा साहब ने कथक नृत्य की अनेक बंदिशें रची तथा भाव प्रदर्शन हेतु अनेक गजलें व पदों की रचना की और इन सभी स्वरचित बंदिशों को इन्होंने अपने शिष्यों को सिखाया तथा यह परम्परा आगे बढ़ी और रायगढ़ घराने के नाम से प्रसिद्ध हुई।

कथक नृत्य इस क्रम का अनुसरण करता है:-

अमाद - डांसर का नाटकीय और आँख को पकड़ने वाला प्रवेश द्वार।

ठाट - नृत्य का कोमल और सुरुचिपूर्ण खंड।

तोरा, तुकरा, और परान-नृत्य की रचनात्मक रचनाएँ।

परंत-कोमल लय का चरण।

ततकर-फुटवर्क आंदोलन।

सभी संयुक्त, आपको लुभावनी नृत्य के रूप में बनाई गई एक कहानी मिलती है।

भारतीय शास्त्रीय नृत्य एक गहन दर्शन द्वारा कायम है। प्रपत्र निराकार के साथ विलय करना चाहता है, गति गतिहीन का हिस्सा बनना चाहता है और नृत्य करने वाला व्यक्ति ब्रह्मांड के शाश्वत नृत्य के साथ एक बनना चाहता है।

कथक परंपरा में, हम देखते हैं कि नृत्य को ऐतिहासिक परिवर्तन के साथ-साथ व्यक्तिगत और सामाजिक-सांस्कृतिक कारकों द्वारा गहराई से आकार दिया गया है, जिन्होंने शैलीगत विकास और शैक्षणिक प्रथाओं को आकार दिया है। पंडित राम नारायण मिश्रा (1911-1972) के लिए, जो पढ़ाया गया था वह छात्रों के शरीर के प्रकार और चलने के तरीकों पर निर्भर था और अधिक मौलिक रूप से, प्रत्येक छात्र के लिंग और सामाजिक स्थिति द्वारा निर्धारित किया गया था। संयुक्त राज्य अमेरिका में शिक्षण के चालीस वर्षों में, पंडित दास की कथक की शैली भी उनकी छात्र आबादी के बदलते जनसांख्यिकीय मेकअप के अनुसार बदल गई। पंडित दास के छात्रों की एक नई पीढ़ी लॉस एंजिल्स, सीए, टोक्यो, जापान और मुंबई, भारत जैसे विविध शहरों में करियर पढ़ाने के लिए सैन फ्रांसिस्को खाड़ी क्षेत्र छोड़ देती है, इसलिए उन्हें भविष्य की पीढ़ियों को कथक विकसित करने और सिखाने के दौरान नृत्य के प्रति बदलती छात्र आबादी और दृष्टिकोण का जवाब देने की समान चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा।

हंसराज कॉलेज,
दिल्ली विश्वविद्यालय

मैं नीर भरी दुख की बदली!

-महादेवी वर्मा

मैं नीर भरी दुख की बदली!
स्पन्दन में चिर निस्पन्द बसा,
क्रन्दन में आहत विश्व हँसा।
नयनों में दीपक से जलते,
पलकों में निर्झारिणी मचली।।
मेरा पग-पग संगीत भरा,
श्वासों से स्वप्न-पराग झरा।
नभ के नव रंग बुनते दुकूल,
छाया में मलय-बयार पली।
मैं क्षितिज-भृकुटि पर घिर धूमिल,
चिन्ता का भार बनी अविरल।
रज-कण पर जल-कण हो बरसी,
नव जीवन-अंकुर बन निकली।।
पथ को न मलिन करता आना,
पथ-चिह्न न दे जाता जाना।
सुधि मेरे आंगन की जग में,
सुख की सिहरन हो अन्त खिली।।
विस्तृत नभ का कोई कोना,
मेरा न कभी अपना होना।
परिचय इतना, इतिहास यही,
उमड़ी कल थी, मिट आज चली।।

कहता जग दुख को प्यार न कर

-महादेवी वर्मा

कहता जग दुख को प्यार न कर,
अनबींधे मोती यह दृग के
बँध पाये बन्धन में किसके?
पल पल बनते पल पल मिटते,
तू निष्फल गूथ गूथ हार न कर
कहता जग दुख को प्यार न कर।।
दर्पणमय है अणु अणु मेरा,
प्रतिबिम्बित रोम रोम तेरा
अपनी प्रतिछाया से भोले।
इतनी अनुनय मनुहार न कर
कहता जग दुख को प्यार न कर।।
सुख-मधु में क्या दुख का मिश्रण?
दुख-विष में क्या सुख-मिश्री-कण
जाना कलियों के देश तुझे।
तो शूलों से श्रंगार न कर
कहता जग दुख को प्यार न कर।।

भारतीय संस्कृति और गोस्वामी तुलसीदास

-आचार्यचंद्र

भारतीय संस्कृति विश्व की प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक है। अपने उदात्त जीवन मूल्यों और 'वसुधैव कुटुम्बकम्' जैसे आदर्शों के चलते समूचा विश्व इसकी महानता के सम्मुख नतमस्तक है। साहित्य के विविध रूपों में यह सांस्कृतिक वैभव विद्यमान है।

तुलसीदास की भक्ति दास्य भाव की है। वे श्रीराम के शरणागत हैं। वे कहते हैं **'सेवक सेव्य भाव बिनु भव न तरिअ उरगारि'**। उनके प्रभु मात्र सात्विक भाव एवं निश्चल प्रेम से ही भक्तों का उद्धार कर देते हैं। तुलसी के युग में हिंदू धर्म के भीतर अनेक संप्रदाय प्रचलित थे। शैव, शाक्त एवं वैष्णव आदि। उनके अनुयायियों में स्पर्धा का भाव भी था। गोस्वामी जी ने राम और शिव को एक दूसरे का प्रिय बता कर इनके मध्य समन्वय स्थापित करने का स्तुत्य प्रयास किया। उन्होंने राम से कहलवाया **'शिव द्रोही, मम दास कहावा सो नर मोहि सपनेऊ नहिं भावा'**। इसी प्रकार निर्गुण व सगुण मतावलम्बियों के बीच के मतभेद को भी उन्होंने ईश्वर एक है, बता कर दूर किया **सगुनहिं अगुनहीं नहि कछु भेदा**।

रावण सभी भौतिक सम्पदा के होते हुए भी धर्म के विरुद्ध है। वह रथ पर युद्ध करने आया है और राम 'बीरथ'। यह देख विभीषण अधीर हो उठते हैं। उनमें राम के विजय के प्रति संशय होने लगता है। तब श्रीराम उन्हें 'धर्ममय रथ' को विस्तार से समझाते हैं। तुलसीदास इस प्रसंग के द्वारा एक विशेष संदेश देते हैं। रामचरित मानस में गोस्वामीजी ने अनेक आदर्श चरित्रों का सृजन किया है जिनका अनुकरण मनुष्य को देवत्व की ओर ले जा सकता है। अनुकरणीय पुत्र, राजा, पिता, पत्नी, भाई, सेवक, मित्र एवं भक्त।

हिन्दी साहित्य के इतिहास में भक्तिकाल को 'स्वर्ण युग' कहा जाता है। महाकवि गोस्वामी तुलसीदास इसी युग के रचनाकार हैं। राजनीतिक एवं सामाजिक दृष्टि से यह संकट और अत्याचार का समय था। सामान्य जन त्रस्त था।

जीविका विहीन लोग
सिद्धमान, सोच बस
कहैं एक एकन सौं, कहाँ
जाई का करी

विदेशी आक्रान्ताओं के अत्याचारों से पराभूत भारतीय मानस को तुलसी आस्था, आत्मविश्वास तथा रामराज्य की संजीवनी देकर उसमें नव चेतना का संचार करते हैं। तुलसीदास की यह रामकथा मध्यकाल के उस कठिन और दारुण समय में त्रस्त, तप्त और निराश हिन्दू हृदय को शीतलता प्रदान करती है।

तुलसीदास का जन्म श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी को माना जाता है। उनका जीवन अत्यंत संघर्ष पूर्ण रहा। चाहे वह बाह्य हो या आंतरिक संघर्ष **बारे ते ललात, बिललात द्वार दीन जानत हौं चारि फल, चारि ही चनक को।**

उनके जीवन के विषय में अनेक दंत कथायें प्रसिद्ध हैं। महाकवि ने 'नाना पुराण' के अवगाहन से प्राप्त ज्ञान को जनभाषा के माध्यम से लोक को समर्पित किया। वे संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे। इस सन्दर्भ में उनका अवधी में रचना करना विशेष महत्त्व रखता है। ऐसी मान्यता है कि रामचरित मानस की रचना के पश्चात् तुलसीदास का काशी के पंडितों से शास्त्रार्थ हुआ था।

गोस्वामी तुलसीदास 'स्वांत: सुखाय' काव्य रचना करते हैं किन्तु उसमें लोक मंगल और मानव के चारित्रिक उन्नयन की आकांक्षा सन्निहित है। तुलसीदास जी ने विपुल साहित्य सृजन किया है किन्तु उसमें सर्वत्र राम का ही वर्णन है- **रावरो कहावों राम गुण गावों रावरेई।** रामकथा मंगलकारी और अमंगल का हरण करने वाली है-**मंगल भवन, अमंगल हारी।** रामचरित मानस यदि श्रीराम के 'दिव्य चरित' का सागर है तो विनय पत्रिका 'आत्म निवेदन की पाती' और

'कवितावली' राम कथा का संक्षिप्त रूप। उनकी रचनाओं का अनेक विदेशी और भारतीय भाषाओं में अनुवाद हुआ है।

संस्कृति किसी भी राष्ट्र के लिए अत्यंत महत्त्वपूर्ण है, वह उसकी अस्मिता का प्रतीक है। संस्कृति सामूहिक चेतना की अभिव्यक्ति है। दूसरे शब्दों में हम इसे राष्ट्र की आत्मा कह सकते हैं। समन्वय भारतीय संस्कृति की महती विशेषता है। इसमें अतिवाद के लिए स्थान नहीं है। 'चरैवेति चरैवेति' इसका गुण है। तभी तो अनेक सम्प्रदाय और दर्शन यहाँ एक साथ विद्यमान हैं। हम सत्य को अनेक आयामों से शोधते हैं। गोस्वामी तुलसीदास ने इसी समन्वय भावना का उपयोग कर भव्य रामचरित मानस की कल्पना की। उन्होंने युग बोध और जनसामान्य की मन:स्थिति को भांपकर रामकथा का निरूपण किया।

तुलसी के राम शील, सौंदर्य एवं शक्ति से समन्वित हैं। वे मर्यादा पुरुषोत्तम हैं जिनका उदात्त चरित्र आदर्श है। ऐसे त्यागी, मर्यादा पुरुषोत्तम और धर्म आचरण करने वाले चरित्र किसी भी युग की आकांक्षा है। धर्म किसी भी संस्कृति का प्रमुख तत्व है और तुलसी धर्म को परोपकार एवं सत्य की कसौटी पर कसते हैं-**परहित सरिस धर्म नहीं भाई।**

धरमू ना दोसर सत्य समाना-धर्म का यह वह रूप है जो सहज-सरल है और जन सामन्य के लिए सहज एवं ग्राह्य भी। श्रीराम के सभी कार्य मानवता के उत्थान और धर्म रक्षा हेतु ही हैं-**निसिचर हीन करउ महि, भुज उठाई पन कीन्ह।**

वैयक्तिक सुख, स्वार्थ और इच्छा के लिए वहाँ कोई स्थान नहीं है। अपने युग की विसंगतियों और मूल्य विघटन से तुलसीदास खिन्न थे। उन्होंने रामकथा के माध्यम से आदर्श समाज की परिकल्पना की-

नहिं दरिद्र कोउ, दुखी ना दीना नहिं
कोउ अबूध, न लछन हीना।

इस रामराज्य में व्यक्ति एवं समाज का आचरण सत्य, त्याग, प्रेम, मैत्री व परस्पर सहयोग पर आधारित है। इसमें प्रजातंत्र को बीज रूप में भी देखा जा सकता हैं जहाँ लोकमत का सम्मान होता है। तुलसीदास ने राजा के कर्तव्य को कितने सरल शब्दों में बताया है-**'जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी'** अर्थात् जिस राज्य में प्रजा को कष्ट हो ऐसा राजा नरक का भागी होगा।

अंतत: हम कह सकते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास जी की रचनाओं में भारतीय संस्कृति के अनेक तत्व समाहित हैं। वे उदात्त भारतीय जीवन मूल्यों के कोष हैं। भारतीय संस्कृति का गौरव ग्रंथ 'राम चरित मानस' युगों-युगों से लोक जीवन का कंठ हार है। ऐसे यशस्वी महाकवि गोस्वामी तुलसीदास को कोटि-कोटि नमन।

भारतीय शैक्षिक दर्शन अध्यात्म प्रधान है, उसमें भौतिकतावाद गौण है, इसीलिए भारतीय दर्शन का शिक्षा से अटूट संबंध है। भारत में दार्शनिकों और शिक्षा-शास्त्रियों की दीर्घकालीन परंपरा रही है इसी परंपरा में तुलसीदास जी का आविर्भाव हुआ। भारतीय ज्ञान परंपरा में उनका शिक्षा दर्शन सर्वोच्च आदर्श है और उसकी प्रासंगिकता भी सार्वभौम है। तुलसी का शिक्षा दर्शन, वेद और उपनिषद के पंचकोश पर आधारित है। जो अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, और आनंदमय कोष के माध्यम से शरीर, प्राण, मन, बुद्धि और आत्मा का विकास है।

भारतीय शिक्षा प्रणाली का केंद्र बिंदु विद्यार्थी है। तुलसीदास जी ने भी अपने शिक्षा दर्शन में विद्यार्थी को केंद्र बिंदु माना है। उपनिषदों में वर्णित पंचकोश की अवधारणा के अनुसार शिक्षा का परम उद्देश्य विद्यार्थी का चरित्र निर्माण करना और उसके जीवन के सामाजिक, बौद्धिक, मानसिक, भावात्मक और शारीरिक पक्षों का विकास करना है। जीवन का बहुमुखी विकास करने के लिए विद्यार्थी में कतिपय गुणों का होना आवश्यक है।

तुलसीदास ने समर्पण के गुण को ज्ञान प्राप्ति के लिए सर्वोपरि माना है। श्रीराम के मुखारविंद से **'बंदउँ गुरु पद कंज, कृपा सिंधु नररूप हरि'** कहलवाकर तुलसीदास ने गुरु के महत्त्व को बताया है। तुलसीदास जी ने राम आदि चारों भाइयों में विद्यमान गुणों **'विद्या बिनय निपुन गुन सीला'** के बारे में विचार प्रकट किये हैं। तुलसीदास के अनुसार विद्यार्थी के लिए विनयशीलता जैसे गुण को धारण करने की अत्यंत आवश्यकता है क्योंकि विनयशीलता से ही ज्ञानार्जन सम्भव है।

सत्संगति के महत्त्व से सारा संसार परिचित है। सत्संगति

को आत्मा का भोजन भी कहा गया है। सत्संग से विद्यार्थी की आत्मा पुष्ट और पवित्र होती है जिससे विद्यार्थी में सदाचार, कर्तव्यपरायणता, शुभ विचार और सद्भावना आदि गुणों का संचार होता है। तुलसीदास ने सत्संगति का महत्त्व स्पष्ट करते हुए कहा कि **'बिनु सतसंग बिबेक न होई'**। विवेक के बिना विद्यार्थी के उत्तम आचरण की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। विद्यार्थी के लिए विवेक अपेक्षित गुण है इसलिए तुलसी ने शिक्षा दर्शन में विद्यार्थी के लिए विवेक को हितकारी माना है।

पंचकोश में वर्णित विज्ञानमय कोष की भांति तुलसीदास ने भी विद्यार्थी के बौद्धिक विकास को महत्त्वपूर्ण स्थान दिया है। उन्होंने विद्यार्थी में नेतृत्व क्षमता, प्रयोगशीलता, वैज्ञानिक दृष्टिकोण के विकास के लिए बौद्धिक विकास को आवश्यक माना है ताकि उसमें निर्णय लेने की क्षमता का विकास हो सके, उसका आत्म-विश्वास और मनोबल बढ़े और वह एक उत्तम जीवन व्यतीत कर सके। उन्होंने अपनी इन पंक्तियों में विद्यार्थी के बौद्धिक विकास को परिपुष्ट करते हुए लिखा है **'जड़ चेतन गुन दोषमय बिस्व कीन्ह करतार, संत हंस गुन गहहिं पय परिहरि बारि बिकार'**।

आध्यात्मिक ज्ञान विद्यार्थी के विकास की चरम परिणति है जिसे उपनिषदों के पंचकोश में आनंदमय कोष के नाम से जाना जाता है। आध्यात्म में अपने अंतर में देखने का स्वभाव बनाना, स्वः में स्थित रहना और निस्वार्थ भाव से सेवा कार्य करना-ये विद्यार्थी के चरित्र के उत्तम लक्षण हैं। तुलसीदास ने अपने शिक्षा दर्शन में इन सभी मूल्यों को अपरिहार्य माना है।

वरिष्ठ साहित्यकार एवं चिंतक

भारतवर्ष की श्रेष्ठता

-मैथिलीशरण गुप्त

भू-लोक का गौरव, प्रकृति का पुण्य लीला-स्थल कहाँ?
फैला मनोहर गिरि हिमालय और गंगाजल जहाँ।
सम्पूर्ण देशों से अधिक किस देश का उत्कर्ष है,
उसका कि जो ऋषिभूमि है, वह कौन? भारत वर्ष है।।1।।

हाँ, वृद्ध भारतवर्ष ही संसार का सिरमौर है,
ऐसा पुरातन देश कोई विश्व में क्या और है?
भगवान की भव-भूतियों का यह प्रथम भण्डार है,
विधि ने किया नर-सृष्टि का पहले यहीं विस्तार है।।2।।

यह पुण्य भूमि प्रसिद्ध है, इसके निवासी 'आर्य्य' हैं,
विद्या, कला-कौशल्य सबके, जो प्रथम आचार्य्य हैं।
संतान उनकी आज यद्यपि, हम अधोगति में पड़े,
पर चिह्न उनकी उच्चता के, आज भी कुछ हैं खड़े।।3।।

हमारा उद्भव

शुभ शान्तिमय शोभा जहाँ भव-बन्धनों को खोलती,
हिल-मिल मृगों से खेल करती सिंहनी थी डोलती।
स्वर्गीय भावों से भरे ऋषि होम करते थे जहाँ,
उन ऋषिगणों से ही हमारा था हुआ उद्भव यहाँ।।4।।

केन्द्रीय सचिवालय हिन्दी परिषद और उसकी शाखाओं द्वारा गत वर्षों में आयोजित राजभाषा संगोष्ठी/राजभाषा कार्यशाला एवं अखिल भारतीय पुरस्कार वितरण समारोह आदि की झलकियां

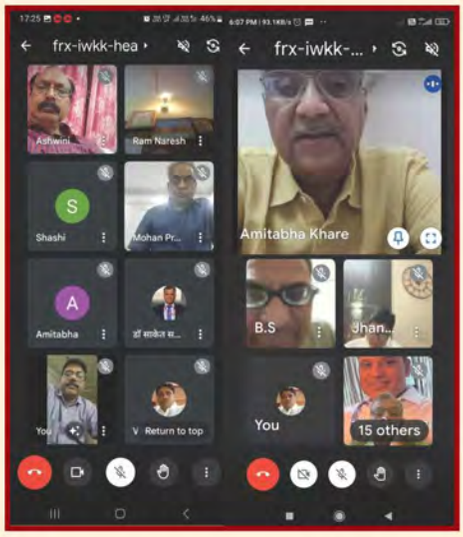

राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और शास्त्री जी की जयंती मनी

कांचरापाड़ा. केंद्रीय सचिवालय हिंदी परिषद कांचरपाड़ा शाखा द्वारा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी एवं लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर परिचर्चा सभा हुई . कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए परिषद शाखा के उप प्रधान विजय कुमार झा ने कहा गांधी और शास्त्री जी के संघर्षमय जीवन और राष्ट्र प्रेम से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए . बैजनाथ कुमार 'बैजू' ने कहा कि बेहतर राष्ट्र के लिए इनके आदर्श पर चलना जरूरी है . अन्य विशिष्ट जनों में कांपा पंचायत के सदस्य सुनील यादव, स्वप्न घोष, सुब्रत पाल, मल्लिक दा और प्रेम हेंब्रम उपस्थित रहे . परिषद के राजभाषा संयोजक, भारतीय रेल रणजीत प्रसाद ने महात्मा गांधी और शास्त्री जी के जीवन पर अपने विचार रखे . कार्यक्रम का संचालनसुशील कुमार शर्मा ने किया .

वाप्कोस लिमिटेड

(भारत सरकार का उपक्रम)
जल शक्ति मंत्रालय

ISO 9001: 2015

जल संसाधन, विद्युत और अवस्थापना विकास के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय परामर्श

विशेषज्ञता के क्षेत्र

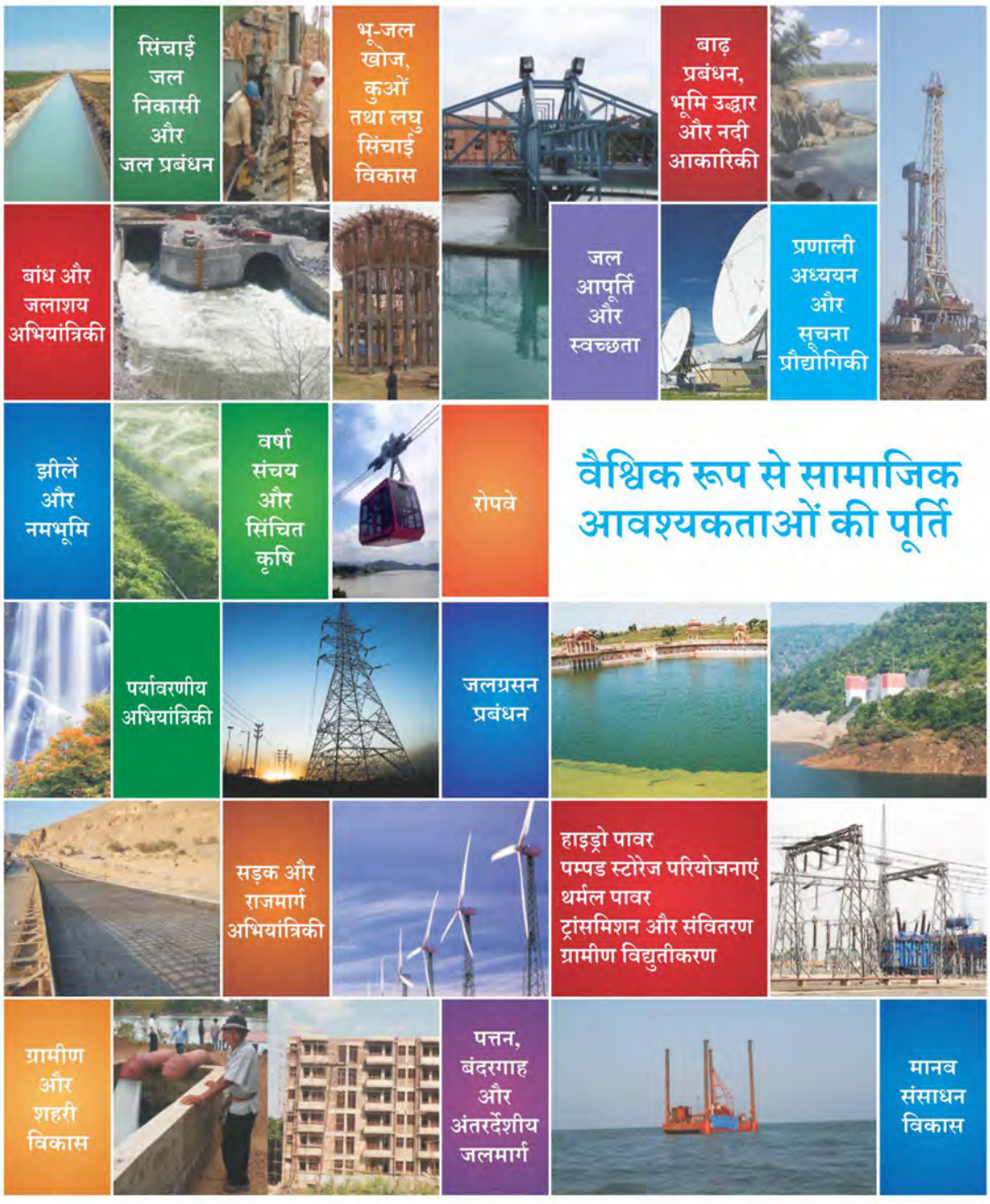

ई-मेल : mail@wapcos.co.in | वेबसाइट: http://www.wapcos.co.in

Excelprint, New Delhi